त्रयोदश माला, खंड 17, अंक 5

शुक्रवार, 27 जुलाई, 2001
5 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 17, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 5, शुक्रवार, 27 जुलाई, 2001/5 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 100	4–34
अतारांकित प्रश्न संख्या 827 से 1056	34–319
संसद सदस्य की हत्या के संबंध में वक्तव्य देने के बारे में घोषणा	322
सभा पटल पर रखे गए पत्र	322–340
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	340
सभा का कार्य	341–343
समितियों के लिए निर्वाचन	343–344
(एक) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड	343
(दो) तम्बाकू बोर्ड	344
कार्य-मंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	344–345
अन्तर्राज्यिक जल-विवाद (संशोधन) विधेयक	345–369
विचार करने के लिए प्रस्ताव	345
प्रो. रासा सिंह रावत	345
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार	347
श्री वरकला राधाकृष्णन	353
श्री के. मलयसामी	358
श्री श्यामाचरण शुक्ल	362
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	368
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें, चौदहवें और पन्द्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	369–370

विषय	कालम
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुर:स्थापित*	
(एक) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक (धारा 2 का संशोधन)	
श्री रामदास आठवले	370
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, (नए अनुच्छेद 18क का अन्त:स्थापन)	
श्री रामदास आठवले	371
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए भाग 21क आदि का अंत:स्थापन)	
श्री सुबोध मोहिते	371
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 24क का अंत:स्थापन)	
श्री सुबोध मोहिते	371–372
(पांच) राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक	
श्री सुबोध मोहिते	372
(छह) राष्ट्रीय उपवन विधेयक	
श्री सुबोध मोहिते	372–373
(सात) योग्य और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए नि:शुल्क आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी शिक्षा का उपबंध विधेयक	
श्री रामदास आठवले	373
(आठ) कपास उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक	
श्री रामदास आठवले	373–374
(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 364क आदि का अंत:स्थापन)	
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	374
(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 130 का संशोधन)	
डा. ए.डी.के. जयशीलन	374–375
(ग्यारह) मुम्बई उच्च न्यायालय (नासिक में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
श्री उत्तमराव ढिकले	375
(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक (सातवीं अनुसूची का संशोधन)	
डा. ए.डी.के. जयशीलन	375

विषय		कॉलम
(तेरह)	राष्ट्रीय कृषि आयोग विधेयक	
	श्री उत्तमराव ढिकले	376
(चौदह)	संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 21क, आदि का अंत:स्थापन	
	श्री बसुदेव आचार्य	376
(पन्द्रह)	राजनीतिक दल (सहायता तथा विनियमन) विधेयक	
	श्री उत्तमराव ढिकले	376–377
(सोलह)	राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक	
	श्री उत्तमराव ढिकले	377
(सत्रह)	संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन)	
	श्री हन्नान मोल्लाह	377–378
(अठारह)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75, आदि का संशोधन)	
	श्री जी.एम. बनातवाला	378
(उन्नीस)	संविधान (संशोधन) विधेयक (पहली अनुसूची का संशोधन)	
	श्री हन्नान मोल्लाह	378–379
(बीस)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 80 का संशोधन)	
	श्री अनन्त गंगाराम गीते	379
(इक्कीस)	वरिष्ठ नागरिक (कल्याण) विधेयक	
	श्री चन्द्रकांत खैरे	379–380
(बाईस)	फल तथा सब्जी बोर्ड विधेयक	
	श्री चन्द्रकांत खैरे	380
(तेईस)	धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक	
	श्री अनन्त गंगाराम गीते	380–391
(चौबीस)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 103, आदि का संशोधन)	
	श्री हन्नान मोल्लाह	391–392

विषय		कालम
(पच्चीस)	संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)	
	श्री पवन कुमार बंसल	392
(छब्बीस)	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)	
	श्री पवन कुमार बंसल	392–393
(सत्ताईस)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 115 और 205 का संशोधन)	
	श्री रमेश चेन्नितला	393
(अट्ठाईस)	पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)	
	श्री पवन कुमार बंसल	393–394
(उन्तीस)	उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक (धारा 2 का संशोधन)	
	श्री रमेश चेन्नितला	394
(तीस)	किशोर न्याय (संशोधन) विधेयक (धारा 53 का संशोधन)	
	श्री रमेश चेन्नितला	394–395
(इकतीस)	वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक (नयी धारा 2क का अंत:स्थापन)	
	श्री रमेश चेन्नितला	395
(बत्तीस)	संबिधान (संशोधन) विधेयक—*वापस लिया गया* (नए अनुच्छेद 75क, आदि का अंत:स्थापन)	395–423
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	395
	प्रो. रासा सिंह रावत	398
	श्री वरकला राधाकृष्णन	403
	श्री रामदास आठवले	407
	श्री सुरेश रामराव जाधव	409
	श्री पुन्नू लाल मोहले	411
	श्री शीश राम सिंह रवि	413
	श्री ईश्वर दयाल स्वामी	416
	श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	419
	श्री अनन्त गंगाराम गीते	420
(तैंतीस)	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक	423–426
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	421
	श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	423

लोक सभा

शुक्रवार, 27 जुलाई, 2001/5 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बज कर दो मिनट पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 81—श्री नवल किशोर राय।

..(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): मान्यवर, दिनांक 25.7.2001 को दिन-दहाड़े जिस तरह से श्रीमती फूलन देवी की हत्या कर दी गई, वह शर्मनाक है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश सिंहजी, अभी नहीं, प्रश्न-काल के बाद, जीरो-आवर में कहिए।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): अध्यक्ष महोदय, हत्या ये ही लोग करवा रहे हैं और यहां आकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीटों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? ऐसा कोई रूल नहीं है फिर भी आप वैल में आ जाते हैं। आप यहां कैसा बिहेव कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। कृपया आप अपनी सीटों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: टी.वी. को बंद करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर आप चाहें तो इस ईशू को जीरो ऑवर में उठा सकते हैं लेकिन यह कोई प्रोसीजर नहीं है। यह हाउस डिस्कशन के लिए है। प्रोसीडिंग्स को रोकना ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीटों पर जाकर बैठिए। यहां क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया अपने दल के सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर बैठने को कहें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: दो दिन पार्लियामैंट नहीं चली और अब भी नहीं चलने दे रहे हैं। आप यह क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रोसीडिंग्स को स्टॉल करना ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने दल के सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर बैठने को कहें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): ये लोग क्या कर रहे हैं?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर इस ईशू को डिस्कस करना चाहें तो हाउस में करें। आप प्रोसीडिंग्स को कैसे रोकेंगे? यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपील करता हूं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मामले पर बहस करना चाहते हैं या मात्र सभा की कार्यवाही रोकना चाहते हैं? आपका इरादा क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप मामले पर बहस करना चाहते हैं या कार्यवाही रोकना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या चाहिए? क्या डिस्कशन नहीं चाहिए? आप क्या बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? बैठ जाइये। आप क्या इस तरह चर्चा कर रहे हैं। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, यह ठीक नहीं है। आप अपने मैम्बरों को जरा समझाइये। ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग हाउस की प्रोसीडिंग्स को स्टाल कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आप इन्हें कहिए।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

यूटीआई के यूएस-64 की बिक्री और पुनर्खरीद को स्थगित करना

***81. श्री नवल किशोर राय:**
श्री चन्द्र नाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूटीआई-यूएस-64 में निवेश करने वाले लघु निवेशकों की संख्या कितनी है और उसमें कितनी धनराशि अन्तर्लिप्त है;

(ख) क्या यूटीआई ने अपनी लोकप्रिय स्कीम यूएस-64 की बिक्री और पुनर्खरीद पर छः महीने के लिए रोक लगा दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने यूटीआई अधिकारियों की बेईमान व्यापारियों के एक वर्ग के साथ तथाकथित मिलीभगत के बारे में जांच का

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आदेश दिया है जिसके कारण यूटीआई ने अपनी भारी धनराशि का निवेश बेईमानी के उद्देश्य से 'जाली' कंपनियों में कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या सरकार का विचार छोटे निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूएस-64 स्कीम की बिक्री एवं पुनर्खरीद को बहाल करने हेतु यूटीआई को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा यूएस-64 की बिक्री और पुनर्खरीद बहाल करने हेतु अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार यूएस-64 स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार 5926.13 करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) की राशि के 3000 यूनिटों तक के यूनिट धारक खातों की संख्या 1.85 करोड़ रुपए थी।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने दिसम्बर, 2001 तक छः महीने की अवधि के लिए यूएस-64 की बिक्री और पुनर्खरीद दोनों के स्थगन के अपने निर्णय की घोषणा 2 जुलाई को की। यह निर्णय उन्मोचनों को रोकने तथा योजना की पुनर्संरचना के उद्देश्य से किया गया था।

(घ) और (ङ) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा लिए गए निवेश निर्णयों की स्वतंत्र जांच कराने के लिए एक तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिए गए कतिपय निवेश निर्णयों की अलग से जांच कर रहा है।

(च) और (छ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा लघु निवेशकों के लिए दिनांक 15 जुलाई, 2001 को घोषित स्कीम के कार्यान्वयन के समर्थन में सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट का साथ देने पर सहमति व्यक्त की है।

(ज) उपर्युक्त (घ) और (ङ) में उल्लिखित उपायों के अतिरिक्त भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने घोषणा की है कि दिनांक 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार यूनिट धारण करने वाले सभी यूनिट धारक दिनांक 1 अगस्त, 2001 से प्रभावी 1 अगस्त, 2001 से 31 मई, 2003 की अवधि के दौरान किसी भी समय प्रति यूनिट धारक 10 रुपए प्रति यूनिट के मूल्य पर 3000 यूनिटों तक की पुनर्खरीद का प्रस्ताव कर सकते हैं, जिसमें 10 पैसे प्रतिमाह वृद्धि होगी। यूएस-64 एनएवी आधारित मूल्यों पर पूर्णतया पुनर्खरीद के लिए जनवरी, 2002 में खुल जाएगी।

गेहूं का निर्यात

*82. **श्री रामदास आठवले:**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में निर्यात किए गए गेहूं, चावल और अन्य खाद्य उत्पादों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इराक ने तेल के बदले खाद्यान्न योजना के अंतर्गत गेहूं की कई खेपें रद्द कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसी आधार पर गेहूं का आयात रद्द करने वाले अन्य देश कौन-से हैं;

(ङ) भारतीय खाद्य निगम/सरकार को इस सौदे में कितनी हानि हुई;

(च) इराक को गेहूं का निर्यात बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) इन निर्यातों के लिए जिम्मेदार निर्यातकों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे निर्यात की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान चाय, काफी और समुद्री उत्पादों सहित 27422.98 करोड़ रुपये की कृषिगत वस्तुओं का निर्यात किया गया था। पिछले वर्ष 2141.94 करोड़ रुपये मूल्य का 848919 टन बासमती चावल और 784.16 करोड़ रुपये मूल्य का 683194 टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया था। निर्यात के देशवार

ब्यौरे वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकीय की मासिक/वार्षिक पत्रिकाओं में दिए जाते हैं, जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के निर्यात के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख), (ग), (च), (छ) और (ज) इराक ने हाल ही में भारत से तीन पार्टियों द्वारा भेजे गए गेहूं की 4 खेपें इस बात का आग्रह करते हुए अस्वीकार कर दी हैं कि वे रेत, सिलिका, धूल और डामर तथा जीवित कीटों जैसे अकार्बनिक तत्वों से पूर्णतया मुक्त होनी चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय कोडैक्स मानकों के अनुसार अनाज में 2 प्रतिशत तक विजातीय तत्व अनुमेय हैं जिनमें से 1.5 प्रतिशत चोकर, खरपतवार के बीज, अन्य खाद्य तथा अखाद्य अनाज आदि जैसे कार्बनिक तत्व और शेष (0.5 प्रतिशत) पत्थर, धूल आदि जैसे अकार्बनिक विजातीय तत्व शामिल होते हैं। इराकी संविदा में विहित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों में दो प्रतिशत तक विजातीय तत्व की मौजूदगी की व्यवस्था है। ग्रेन बोर्ड ऑफ इराक द्वारा सहमत निरीक्षण ऐजेंसी ने लदान से पूर्व खेपों का निरीक्षण किया था और गेहूं की खेपों को मानव उपभोग के उपयुक्त तथा इराकी आदेश की गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप घोषित किया था। तथापि, इराकी पत्तनों पर खेपों के पहुंचने पर ग्रेन बोर्ड ऑफ इराक उनमें ''शून्य'' अकार्बनिक विजातीय तत्व के आग्रह पर अड़ गया।

इराक का दौरा करने वाले भारतीय शिष्टमण्डल को इराकी प्राधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि उनकी परिभाषा के अनुसार वे रेत कणों की गणना विजातीय तत्व के अधीन नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में अकार्बनिक तत्व जो रेत, पत्थर, रोड़े, मिट्टी के कण आदि जैसे विजातीय तत्वों का हिस्सा हैं, इस श्रेणी के अधीन स्वीकार्य नहीं हैं। उनके द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि इस श्रेणी के अधीन केवल कार्बनिक विजातीय तत्व (जैसे कि चोकर, कणिकाएं, खरपतवार के बीज और अन्य खाद्य और अखाद्य अनाज) लिए जाते हैं। उन्होंने यह मान लिया कि जैसाकि कोडैक्स मानकों में उल्लेख है 2% विजातीय तत्व में 0.5% तक अकार्बनिक तत्व शामिल होंगे। शिष्टमण्डल को यह भी सूचित किया गया कि इराकी फ्लोर मिलों में अकार्बनिक तत्वों को अलग करने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उनके यहां ऐसी मशीनों के रखरखाव के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कल-पुर्जों की समस्या है। शिष्टमंडल को बताया गया है कि तद्नुसार इराकी प्राधिकारियों ने निर्णय लिया है कि गेहूं के ऐसे किसी भी स्टाक को अस्वीकार कर दिया जाए जिसमें रेत, पत्थर आदि जैसे अकार्बनिक तत्व पाए जाएं। शिष्टमंडल को यह भी सूचित किया गया था कि अन्य विभिन्न देशों से आए गेहूं को भी इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था।

निर्यातकों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वे निर्यात के प्रयोजन से केन्द्रीय पूल में उपलब्ध गेहूं के स्टाक की पहचान कर लें। तथापि, भारत से भेजे गए गेहूं की खेपों को अस्वीकार करने की रिपोर्टें प्राप्त होने पर यह निर्णय लिया गया है कि इराक को तब तक गेहूं की कोई और खेप नहीं भेजी जाएगी जब तक उसे ग्रेन बोर्ड ऑफ इराक की विनिर्दिष्टियों को पूरा करने के लिए साफ नहीं कर लिया गया हो।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्य किसी भी देश ने भारत से भेजी गई गेहूं की किसी खेप को अस्वीकार नहीं किया है।

(ङ) इराक द्वारा गेहूं की खेप को अस्वीकार किए जाने के कारण सरकार अथवा भारतीय खाद्य निगम को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

विवरण

केन्द्रीय पूल से वर्ष 2000-2001 के दौरान गेहूं और चावल के निर्यात को बताने वाला विवरण

क. *गेहूं का निर्यात*

देश	निर्यात की गई मात्रा (टन में)
1	2
बंगलादेश	422935.678
इंडोनेशिया	29044
इराक*	46364
मलयेशिया	46800
म्यांमार	2923.746
ओमान/दुबई	61510.398
फिलीपींस	163607.201
कतर	5500
रूस	17383
दक्षिणी कोरिया	305007.716

1	2
सूडान	52000
थाईलैंड	13000
संयुक्त अरब अमीरात/शारजाह	184907.261
वियतनाम	60573
यमन	192161
जोड़	1603717

*मध्य-पूर्व में अन्य देशों को भेज दिया गया।

भारतीय खाद्य निगम को शुरू में निर्यात के प्रयोजन हेतु 20 लाख टन की पेशकश करने की अनुमति दी गयी थी। बाद में इस मात्रा को बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया गया था।

ख. चावल का निर्यात

केन्द्रीय पूल से चावल का निर्यात मार्च, 2001 से शुरू हुआ था। भारतीय खाद्य निगम को 2000-2001 के दौरान 20 लाख टन चावल की पेशकश करने की अनुमति दी गयी थी। भारतीय खाद्य निगम ने निर्यात के प्रयोजन के लिए 1.53 लाख टन चावल की सुपुर्दगी (18.7.2001 तक) कर दी है।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा घोटाला

*83. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:**
डा. रमेश चन्द तोमर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने पिछले दिनों करोड़ों यू.एस. डॉलर मूल्य के विदेशी मुद्रा घोटाले का भंडाफोड़ किया है और इस संबंध में कुछ व्यापारियों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह की कार्य-विधि क्या थी और इसमें शामिल व्यापारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस घोटाले में सीमा शुल्क और डाक विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसे विदेशी मुद्रा घोटाले को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिन्नगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 9.6.2001 को हांगकांग के लिए बुक किए गए दो पार्सलों को रोक दिया जिनमें से प्रत्येक में 25,000/- अमेरिकी डॉलर थे। चार व्यक्तियों अर्थात् सर्व/श्री सुजीत सिंह चोपड़ा, हरपाल सिंह चोपड़ा, खेल सिंह चोपड़ा तथा दलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। संदेह है कि ये पार्सल दस्तावेजों के रूप में हांगकांग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीमा शुल्क अधिकारियों तथा डाक विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भेजे गए थे।

(ग) और (घ) यह सन्देह किया जाता है कि इस कार्य में सीमा शुल्क के तीन अधिकारी तथा डाक विभाग के कुछ अधिकारी शामिल हैं। तस्करी-निवारक मशीनरी को दुरूस्त किया गया है तथा तैनात अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। डाक विभाग के साथ संस्थागत इन्तजाम किए गए हैं। पार्सलों की जांच तथा निकासी की अब एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की गई है जिसकी विदेश डाक कार्यालय के निदेशक के साथ सीमा शुल्क आयुक्त, तुगलकाबाद द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

रुपये के मूल्य में गिरावट

*84. **श्री ए. ब्रह्मनैया:**
श्री महेश्वर सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये के मूल्य में हाल ही में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले छः महीने की अवधि में प्रत्येक महीने के दौरान प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये के मूल्य में कितनी गिरावट आई है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) रुपए के मूल्य में जनवरी 2001 से जून, 2001 की अवधि के दौरान जहां यूरो की तुलना में 4.3 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 3.6 प्रतिशत और जापानी येन की तुलना में 8.6 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हुई है वहां इसी अवधि में इसमें अमरीकी डालर की तुलना में 0.5 प्रतिशत का मूल्य ह्रास हुआ है। जनवरी, 2001 से जून 2001 तक प्रत्येक माह में इनमें से प्रत्येक मुद्रा की तुलना में रुपए में

वृद्धि/ह्रास(-) की सीमा नीचे दी गई है:-

माह	रुपया/ अमरीकी डालर (औसत अवधि)	रुपए में वृद्धि/ ह्रास (-) (%)	रुपया/ येन* (औसत) अवधि)	रुपए की वृद्धि/ ह्रास (-) (%)	रुपया/ यूरो (औसत अवधि)	रुपये की वृद्धि/ ह्रास (-) (%)	रुपया/ पौंड स्टर्लिंग (औसत अवधि)	रुपए की वृद्धि/ ह्रास (-) (%)
दिस. 00	46.75	-	41.73	-	41.87	-	68.28	-
जन. 01	46.54	0.45	39.91	4.56	43.75	-4.30	68.93	-0.94
फर. 01	46.52	0.04	40.05	-0.35	42.96	1.84	67.68	1.85
मार्च 01	46.62	-0.21	38.46	4.13	42.44	1.23	67.39	0.43
अप्रैल 01	46.78	-0.34	37.89	1.50	41.80	1.53	67.22	0.25
मई 01	46.92	-0.30	38.53	-1.66	41.05	1.83	66.92	0.45
जून 01	47.00	-0.17	38.42	0.29	40.16	2.22	65.89	1.56

*रुपया प्रति 100 येन

(घ) विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में दैनिक उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से भारत में विदेशी मुद्रा बाजारों में मांग और आपूर्ति की स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। भारत और विदेशों में वित्तीय बाजारों के उतार-चढ़ाव की सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों के द्वारा गहन मानीटरिंग की जाती है और जब भी जरूरी हो विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को कम करने, अस्थिरता उत्पन्न करने वाली सट्टेबाजी की गतिविधियों को रोकने, एक व्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार दशाओं का विकास करने और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का पर्याप्त स्तर बनाए रखने में सहायता करने के लिए समुचित उपाय किए जाते हैं।

चीन के विरुद्ध पाटनरोधी मामले

*85. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार द्वारा चीन के निर्माताओं के विरुद्ध चलाए जा रहे पाटनरोधी मामलों की बढ़ती संख्या के बारे में चीन की सरकार ने चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष जून माह में एक उच्च स्तरीय चीनी व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने भारत का दौरा किया था और यह चेतावनी दी है कि भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई ऐसी कार्यवाही दोनों देशों के बीच स्वस्थ द्विपक्षीय व्यापार के लिये बाधक सिद्ध होगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी चेतावनियों से निपटने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) विदेश व्यापार और आर्थिक सहयोग मंत्रालय के संधि तथा कानून विभाग के उप-महानिदेशक के नेतृत्व में चीन के एक शिष्टमंडल ने दिनांक 18 जून, 2001 को पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय के निर्दिष्ट प्राधिकारी से डब्ल्यू टी ओ के संदर्भ में मुख्य रूप से पाटनरोधी उपायों के कानूनी ढांचे पर विचार-विमर्श करने के लिए मुलाकात की। यह बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करने और उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता को दोहराया।

बैठक में विचार किए गए अन्य मुद्दों के साथ चीन के शिष्टमंडल ने भारत द्वारा चीन के निर्यातों के विरुद्ध शुरू किए गए पाटनरोधी मामलों और भारत द्वारा तत्काल तथा तेजी से की गई जांच पर भी चिंता व्यक्त की। चीन के शिष्टमंडल को यह स्पष्ट किया गया कि भारत में पाटनरोधी जांच 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में विहित राष्ट्रीय कानून के

तहत की जाती है जो डब्ल्यू टी ओ के प्रावधानों के अनुरूप है। यह भी स्पष्ट किया गया कि ये उपाय किसी देश विशेष के लिए नहीं है और ये नियम चीन पर भी किसी अन्य देश की तरह समान रूप से लागू होते हैं और भारत सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि पाटनरोधी उपायों का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से चीन को ही लक्ष्य बनाया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया कि जब भी घरेलू उद्योग द्वारा पूरी तरह से प्रलेखित याचिका दायर की जाती है और जब पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंधों के आवश्यक तत्वों की पुष्टि हो जाती है, तब उसमें शामिल देश का ध्यान किए बिना मामले शुरू किए जाते हैं।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का विनिवेश

***86. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री जे.एस. वराड़:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में प्राप्त बोलियों/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी बोली/प्रस्ताव को रद्द किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विनिवेश प्रक्रिया को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा विनिवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस के कर्मचारियों/कामगारों के रोजगार की संरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) से (च) एयर इंडिया (ए आई) और इंडियन एयरलाईन्स (आई ए) में विनिवेश के बारे में ब्यौरा इस प्रकार है:-

एयर इण्डिया

1. सरकार का निर्णय:-

(1) सरकारी इक्विटी 40 प्रतिशत तक नीचे लाई जानी है।

(2) 40 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश अनुकूल साझीदार के पक्ष में किया जाना है।

(3) 10 प्रतिशत तक इक्विटी की पेशकश कर्मचारियों को की जानी है और शेष की वित्तीय संस्थानों और/अथवा शेयर बाजार में बिक्री की जानी है।

(4) अनुकूल साझीदार के मामले में विदेशी शेयरधारिता कुल इक्विटी के 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी है।

2. रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के विज्ञापन के उत्तर में संभावित बोलीदाताओं से 9 पेशकशें प्राप्त हुई थी। इन पार्टियों में से 6 पार्टियां न्यूनतम निवल मूल्य के पूर्व-अर्हता मानदण्डों को पूरा करती हैं और इन सभी पार्टियों को बिड-पैक दे दिए गए थे। इन 6 में से 4 पार्टियों ने प्रस्ताव के अनुरोध के उत्तर में प्रारंभिक तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस प्रकार केवल दो पार्टियां, जो प्रक्रिया में रह गई और विधिवत अध्यवसाय/डाटा कक्ष का अध्ययन किया और शेयर खरीद करार और शेयर धारक करारों के समौदों पर टिप्पणियां प्रस्तुत की। इन शेष दो पार्टियों की बोलियों की विनिवेश विभाग के अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार छानबीन की जा रही है। इस चरण पर वह निश्चित समय बताना संभव नहीं है, जिस समय तक विनिवेश प्रक्रिया के पूरा हो जाने की संभावना है।

3. करार में कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के प्रावधान इस प्रकार है:-

विधिक अंश—सभी कर्मचारी अंतिम तारीख को कंपनी के रोजगार में बने रहेंगे, अनुकूल साझीदार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के उपेक्षित वर्गों को नौकरी के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा।

अनुकूल साझीदार और एयर इंडिया यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों के पास ऐसी शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प रहेगा जो लोक उद्यम विभाग की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से कम अनुकूल न हों।

इण्डियन एयरलाईन्स

1. सरकार का निर्णय:-

(1) सरकारी इक्विटी को 49 प्रतिशत तक कम किया जाना है।

(2) 26 प्रतिशत इक्विटी अनुकूल साझीदार को बेची जानी है।

(3) 25 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री स्वदेशी वित्तीय संस्थानों, कर्मचारियों और अन्य निवेशकों को की जानी है।

(4) विदेशी शेयरधारिता की सीमा अनुकूल साझीदार की इक्विटी के 40 प्रतिशत तक होगी।

2. रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के विज्ञापन के उत्तर में संभावित बोलीदाताओं से 6 पेशकशें प्राप्त हुई थी। इन पार्टियों में से 4 पार्टियां न्यूनतम निवल मूल्य के पूर्व-अर्हता मानदण्डों को पूरा करती हैं और इन सभी पार्टियों को बिड-पैक दे दिए गए थे। इन 4 पार्टियों में से 2 ने प्रस्ताव के अनुरोध के उत्तर में प्रारंभिक तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस प्रकार केवल 2 पार्टियां प्रक्रिया में रह गई, जिन्होंने विधिवत अध्यवसाय/डाटा कक्ष का अध्ययन किया है। इन शेष दो पार्टियों की बोलियों की विनिवेश विभाग के अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार छानबीन की जा रही है। इस चरण पर वह निश्चित समय बताना संभव नहीं है, जिस समय तक विनिवेश प्रक्रिया के पूरा हो जाने की संभावना है।

3. करार अभी तक पक्के नहीं हुए हैं। तथापि, कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए करारों में उसी प्रकार के उपबन्ध किए जाएंगे जैसा कि उपरोक्त एयर इंडिया के मामले में बताया गया है।

सरकार ने, एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस सहित सभी विनिवेश सौदों में, जहां अनुकूल बिक्री पर विचार किया गया है, पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। सलाहकार की नियुक्ति की पेशकश और तत्पश्चात् हित की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करने की पेशकश प्रमुख समाचार-पत्रों (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय) में विज्ञापन देकर खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। विनिवेश विभाग में गहनता से जांच-पड़ताल करने के अलावा यहां अन्तर-मंत्रालय दल, विनिवेश संबंधी सचिवों का प्रमुख दल तथा विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति के रूप में एक बहु-आयामी छानबीन तंत्र मौजूद है। सौदा संपन्न होने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विस्तृत लेखा परीक्षण एवं मूल्यांकन का काम करेगा, जिसके बाद रिपोर्ट संसद एवं जन साधारण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

[हिन्दी]

बैंक ऋण चूककर्त्ताओं के नाम घोषित करना

*87. **डा. अशोक पटेल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें बैंक ऋण अदायगी में जान-बूझकर चूक करने वालों के नाम घोषित करने का प्रावधान शामिल है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे उधारकर्त्ताओं के नाम प्रकट करने का प्रावधान शामिल है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा उल्लिखित ऋण संस्थानों को एक वर्ष से अधिक के लिए ब्याज के भुगतान अथवा मूल राशि की प्रतिसंदाय करने में चूक गए हैं।

(ख) और (ग) मामला सरकार की जांच के अधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

समाज के कमजोर वर्गों के लिए बैंक ऋण

*88. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों को ऋण देने के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्रमश: एक लाख, दस लाख से अधिक और एक लाख रुपये से कम राशि के ऋणकर्त्ताओं द्वारा चूक किए जाने के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंक की कुल गैर-निष्पादक आस्तियां कितने मूल्य की हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) जी, नहीं।

(ख) इस समय, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए निवल बैंक ऋण के 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अन्दर, कृषि और कमजोर वर्गों के लिए निवल बैंक ऋण के क्रमश: 18 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के

उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, बैंक 2.00 लाख रुपए तक के ऋणों पर मूल उधार दरों से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं कर सकते हैं।

(ग) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) की श्रेणी-वार राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंक

श्रेणी-वार एन पी ए - 31.3.2000 के अनुसार स्थिति

(रु. करोड़)

बैंक का नाम	एक लाख रुपए तक		एक लाख से 10 लाख के बीच		10 लाख रुपए एवं अधिक		कुल एन.पी.ए.	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्टेट बैंक आफ इंडिया	2705433	2352.96	97840	1801.57	6394	10091.76	2809667	15246.29
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	150088	164.56	3247	71.88	428	537.03	153763	773.47
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	90602	157.67	3341	88.00	483	690.05	94426	935.72
स्टेट बैंक आफ इंदौर	59064	68.98	2561	54.79	145	194.24	61770	318.01
स्टेट बैंक आफ मैसूर	99598	106.96	10118	93.25	345	349.60	110061	549.81
स्टेट बैंक आफ पटियाला	45655	78.98	5278	112.45	401	478.10	51334	669.53
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	33699	79.56	649	31.05	321	358.78	34669	469.39
स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	148964	100.66	2686	75.05	321	358.78	34669	469.39
एस बी आई समूह का कुल	3333103	4110.33	125720	2328.39	8997	13334.58	3467820	19773.30
इलाहाबाद बैंक	281197	276.82	8293	197.00	1037	1220.34	290527	1694.16
आन्ध्रा बैंक	129250	155.28	2672	72.36	474	229.14	132396	456.78
बैंक आफ बड़ौदा	523320	604.5	1760	384.83	3169	2907.89	528249	3897.22
बैंक आफ इंडिया*	474127	513	18920	276.00	3536	2675.00	496583	3464.00
बैंक आफ महाराष्ट्र	129807	146.34	5722	106.07	636	464.38	136165	716.79
केनरा बैंक	382824	326.43	63586	140.84	2614	2128.81	449024	2596.08
सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया	424751	587.33	14514	387.61	1761	1867.73	441026	2842.67
कार्पोरेशन बैंक	80451	90.75	2053	56.17	339	286.11	82843	433.03
देना बैंक	100133	111.28	3614	88.53	682	1199.79	104429	1399.60
इंडियन बैंक	466728	426.33	2842	133.27	2866	2794.97	472436	3354.57
इंडियन ओवरसीज बैंक	511663	275.79	6629	138.00	1024	1209.00	519316	1622.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	121975	59.02	2972	76.21	603	392.28	125550	527.51
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	62457	104.85	5969	151.70	647	520.25	69073	776.80
पंजाब नेशनल बैंक	505333	430.91	22635	462.41	2280	2233.45	530248	3126.77
सिंडिकेट बैंक	231549	264.54	4050	147.63	909	579.98	236508	992.15
यूको बैंक	456747	380.85	9340	241.58	1021	1028.98	467108	1651.41
यूनियन बैंक आफ इंडिया	346898	407.16	10301	256.93	247	1217.11	357446	1881.20
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	590220	538.65	8645	190.31	730	791.04	599595	1520.00
विजया बैंक	96093	120.67	3576	79.58	710	366.94	100379	567.19
राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल	5915523	5820.50	198093	3587.03	25285	24113.19	6138901	33520.72
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	9248626	9930.83	323813	5915.42	34282	37447.77	9606721	53294.02
कुल की तुलना में %	96.27	18.63	3.37	11.10	0.36	70.27	-	-

बैंकों की ब्याज दरों में कमी

*89. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्रीमती जसकौर मीणा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की ब्याज दरों में कितनी कमी की गई है;

(ख) क्या सरकार का ब्याज दरों में और कमी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ब्याज दर में इस कमी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज दर संरचना के विनियमन में ढील देकर अब बैंकों को निर्यात ऋण पर ब्याज दर पर और बचत बैंक जमा ब्याज दर, जिन्हें वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, को छोड़कर अन्य जमा ब्याज दरों तथा उधार संबंधी ब्याज दरों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई है। बैंक दर, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए उधार संबंधी ब्याज दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अर्थव्यवस्था की सामान्य ब्याज दर संरचना को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर को 0.5 प्रतिशत प्रत्येक के दो स्तरों में क्रमश: 16 फरवरी और 2 मार्च, 2001 से एक प्रतिशत बिन्दु घटाकर 8.0 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत कर दिया है।

(ख) और (ग) मौद्रिक नीति के परिप्रेक्ष्य में ब्याज दर नीति का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अप्रैल, 2001 को घोषित अपनी मौद्रिक एवं ऋण नीति में उल्लेख किया है कि 2001-2002 के लिए मौद्रिक नीति की समग्र अवस्थिति निम्नलिखित होगी:

* मूल्य स्तर में उतार-चढ़ाव पर नजर रखते हुए ऋण संवृद्धि को पूरा करने और निवेश मांग को पुनरुज्जीवित करते हुए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान करना।

* मध्यावधि ब्याज दर व्यवस्था में अधिक लचीलापन देने के समग्र ढांचे के भीतर वर्तमान स्थिर ब्याज दर वातावरण को इस प्रकार बनाए रखना कि जैसी स्थिति उत्पन्न हो, उसे घटाना।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि औद्योगिक ऋण के लिए मांग सामान्यत: वर्ष की दूसरी छमाही में तेज होती है जबकि खाद्य ऋण के लिए मांग अधिप्राप्ति मौसम के कारण पहली छमाही में तेज होती है। अधिक ऋण का ग्रहण समग्र विकास और कारोबारी विश्वास पर निर्भर करता है। न्यूनतम ब्याज दरों से मूल्यों को घटाने में मदद और भारतीय उद्योग एवं कारोबार को विश्व संदर्भ में अधिक प्रतियोगी बनाने में मदद मिलती है।

मित्रा समिति रिपोर्ट

*90. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:**
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु निवेशकों की संरक्षा संबंधी एक विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस विषय पर गठित मित्रा समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार ने छोटे निवेशकों की संरक्षा हेतु अलग विधान बनाने का विचार त्याग दिया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) सरकार का इरादा, अन्य बातों के अलावा निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में विधायी परिवर्तनों का प्रस्ताव करने का है।

(ग) जी, हां।

(घ) इन सिफारिशों में अन्य बातों के अलावा पूछताछ और जांच, छापे डालने, संपत्तियों की जब्ती एवं कुर्की करने तथा अभियोजन के लिए सेबी को अधिकार प्रदान करना तथा वित्तीय धोखाधड़ी के मुदकमे चलाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना शामिल हैं।

(ङ) इस रिपोर्ट को टिप्पणियों हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया है।

(च) जी, हां।

(छ) सेबी अधिनियम में समुचित संशोधनों पर विचार किया जा रहा है।

प्रिंटिंग प्रेस का आयात

*91. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्रीमती रेनु कुमारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 मई, 2001 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" समाचार पत्र में "मैसिव फ्रॉड इन इम्पोर्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रेसिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इस घोटाले के कारण सीमा शुल्क के रूप में कितनी धनराशि की हानि हुई; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। समाचार-पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में निर्यात-आयात नीति के उपबंधों का विभिन्न प्रकार से किये जाने वाले उल्लंघनों तथा कुछेक मामलों में, पुरानी प्रिंटिंग प्रेसों के विभिन्न आयातकों द्वारा कम मूल्यांकन किये जाने की बात को प्रमुखता दी गई है जिसका राजस्व आसूचना निदेशालय और कुछेक सीमा शुल्क आयुक्तालयों द्वारा हाल के वर्षों में पता लगाया गया है। राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा वर्ष 1999 में मुख्यत: चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली सीमा शुल्क के जरिये आयातित पुरानी प्रिंटिंग प्रेसों के लिए उल्लंघनों का पता लगाया गया था। विभिन्न केन्द्रों पर कई ऐसी मशीनों का अभिग्रहण किया गया था और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उपयुक्त अर्थदण्ड लगाने की कार्रवाई आरम्भ की गई थी। वर्ष 1999-2000 की निर्यात-आयात नीति में पुरानी प्रिंटिंग मशीनों/प्रेसों के आयातों पर लगे प्रतिबन्धों को वर्ष 2000-2001 की निर्यात-आयात नीति में हटा दिया गया था और 10 वर्ष से कम पुरानी मशीनों को 2 वर्ष की वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के आधार पर आयात किये जाने की अनुमति दी गई थी। सीमा शुल्क द्वारा वर्ष 2000 और 2001 में मुख्य रूप से चेन्नई और दिल्ली में विनिर्माण के वर्ष में हेरा-फेरी करके नीति संबंधी इन उपबंधों के कई मामलों और कुछेक मामलों में कम मूल्यांकन करने के प्रयासों का पता लगाया गया है।

(ग) जहां घोषित बीजक मूल्य ठीक नहीं थे और कम मूल्यांकन का संदेह पैदा होता था ऐसे मामलों में सीमा शुल्क निकासी से पहले पूछताछ की गई थी और उपयुक्त न्यायनिर्णयन के बाद बढ़े हुए मूल्य के आधार पर शुल्क की वसूली की गई थी। राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जांच किये गये पश्च-सीमा शुल्क निकासी के दो मामलों में न्यायनिर्णयन होने तक कम मूल्यांकन के कथित प्रयास के लिए 61.10 लाख रुपये के विभेदी शुल्क की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे।

(घ) आसूचना तंत्र को चुस्त बनाने के लिए दिये गये अनुदेशों के अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों को चौकस रहने के लिए और भविष्य में किसी ऐसे दुरूपयोग पर नजर रखने के लिए सतर्क कर दिया गया है। सीमा शुल्क गृह, निर्माण के वर्ष और बोर्ड द्वारा जारी मूल्यांकन संबंधी विभिन्न मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ मूल्यांककों से मशीनों की गहन वास्तविक जांच करवा कर घोषित मूल्य की जांच के मामले में विशेष सावधानी बरत रहे हैं।

निर्यात-आयात संबंधी कार्य-निष्पादन

*92. **श्री साहिब सिंह:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए निर्यात-आयात का पृथक-पृथक कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है·

(ख) उक्त अवधि के दौरान और आज की तारीख तक वर्षवार निर्यात-आयात का निर्धारित लक्ष्य किस-किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या अप्रैल-जनवरी, 2000-2001 के दौरान 20.70 प्रतिशत की दर से बढ़ा निर्यात वर्ष 2001 के फरवरी-मार्च के दौरान घटकर मात्र आधा रह गया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान कितनी औसत वृद्धि दर दर्ज की गई और गिरावट के कारण क्या हैं और निर्यात के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, जिन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ङ) सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है;

(च) क्या भारी मात्रा में आयात के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान व्यापार संतुलन में अन्तर तेजी से बढ़ रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ज) निर्यात और आयात वृद्धि दर के बीच अंतर को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) डीजीसीआईएंडएस के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के लिए निर्धारित किए गए निर्यात लक्ष्य और अमरीकी डालर के रूप में अब तक हुई उनकी प्राप्ति निम्नानुसार है:-

वर्ष	लक्षित वृद्धि	प्राप्ति
2000-2001	18%	19.83%
2001-2002	12%	–

सरकार द्वारा कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) फरवरी-मार्च 2001 के दौरान प्राप्त निर्यात वृद्धि दर घटकर अप्रैल-जनवरी 2000-2001 में प्राप्त निर्यात वृद्धि दर की आधी नहीं रह गई है। डीजीसीआईएंडएस के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जनवरी 2000-2001 के दौरान 20.7% की वृद्धि दर की तुलना में फरवरी-मार्च, 2001 के दौरान निर्यातों में 16.37% की वृद्धि हुई थी। अप्रैल-मार्च, 2000-2001 के लिए अमरीकी डालर के रूप में प्राप्त समग्र वृद्धि दर 19.83% रही है।

निर्यात निष्पादन पर अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति, घरेलू उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में प्रमुख आयातक देशों में विश्व व्यापार में व्याप्त सामान्य मंदी के कारण निर्यात प्रभावित हुए हैं। जिन क्षेत्रों में 2000-2001 के दौरान धीमी एवं निर्यात वृद्धि देखने में आई है, वे क्षेत्र हैं- रत्न एवं आभूषण, खेल सामान, परियोजना वस्तुएं, हस्तशिल्प एवं कालीन इत्यादि।

निर्यात वृद्धि दर में आगे और बढ़ोत्तरी करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:- विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सौदों की लागत में कमी लाना, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करना, क्रियाविधियों का सरलीकरण, 5% शुल्क के भुगतान पर सभी वस्तु क्षेत्रों और सभी पूंजीगत वस्तुओं पर किसी आरम्भिक सीमा के बिना निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना लागू करना और एक्जिम नीति में यथा-उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय। बहुपक्षीय

एवं द्विपक्षीय पहलों के जरिए, थ्रस्ट क्षेत्रों एवं फोकस क्षेत्रों की पहचान करके निर्यातों को बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं।

(च) से (ज) जी, नहीं। व्यापार संतुलन बढ़ नहीं रहा है। इसके विपरीत यह कम हो रहा है। अनंतिम अनुमानों के अनुसार व्यापार घाटा 1999-2000 के दौरान रहे 129.4 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2000-2001 के दौरान घटकर 5739 मिलियन अमरीकी डालर रह गया है। अप्रैल-मई, 2001-2002 के दौरान हुआ व्यापार घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए 1874 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में घटकर 1195 मिलियन अमरीकी डालर रह गया है। अप्रैल-मई, 2001-2002 के दौरान डालर के रूप में आयातों के मूल्य में पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 3.74% तक की कमी आई है। सरकार उपरोक्तानुसार आयातों पर लगातार निगरानी रख रही है और निर्यातों को बढ़ावा दे रही है।

शेयर बाजार में बदला सौदा

***93. श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेयर बाजार के कार्यकरण को विनियमित करने की दृष्टि से 'सेबी' ने जुलाई, 2001 से बदला सौदों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या निवेशक 'बदला' से होने वाली आय में कमी आने के कारण 'बदला' की धनराशि को ऋण कोष और बैंक सावधि जमा जैसी अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी योजनाओं में लगा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो 'बदला' सौदों पर रोक लगाने के प्रस्तावित निर्णय के कारण स्टाक एक्सचेंज के कार्यकरण में किस सीमा तक पारदर्शिता आएगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) आवर्ती निपटान में आस्थगन उत्पाद रखने की आवश्यकता की समीक्षा हेतु सेबी द्वारा गठित जे.आर. वर्मा दल की सिफारिशों के आधार पर सेबी बोर्ड ने दिनांक 14 मई, 2001 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि बदला सहित सभी आस्थगन उत्पाद विद्यमान स्थितियों के नकदीकरण हेतु अन्तर्वर्ती उपायों को छोड़कर, 2 जुलाई, 2001 से उपलब्ध होने बंद हो जाएंगे।

(ख) दिनांक 2 जुलाई, 2001 से सभी आस्थगन उत्पादों पर प्रतिबन्ध लगाने के सेबी के निर्णय के पश्चात् सभी एक्सचेंजों में आस्थगन उत्पादों की बकाया स्थितियों में कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चूंकि बदला सौदे पर प्रतिबंध जुलाई, 2001 में ही लगाया गया है, इसलिए बीता हुआ समय इतना थोड़ा है कि बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत रिपोर्टों में इसे प्रतिबिम्बित नहीं किया जा सकता।

(ग) दिनांक 2 जुलाई, 2001 से टी + 5 आधार पर आवर्ती निपटान अतिरिक्त 251 स्क्रिपों पर लागू किया गया है जिनमें अग्रेनीत सुविधा वाली सभी स्क्रिप शामिल हैं। सभी आस्थगन उत्पाद बंद कर दिए गए हैं। शेष स्क्रिपों में सभी एक्सचेंजों में एकरूप निपटान चक्र (सोमवार से शुक्रवार) के साथ लेखा अवधि आधार पर व्यापार किया जाएगा और दिनांक 2 जनवरी, 2002 तक इन्हें आवर्ती निपटान में ले जाया जाएगा। जोखिम मूल्य आधारित मार्जिन प्रणाली शुरू की गई है जो सार्वभौम रूप से स्वीकृत सांख्यिकीय प्रतिदर्श पर आधारित है। सभी एक्सचेंजों द्वारा अद्वितीय ग्राहक कूट प्रणाली भी दिनांक 3 सितम्बर, 2001 से लागू की जानी है और मार्जिन की गणना सकल आधार पर की जाएगी। आस्थगन उत्पादों के बंद होने के साथ एक्सचेंजों में चयनित 31 स्टाकों पर स्टाक विकल्पों की अनुमति दी गई है। दिनांक 2 जुलाई से बाजार प्रचलित सूचकांक आधारित सर्किट ब्रेकरों की शुरूआत की गई है जैसे कि अन्य बाजारों में उपलब्ध हैं। उन स्टाकों जो बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी में हैं, और 31 स्टाक जिन पर विकल्पों की अनुमति दी गई है, को छोड़कर शेष स्टाकों का 20 प्रतिशत मूल्य समूह होगा। इन उपायों से स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण में सुरक्षा व पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाभ

***94. श्री हरिभाई चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का पता लगाने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ के संबंध में ब्यौरा न रखने के कारण राजस्व का घाटा हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) भारत में सीमापार व्यवसाय कार्यकलाप करने वाले, व्यवसाय संपर्क और/या स्थायी संस्थापन रखने वाले व्यक्तियों सहित किसी व्यक्ति की व्यवसाय कार्यकलाप से आय की संगणना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28 से 44घ के प्रावधानों के विशिष्ट संदर्भ में भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है। अध्याय 12, 12क, 12ख में कतिपय विशेष प्रावधान हैं जो इन कंपनियों के संबंध में भी लागू हो सकते हैं।

(घ) और (ङ) भारत में कर लगाने के प्रयोजनार्थ आय निर्धारण हेतु आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को पर्याप्त माना जाता है। सीमा पार लेन-देनों के संबध में न्यायोचित, सही और साम्यापूर्ण लाभ व कर निर्धारण के लिए कर प्राधिकारियों को शक्ति देने वाला वैधानिक ढांचा प्रदान करने के दृष्टिगत वित्त अधिनियम, 2001 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 में नई धाराएं 92, 92क, 92ख, 92ग, 92घ, 92ङ और 92च जोड़ी गई हैं जिनमें सीमापार व्यवसाय से आय की संगणना से संबंधित अंतरण मूल्य-निर्धारण तंत्र की व्यवस्था की गई है।

भूमंडलीकरण का प्रभाव

***95. श्री अखिलेश यादव**: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार की भूमंडलीकरण और ओ.जी.एल. नीति के कारण लघु उद्योगों सहित अनेक भारतीय उद्योग बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में सैकड़ों, श्रमिक, व्यापारी और किसान बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में कई भागों में विशेषकर तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले में इस नीति के कारण छोटे किसान, श्रमिक और व्यापारी आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो गए हैं, जैसा कि दिनांक, 2 मार्च, 2001 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन छोटे किसानों, श्रमिकों और व्यापारियों को मुआवजा देने/उनका पुनर्वास करने हेतु कई प्रभावी कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भूमण्डलीकरण के प्रतिकूल प्रभाव से छोटे किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों को बचाने हेतु आगे क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ङ) आर्थिक उदारीकरण संबंधी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आयात प्रतिबंध वर्ष 1991 से निरंतर रूप से हटाए जा रहे हैं। तथापि, प्रतिबंधों को हटाने से आयातों की समग्र वृद्धि दर में कोई बदलाव नहीं आया है। आयातों की वृद्धि दर वर्ष 1993-94 में 15.3%, 1994-95 में 23.1%, 1995-96 में 36.4%, 1996-97 में 13.2%, 1997-98 में 11%, 1998-99 में 14.2%, 1999-2000 में 13.6% और 2000-2001 में 0.27% की थी। इस वित्त वर्ष के प्रथम दो महीनों में आयात वृद्धि 3.74% रही है। यदि गैर-तेल मदों के आयातों को ध्यान में रखा जाए तो आयातों की स्थिति चिंताजनक नहीं रहती है। वस्तुत: ऐसे गैर-तेल मदों के आयातों में 2000-2001 के दौरान 14.66% की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज हुई है।

सूक्ष्म स्तर पर भी आयातों में यह वृद्धि खतरे वाली नहीं रही है। 31.3.2000 को जिन 714 मदों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए गए थे, उनके वर्ष 2000-2001 के आयात संबंधी आंकड़ों से इन मदों के आयात में 3% से कम की वृद्धि दर का संकेत मिलता है। इसी प्रकार, सचिवों के एक स्थायी समूह द्वारा जिन 300 संवेदनशील मदों के आयात पर निगरानी रखी जा रही है, उनके आयात संबंधी आंकड़ों से इस वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीनों के दौरान 11% भी गिरावट का संकेत मिलता है।

जैसाकि उपरोक्त से देखा जा सकता है, घरेलू बाजार को आयातों की भरमार होने का जो भय था वह गलत निकला है। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने से कोई आत्महत्या की गई है।

तथापि, आयातों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और सरकार टैरिफ और अन्य उपलब्ध तंत्र के समुचित प्रयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णरूप से कृत संकल्प है कि आयातों से घरेलू उत्पादकों को कोई गंभीर नुकसान अथवा क्षति न हो।

[अनुवाद]

राज्यों में खरीद हेतु भारतीय खाद्य निगम को धनराशि उपलब्ध कराया जाना

***96. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों ने केन्द्र सरकार से राज्यों में वर्तमान रबी मौसम के चावल की खरीद सुनिश्चित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फसलों की अच्छी उपज के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को बिना किसी सीमा के गेहूं और चावल की खरीद जारी रखने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम राज्यों में खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में खरीद करने में समर्थ नहीं है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चालू रबी मौसम के दौरान कितनी मात्रा में गेहूं और चावल खरीदा गया;

(छ) उड़ीसा से चावल खरीदने में भारतीय खाद्य निगम के विफल रहने के क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा गेहूं और चावल की अधिक से अधिक खरीद करके किसानों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) केवल आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था कि भारतीय खाद्य निगम को निधियां सुपुर्द कर दी जायें ताकि रबी चावल की सुचारू वसूली सुनिश्चित की जा सके।

(ग) और (घ) वसूली की वर्तमान प्रणाली के अधीन किसान भारतीय खाद्य निगम/राज्य वसूली एजेंसियों अथवा खुले बाजार में, जहां भी उन्हें लाभ होता हो, अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। अत: धान/गेहूं की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। जहां तक लेवी चावल का संबंध है, मिल मालिकों द्वारा सुपुर्द की जाने वाली चावल की प्रतिशतता भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी लेवी आदेशों के अधीन निर्धारित की जाती है।

(ङ) और (च) गेहूं और चावल (चावल के रूप में धान सहित) की वसूली रिकार्ड स्तरों पर पहुंच गई है। रबी विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान 206.15 लाख टन गेहूं की वसूली हुई थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान 163.56 लाख टन गेहूं की वसूली हुई थी। खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान 186.13 लाख टन चावल की वसूली हुई थी जबकि पिछले वर्ष 170.55 लाख टन की वसूली हुई थी।

(छ) यह कहना सही नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम उड़ीसा से चावल की वसूली करने में विफल रहा है। 23.7.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ने उड़ीसा में 7.63 लाख टन लेवी चावल की वसूली की है जबकि पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के दौरान 7.15 लाख टन की वसूली हुई थी।

(ज) वसूली करने के लिए विभिन्न राज्यों में क्रय केन्द्र खोले जाते हैं ताकि मजबूरन बिक्री से बचा जा सके। किसानों को उनके उत्पाद का शीघ्र भुगतान किया जाता है। बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्नों की वसूली की जाती है। वसूली मूल्यों, उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों और क्रय केन्द्रों के बारे में पर्याप्त प्रचार किया जाता है भारत सरकार राज्य सरकारों को इस उद्देश्य के साथ विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि अन्य बातों के साथ-साथ सम्पूर्ण देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा दी जा सके और इस सुविधा को केवल उन क्षेत्रों तक सीमित न रखा जाये जहां फिलहाल वसूली होती है।

निर्यात हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता

***97. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष से निर्यात हेतु केन्द्रीय सहायता को राज्य की निर्यात की मात्रा और वृद्धि दर से जोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात स्तर और वृद्धि दर को कितने प्रतिशत महत्व देने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने निर्यात के राज्यवार आंकड़े संकलित करने का भी निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त निर्णय का उन राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है जिनके पास निर्यात के लिए काफी विक्रेता आधार है और जो निर्यात हेतु मध्यवर्ती कार्य करते हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) निर्यात अवस्थापना और इससे सम्बद्ध क्रियाकलापों के

विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए चालू वर्ष 2001-2002 से एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित की जा रही है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को उनके निर्यात निष्पादन और उनके निर्यातों में उत्तरोत्तर वार्षिक वृद्धि के आधार पर अनुदान प्रदान करेगी। चालू वर्ष में इस योजना के लिए 97 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(ग) राज्यों के लिए रखे गए कुल परिव्यय में से 50% उनके कुल निर्यात के आधार पर आबंटित किया जाएगा और शेष 50% उनके निर्यातों में वार्षिक वृद्धि के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

(घ) और (ङ) निर्यातित वस्तु के उद्गम वाले राज्य के संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए लदान-पत्र में 31.5.2001 से संशोधन किया गया है।

(च) सभी राज्यों को इस योजना से उस सीमा तक लाभ होगा, जितना निर्यातों में उस राज्य के उद्गम वाली वस्तुओं का योगदान होगा।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

*98. **श्री प्रबोध पण्डा:**
श्री के. मुरलीधरन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टायर निर्माताओं को 30,000 टन प्राकृतिक रबड़ का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या केरल सहित विभिन्न राज्यों के रबड़ उत्पादकों ने सरकार से प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या रबड़ उत्पादकों ने केन्द्र सरकार से रबड़ का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने अथवा उसे बढ़ाने और बाजार से रबड़ के भंडार को उठाने का भी आग्रह किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) जी, नहीं। अप्रैल, 2001 से मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के बाद कोई भी व्यक्ति सामान्य लागू सीमाशुल्कों का भुगतान करके प्राकृतिक रबड़ का आयात कर सकता है। आयात के लिए अनुमति न तो दी गई है और न ही यह जरूरी है।

(घ) और (ङ) रबड़ उपजकर्त्ताओं और केरल सरकार से प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनुरोध किए गए हैं। अग्रिम लाइसेंस पर प्राकृतिक रबड़ के आयात पर सरकार द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1999 को लगाया गया प्रतिबंध जारी है।

(च) और (छ) रबड़ उत्पादकों द्वारा रबड़ की एक न्यूनतम कीमत निर्धारित किए जाने की मांग की जांच की गई है और इस बारे में आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पदों की रिक्तियां

*99. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मई, 2001 के ''इण्डियन एक्सप्रेस'' में ''फॉर 29 पी.एस.यू. टेल्स एबाउट मिसिंग हेड्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा 29 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पिछले कई महीनों से खाली पड़े 70 उच्च पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या इन 29 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से कुछ विनिवेश के विभिन्न चरणों में हैं और उनके कार्यकरण में सुधार लाने हेतु पूर्णकालिक बोर्ड की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) से (घ) जी, हां। दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार मुख्य कार्यपालकों के जो 29 पद रिक्त थे, उनमें पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव्स लिमिटेड तथा लुब्रिजाल इण्डिया लिमिटेड के पद भी शामिल हैं, जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नहीं हैं। शेष 27 पदों में

से 6 पदों पर भर्ती की जा चुकी है, एक मामले में नियुक्त व्यक्ति ने अभी कार्यभार ग्रहण करना है, 8 मामलों में लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा चयन किया जा चुका है, 3 मामलों में प्रतिनियुक्ति पर विचार किया गया है, 5 पदों को आस्थगित रखा गया है तथा शेष 4 मामलों में चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। 31.3.2001 को कार्यकारी निदेशकों के 59 पद रिक्त थे, जिनमें एक पद मारुति उद्योग लिमिटेड का है, जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। शेष रिक्तियों के सम्बन्ध में 7 पदों पर भर्ती की जा चुकी है, 26 मामलों में लोक उद्यम चयन मण्डल ने चयन किया है, 3 मामलों में नियुक्त व्यक्तियों ने पद भार ग्रहण करना है तथा 7 पदों को आस्थगित रखा गया है, 12 पदों पर निदेशक मण्डल से निम्न स्तर पर प्रचालन किया जाना है, दो मामलों में प्रतिनियुक्ति पर विचार किया गया है तथा शेष 11 मामलों में भर्ती सम्बन्धी कार्रवाई प्राम्भ की जा चुकी है। सरकारी क्षेत्र के 27 उपक्रमों में से इस समय सरकारी क्षेत्र के 6 उपक्रमों अर्थात भारत ब्रेक्स एवं वाल्वस लिमिटेड, हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, इण्डियन एयर लाइन्स लिमिटेड, इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में विनिवेश प्रक्रिया चल रही है। इनमें से दो मामलों में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद पर भर्ती की जा चुकी है, एक मामले में चयन किया गया है, दो मामलों में खोज समिति गठित की गई है तथा एक मामले में प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जा रहा है।

प्रसार भारती का कार्यकरण

*100. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती ने उनके मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करते हुए गैर-सरकारी निर्माताओं को डीडी मेट्रो पर तीन वर्षों के लिए एक दिन के $5^1/_2$ (साढ़े पांच) घंटे प्रसारण की नीलामी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रसार भारती के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने डीडी मेट्रो चैनल को विद्यमान बाजार परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित करने के उद्देश्य से अधिक मात्रा में प्रसारण समय को नीलामी आधार पर आबंटित करने का निर्णय लिया था। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सांय 7.00 से रात्रि 9.00 बजे और रात्रि 9.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के बीच समय स्लॉट एक मुक्त बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स नाइन नेटवर्क आस्ट्रेलिया पार्टी लि. को आबंटित किए गए थे जो क्रमश: 10.9.2001 तथा 15.10.2001 को समाप्त हो रही है। रात्रि 10 बजे से 12.30 बजे के बीच समय स्लॉट पहले से खाली थे। इसलिए सायं 7.00 बजे से रात्रि 12.30 बजे के बीच प्रसारण समय के लिए खुली बोलियां आमंत्रित की गई थी जिसमें सायं 7 से 11 बजे के बीच समय के लिए 115 करोड़ रु. की न्यूनतम कीमत रखी गई थी तथा रात्रि 11.00 बजे से 12.30 बजे के बीच समय के लिए कोई न्यूनतम कीमत नहीं रखी गई थी। इसके उत्तर में रात्रि 11.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे स्लॉट के लिए केवल मैसर्स मूविंग पिक्चर्स कम्पनी इंडिया प्रा. लि.से 50 लाख रु. निवल के प्रस्ताव सहित एक बोली प्राप्त हुई थी तत्पश्चात् प्रसार भारती ने कोई न्यूनतम कीमत निर्धारित किए बिना सांय 7.00 बजे से 11.00 बजे के स्लॉट के लिए नए सिरे से बोलियां आमंत्रित करने का निर्णय किया। इसके बावजूद तीन बोलियां ही प्राप्त हुई थी जिन्हें बहुत कम माना गया था और अस्वीकृत कर दिया गया था।

(ग) और (घ) प्रसार भारती एक सांविधिक संगठन है और इसे अपने कार्यक्रम प्रबन्धन संबंधी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। डीडी मैट्रो पर अधिक मात्रा में प्रसारण समय स्लाटों के आबंटन संबंधी स्कीम उक्त कार्यक्रम प्रबंधन का एक हिस्सा है और इसलिए यह प्रसार भारती के अधिकार क्षेत्र में है। इस बारे में सरकार ने कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। दूरदर्शन में प्रायोजित या कमीशंड आधार पर कार्यक्रम प्राप्त करने में और अधिक पारदर्शिता तथा उद्देश्यपरकता लाने तथा कार्यक्रमों के सह-निर्माण एवं उन्हें प्राप्त करने हेतु प्रसार भारती ने संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी एवं प्रचारित किए हैं।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा पर तस्करी संबंधी गतिविधियां

827. **डा. जसवंत सिंह यादव:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत-पाक सीमा पर तस्करी संबंधी गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तस्करी संबंधी गतिविधियों के लिए राजस्थान सीमा पर कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(घ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारत-पाक सीमा पर तस्करी संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों, अर्थात् वर्ष 1998-99 से 2001-2002 (जून, 2001 तक) तक के दौरान राजस्थान से लगी सीमा पर तस्करी की गतिविधियों के सिलसिले में 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अंतर्गत उनके विरुद्ध अभियोजन कार्रवाई आरम्भ की गई है।

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालय भारत-पाक सीमा सहित पूरे देश में निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने के लिए सजग एवं चौकस है।

[अनुवाद]

रेडियो फ्रीक्वैंसी आवंटन संबंधी समिति

828. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकार और निजी प्रयोक्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों के अध्ययन के पश्चात् नई रेडियो फ्रीक्वैंसी आवंटन योजना को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के समक्ष जांच किए जाने वाले मुद्दों से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय फ्रीक्वैंसी आबंटन योजना की समीक्षा की अनिवार्यता महसूस की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय फ्रीक्वैंसी आबंटन योजना-2000 की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है।

(ख) से (घ) नई प्रौद्योगिकियों के आविर्भाव तथा दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रसारण क्षेत्रों में तेजी से होते हुए परिवर्तनों की वजह से यह आवश्यक हो गया है कि स्पेक्ट्रम के इष्टतम तथा प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु आवधिक समीक्षा की जाए।

बी.एच.ई.एल. की सिम्हादरी विद्युत इकाई को पूरा किया जाना

829. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड की सिम्हादरी विद्युत इकाई को पूरा करने की आशा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान बैंक ऑफ इन्टरनेशनल को-आपरेशन द्वारा वित्त पोषित मेगा परियोजना की दूसरी इकाई के निर्धारित समय से पहले शुरू होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में विद्युत आवश्यकता को पूरा करने में यह किस सीमा तक सहायक होगी?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) आंध्र प्रदेश राज्य में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही एनटीपीसी की सिंहाद्री विद्युत परियोजना की पहली यूनिट (500 मेगावाट) के कार्यक्रमानुसार मार्च, 2002 से पूर्व आरम्भ होने की आशा की जाती है।

(ख) और (ग) परियोजना की दूसरी यूनिट (500 मेगावाट) के कार्यक्रमानुसार दिसम्बर, 2002 तक आरंभ होने की आशा की जाती है।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस परियोजना से आंध्र प्रदेश राज्य को 100 प्रतिशत विद्युत (1000 मेगावाट) की आपूर्ति की जायेगी।

नशीली दवाओं की लत

830. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नशीली दवाओं के नियंत्रण हेतु नेशनल मास्टर प्लान के अनुसार नशीली दवाओं की बुराई ने देश के सामने गम्भीर खतरा उत्पन्न कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रचालन के बावजूद देश में नशे की लत बढ़ती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत में नशाखोरी नियंत्रण पर नेशनल मास्टर प्लान (1994-2000) में यह सुझाव दिया गया है कि नशीली दवाओं की बुराई को नियंत्रित करने के लिए मुख्य प्रयास आबादी के सुभेद्य समूहों में इनकी मांग में कमी लाने के उपायों तथा प्रतिरोधात्मक उपायों में नशीली दवाओं तथा साथ-ही-साथ हथियारों एवं विस्फोटकों की तस्करी के प्रति केन्द्रित होने चाहिए क्योंकि इनमें विध्वंसक गतिविधियों और नशीली दवाओं के गैर-कानूनी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।

(ग) विभिन्न अध्ययनों तथा रिपोर्टों से यह पता चलता है कि समाज के कुछ सुभेद्य तबकों जैसे गलियों में रहने वाले बच्चों, कामर्शियल सेक्स-वर्करों, शहरों में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों, बेरोजगार युवाओं आदि में नशाखोरी की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है।

(घ) जी हां। हाल ही में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2001 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है।

(ङ) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2001 का आशय (क) विद्यमान दंड ढांचे को युक्तिसंगत बनाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नशीली दवाओं के जो तस्कर बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे हैं उन्हें कठोर दंड दिया जाए तथा नशेड़ी और अन्य लोग जो कम गंभीर किस्म के अपराध में संलिप्त होते हैं उन्हें कम सजा दी जाए। (ख) जमानत के कठोर प्रावधानों को उन अपराधियों तक सीमित करना है जो गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं। (ग) प्रवेश, तलाशी, जब्ती, गैर-कानूनी तरीके से प्राप्त संपत्ति आदि से संबंधित समपहरण की खामियों को दूर करना है, तथा (घ) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय, 1988 से उत्पन्न नियंत्रित सुपुर्दगी की अवधारणा के संबंध में कतिपय दायित्वों को पूरा करना है जिसका भारत भी एक पक्षकार है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता है।

कॉफी उत्पादकों को अल्पकालिक ऋण

831. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी उत्पादकों पर विशेषकर केरल में बकाया अल्पकालिक ऋणों को पुन: निर्धारित करने के लिए नाबार्ड और वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है ताकि मूल्यों में गिरावट से उनके सामान्य कार्यों पर असर न पड़े; और

(ख) यदि हां, तो निर्धन काफी उत्पादकों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने काफी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी के कारण कॉफी उत्पादकों द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सक्षम बनाने हेतु वर्तमान अल्पावधि ऋण की व्यवस्था संबंधी मुद्दे की जांच की तथा बैंकों को खासकर सलाह दी गई कि वे औद्योगिक उत्पादकों के बैंक ऋणों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए आर बी आई के मार्गनिर्देशों के अनुरूप कॉफी उत्पादकों के ऋण खातों को पुनर्व्यव्यवस्थित कर सकते हैं जिससे कि कॉफी उत्पादक पुनर्निर्धारण के रूप में राहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं तथा वर्तमान सत्र में नए ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने वाले बैंक द्वारा उक्त कार्य को पूरा करने के लिए तत्काल आवश्यकता पर जोर देने हेतु बेंगलूर में मई 2001 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की एक विशेष बैठक हुई।

बिहार में भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो

832. श्री राजो सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए राज्य-वार विशेषकर बिहार में भारतीय खाद्य निगम के कितने बेस डिपो हैं;

(ख) क्या उक्त बेस डिपो राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) राज्य-वार किन-किन जिलों में भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो नहीं हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे जिलों में बेस डिपो खोलने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काडला पत्तन पर गेहूं साफ करने की सुविधाओं की स्थापना

833. **श्री सुरेश रामराव जाधव**: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार देश में विभिन्न पत्तनों पर गेहूं साफ करने की सुविधा स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सुविधाओं पर विशेषकर कांडला पत्तन पर कितना अनुमानित व्यय किया गया; और

(ग) गेहूं के निर्यात से पहले इसकी खेप की उचित रूप से सफाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश दिए हैं कि कांडला पत्तन अथवा किसी अन्य पत्तन, जिससे निर्यात होता हो, पर सफाई सुविधाएं स्थापित करें। भारतीय खाद्य निगम को यह सुनिश्चित करने के निदेश भी दिए गए हैं कि इराक को गेहूं की खेप तब तक न भेजी जाए, जब तक गेहूं की सफाई ग्रेन बोर्ड आफ इराक की आवश्यकता को पूरी न करती हो।

कर्नाटक में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद

834. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धान की अत्यधिक फसल होने के कारण चावल के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से ऋण आधार पर राज्य से पंजाब और आंध्र प्रदेश की तरह लेवी चावल को उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम ऋण आधार पर कर्नाटक से चावल उठाने में किस सीमा तक समर्थ रहा है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने कर्नाटक राज्य से ऋण आधार पर किसी चावल का उठान नहीं किया है। तथापि, 23.7.2001 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा भुगतान आधार पर लेवी चावल के रूप में 2.07 लाख टन मात्रा का उठान किया गया है।

यूटीआई का पुनर्गठन

835. **श्री किरीट सोमैया**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूटीआई के पुनर्गठन हेतु एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या यूटीआई-64 की दीपक पारेख समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार एनएवी आधारित बनाए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) सरकार के सुझाव पर भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने वित्तीय क्षेत्र सुधारों तथा म्यूचुअल फंड उद्योग ने घटनाक्रमों के प्रकाश में इसकी प्रतिस्पर्धात्मक तथा वाणिज्यिक स्थिति निर्धारण की समीक्षा करने के लिए कार्पोरेट स्थिति निर्धारण संबंधी एक समिति का गठन किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि समिति की रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप देने तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने की आशा है। तत्पश्चात् उसे ऐसी सिफारिशों सहित, जो बोर्ड करे, सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(च) और (छ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने घोषणा की है कि यूएस-64 स्कीम एनएवी आधारित कीमतों पर पुनर्खरीद के लिए जनवरी, 2002 में पुन: खुलेगी।

आयकर की वसूली के लिए छापे

836. **श्री हन्नान मोल्लाह:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निदेशक (जांच) आयकर विभाग के व्यापारिक घरानों या व्यक्तियों के परिसरों पर छापे डालने के अधिकार को वापस ले लिया है यदि उनके संबंध में रिपोर्ट हों और सर्वेक्षण कराए गए हों;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह आयकर विभाग के कार्यकरण में भ्रष्टाचार से लड़ने, विकेन्द्रीकरण और पारदर्शिता से पीछे हटना नहीं होगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) आयकर महानिदेशक (जांच) अथवा आयकर निदेशक (जांच) की उपयुक्त मामलों में तलाशी कार्रवाइयों को प्राधिकृत करने की शक्तियां सांविधि अथवा आयकर अधिनियम, 1961 में दी गई है। आयकर निदेशक (जांच) से यह अधिकार वापस नहीं लिया गया है। इसके स्थान पर सावधानी एवं पूरे विवेक के साथ इस अधिकार जिससे किसी व्यष्टि अथवा समूह की गोपनीयता का अतिक्रमण होता है, का इस्तेमाल करने के लिए प्रशासनिक अनुदेश जारी किया गया है ताकि आयकर निदेशक (जांच) द्वारा तलाशी अधिकृत करने से पहले विभाग के जांच स्कंध के वरिष्ठतम अधिकारी अर्थात् आयकर महानिदेशक (जांच) की सहमति ली जा सके। इससे तलाशी कार्रवाई में सुविधा होगी जिसका करदाताओं को अनावश्यक उत्पीड़न पहुंचाए बिना कर अपवंचन को रोकने के लिए एक अधिक कारगर साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

बिहार में विश्व बैंक से सहायताप्राप्त परियोजनाएं

837. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक क्या लक्ष्य हासिल किए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम नाम	सहभागी राज्यों के नाम	सहायता राशि मिलियन अमरीकी डालर	दि. 31.5.2001 तक संवितरण-मिलियन अमरीकी डालर	दि. 31.5.2001 तक अनाहरित शेष-मिलियन अमरीकी डालर
1	2	3	4	5	6
1.	द्वितीय समेकित बाल विकास परियोजना	मध्य प्रदेश, बिहार	194	140.948	53.052

1	2	3	4	5	6
2.	तृतीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	बिहार	152	28.565	123.435
3.	कुष्ठ रोग उन्मूलन परियोजना	उ.प्र., बिहार, म.प्र., उड़ीसा, प. बंगाल	30	0	30
4.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना	राष्ट्रव्यापी	142.4	26.139	116.261
5.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना	राष्ट्रव्यापी	164.800	35.421	129.379
6.	द्वितीय राष्ट्रीय एचआईवी/ एड्स नियंत्रण परियोजना	राष्ट्रव्यापी	194.754	41.364	153.390
7.	टीकाकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना	राष्ट्रव्यापी	142.600	29.639	112.961
8.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना	राष्ट्रव्यापी	248.30	84.648	163.652
9.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	आ.प्र., हि.प्र., बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब	196.8	41.555	158.445
10.	ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता परियोजना	बिहार, म.प्र., उ.प्र., गुजरात, कर्नाटक	19.5	2.096	17.404
11.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	उ.प्र. और बिहार	516	30.160	485.84

न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में भ्रष्टाचार

838. **श्री भेरूलाल मीणा:** क्या **वित्त मंत्री** जी.आई.सी. में भ्रष्टाचार के बारे में 27 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6060 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डी.ओ.-310900, नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतों के संबंध में इसके सतर्कता विभाग द्वारा लम्बी जांच के पश्चात् न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों द्वारा प्रथम दृष्ट्या भ्रष्टाचार के मामले बनाए जाने के बावजूद अधिकारियों के विरुद्ध वर्षों तक कोई कार्रवाई न करने के लिए कम्पनी के सतर्कता विभाग के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं अथवा भ्रष्टाचार सिद्ध मामलों को दबाने की कार्यवाही की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की स्थिति के अनुसार कम्पनी के सी.वी.ओ. द्वारा कार्रवाई हेतु लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कम्पनी के सतर्कता विभाग द्वारा निष्पक्ष और शीघ्र कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। जांच रिपोर्ट में डी.ओ.-310900 के कुछ कर्मचारियों के स्तर पर कतिपय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट की जांच बीमा कंपनी के सतर्कता विभाग द्वारा की गयी है और इस मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उसकी प्राथमिक सलाह हेतु भेजा गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, यह सत्य नहीं है कि सतर्कता अधिकारियों की जांच रिपोर्ट कई साल मुख्यालय के सतर्कता विभाग में लम्बित रखी जाती है। जब अभी शिकायतें प्राप्त होती हैं उन सबकी जांच उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए की जाती है और भ्रष्टाचार के साबित मामलों को छिपाया नहीं गया है। आज की तारीख में मुख्य सतर्कता अधिकारी के स्तर पर कोई जांच रिपोर्ट लम्बित नहीं है।

(ङ) सतर्कता अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनकी संवीक्षा मुख्यालय स्थित सतर्कता विभाग द्वारा की जाती है और तुरन्त उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। जब कभी अनियमितताएं साबित हो जाती हैं, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सप्तऋषि कार्य दल की रिपोर्ट

839. श्री जय प्रकाश: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पाटन-रोधी प्रावधानों में संशोधन करने के लिए सिफारिशें देने हेतु गठित सप्तऋषि कार्य दल की रिपोर्ट/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो कार्य दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार ने उक्त दल की सिफारिशों को किस सीमा तक मान लिया है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक के लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों के लिए योजनाएं

840. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासी भारतीयों के लिए विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों का अध्ययन करने के लिए एक कृतिक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कृतिक बल द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम से निर्यातकों द्वारा चावल की खरीद

841. श्री अशोक अर्गल:
श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने ऐसी योजना शुरू की है जिसके अनुसार चावल निर्यातक निर्यात के लिए भारतीय खाद्य निगम से चावल खरीद सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) भारतीय खाद्य निगम से चावल खरीदने वाले निर्यातकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्यातकों द्वारा विभिन्न देशों को निर्यात किए गए चावल का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्यातकों को किन-किन देशों ने कितनी मात्रा में चावल निर्यात करने के आर्डर दिए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) जी, हां।

इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

(1) सेला चावल और रॉ चावल के लिए क्रमशः 600/- रुपये प्रति टन और 565/- रुपये प्रति टन एक समान निर्यात मूल्य।

(2) निर्यात मूल्य और घरेलू बाजार में खुली बिक्री मूल्य के बीच अन्तर राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करना।

(3) इस योजना के अधीन बिक्री के लिए न्यूनतम मात्रा 2000 टन है।

(ग) उन पार्टियों के ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं जिन्होंने भारतीय खाद्य निगम से चावल की खरीदारी की है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

क्रम सं.	पार्टी का नाम
1	2
1.	अरघोदीप कन्सलटेंसी (प्रा.) लि., कलकत्ता
2.	बृजकिशोर, सिलीगुड़ी
3.	बांगसी बादाम एसएएम, बर्दवान
4.	वी.के. उद्योग, पश्चिम बंगाल
5.	के.पी.एस. इंटरप्राइजेज, पश्चिम बंगाल
6.	ए.ए.आर. डी.ई.ई. इंटरनेशनल, पश्चिम बंगाल
7.	एल.एन.सी., बर्दमान, पश्चिम बंगाल
8.	पी.के.एस., कलकत्ता
9.	आर. प्यारेलाल इंटरनेशनल, पश्चिम बंगाल
10.	पी.के.एस. लि., कलकत्ता
11.	के.आर.बी.एल. लि., दिल्ली
12.	एल.एम.जे., कलकत्ता
13.	ई.एम.एस. संस इंटरनेशनल लि., दिल्ली
14.	बिशन स्वरूप राम किशन एग्रो (प्रा.) लि., दिल्ली
15.	प्रियंका ओवरसीज लि., दिल्ली
16.	अमीरा फूड्स (इंडिया) लि., दिल्ली
17.	पदम श्री इंटरनेशनल, दिल्ली
18.	अमीरचंद जयदीश कुमार, दिल्ली
19.	शाह नान्जी नागशी एक्सपोर्ट्स लि., नागपुर
20.	जी.आर.एम.ओवरसीज लि.
21.	नवभारत एक्सपोर्ट, दिल्ली
22.	डी.डी .इंटरनेशनल, अमृतसर

चावल की खरीद न करने वाले राज्यों में चावल की बिक्री

842. **श्री अबुल हसनत खां:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और पूर्वोत्तर जैसे चावल की खरीद न करने वाले राज्यों में व्यापारियों को 6.5 लाख टन चावल बेचने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लगभग 60,000 टन चावल भेजने के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम ने इसकी आपूर्ति अचानक बंद कर दी थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) सितम्बर, 2000 के दौरान सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को प्राधिकृत किया है कि वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन खुले बाजार में 30 लाख टन तक चावल का निपटान करे:-

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा केवल उपभोक्ता राज्यों अर्थात् जहां केन्द्रीय पूल के लिए चावल की शून्य/नगण्य वसूली होती है, में ही चावल की खुली बिक्री की जाएगी;

(2) यद्यपि भारतीय खाद्य निगम ढील दी गयी विनिर्दिष्टियों के अधीन वसूल किए गए चावल का अधिकतम सीमा तक निपटान करने का प्रयास करेगा, तथापि इसे ढके हुए भंडारण स्थान की कमी की दृष्टि में चावल के अन्य स्टाक को बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(3) 1998-99 फसल के ढील दी गई विनिर्दिष्टियों के चावल और अन्य स्टाक के चावल के बिक्री मूल्य पारदर्शी तंत्र के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति द्वारा अलग से तय किए जाएंगे।

तत्पश्चात् दिसम्बर, 2000 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को उन राज्यों में चावल की खुली बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, जिन राज्यों में केन्द्रीय पूल के लिए चावल की वसूली होती है, जिसके लिए यह शर्त थी कि चावल की खुली बिक्री के मूल्य उन राज्यों में लागू चावल के लेवी मूल्यों से कम नहीं होंगे।

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा ढील दी गई विनिर्दिष्टियों के अधीन चावल की बिक्री कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर रोक दी गयी थी। शिकायतों की जांच कर ली गयी है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जा रही है।

शेयर बाजार में ओवरसीज कार्पोरेट बॉडीज

843. श्री रामजी मांझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय शेयर दलालों द्वारा ओवरसीज कार्पोरेट बॉडीज का हेराफेरी के इरादे से उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन ओवरसीज कार्पोरेट बॉडीज (ओसीबी) का दुरूपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ब्रेंटफील्ड नामक ओसीबी ने नवम्बर, 2000 में जीटीबी शेयरों के लेनदेन में अपनी भूमिका अदा की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सेबी ने यह सूचित किया है कि सेबी द्वारा हाल की बाजार हेराफेरी की प्रारंभिक जांच के दौरान कुछ स्टाक दलालों द्वारा वृत्तीय कारोबार, धारिताओं के संकेन्द्रण, शेयरों की पार्किंक के लिए कतिपय विदेशी कार्पोरेट निकायों (ओसीबी) का उपयोग किए जाने के संकेत सामने आए हैं। मूल्यों में संभावित हेराफेरी, सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियमों का उल्लंघन आदि में विदेशी कार्पोरेट निकायों की भूमिका के बारे में और जांच की जा रही है।

सेबी ने यह सूचित किया है कि ब्रेन्टफील्ड ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के शेयरों का लेन-देन किया था। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के शेयर मूल्य में संभावित हेराफेरी के बारे में जांच की जा रही है। बाजार हेराफेरी में ब्रेन्टफील्ड सहित अन्य विदेशी कार्पोरेट निकायों की भूमिका, अगर कोई है, की जांच की जा रही है तथा जांच के निष्कर्ष आने पर कानून की विहित प्रक्रिया अपनाते हुए सेबी अधिनियम तथा इसके विनियमों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

क्रिकेट बोर्ड से आयकर की मांग

844. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने क्रिकेट बोर्ड की कर छूट वापस ले ली है और इस पर 10 करोड़ रुपए का मांग नोटिस ठोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड को 1992-93 से आयकर अधिनियम के उपबंध 10 (23) के अंतर्गत आयकर से छूट दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्रिकेट बोर्ड पर किन परिस्थितियों के मद्देनजर कर लगाया है;

(घ) क्या सरकार के इस कदम से देश में खेल गतिविधियों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को छूट की अनुमति देने वाली अधिसूचना में अनुबद्ध शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 10.17 करोड़ रुपए की मांग जारी की गई थी।

(ख) जी, हां। कुछ शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 90-91 से 98-99 तक के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को धारा 10 (23) के अन्तर्गत कर से छूट की अनुमति दी गई थी।

(ग) जयपुर में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के कोषाध्यक्ष के कार्यालय परिसर में आयकर अधिनियम की धारा 133क के अन्तर्गत सर्वेक्षण किए जाने के पश्चात कर उद्ग्रहीत किया गया था।

(घ) इस कदम से देश में खेल कार्यकलापों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं हैं क्योंकि इस संबंध में कानून के उपबंधों के अनुसार मांग जारी की गई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

सयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात में कमी

845. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार संयुक्त राज्य अमरीका को कितना भारतीय निर्यात किया गया;

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका को किए गए निर्यात की मात्रा में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) संयुक्त राज्य अमरीका को किए जाने वाले निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) पिछले वर्षों में भारत से अमरीका को किया गया निर्यात लगातार बढ़ता रहा है। भारत से अमेरिका को किया गया निर्यात वर्ष 1999-2000 में 36,979 करोड़ रु. के मुकाबले वर्ष 2000-2001 में 42,403 करोड़ रु. था। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से अमेरिका को किए गए निर्यात के आंकेड़े सारणी के रूप में नीचे दिए गए हैं:-

मूल्य करोड़ रु. में

	1998-99	1999-2000	2000-2001
भारत का अमेरिका को निर्यात	30289.30	36979.63	42403.73

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय सामान के आयात पर प्रतिबंध

846. श्री टी. गोविन्दन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों ने भारत से कतिपय वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतिबंध लगाने वाले देश कौन-कौन से हैं, उनके द्वारा किन-किन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय सरकार और घरेलू उद्योगों को कितना नुकसान होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को उन देशों के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार में खाद्य तेलों की मांग

847. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों ने खाद्य तेलों की अतिरिक्त मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों को उपलब्ध कराए गए खाद्य तेलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कोटा निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन राज्यों के लिए खाद्य तेलों का निर्धारित कोटा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय आरम्भ किए गए हैं/आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (छ) उत्तर प्रदेश राज्य ने वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लिए क्रमश: 15,000 टन और 5000 टन की मांग की थी। वर्ष 2000-2001 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने कोई मांग प्रस्तुत नहीं की थी। बिहार राज्य ने पिछले तीन वर्षों क दौरान कोई मांग प्रस्तुत नहीं की है। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की वर्ष 1998-99 और 1999-2001 के लिए 15000 टन और 5000 टन की मांग के प्रति इसे प्रत्येक वर्ष क्रमश: 5000 टन मात्रा आबंटित की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य ने 1998-99 के दौरान केवल 1747 टन मात्रा का उठान किया था। 1999-2001 के दौरान कोई मात्रा नहीं उठाई गई।

[अनुवाद]

झारखंड में विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली परियोजनाएं

848. श्री राम टहल चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व बैंक सहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता से अब तक किए गए कार्यों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त ऐसी कोई परियोजनाएं नहीं हैं जो विशेष रूप से झारखण्ड में चलाई जा रही हों।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

849. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों (पी एस ई) के निदेशक मण्डल के स्वायत्त दर्जे 1997 में बढ़ा दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों (पी एस ई) तथा निदेशक मण्डलों का ब्यौरा क्या है जिनमें अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल किया गया है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पी एस ई) के निदेशक मण्डल की स्वायत्ता बढ़ाने के बाद सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों (पी एस ई) का कार्य-निष्पदान कैसा रहा है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों को नवरत्न तथा मिनीरत्न उद्यमों के रूप में जाना जाता है तथा जिन उद्यमों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों को नियुक्त किया गया है, उनके विवरण के साथ वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान कुल कारोबार तथा निवल लाभ का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II पर दिया गया है।

विवरण-I

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	पूर्णकालिक निदेशक	अंशकालिक निदेशक	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
1	2	3	4	5
1.	बीएचईएल	1. श्री के.जी. रामचंद्रन 2. श्री ईशान शंकर 3. श्री एन.के. मित्तल 4. श्री एच.डब्ल्यू. भटनागर 5. श्री सी. अग्रवाल 6. श्री सी. श्रीनिवासन	1. श्री के.के. जयसवाल अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार 2. श्री एस.वी. भावे, संयुक्त सचिव	1. श्री आनंद पाटकर 2. श्री ए.सी. वधावन

1	2	3	4	5
2.	बीपीसीएल	1. श्री यू. सुंदरराजन 2. श्री एम.बी. लाल 3. श्री अशोक सिन्हा 4. श्री एस.ए. नारायण्न 5. श्री एस. बेहूरिया	1. श्री नरेश नारद 2. डॉ. बी. मोहंती 3. श्री के.वी. राव	1. श्री पी.एन. खांडवाल 2. प्रो. के. वासुदेवा 3. श्री पी.पी. कालियापेरूमल 4. प्रो. के. वासुदेव* *27.1.2000 को त्यागपत्र दे दिया है
3.	गेल	1. श्री जे.के. जैन 2. श्री एस. नियोगी 3. श्री एच.पी. चन्दना 4. श्री एस.पी. राव	1. श्री रवि सक्सेना 2. श्री विजयराघवन	1. डॉ. अमित मित्रा 2. श्री एम.सी. बागरोडिया 3. श्री के.एस. गोविंदराजन 4. श्री अश्विन मुथैया* *त्यागपत्र दे दिया है
4.	एचपीसीएल	1. श्री एच.जे. जुत्शी 2. श्री डी.एस. माथुर 3. श्री एस.डी. गुप्ता 4. श्री एस.के. कपूर 5. श्री एस.के. कैर	1. श्री नरेश नारद 2. श्री एस. विजयराघवन 3. डॉ. बी. मोहंती	1. श्री टी.एल. शंकर* 2. श्री राजा जी. कुलकर्णी 3. श्री राजेश वी. शाह 4. श्री एम. नंदगोपाल
5.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन	1. श्री एम.ए. पठान 2. श्री ए.के. अरोड़ा 3. श्री एस.एन. झा 4. श्री ओ.एन. मारवाह 5. डॉ. ए.के. भटनागर 6. श्री पी. सुगावनम 7. श्री एम.एस. रामचंद्रन	1. श्री नरेश नारद 2. श्री रवि सक्सेना 3. श्री शिवराज सिंह	1. डॉ. आर.के. पचौरी 2. श्री एम. कल्याणसुंदरम 3. प्रो. एस.के. बरूआ 4. श्री विनीत नय्यर 5. श्री एल. सबरथिनम 6. श्री आई.एन. चटर्जी
6.	आईपीसीएल	1. श्री अशोक चावला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक) 2. श्री एस.के. आनंद 3. डॉ. सी.एम. लाम्बा	1. श्री विजय रंजन	1. श्री डी. बासु 2. श्री एस.एम. दत्ता 3. श्री राजेन्द्र गुप्ता 4. डॉ. जे.एस. जुनैजा
7.	एमटीएनएल	1. श्री नरेन्द्र शर्मा 2. श्री जी.डी. गैहा 3. श्री एस. सुंदरशन 4. श्री के.एच. खान 5. श्री एस. रमानी अय्यर	1. श्री ए.सी. पाढ़ी 2. श्री के.एन. सिंह	1. जय प्रकाश 2. श्री आर.वी. गुप्ता 3. श्री एम.पी. खोसला 4. श्री एस.एन. मलिक
8.	एनटीपीसी	1. श्री सी.पी. जैन 2. श्री पी. नरसिम्हारामूलू 3. श्री बी.एन. औझा 4. डॉ. ए. पालित 5. श्री के.के. सिन्हा 6. श्री एच.एल. बजाज	1. श्री रामानुजम 2. श्री जे. वासुदेवन 3. श्री वी.डी. लुल्ला	सभी 4 निदेशकों ने अपनी कार्यावधि पूरी कर ली है तथा फिर से चयन किया गया है।

1	2	3	4	5
9.	ओएनजीसी	1. श्री नरेश नारद 2. श्री जौहरी लाल 3. श्री आई.एन. चटर्जी 4. श्री आर.सी. गौड़ 5. श्री वाई.बी. सिन्हा 6. श्री नाथू लाल 7. श्री वी.के. शर्मा	1. श्री जी.एस. दत्त 2. श्री जे.एम. मौसकर 3. श्री रवि सक्सेना	1. डॉ. के.आर.एस. मूर्ति 2. श्रीमती आर.डी. बारकटकी 3. श्री जवाहर वेदीवेलू 4. श्री जे. जयरामन 5. श्री अतुल चन्द्र
10.	सेल	1. श्री अरविन्द पांडे 2. श्री वी.एस. जैन 3. श्री एम. के. मोईतरा 4. श्री एस.सी.के. पटनी 5. श्री ए.के. सिंह 6. श्री एस. पांडे 7. श्री एस.के. भट्टाचार्य 8. श्री बी. घोषाल 9. श्री बी.के. सिंह	1. श्री डी.वी. सिंह 2. श्री सी.एस. राव	1. डॉ. अतुल शर्मा 2. श्री डी. बासु 3. डॉ. आर.के. रेड्डी 4. श्री आर.वी. गुप्ता 5. श्री दीपक पारेख 6. प्रो. आर.पी. सेनगुप्ता 7. श्री प्यारीमोहन महापात्रा 8. डॉ. इशहार अहलुवालिया
11.	वीएसएनएल	1. श्री एस.के. गुप्ता 2. श्री रजनीश गुप्ता 3. श्री आर.एस.पी. सिन्हा	1. श्री सी.वी. राजन 2. श्रीमती साधना दीक्षित	1. श्री एस.के. भार्गव 2. श्री अशोक वाधवा 3. श्री एन.आर. नारायणमूर्ति 4. श्री एच.पी. वागले
12.	कंटेनर कारपो.	1. श्री ए.के. कोहली 2. श्री विर्के राम	1. श्री पी.एन. शुक्ला 2. श्री पी.सी. झा	1. प्रो. एम.आर. दीक्षित 2. डॉ. पी.एस. शर्मा 3. श्री आर.के. नारंग
13.	फैक्ट	1. श्री टी.टी. थोमस 2. श्री एस. बालान	1. श्री सुधीर कृष्णा 2. श्री मनीष गुप्ता 3. श्री राधाकृष्णन	1. श्री ए.एन. अग्रवाल 2. श्री आर.एस. वेंकटरामनन 3. श्री आर. अरोकियास्वामी
14.	एचओसीएल	1. श्री वाई.जी. भट्ट	1. श्री सुरेश चन्द्र 2. श्री एस.सी. गुप्ता	1. श्री सतीश अजमेरा 2. डॉ. पी.रत्नास्वामी 3. श्री बी.एन. मखीजा
15.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	1. श्री के.वी.के. शेषावतरम 2. श्री बी.के.पी. सिन्हा 3. श्री बी.एन. मित्तल	1. डॉ. शुतानु बेहुरिया 2. श्री एस.पी. गुप्ता	1. डॉ. विनय शील गौतम 2. श्री ए.एन. मिश्रा 3. डॉ, सेबल कांति गुप्ता
16.	आईटीडीसी लि.	1. सीएमडी 2. निदेशक (एफ) रिक्त 3. निदेशक (सी एण्ड एम) रिक्त	1. श्रीमती आशा मूर्ति 2. श्री एस.पी. गुप्ता	1. श्री के.के. सूद

1	2	3	4	5
17.	इरकॉन इंटरनेशनल	1. श्री अरुण प्रसाद 2. श्री केबी वर्मा 3. श्री बी.एस. कपूर 4. श्री ए.के. टंडन	1. श्री आर.एन. मलहोत्रा 2. श्री सुधीर माथुर 3. श्री कंवलजीत सिंह	1. श्री एस.ए. दवे 2. श्री पी.के. चौधरी 3. श्री एन.सी. निगम 4. श्री एस.एस. ओफ
18.	कुद्रेमुख आयरन ओर. क. लि.	1. श्री एस. मुरारी 2. श्री बी.एस. कोटवाल 3. श्री आर.के. घोष 4. श्री के गुरूमूर्ति	1. श्री सी.एस. राव 2. श्री के.एस. राजेन्द्र कुमार	1. श्रीमती कल्याणी गांधी 2. श्री जी.एल. टंडन 3. श्री विक्रम वी. देसाई
19.	नालको	1. श्री वी. पारवथीजम 2. श्री एस.बी. नायक 3. श्री एस.के. बनर्जी	1. श्री एस.के. त्रिपाठी 2. श्री एस.पी. गुप्ता	1. श्री एस.एन. मलिक 2. श्री पी.एम. मोहापात्रा 3. श्री पी.जी. कोकाडकर* *त्यागपत्र दे दिया है
20.	एनएफएल	1. श्री पी.एस. ग्रेवाल 2. श्री ए.सी. सैनी	1. श्री सुरेश चन्द्रा 2. श्री ए.वी. सिंह 3. श्री एच.एम. कामथ	1. श्री के.एस. सुबैया 2. श्री एस. गोपालन 3. डॉ. ओ.पी. साहनी 4. श्री के. मुथुकुमार
21.	एनएमडीसी लि.	1. श्री पी.आर. त्रिपाठी 2. श्री वी. सत्यनारायण 3. श्री एस.के. अग्रवाल 4. श्री वी. राजगोपाल	1. श्री के.एस. राजेन्द्र कुमार 2. श्री यू.एस. पंत	1. श्री एस.डी. कपूर 2. प्रो. एस.के. बरूआ
22.	पावर ग्रिड कारपो.	1. श्री आर.पी. सिंह 2. श्री आर.के. मदान 3. डॉ. वी.के. गर्ग 4. श्री भानु भूषण	1. श्री जे. वासुदेवन 2. श्री आर. रामानुजम	1. श्री रमेश गुप्ता 2. श्री आर.वी. शाही
23.	भारतीय नौवहन निगम लि.	1. श्री पी.के. श्रीवास्तव 2. श्री के.के. कोठारी 3. श्री एस. हाजरा 4. श्री के.के. पालित 5. श्री एस.एस. रंगनेकर 6. श्री के.एम. जोसफ	1. श्री के.आर. भाटी 2. श्री एम. रामचन्द्रन	1. श्री एन.सी. सिंघल 2. श्री एस.एच. खान 3. श्री एम.जी भिडे 4. डॉ. प्रीतम सिंह 5. श्री ओ.एन. मारवाह

1	2	3	4	5
24.	टीसीआईएल	1. श्री एस.एस. बंसल 2. श्री ए.के. चन्द्रशेखर 3. श्री एस.के. टंडन 4. निदेशक (प्रो.) रिक्त	1. श्री एस. सतगोपन 2. श्रीमती अनुराधा मित्रा	1. डॉ. सेनगुप्ता 2. प्रो. आबद अहमद 3. श्री रामालिंगा राजू
25.	एजूकेशनल कंसल्टेंट्स	1. डॉ. वाई मेदुरी	1. श्री के.एस. शर्मा 2. श्री विद्या सागर वर्मा	गैर-सरकारी निदेशकों ने कार्यावधि पूरी कर ली है तथा नए सिरे से चयन किया गया है
26.	एचएससी (आई)	1. श्री अशोक कुमार 2. श्री जे. सरूप	1. श्री विजय सिंह 2. श्री अश्विनी कुमार	गैर-सरकारी निदेशकों ने कार्यावधि पूरी कर ली है तथा नए सिरे से चयन किया गया है
27.	आईएमपीसीएल	अंशकालिक अध्यक्ष प्रबंध निदेशक	चार	1. डॉ. संजीवा राव 2. डॉ. सी.एच.एस. शास्त्री 3 हकीम जामिल अहमद
28.	एमएसटीसी	1. श्री मालया सेनगुप्ता	1. श्री बी.एल. मीणा	1. श्री ए.के. दत्ता 2. श्री बी.एन. रथ
29.	एमओआईएल	1. श्री डी.के. साहनी 2. श्री पी.एम. रेड्डी 3. श्री एस.सी. जैन	1. श्री एस. मनोहरन 2. श्री बी.के. साहा 3. श्री जे.पी. डांगे	1. श्री एस.एम. पालिया 2. श्री जे.एन. कौल 3. श्री बी.एन. रथ 4. श्री वी.आर. मेहता 5. श्री ए.के. गोयल
30.	मेकॉन	1. डॉ. एल.के. सिंघल 2. श्री ए. वेणुगोपाल 3. श्री आर.एल. त्रिखा 4. श्री आर.के. जारू 5. निदेशक (तकनीकी) रिक्त	1. श्री एस मनोहरन	1. श्री सुदास रॉय 2. श्री थोमस मैथ्यु 3. श्री अबाद अहमद
31.	वापकोस	1. श्री पी.एल. दीवान सी.एम.डी.	1. श्री शैलेन्द्र पांडे 2. श्री ए. शेखर 3. श्रीमती निरूपमा राव 4. श्री एम. गोपालकृष्णन	गैर-सरकारी निदेशकों ने कार्यावधि पूरी कर ली है तथा नए सिरे से चयन किया गया है

विवरण-II

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम तथा वर्ष	कारोबार	निवल लाभ
1	2	3	4
क. नवरत्न श्रेणी के सरकारी उद्यम			
1.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड		
	1999-00	6634	599
	1998-00	6795	545
	1997-98	6471	720
	1996-97	5755	463
2.	भारत पेट्रोलियम कारपो. लिमिटेड		
	1999-00	33385	702
	1998-99	21600	706
	1997-98	11833	521
	1996-97	10565	408
3.	गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड		
	1999-00	8415	861
	1998-99	6643	1060
	1997-98	5731	1020
	1996-97	4541	620
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लिमिटेड		
	1999-00	33831	1057
	1998-99	23910	901
	1997-98	14383	701
	1996-97	13941	612
5.	इण्डियन ऑयल कारपो. लिमिटेड		
	1999-00	94141	2443
	1998-99	63581	2214
	1997-98	59744	1707
	1996-97	62074	1408

1	2	3	4
6.	इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपो. लिमिटेड		
	1999-00	4920	189
	1998-99	3850	29
	1997-98	3692	244
	1996-97	3430	510
7.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड		
	1999-00	5182	1088
	1998-99	5032	1297
	1997-98	4655	1130
	1996-97	4031	933
8.	नेशनल थर्मल पावर कारपो. लिमिटेड		
	1999-00	16123	3425
	1998-99	14081	2816
	1997-98	12429	2153
	1996-97	9857	1679
9.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड		
	1999-00	20094	3629
	1998-99	14963	2755
	1997-98	15224	2678
	1996-97	13235	2034
10.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड		
	1999-00	16388	-1720
	1998-99	15156	-1574
	1997-98	14855	133
	1996-97	14301	515

1	2	3	4
11.	विदेश संचार निगम लिमिटेड		
	1999-00	6968	840
	1998-99	6831	1325
	1997-98	6125	968
	1996-97	5209	505
ख. सरकारी क्षेत्र के मिनी रत्न उद्यम-श्रेणी-I			
1.	कंटेनर कारपो. ऑफ इण्डिया लिमिटेड		
	1999-00	831	178
	1998-99	685	141
	1997-98	606	116
	1996-97	534	95
2.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड		
	1999-00	1548	-40
	1998-99	1271	-48
	1997-98	1263	54
	1996-97	1081	62
3.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड		
	1999-00	421	-105
	1998-99	417	-23
	1997-98	476	-1
	1996-97	429	16
4.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड		
	1999-00	1516	90
	1998-99	1309	76
	1997-98	1263	74
	1996-97	972	30

1	2	3	4
5.	भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		
	1999-00	274	-27
	1998-99	279	10
	1997-98	297	43
	1996-97	298	56
6.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड		
	1999-00	503	46
	1998-99	380	56
	1997-98	420	43
	1996-97	411	24
7.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड		
	1999-00	621	59
	1998-99	548	19
	1997-98	594	82
	1996-97	493	72
8.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.		
	1999-00	2142	512
	1998-99	1507	248
	1997-98	1854	547
	1996-97	1769	492
9.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड		
	1999-00	2453	35
	1998-99	2302	41
	1997-98	2222	189
	1996-97	1435	11
10.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड		
	1999-00	790	160
	1998-99	728	140
	1997-98	760	175
	1996-97	651	130

1	2	3	4
11.	पावरग्रिड कारपो. ऑफ इण्डिया लिमिटेड		
	1999-00	1967	601
	1998-99	1710	444
	1997-98	1412	337
	1996-97	1035	306
12.	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड		
	1999-00	2543	162
	1998-99	2521	201
	1997-98	2414	246
	1996-97	2270	233
13.	टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड		
	1999-00	705	49
	1998-99	624	54
	1997-98	575	42
	1996-97	433	32
ग. सरकारी क्षेत्र के मिनी रत्न-श्रेणी-II			
1.	एजूकेशनल कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड		
	1999-00	54.09	0.84
	1998-99	52.34	1.51
	1997-98	3108	1.02
	1996-97	21.55	0.7
2.	हॉस्पिटल सर्विसिज कंसल. कारपो. (इण्डिया) लिमिटेड		
	1999-00	8.21	4.33
	1998-99	5.08	2.63
	1997-98	2.84	0.78
	1996-97	2.87	0.46
3.	इण्डियन मेडिसिन फार्मा. कारपो. लिमिटेड		
	1999-00	3.31	0.23
	1998-99	3.02	0.21
	1997-98	2.94	0.17
	1996-97	2.09	0.26

1	2	3	4
4.	एमएसटीसी लिमिटेड		
	1999-00	215.07	3.53
	1998-99	84.6	2.16
	1997-98	21.79	1.83
	1996-97	104.86	2.3
5.	मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड		
	1999-00	134.11	11.73
	1998-99	118.27	13.71
	1997-98	112.8	14.21
	1996-97	108.39	13.31
6.	मेकॉन लिमिटेड		
	1999-00	283.41	-17.85
	1998-99	207.93	-11.17
	1997-98	185.81	1.67
	1996-97	211.82	8.40
7.	वाटर एण्ड पावर कंसल. सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड		
	1999-00	36.58	4.04
	1998-99	33.36	3.14
	1997-98	25.82	2.24
	1996-97	19.63	2.3

[हिन्दी]

नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण

850. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में नाबार्ड के 'आरआईडीएफ' के अंतर्गत कितनी योजनाएं शुरू की गई थी;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई डी एफ) के तहत 2436 योजनाओं को प्रारम्भ किया गया है।

(ख) नाबार्ड ने पुन: सूचित किया है कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए आर आई डी एफ-V (1999-2000) एवं

आर आई डी एफ-VI (2000-2001) के तहत राज्य में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्रमशः 110.88 करोड़ रुपये एवं 161.52 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में किए गए कार्य का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्रम सं	शामिल परियोजना	आरआईडीएफ-V (1999-2000) मंजूर परियोजनाओं की संख्या	आरआईडीएफ-VI (2000-2001) मंजूर परियोजनाओं की संख्या
1.	लघु सिंचाई	3	13
2.	ग्रामीण पुल	10	25
3.	पनधारा व्यवस्थापन	3	–
4.	बाढ़ नियंत्रण	–	5
5.	ग्रामीण सड़क	116	131
6.	खेत	–	2
	कुल	132	176

[अनुवाद]

सामान व विदेशी मुद्रा का जब्त किया जाना

851. श्री अमर राय प्रधान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सीमा शुल्क अधिकारियों और अन्य एजेन्सियों द्वारा कितनी मात्रा में तस्करी के सामान और कितनी विदेशी मुद्रा जब्त की गई है;

(ख) 31 मार्च, 2001 तक प्रत्येक मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं; और

(ग) देश में तस्करी के सामान और विदेशी मुद्रा के लिये जाने पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 (जून, 2001 तक) के दौरान सीमा शुल्क एवं प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा जब्त की गई तस्करीकृत वस्तुओं एवं विदेशी मुद्रा का विवरण तथा इसके संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय (डी आर आई) सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय संपूर्ण देश में निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए चौकस तथा सजग रहते हैं।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई जब्तियां			प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई विदेशी मुद्रा	
	जब्त की गई तस्करीकृत वस्तुओं का मूल्य	जब्त की गई विदेशी मुद्रा का मूल्य	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई विदेशी मुद्रा का मूल्य	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
1998-99	628.14	21.71	952	1.02	70
1999-2000	1281.74	16.97	712	0.30	45
2000-2001	416.99	20.55	669	2.72	19
2001-2002 (जून, 2001 तक)	138.06	6.82	173	2.05	1

कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु अलग से निर्यात क्षेत्र

852. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की तरह कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु अलग से निर्यात क्षेत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों को निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के समतुल्य सभी सुविधाएं व सहायता मुहैया कराई जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो देश के कुल निर्यात में कृषि उत्पादों की भागीदारी किस सीमा तक बढ़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) सरकार ऐसे कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है जो कि मौजूदा निर्यात संसाधन क्षेत्रों से भिन्न होंगे। कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा में कच्ची सामग्री तैयार करने और उसे प्राप्त करने, उसके प्रसंस्करण/पैकेजिंग और अंतिम निर्यात के उद्देश्य से भौगोलिक रूप से निकटस्थ किसी क्षेत्र में स्थित किसी विशेष उपज/उत्पाद के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण निहित है। पूरा प्रयास संभावित उत्पाद, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें ये उत्पाद उगाए जाते हैं, की पहचान करने के सामूहिक दृष्टिकोण और उत्पादन के स्तर से लेकर खपत स्तर तक पूरी प्रक्रिया को समेकित करने की एक आद्योपान्त पद्धति अपनाने के इर्द-गिर्द केन्द्रित है।

कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना के पीछे यह मत रहा है कि राज्य तथा केन्द्र सरकारों की सभी प्रोत्साहन योजनाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाए और सभी राज्य एजेंसियों एवं कृषि विश्वविद्यालयों और केन्द्र सरकार के सभी संस्थानों तथा एजेंसियों द्वारा इन क्षेत्रों में शीघ्र डिलीवरी के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक व्यापक पैकेज तैयार किया जाए। ऐसी सेवाओं का प्रबंधन एवं समन्वय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकारें विदेशी बाजारों में तुलनात्मक लाभ और संभावना वाले उन उत्पादों की पहचान करेगी जिन्हें निर्यात हेतु तैयार किया जाएगा और जिनकी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी और उनके द्वारा भारत सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए वे एपीडा के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को निष्पादित करेंगी।

कृषि निर्यात क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाएं निर्यात संसाधन क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं के समान नहीं होती हैं और इसलिए उन पर एक्जिम नीति के अलग अध्याय में विचार किया जाता है। कृषि निर्यात क्षेत्रों की प्रस्तावित स्थापना के परिणामस्वरूप देश के कुल निर्यातों में कृषि उत्पादों के निर्यात के हिस्से में होने वाली वृद्धि के स्तर का सही-सही आकलन नहीं किया जा सकता है।

चंदन की लकड़ी और चंदन तेल का निर्यात

853. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान किन-किन देशों को चंदन की लकड़ी और चंदन तेल का निर्यात किया गया था;

(ख) प्रतिवर्ष देश-वार और मद-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पहले से विद्यमान विदेशी खरीददारों के साथ-साथ अन्य नए खरीददारों को भी इन सामानों के निर्यात बढ़ाने हेतु कुछ उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) डी सी जी आई एण्ड एस के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निर्यातित चंदन की लकड़ी तथा चंदन के तेल का मूल्य निम्नानुसार है:-

(रुपये/करोड़)

वर्ष	चंदन की लकड़ी	चंदन तेल
1998-99	शून्य	8.69
1999-2000	शून्य	7.91
अप्रैल 2000-फरवरी, 2001	1.14	11.34

निर्यात के देश-वार आंकड़े डी जी सी आई एण्ड एस के प्रकाशन, अर्थात् "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी" में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) सभी निर्यातकों पर लागू होने वाले सामान्य प्रोत्साहन चंदन तेल तथा चंदन की लकड़ी के उत्पादों के निर्यातों पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सरकार निर्यातकों को विदेशों में आयोजित मेलों, प्रदर्शनियों में भागीदारी के जरिए विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने तथा व्यापार शिष्टमंडल भेजने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से बाजार विकास सहायता प्रदान कर रही है।

शेयर बाजार संबंधी बिजनेस चैनल

854. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पहले से चल रहे सीएबीसी चैनल की तर्ज पर शेयर बाजार संबंधी बिजनेस चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त चैनल के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चैनल/कार्यक्रम, कार्यक्रम आवश्यकताओं/संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शुरू/प्रसारित किए जाते हैं। ''बिजनेस डे'' कार्यक्रम सप्ताह में पांच दिन 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे सायं तक डी डी- न्यूज चैनल पर पहले ही प्रसारित किया जा रहा है।

दाऊद इब्राहिम की संपत्ति

855. श्री विजय गोयल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दाऊद इब्राहिम की कितनी सम्पत्तियां हैं;

(ख) इनमें से कितनी की नीलामी हो चुकी है और नीलामी से कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या दाऊद इब्राहिम की अन्य संपत्तियों को भी नीलाम किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) दाऊद इब्राहिम ग्रुप की समझी गई 110 सम्पत्तियों का पता लगाया गया है।

(ख) 11 सम्पत्तितों को दिनांक 28.2.2001 को निलामी के लिए पेश किया गया था। इनमें से केवल एक सम्पत्ति 2.50 लाख रुपए में बेची जा सकी।

(ग) और (घ) कर वसूली अधिकारी द्वारा कुर्क की गई 23 सम्पत्तियों में से 5 सम्पत्तियों को नीलामी से अलग रखा गया क्योंकि वे टाडा न्यायालय द्वारा कुर्क की गई है। इन सम्पत्तियों के बिक्री आगमो में से कर बकाया राशियों के संविभाजन का दावा करने के लिए टाडा न्यायालय में विविध आवेदन दायर किए गए हैं। एक सम्पत्ति का पता नहीं चल पाया है और 2 सम्पत्तियों की कुर्की को कर वसूली अधिकारी द्वारा मुक्त कर दिया गया। 15 सम्पत्तियों की घोषणा कर वसूली अधिकारी द्वारा दिनांक 26.2.2001 को बिक्री के लिए की गई थी। इन सम्पत्तियों में से 4 की नीलामी बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा आस्थगित कर दी गई थी। शेष कुर्क की गई सम्पत्तियों को पुन: नीलामी के लिए पेश किया जाएगा।

मक्का के निर्यात से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना

856. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल):
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्रीमती रेनु कुमारी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मक्का के निर्यात से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कर्नाटक राज्य सरकार तथा मक्का किसानों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार मक्का पर आयात शुल्क बढ़ाने की भी योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) एक्जिम नीति के अनुसार, मोटे अनाज (मक्का सहित) के निर्यात की अनुमति डी सी एफ टी द्वारा घोषित मात्रात्मक अधिकतम सीमा और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा जारी पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाण-पत्र (आर सी ए सी) के अधीन रहते हुए मुक्त रूप से प्रदान की जाती है। कृषि उत्पादों के निर्यातों से संबंधित नीति में मुख्यत: भारत की खाद्य सुरक्षा, कृषि आय और विदेशी मुद्रा के अर्जन को अधिकतम बनाने के महत्व को ध्यान में रखा जाता है। कृषि उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और तदनुसार, कृषि निर्यातों को उत्तरोत्तर व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से जब कभी आवश्यक समझा जाता है, नीतिगत हस्तक्षेप किए जाते हैं।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार से मक्का के निर्यात की अनुमति देने/मक्का के निर्यात के लिए कोटे की मंजूरी देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे और तदनुसार कर्नाटक से मक्का के निर्यात के लिए अधिकतम मात्रा जारी की गई थी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में उद्योग न लगाना

857. **श्री मानसिंह पटेल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिन विदेशी निवेशकों को भारत में उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) जनवरी, 1991 से मई 2001 तक 71.14 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं। इसकी तुलना में 25.20 बिलियन अमरीकी डालर की राशि का संचयी अंतर्वाह हुआ है जिससे उपलब्धि की दर (अनुमोदन की तुलना में अंतर्वाह की दर) 37 प्रतिशत हुई है। वर्ष 1992 से उपलब्धि दर में निरंतर सुधार हुआ है। वर्ष 1992 में उपलब्धि दर 17.37 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 (जनवरी से मई 2001 तक) में 52.93 प्रतिशत हो गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन केवल निवेश संबंधी आशय का द्योतक है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों में इसका परिवर्तन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नीतिगत ढांचे, घरेलू आर्थिक परिस्थितियों, विश्व में आर्थिक विकास सार्वभौमिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृत्तियां और विश्वभर के निवेशकों की नीतियों जैसे अनेक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। इन कारकों के अलावा, अनुमोदनों और अंतर्वाहों में अन्तर आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण से है कि अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि का लगभग 50 प्रतिशत अवसंरचनात्मक क्षेत्र से संबंध रखता है जिसकी दीर्घ फलनावधि होती है। इसके अतिरिक्त सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों के शीघ्र क्रियान्वयन की सुविधा के उद्देश्य से विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की स्थापना की है जो विदेशी निवेशकों और केन्द्र तथा राज्य स्तर के अनेक प्राधिकरणों के बीच एक एकल संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य करता है। विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण, अन्य कार्यों के साथ-साथ निवेशकों की संबंधित अभिकरणों से संपर्क और आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों द्वारा अनुमोदन के बाद की बाधाओं को दूर करके सहायता करता है।

[अनुवाद]

रोमानिया के शिष्टमंडल का भारत दौरा

858. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2001 में रोमानिया के एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था और भारत सरकार के साथ रोमानिया को कच्ची चीनी का निर्यात करने पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोमानिया की सरकार ने भारतीय चीनी की गुणवत्ता पर संतुष्टि जाहिर की है;

(घ) क्या इस शिष्टमंडल के साथ आए व्यापार जगत के प्रतिनिधियों ने भी खाद्य उत्सव "आहार" में भाग लिया था;

(ङ) क्या रोमानिया को कच्ची चीनी का निर्यात करने के लिए रोमानिया के प्रतिनिधियों और भारतीय अधिकारियों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (छ) जी, हां। मार्च 2001 में रोमानिया के एक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था तथा भारत से रॉ शुगर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। रोमानियाई शिष्टमंडल ने 17-21 मार्च, 2001 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित की गई आहार-2001 प्रदर्शनी का भी दौरा किया था। शिष्टमंडल के सदस्यों ने आहार प्रदर्शनी में भारतीय निर्यातकों द्वारा प्रदर्शित किए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई थी। रोमानिया को रॉ शुगर के निर्यात के लिए भारतीय चीनी फैक्ट्रियों/निर्यातकों के साथ कोई समझौता होने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। रोमानिया को निर्यात करने के लिए रॉ शुगर रिलीज करने के लिए किसी चीनी फैक्ट्री/निर्यात से शर्करा निदेशालय को अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की क्षमता

859. **श्री प्रभात सामन्तराय:**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भारतीय खाद्य निगम का भंडारण क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने हेतु सहयोग करने के लिए तैयार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्य हेतु कोई प्रस्ताव लाया गया है और भारतीय खाद्य निगम और निजी क्षेत्र के बीच कोई चर्चा हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस कार्य हेतु कोई कार्य सूची बनाई गयी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) गत दो वर्षों के दौरान सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा राज्य-वार कितने माल गोदाम बनाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) से (छ) सरकार ने खाद्यान्नों का भण्डारण, हैण्डलिंग और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। नीति का लक्ष्य बल्क भण्डारण सुविधाओं का निर्माण करने और "बनाओं और चलाओ" योजना के अधीन परम्परागत गोदामों का निर्माण करने सहित खाद्यान्नों को हैंडल करने के इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों के निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करना है।

इस योजना की शर्तों और निबंधनों का प्रारूप परम्परागत गोदामों के लिए इच्छुक पार्टियों की टिप्पणियों/विचार प्राप्त करने हेतु उन्हें भेजी गई हैं। बल्क सुविधाओं के लिए "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित करने हेतु परामर्शदाता रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकानामिकल सर्विसेज (राइट्स), आवश्यक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं।

(ज) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा स्थापित गोदामों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय भंडारण निगम (सी डब्ल्यू सी) द्वारा स्थापित किए गए गोदामों की संख्या
हरियाणा	2
राजस्थान	4
पंजाब	2
जम्मू एवं कश्मीर	1
गुजरात	2
उड़ीसा	1
कर्नाटक	2

2. वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम (सी डब्ल्यू सी) द्वारा स्थापित गोदामों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय भंडारण निगम (सी डब्ल्यू सी) द्वारा स्थापित किए गए गोदामों की संख्या
हरियाणा	1
बिहार	1
कर्नाटक	3
राजस्थान	3
उत्तर प्रदेश	3
उड़ीसा	1
मध्य प्रदेश	1
दिल्ली	2
केरल	1

ढकी और प्लिंथ (कैप)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय भंडारण निगम (सी डब्ल्यू सी) द्वारा बढ़ाई गई कवर और प्लिंथ (कैप) की संख्या
गुजरात	1
कर्नाटक	3
मध्य प्रदेश	4
छत्तीसगढ़	3
पंजाब	9
तमिलनाडु	1
आंध्र प्रदेश	3
राजस्थान	1
उत्तर प्रदेश	4

गेहूं का उत्पादन और भंडारण

860. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान गेहूं का कुल अनुमानित उत्पादन कितना रहा;

(ख) गेहूं के भंडारण हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं जिससे कि अधिक उत्पादन एक समस्या न बन जाए;

(ग) अतिरिक्त गेहूं का अन्य देशों को निर्यात करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) किसानों को उनके गेहूं का लाभकारी मूल्य मिले यह सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) 2000-2001 के दौरान 68.46 मिलियन टन गेहूं का अनंतिम उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) 1.6.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 34.36 मिलियन टन भंडारण क्षमता थी, जबकि इसके पास कुल 32.90 मिलियन टन स्टाक था।

भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता वसूली/उपभोक्ता राज्यों में खाद्यान्नों की वसूली और उठान/बिक्री की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हुए बढ़ती अथवा घटती रहती है। भारतीय खाद्य निगम एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता किराये पर लेने के अलावा अपने गोदामों और प्लिंथों का निर्माण करके अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करता है। भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को भी इस बात के लिए पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं कि वे जब कभी आवश्यक समझे भंडारण क्षमता किराये पर ले सकें/खाली कर सकें।

(ग) सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2001-2002 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/एजेंसियों के माध्यम से 50 लाख टन तक गेहूं का निर्यात किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि 1.6.2001 से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/एजेंसियों के समतुल्य प्राइवेट पार्टियों को गेहूं का निर्यात करने की अनुमति दी जाए।

(घ) किसानों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) विभिन्न राज्यों में पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोले गए हैं, ताकि किसानों को मजबूरन बिक्री से बचाया जा सके।

(2) किसानों को उनके उत्पाद का शीघ्र भुगतान किया जा रहा है।

(3) सरकार बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों का स्टाक स्वीकार करती है।

(4) वसूली मूल्यों, उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों और क्रय केन्द्रों के बारे में सरकार द्वारा पर्याप्त प्रचार किया जाता है।

पेंशन योजना

861. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **वित्त मंत्री** 20 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5075 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान पेंशन योजना की समीक्षा करने हेतु उक्त उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) वित्त मंत्री के वर्ष 2001-2002 के बजटीय अभिभाषण की अनुवर्ती कार्रवाई के बतौर 1 अक्तूबर, 2001 के बाद सेवा में आने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित अंशदान आधारित नई पेंशन प्रणाली शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पेंशन विभाग ने 25 जून, 2001 को एक अध्यक्ष और तीन सदस्यों व एक सदस्य-सचिव वाले एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।

बी.ओ.जी.एल. का पुनरुद्धार

862. **श्री सुनील खां:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड पुनरुद्धार हेतु सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में बातचीत की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के अनुरूप तैयार पुनरुद्धार योजना के आधार पर, प्रचालन एजेंसी अर्थात् आईडीबीआई ने बीओजीएल के पुनरुद्धार के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार ने रोकड़ निवेश और कंपनी की वित्तीय पुनर्संरचना का प्रावधान किया है।

प्रचालन एजेंसी द्वारा तैयार व्यवहार्यता रिपोर्ट में कंपनी के कर्मचारियों की संशोधित मजदूरी संरचना से उत्पन्न प्रभाव सहित विभिन्न लागतों को भी ध्यान में रखा गया है।

कंपनी के पुनरुद्धार के संबंध में अंतिम निर्णय बीआईएफआर पर निर्भर करता है।

राज्य सरकारों को ऋण देना

863. **श्री सवशीभाई मकवाना:**
श्री दिलीप संघाणी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 और 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार पर केन्द्र सरकार के ऋण और उसके ब्याज की कितनी राशि बकाया है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को कितना ऋण और कितनी अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या जिन राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है उनके ऋणों को बट्टे खाते में डालने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिनांक 31 मार्च, 2000 तथा 31 मार्च, 2001 की यथास्थिति के अनुसार वित्त मंत्रालय तथा राज्य योजना सकल

ऋण के संबंध में प्रत्येक राज्य पर बकाया ऋण और वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यों को जारी अर्थोपाय अग्रिमों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। विभिन्न मंत्रालयों के योजनागत स्कीमों के एक भाग के रूप में ऋणों के संबंध में सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) वित्त आयोग अपने विचारार्थ विषयों के भीतर राज्यों की ऋण स्थिति की समीक्षा करता है। केन्द्र से राज्यों को अन्तरण की ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश में राज्यों के पुनर्भुगतान दायित्व को ध्यान में रखा गया है। ऋण राहत को चयनात्मक रूप से पुन: खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	31.3.2000 को बकाया ऋण	31.3.2001 को बकाया ऋण	2000-2001 के दौरान जारी सकल ऋण	2000-2001 के दौरान जारी अर्थोपाय अग्रिम
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	15056.29	16162.39	1772.71	75.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	347.11	392.29	61.09	—
3.	असम	3783.98	3712.64	168.85	200.00
4.	बिहार	14177.70	11123.46	1031.50	—
5.	छत्तीसगढ़	0.00	2835.16	296.73	—
6.	गोवा	727.63	793.35	104.88	—
7.	गुजरात	14863.32	15790.42	1465.79	550.00
8.	हरियाणा	5040.15	5238.71	387.21	—
9.	हिमाचल प्रदेश	2671.27	2697.56	104.93	110.00
10.	झारखण्ड	0.00	3783.34	356.27	—
11.	जम्मू और कश्मीर	3433.59	3398.21	170.03	—
12.	कर्नाटक	9380.99	10011.54	1029.40	—
13.	केरल	5837.42	6017.80	463.92	185.00
14.	मध्य प्रदेश	9978.99	7759.08	785.57	—
15.	महाराष्ट्र	23121.28	23040.53	771.90	—
16.	मणिपुर	361.14	383.59	38.02	296.00
17.	मेघालय	315.46	340.93	41.47	—
18.	मिजोरम	226.36	254.16	38.04	—
19.	नागालैण्ड	330.12	356.59	44.38	—

1	2	3	4	5	6
20.	उड़ीसा	7154.13	7707.84	938.52	250.00
21.	पंजाब	12381.46	12463.84	367.26	250.00
22.	राजस्थान	10129.42	10436.25	706.94	50.00
23.	सिक्किम	196.89	211.92	24.66	—
24.	तमिलनाडु	11122.17	11746.47	1140.04	—
25.	त्रिपुरा	584.75	634.37	74.68	—
26.	उत्तरांचल	0.00	1661.91	214.83	—
27.	उत्तर प्रदेश	30029.23	30412.98	3120.45	256.00
28.	पश्चिम बंगाल	22195.31	22809.40	1303.71	200.00
	कुल	203446.16	212176.73	17023.78	2422.00

नोट:- दिनांक 31 मार्च, 2000 तथा 31 मार्च, 2001 की यथास्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य पर बकाया ब्याज की राशि को शून्य समझा जाए।

[हिन्दी]

बी.पी.एल. की सूची में सुधार

864. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रहने वाले परिवारों की पहचान का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे परिवारों के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने के पात्र होने के बावजूद उनके नाम इस सूची में शामिल नहीं किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब ऐसे परिवारों के नाम इस सूची में शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) ऐसे परिवारों को प्रतिमास उपलब्ध कराए जा रहे राशन का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अलग-अलग कुशलता के साथ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान कर ली है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचान किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की अनुभानित और वास्तविक संख्या बताने वाला विवरण संलग्न किया गया है।

(ग) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लक्षित परिवारों की पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी दिशा-निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करते समय समाज के केवल वास्तव में गरीबी और कमजोर वर्गों को ही शामिल करने पर जोर दिया जाना चाहिए। जब कभी मंत्रालय में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को राशन कार्ड जारी न करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे शिकायत पर उचित कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से मंत्रालय को अवगत कराएं। गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के पात्र परिवारों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड जारी न करने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

गरीबी रेखा को पार करते हुए परिवारों की गतिशीलता तथा जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की नियमित अन्तरालों पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश दिए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने के काम में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सक्रिय रूप से शामिल करें।

(च) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जुलाई, 2001 से 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न प्रदान किए जा रहे हैं। विशेष श्रेणी के राज्यों/पहाड़ी राज्यों/द्वीप समूहों जहां 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित समस्त आबादी को चीनी 700 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से वितरित की जाती है को छोड़कर गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को फरवरी, 2001 से 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से चीनी का वितरण किया जा रहा है।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का राज्य-वार अनुमान और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या जिनकी राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के रूप में पहचान की गई

(10.7.2001 तक)

क्र.सं.	राज्य	1.3.2000 की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या	राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या (लाख में)	निम्न तारीख के अनुसार सूचित
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	40.63	113.2 40.63 तक सीमित और शेष का वित्त पोषण राज्य संसाधनों से होगा।	जून 2000
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.99	1.20	जून 2000
3.	असम	18.36	19.06	30.1.2001
4.	बिहार	89.17	84.26	21.5.97
5.	गोवा	0.48	0.07	
6.	गुजरात	21.20	33.91	1.7.2000
7.	हरियाणा	7.89	5.93	28.2.2001
8.	हिमाचल प्रदेश	5.14	2.89	सित., 2000
9.	जम्मू एवं कश्मीर	7.36	4.96	19.2.99
10.	कर्नाटक	31.29	66.50 31.29 तक सीमित और शेष का वित्त पोषण राज्य संसाधनों से होगा।	सित., 2000
11.	केरल	15.54	20.58	31.3.2000

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	60.01	43.65	मार्च 2000
13.	महाराष्ट्र	65.34	77.00	2.3.2000
14.	मणिपुर	1.66	1.29	फरवरी 1999
15.	मेघालय	1.83	1.72	15.1.2001
16.	मिजोरम	0.68	0.90	31.3.2000
17.	नागालैंड	1.24	1.24	15.6.2001
18.	उड़ीसा	32.98	42.85	अगस्त, 2000
19.	पंजाब	4.68	4.90	1.4.2000
20.	राजस्थान	24.31	23.82	6.12.2000
21.	सिक्किम	0.43	0.48	4.4.97
22.	तमिलनाडु	48.63	65.51	31.8.2000
23.	त्रिपुरा	2.95	2.31	1.4.98
24.	उत्तर प्रदेश	111.77	95.48	1.7.98
25.	पश्चिम बंगाल	51.79	47.87	31.7.97
26.	अंडमान और निकोबार	0.28	0.17	23.5.97
27.	चंडीगढ़	0.23	0.23	12.2.2001
28.	दादर और नागर हवेली	0.18	0.16	सित., 2000
29.	दमन और दीव	0.04	0.04	25.6.97
30.	दिल्ली	4.09	4.11	25.1.2001
31.	लक्षद्वीप	ल.सा.वि.प्र. शुरू नहीं की गई		
32.	पांडिचेरी	0.84	0.90	28.2.2001

संगमरमर का आयात

865. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संगमरमर का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू संगमरमर उद्योग का संवर्धन करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) लागू एग्जिम नीति के अनुसार पॉलिश किए गए संगमरमर के ब्लॉकों/स्लैबों और टाइलों का आयात मुक्त है। अपरिष्कृत संगमरमर के ब्लॉकों/स्लैबों का आयात, जो 31.3.2001 तक एस आई एल सूची में था, इस समय वह प्रतिबंधित सूची

में है और उसका आयात इस संबंध में जारी किए जाने वाले आयात लाइसेंस पर ही किया जा सकता है। ये लाइसेंस एक्जिम सुविधा समिति (ई एफ सी), जो इस प्रयोजनार्थ बनायी गई एक अंतर-मंत्रालयी समिति है, द्वारा पात्र आवेदकों को जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) घरेलू संगमरमर उद्योग का विकास मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का विषय है। तथापि, खान मंत्रालय ने मुख्य रूप से संगमरमर खदानों की स्थिति का आकलन और समीक्षा करने तथा इस खनिज के शीघ्र विकास हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए संगमरमर विकास दल (जी एम डी) का गठन किया गया है जो ग्रेनाइट विकास परिषद् के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता है। यह दल इस क्षेत्र में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का आकलन भी करता है और प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा संगमरमर, संगमरमर उत्पादों में मूल्यवर्द्धन तथा निर्यातों को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ढांचा भी इस उद्योग के संवर्धन हेतु तैयार किया जाता है।

संगमरमर उद्योग को सामान्यत: लघु क्षेत्र को प्राप्त सभी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। सरकार ने संगमरमर लघु एककों को उस स्थिति में 12 प्रतिशत बैंक एंडिड पूंजी इमदाद भी प्रदान की है यदि ये एकक ऋण संबद्ध पूंजी इमदाद योजना के तहत प्रौद्योगिकी का उन्नयन करते हैं। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से सरकार द्वारा राजस्थान और गुजरात की राज्य सरकारों के साथ संगमरमर उद्योग सहित पत्थर उद्योग के विकास हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी तैयार किया गया है।

बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

866. **श्री तुफानी सरोज:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अनन्त नायक:
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
श्री मोहन रावले:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती रेनु कुमारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है;

(ख) सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में प्रत्येक बैंक ने कितनी धनराशि का भुगतान किया है;

(ग) वर्तमान में बैंक-वार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाने वाले कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के आवेदन लंबित हैं;

(घ) इनके लंबित होने के क्या कारण हैं और इन पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से कुछ बैंकों में कर्मचारियों की कमी होने के कारण उनका सुचारू कार्यकरण प्रभावित हुआ है जिसकी आम लोग शिकायत कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक के संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के पूरा होने पर प्रत्येक बैंक में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) प्रत्येक बैंक द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या और इनमें से लंबित आवेदनों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में है। प्रत्येक बैंक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत किया गया खर्च संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) शाखाओं का सुचारू कार्य पद्धति सुनिश्चित करने तथा ग्राहकों को असुविधा से बचाने के उद्देश्य से बैंक ने, जहां कहीं आवश्यक समझा, चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कुछ आवेदन मुख्यत: आवेदकों के विरुद्ध न्यायिक मामलों और अनुशासनिक कार्यवाहियों के कारण लंबित है। ऐसे मामलों में निर्णय न्यायालीय और अनुशासनिक कार्यवाहियों के नतीजों पर निर्भर करते है।

(ङ) और (च) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के लिए एक पूर्वापेक्षा यह थी कि शाखाओं का कार्य संचालन कर्मचारियों की कमी के कारण प्रतिकूलत: प्रभावित न हो। बैंकों ने प्रशासनिक टियरों का पुनर्गठन करके, अधिकारियों और कर्मचारियों का अधिशेष वाले स्थानों से कमी वाले स्थानों में अभिनियोजन करके, आंतरिक पदोन्नतियों, त्वरित कंप्यूटरीकरण द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पश्चात स्थिति में श्रमशक्ति को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।

(छ) बैंकों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अधिकतम अपेक्षाओं के आधार पर तथा अपने बोर्ड के अनुमोदन से श्रमशक्ति योजना तैयार करने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प दें।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वीआरएस के क्रियान्वयन की स्थिति

क्रम सं	बैंक का नाम	अधिकारियों/कर्मचारियों से वी आर एस हेतु प्राप्त आवेदन	
		प्राप्त	विचारार्थ/कार्यमुक्ति हेतु लंबित
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	1585	81
2.	आन्ध्रा बैंक	1797	1
3.	बैंक आफ बड़ौदा	6729	शून्य
4.	बैंक आफ इंडिया	7595	47
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	2643	शून्य
6.	केनरा बैंक	7860	शून्य
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	7790	328
8.	कार्पोरेशन बैंक	योजना लागू नहीं	
9.	देना बैंक	3534	10
10.	इंडियन बैंक	4005	शून्य
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	3992	शून्य
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	803	6
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2073	शून्य
14.	पंजाब नेशनल बैंक	6095	6
15.	सिंडिकेट बैंक	7167	19
16.	यूको बैंक	5526	शून्य
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	4303	83
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2546	274
19.	विजया बैंक	2582	100
20.	भारतीय स्टेट बैंक	30533	शून्य
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2044	शून्य
22.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2302	शून्य
23.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	818	शून्य
24.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1600	शून्य
25.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1196	26
26.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1073	शून्य
27.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	955	शून्य

आंकड़े अनन्तिम

विवरण-II

31.3.2001 तक सरकारी क्षेत्र के 26 बैंकों के संबंध में वीआरएस के अंतर्गत व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं	बैंक का नाम	31.3.2001 तक अनुग्रह राशि की लागत	वी आर एस के अधीन 31.3.2001 तक अन्य व्यय	31.3.2001 तक कुल वी आर एस लागत	(5) की राशि में से 31.3.2001 के अनुसार पी एण्ड एल खाते व्यय में प्रभारित	(5) की राशि में से 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार परिशोधित व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	इलाहाबाद बैंक	39	18	57	11	46
2.	आन्ध्रा बैंक	121	64	185	60	125
3.	बैंक आफ बड़ौदा	502	373	875	175	700

1	2	3	4	5	6	7
4.	बैंक आफ इंडिया	524	331	855	330	525
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	146	86	232	80	152
6.	केनरा बैंक	581	356	937	239	698
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	315	216	531	139	392
8.	देना बैंक	241	218	459	108	351
9.	इंडियन बैंक	223	172	395	96	299
10.	इंडियन ओवरसीज बैंक	154	50	204	52	152
11.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	51	38	89	26	63
12.	पंजाब एंड सिंध बैंक	146	131	277	55	222
13.	पंजाब नेशनल बैंक	408	319	727	271	456
14.	सिंडिकेट बैंक	189	194	383	91	292
15.	यूको बैंक	127	126	253	51	202
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	182	148	330	119	211
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	53	41	94	24	70
18.	विजया बैंक	185	85	270	60	210
19.	भारतीय स्टेट बैंक	1321	950	2271	853	1418
20.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	88	56	144	37	107
21.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	116	55	171	46	125
22.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	23	22	45	11	34
23.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	111	58	169	44	125
24.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	64	45	109	36	73
25.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	75	30	105	21	84
26.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	75	51	126	44	82
	कुल	6060	** 4233	** 10293	** 3079	7214

*वी आर एस के कारण छुट्टी नकदीकरण के अधीन व्यय को छोड़कर दर्शाई गई वी आर एस लागत।

**इस राशि में छुट्टी नकदीकरण पर लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

विश्व बैंक से ऋण

867. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को विश्व बैंक से चार श्रेणियों में ऋण मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इच्छा उक्त ऋणों का उपयोग किन योजनाओं में करने की है;

(घ) क्या विश्व बैंक द्वारा उक्त ऋणों का एक भाग चालू वित्त वर्ष के दौरान उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त ऋण का उपयोग किन-किन राज्यों में किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) जी, नहीं। विश्व बैंक (1) करेंसी पूल ऋण, (2) ''लिबोर'' आधारित एकल मुद्रा ऋण और (3) निर्धारित दर एकल मुद्रा ऋण नामक तीन श्रेणियों के तहत ऋण प्रदान कर रहा है। भारत ''लिबोर'' आधारित एकल मुद्रा ऋण श्रेणी के तहत (अमरीकी डालर में) ऋण प्राप्त कर रहा है। ये ऋण विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विकास सम्बन्धी परियोजनाओं हेतु प्रदान किए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष (2001-2002) के दौरान अभी तक 1474 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि सहित चार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। ये परियोजनाएं आर्थिक पुनर्संरचना, सड़क तथा विद्युत क्षेत्रों से संबंधित हैं। लाभ-भोगी राज्यों में राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य विभिन्न राज्य शामिल हैं।

खोपरा और नारियल का आयात

868. **श्री आर.एल. जालप्पा:**
श्री जी. पुट्टास्वामी:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में वर्ष-वार कितने खोपरा, खोपरे की गिरी, नारियल और उसके उत्पादों का आयात किया गया;

(ख) यह आयात किन-किन देशों से किया गया;

(ग) इन वस्तुओं का आयात करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इन उत्पादों के आयात से नारियल उत्पादकों पर विपरीत असर पड़ा है क्योंकि नारियल और खोपरा के दाम बहुत गिर गए हैं;

(ङ) क्या नारियल और उसके उत्पादों से संबंधित वर्तमान आयात-निर्यात नीति नारियल उत्पादकों के पक्ष में नहीं है;

(च) क्या खोपरा, नारियल और उसके उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की कोई मांग रखी गई है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) शुष्क (डेसीकेटेड) नारियल निर्यात एवं आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के एग्जिम कोड सं. 08011100 के अंतर्गत, ताजा नारियल, एग्जिम कोड 08011901 के अंतर्गत, सुखाए गए नारियल एग्जिम कोड सं. 08011902 के अंतर्गत, कोपरा एग्जिम कोड सं. 12030000 के अंतर्गत, कच्चा नारियल (कोपरा) तेल एग्जिम कोड सं. 15131100 के अंतर्गत और अन्य नारियल (कोपरा) तेल एग्जिम कोड सं. 15131900 के अंतर्गत वर्गीकृत है। इन मदों के आयात संबंधी आंकड़े इस उत्तर से संबद्ध विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आयात मुख्यत: इन देशों अर्थात् श्रीलंका, थाइलैंड, घाना, नेपाल, इंडोनेशिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और फिलिपिन्स से किया था।

(ग) से (छ) शुष्क, ताजे और सुखे नारियल का आयात मुक्त है जबकि कोपरा और नारियल (कोपरा) के तेल के आयात की अनुमति राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) और हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन (एच वी ओ सी) द्वारा संचालित राज्य व्यापार प्रणाली के तहत दी जाती है। अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के भय से इन मदों के आयात को सीमित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

जैसा कि देखा जा सकता है, मौजूदा आयातों के स्तर से घरेलू आयातकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तथापि, अभ्यावेदनों की अनुक्रिया में सरकार ने घरेलू उत्पादकों को संरक्षण देने के लिए इस वर्ष के बजट में नारियल और कोपरा पर आयात शुल्क 35% से बढ़ाकर 70% और नारियल तेल पर 45% से बढ़ाकर 75% कर दिया है।

विवरण

कोपरा, शुष्क (डेसिकेटेड) कोपरा और नारियल उत्पाद का आयात

मात्रा: मी. टन में

	1998-99	1999-2000	2000-2001 (फरवरी तक)
	मात्रा	मात्रा	मात्रा
नारियल शुष्क (08011100)	–	1	19
ताजा नारियल (08011901)	–	–	–
सूखा नारियल (08011902)	–	18	40
कोपरा (12030000)	–	–	–
नारियल (कोपरा) कच्चा तेल और खली (15131100)	–	184	18
नारियल (कोपरा) शुद्ध तेल और खली (15131900)	1373	3754	5539

शून्य

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व

869. श्री मोहन रावले:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों ने राजस्व अर्जित करने के लिए क्या लक्ष्य रखा और वास्तव में इन्होंने कितना राजस्व प्राप्त किया;

(ख) क्या 1999-2000 की तुलना में कुछ बड़े केन्द्रों के राजस्व में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इनके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन केन्द्रों की आय में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) 2000-2001 के दौरान आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों के निर्धारित लक्ष्य और अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ग) हालांकि दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व 1999-2000 के 597.19 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000-2001 में 637.51 करोड़ रुपये हो गया है, इसी अवधि के दौरान आकाशवाणी का अर्जित राजस्व 80.84 करोड़ रुपये से घटकर 73.90 करोड़ रुपये हो गया है। प्रसार भारती से सूचित किया है कि आकाशवाणी के राजस्व में कमी/घटी का कारण मुख्य रूप से टी वी चैनलों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्होंने सार्वजनिक प्रसारक मानदण्डों के अंतर्गत अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों तथा प्रायोजक निकायों के प्रति सक्रिय एवं बाजार के अनुकूल नीति अपनाना, वाणिज्यिक मामलों में क्षेत्रीय केन्द्रों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करना, कार्यक्रमों का प्रभावी विपणन सुनिश्चित कराने के लिए मुम्बई में एक अपनी विपणन विंग स्थापित करना आदि शामिल है।

विवरण-I

आकाशवाणी के राजस्व आंकड़ों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	2000-2001 के लिए राजस्व		1999-2000 के दौरान अर्जित राजस्व
		निर्धारित लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	1.40	0.95	2.60
2.	बंगलौर	3.00	1.61	2.69
3.	भोपाल	2.50	1.92	2.49
4.	चण्डीगढ़	1.20	0.76	0.35

1	2	3	4	5
5.	चेन्नै	6.50	4.95	8.11
6.	कटक	0.75	0.42	0.77
7.	दिल्ली	8.75	10.72	13.84
8.	हैदराबाद	5.50	1.97	5.98
9.	जयपुर	1.50	0.98	1.62
10.	कोलकाता	3.30	3.71	5.13
11.	कानपुर	4.50	3.17	5.20
12.	मुम्बई	7.00	7.36	10.45
13.	पटना	2.30	1.64	1.95
14.	श्रीनगर	0.40	0.33	0.35
15.	त्रिवेन्द्रम	5.00	3.69	4.68
16.	केन्द्रीय बिक्री एकक	55.24	29.72	14.03
	कुल	108.84	73.90	80.84

विवरण-II

दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	2000-2001 के लिए राजस्व		1999-2000 के दौरान अर्जित राजस्व
		निर्धारित लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय बिक्रय (राष्ट्रीय नेटवर्क, डी डी-2/ मैट्रो, डी डी-स्पोर्ट्स डीडी-इन्टरनेशनल)	346.00	519.59	454.82
2.	दिल्ली	15.00	6.72	8.11
3.	अहमदाबाद	10.00	3.80	2.89
4.	बैंगलूर	40.00	8.43	16.76
5.	भोपाल, रायपुर	4.00	1.70	1.49
6.	भुवनेश्वर	2.10	2.73	1.83
7.	कोलकाता	40.00	29.92	25.84
8.	गुवाहाटी	2.00	1.58	1.07
9.	हैदराबाद	25.00	12.87	19.44
10.	जयपुर	3.00	1.93	1.70
11.	जालंधर	7.00	4.73	4.30

1	2	3	4	5
12.	लखनऊ, गोरखपुर	6.00	3.40	4.29
13.	मुम्बई, नागपुर	50.00	14.35	14.76
14.	पटना, मुजफ्फरपुर	0.00	1.84	0.86
15.	चेन्नै	50.00	7.20	18.52
16.	तिरूअनंतपुरम	25.00	16.24	20.17
17.	श्रीनगर जम्मू	0.00	0.43	0.33
18.	गोवा	0.00	0.03	0.01
19.	पांडिचेरी	0.00	0.02	—
	कुल	625.10	637.51	597.19

[हिन्दी]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निवेश योजनाएं

870. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने निवेश को आकर्षित करने हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं;

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत छोटे निवेशको से निवेश के रूप में कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(घ) अभी तक इन योजनाओं में सरकार ने कितना निवेश किया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने प्रतिवर्ष अपने निवेशकों को कितने लाभांश का भुगतान किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। फिलहाल, भारतीय यूनिट ट्रस्ट 87 स्कीमें चला रहा है जिनमें से 28 असीमित अवधि वाली हैं, अर्थात वर्ष पर्यन्त बिक्री और पुनर्खरीद के लिए खुली हैं।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत व्यष्टि निवेशकों से लगभग 6500 करोड़ रुपए जुटाए हैं।

(घ) विशेष यूनिट स्कीम 99 (एसयूएस-99) जून, 1999 में शुरू की गई थी जिसमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पक्ष में भारत सरकार की प्रतिभूतियों के निर्गमन के एवज में भारत सरकार ने स्कीम की 3300 करोड़ रुपए की समग्र पूंजी का अभिदान किया था। यूएस-64 की समतुल्य राशि की पीएसयू धारिता बही मूल्य पर स्कीम में अंतरित की गई थी।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निर्यात में राज्यों की भूमिका

871. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार निर्यात में भागीदारी करने के लिए "राज्यों", को स्थान देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार निर्यात के राज्य-वार आंकड़े संकलित करने पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (च) निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार की एक नई योजना चालू वर्ष 2001-2002 से क्रियान्वित की जानी है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उनके निर्यात निष्पादन तथा उनके निर्यातों में वार्षिक वृद्धि के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। चालू वर्ष में, इस योजना के लिए 97 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध किया गया है। इस योजना के दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। यह प्रस्ताव है कि राज्यों के लिए निर्दिष्ट कुल परिव्यय के 50% का आबंटन उनके कुल निर्यातों के आधार पर तथा शेष 50% का आबंटन उनके निर्यातों में हुई वार्षिक वृद्धि के आधार पर किया जाएगा। निर्यातित माल के उद्गम वाले राज्य के संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए नौवहन बिल के प्रपत्र को 1.4.2001 से संशोधित किया गया है।

मंत्रालयों के पास पड़ी अप्रयुक्त धनराशि

872. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालयों के पास पड़ी अप्रयुक्त धनराशि 50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक रुपयों की है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालयों के ब्यौरे सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अप्रयुक्त धनराशि को कम करने के लिए संबंधित मंत्रालयों को कोई निदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के अनन्तिम लेखों के अनुसार, आवंटित आयोजना निधियों का 97% प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा खर्च किया गया था। अप्रयुक्त आवंटन वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त हो गए थे। चालू वर्ष में, 31 मई, 2001 तक, आयोजना आवंटनों का 11 प्रतिशत खर्च किया गया था।

(ग) आवंटित राशियों के उपयोग का संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अनुवीक्षण किया जाता है। तथापि, सामान्य वित्तीय नियमों में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय का कोई आधिक्य नहीं होना चाहिए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों का कम उठान

873. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री जी.एम. बनातवाला:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों को आवंटित किए गए खाद्यान्नों के कम उठान के क्या कारण हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है या उठाए जा रहे हैं कि राज्य आवंटित की गई पूरी मात्रा उठाएं और इस व्यवस्था का पूरा लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पूरी तरह पहुंचे; और

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले और अन्त्योदय अन्न योजना पर राज्यों द्वारा कम उठान से पड़ने वाले प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों का उठान अन्य घटकों के साथ-साथ खुले बाजार मूल्यों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा मूल्यों के बीच के अंतर पर निर्भर करता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वितरित करने के प्रयोजनार्थ खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य ऐसे स्तर पर रखे गए हैं, जो बाजार मूल्यों से कम हैं, ताकि अधिक उठान सुनिश्चित हो सके। 1999-2000 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए उठान उनके आवंटन का लगभग 80 प्रतिशत हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अधीन 2000-2001 के दौरान खाद्यान्नों का उठान आवंटन का लगभग 66.3 प्रतिशत हुआ है।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन 1.4.2000 से आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत पर 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया था। उसके बाद गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अधीन वर्ष 2000-2001 में 5874.682 टन चावल और 3645.828 टन गेहूं का उठान हुआ था, जबकि 1999-2000 के दौरान 3976.380 टन चावल और 3018.309 टन गेहूं का उठान हुआ था। यद्यपि 2000-2001 के दौरान उठान में हुई वृद्धि इस वर्ष के दौरान आवंटनों को दुगुना करने के आनुपातिक नहीं थी। तथापि, 1999-2000 की तुलना में 2000-2001 के दौरान इस श्रेणी के अधीन उठान में वृद्धि हुई है। गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अधीन उठान को इतना कम नहीं समझा जाना चाहिए।

अंत्योदय अन्न योजना उन निर्धनतम परिवारों के लिए शुरू की गई थी, जो गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर भी वर्ष भर खाद्यान्न खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। उन्हें मार्च, 2001 से 2/- रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3/- रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दर पर 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। 2001-2002 की प्रथम तिमाही के दौरान उठान के अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि इस योजना के अधीन किए गए आवंटनों का लगभग 96 प्रतिशत चावल और लगभग 73 प्रतिशत गेहूं का उठान हुआ है।

1.4.2000 से केन्द्रीय निर्गम मूल्य को बढ़ाने और राजसहायता को वापस ले लेने के बाद गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन खाद्यान्नों के उठान में गिरावट आई है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के संबंध में खाद्यान्नों का कम उठान होने की दृष्टि में, सरकार ने निर्णय लिया है कि 12.7.2001 से गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन आर्थिक लागत के 70 प्रतिशत की दर पर किया जाए और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आवंटन को 20 किलोग्राम से बढ़ाकर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया जाए।

[हिन्दी]

फिल्म के विरुद्ध प्रदर्शन

874. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री जी.एम. बनातवाला:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रदर्शित फिल्म गदर के विरुद्ध कुछ प्रदर्शन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विरोधकर्ताओं की मुख्य मांगें क्या क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) अभी हाल ही में रिलीज हिन्दी फिल्म ''गदर-एक प्रेम कथा'' के कुछ दृश्यों तथा संवादों के विरुद्ध देश के कुछ भागों में विरोध प्रदर्शन की कुछ घटनाओं के बारे में समाचारपत्रों में खबरें छपी हैं।

(ग) कानून एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना राज्य का विषय है और इसलिए हिंसा की घटनाओं से निपटना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

इराक को गेहूं का निर्यात

875. **श्री कमल नाथ:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय गेहूं के दो जहाज, जिन्हें इराक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, उसे बाद में दुबई में अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण दिया गया और उस गेहूं को वहां बेचा गया;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या गेहूं के जहाजों को अस्वीकार करने के पीछे कारणों का पता लगाने के लिए भारत का उच्चस्तरीय शिष्टमंडल इराकी अधिकारियों से मिला था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या इराकी प्राधिकारियों द्वारा बाद में भेजे गये गेहूं के जहाजों को स्वीकार कर लिया गया; और

(च) यदि हां, तो अब तक कुल कितना गेहूं भेजा गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) इराक को

भेजे गए शिष्टमंडल की रिपोर्ट के अनुसार (17-22 मई, 2001) इराक द्वारा अस्वीकृत भारतीय गेहूं की प्रथम दो खेपें (कुल 0.23 लाख टन) निर्यातक मैसर्स विशाल एक्सपोर्ट्स द्वारा नैशनल फ्लोर मिल्स कंपनी, दुबई को बेचे जाने की सूचना है।

(ग) और (घ) मौके पर आकलन करने के लिए सरकारी शिष्टमंडल ने 17 से 22 मई, 2001 तक इराक का दौरा किया था और विभिन्न स्तरों पर इराकी प्राधिकारियों के साथ बातचीत की थी। शिष्टमंडल ने सूचित किया है कि इराक ऐसा गेहूं चाहता है जो रेत, मिलिका, धूल और डामर तथा जीवित कीटों जैसे अकार्बनिक तत्वों से पूर्णतया मुक्त हो। अन्तर्राष्ट्रीय कोडैक्स मानकों के अनुसार अनाज में 2 प्रतिशत तक विजातीय तत्व अनुभेय हैं जिनमें से 1.5 प्रतिशत चोकर, खरपतवार के बीज, अन्य खाद्य तथा अखाद्य अनाज आदि जैसे कार्बनिक तत्व और शेष (0.5 प्रतिशत) पत्थर, धूल आदि जैसे अकार्बनिक विजातीय तत्व शामिल होते हैं। इराकी संविदा में विहित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों में दो प्रतिशत तक विजातीय तत्व की मौजूदगी की व्यवस्था है। ग्रेन बोर्ड ऑफ इराक द्वारा सहमत निरीक्षण ऐजेंसी ने लदान से पूर्व खेपों का निरीक्षण किया था और गेहूं की खेपों को मानव उपभोग के उपयुक्त तथा इराकी आदेश की गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप घोषित किया था। तथापि, इराकी पत्तनों पर खेपों के पहुंचने पर ग्रेन बोर्ड ऑफ इराक उनमें "शून्य" अकार्बनिक विजातीय तत्व के आग्रह पर अड़ गया। इराक का दौरा करने वाले भारतीय शिष्टमंडल को इराकी प्राधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि उनकी परिभाषा के अनुसार वे रेत कणों की गणना विजातीय तत्व के अधीन नहीं करते है। दूसरे शब्दों में इस श्रेणी के अधीन केवल कार्बनिक विजातीय तत्व (जैसे कि चोकर, कणिकाएं, खरपतवार के बीज और अन्य खाद्य और अखाद्य अनाज) लिए जाते हैं। निर्यातकों को इस शर्त की जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह मान लिया कि जैसाकि कोडैक्स मानकों में उल्लेख है 2% विजातीय तत्व में 0.5% तक अकार्बनिक तत्व शामिल होंगे। शिष्टमंडल को यह भी सूचित किया गया कि इराकी फ्लोर मिलों में अकार्बनिक तत्वों को अलग करने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उनके यहां ऐसी मशीनों के रखरखाव के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कल पूर्जों की समस्या है। शिष्टमंडल को बताया गया है कि तद्नुसार इराकी प्राधिकारियों ने निर्णय लिया है कि गेहू के ऐसे किसी भी स्टाक को अस्वीकार कर दिया जाए जिसमें रेत, पत्थर आदि जैसे अकार्बनिक तत्व पाए जाएं। शिष्टमंडल को यह भी सूचित किया गया था कि अन्य विभिन्न देशों से आए गेहूं को भी इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था।

(ङ) और (च) जी, नहीं। इराक ने भारत से तीन निर्यातकों द्वारा भेजी गई खेपों को अस्वीकार कर दिया है।

राजकोषीय स्थिति

876. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्थायी राजकोषीय स्थिति को बनाए रखने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे में लगातार हो रही वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को और तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) विभिन्न कारणों जैसे ब्याज अदायगियों, जो केन्द्र के कर राजस्व का 69 प्रतिशत से अधिक है, सब्सिडी में अवहनीय स्तरों तक वृद्धि और बढ़ती हुई पेंशन देयताओं के कारण अपर्याप्त राजकोषीय समायोजन पिछले दशक से एक सर्वाधिक दुसाध्य समस्या बन गया है। राजकोषीय मजबूती प्राप्त करने के लिए वर्ष 2001-2002 के बजट में व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए केन्द्रीय सरकार के व्यय के संगठन में संरचनात्मक परिवर्तन लाने, व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए आयोजना-भिन्न व्यय राजस्व में किफायत के द्वारा व्यय प्रबंध पर जोर दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजट में अनेक उपाय शामिल किए गए हैं; जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्टाफ की नई भर्ती को कुल सिविल स्टाफ संख्या के 1 प्रतिशत तक सीमित रखना, सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए इन सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभार लगाना आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त, ब्याज के भार को कम करने की दृष्टि से अधिकतर प्रशासित ब्याज दरों को 1 मार्च, 2001 से 1.5 प्रतिशत कम कर दिया गया। इसके अलावा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000 दिसम्बर, 2000 में संसद में प्रस्तुत किया गया। इस बिल में ऋण, घाटे और उधारों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

बागान कंपनियां

877. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन तथाकथित बागान कंपनियों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं जिन्होंने छोटे निवेशकों का पैसा हड़प लिया है;

(ख) इन कंपनियों में निवेशकों द्वारा कंपनीवार कितनी धनराशि निवेश की गई और कितनी कंपनियां गायब हो गई हैं और उनके द्वारा कंपनीवार कितनी धनराशि हड़प ली गई;

(ग) क्या सरकार का यह कहना है कि बागान कंपनियों में कुल निवेश पच्चीस हजार करोड़ रुपए जबकि सेबी ने यह निवेश केवल 2689 करोड़ रुपए बताया हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) सामूहिक निवेश स्कीमों वाली 13 कंपनियों, जिनके विरुद्ध 500 या इससे अधिक शिकायतें लंबित हैं, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन कंपनियों द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को पहले दी गई सूचना के अनुसार इन कंपनियों ने निवेशकों से 1517.75 करोड़ रुपए की राशि जुटाई थी।

(ख) सेबी ने सूचित किया है कि इन कंपनियों द्वारा प्राप्त धनराशि के संबंध में आंकड़े इस समय सहज उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) सेबी ने अपनी दिनांक 26 नवम्बर, 1997 की प्रेस विज्ञप्ति और दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 की अपनी सार्वजनिक सूचना में विद्यमान स्कीमों को निर्देश दिए थे कि वे अपनी स्कीमों के ब्यौरे इसके पास दर्ज करवाएं। सेबी को 660 कंपनियों से सूचना प्राप्त हुई है जिन्होंने 2689.86 करोड़ रुपए जुटाए जाने की सूचना दी है।

विवरण

सीआईएस कंपनियों की सूची जिनके विरुद्ध 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार 500 या अधिक निवेश शिकायतें लंबित हैं

क्रम संख्या	सीआईएस कंपनी का नाम
1	2
1.	स्वर्ण भूमि फारेस्ट (इंडिया) लिमिटेड
2.	गोल्डन फारेस्ट इंडिया लिमिटेड
3.	कुबेर प्लांटर्स लिमिटेड
4.	नीलगिरि फारेस्ट लिमिटेड
5.	ओकारा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
6.	एनबी प्लांटेशन्स लिमिटेड
7.	स्टर्लिंग ट्री मैगनम इंडियन लिमिटेड
8.	ग्रोग्रीन फारेस्ट (इंडिया) लिमिटेड
9.	वर्सेटाईल प्लांटेशन्स लिमिटेड
10.	किसली प्लांटेशन्स लिमिटेड
11.	पेरूटेक सर्विसेज लिमिटेड
12.	यूनाइटेड अग्रोग्रोथ एंड रिसार्टस लिमिटेड
13.	निसाग्रा फारेस्टस (आई) लिमिटेड

[अनुवाद]

राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान

878. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के बारे में 20.4.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5030 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की परिसम्पत्तियों के अन्तरण और राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान में पहले से कार्यरत कर्मचारियों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में स्थानांतरण के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं और अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिसम्पत्तियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर का अन्तरण करने संबंधी मामला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ उठाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ की लोकेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के लिए इसकी उपयोगिता की व्यवहार्यता का आकलन कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अपना निर्णय बता दिए जाने के पश्चात् सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन

879. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली चिकित्सा परिषद् ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन के बारे में केन्द्र सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परिषद् के सुझावों को किस सीमा तक उक्त संशोधन में शामिल किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सुपर बाजारों की स्थापना

880. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में सुपर बाजार स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश में इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि वर्ष 2000-2001 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 19.34 लाख रुपये की सहायता भोपाल के एक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी स्टोर को सुपर बाजार की स्थापना करने के लिए प्रदान की गई है। वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में कोई सहायता प्रदान नहीं की गई।

(ग) और (घ) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) ने 12.7.2001 को सभी राज्य सरकारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जा रहे गेहूं तथा चावल के संशोधित केन्द्रीय निर्गम मूल्य जारी किए है।

प्रिंट मीडिया नीति

881. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की प्रिंट मीडिया नीति 13 सितम्बर, 1955 को मंत्रिमण्डल द्वारा पारित संकल्प के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो इस समय विद्यमान प्रिंट मीडिया नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रिमण्डल द्वारा 1955 में पारित संकल्प के बाद प्रिंट मीडिया नीति में कोई परिवर्तन किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) इन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) इस बारे में सरकार द्वारा 1955 के मंत्रिमण्डल निर्णय का पालन किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी स्वामित्व वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं और मुख्य रूप से समाचारों एवं सामयिक मामलों वाले विदेशी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन को निषेध किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ऋण बट्टे खाते में डालना

882. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋण की चुकौती बट्टे खाते में डालने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनके ऋण की चुकौती पिछले तीन वर्षों के दौरान बट्टे खाते में डाल दी गई है और प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) पूंजी पुनर्गठन के नवीकरण पैकेज के भाग के रूप में सरकार सामान्यत: ऋण की मूल राशि को इक्विटी में बदलने, ऋण तथा ब्याज का भुगतान स्थगित करने, ब्याज तथा दण्डात्मक ब्याज माफ करने इत्यादि पर विचार करती है। सामान्त:, ऋण की मूल राशि की वापसी माफ करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग कार्यक्रमों के मामले में ऐसी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की गति का धीमा होना

883. **श्री सनत कुमार मंडल:**
श्री हन्नान मोल्लाह:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की गति इस समय धीमी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की धीमी गति पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के समग्र विकास की संभावित प्रवृत्तियां पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2001) के सं.घ.उ.के त्रैमासिक आंकड़े सितम्बर अंत, 2001 तक जारी होने पर ही उपलब्ध होंगी। अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों की गहन मानीटरिंग की जाती है और निरंतर समीक्षा की जाती है तथा उभरती हुई प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए जब भी जरूरी हो, समुचित निर्णय लिए जाते हैं। उच्चतर वृद्धि को बढ़ावा देने और उसे प्राप्त करने के उपायों में अन्यों के साथ-साथ कृषि सुधारों में तेजी लाना, बुनियादी ढांचे के लिए निवेश बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों में सुधार को जारी रखना और संरचनात्मक सुधारों को गहन करना, बेहतर शैक्षणिक अवसरों और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के जरिए मानव विकास, सहकारी व्यय कम करने में गुणात्मक सुधार, निजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना और सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन आदि शामिल है। बजट में घोषित नीतिगत प्रयासों का चालू वर्ष के दौरान वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

रबड़ और कॉयर को कृषि उत्पादों के रूप में घोषित किया जाना

884. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार प्राकृतिक रबड़ और कॉयर को औद्योगिक उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से रबड़ और कॉयर को कृषि उत्पाद घोषित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने पहले ही कृषि संबंधी करार में उत्पाद कवरेज को युक्तिसंगत बनाने के लिए रबड़ तथा कॉयर को शामिल करने के लिए डब्ल्यू टी ओ के पास अपने वार्ताकारी प्रस्ताव दायर कर दिए हैं।

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की निधियों का बहिर्गमन

885. **श्री रघुनाथ झा:**
श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की निधियों का बहिर्गमन पूर्ण रूप से अन्तर्वाह से अधिक हो गया है जिससे पूंजी घट रही है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 2001 से अन्तर्वाह के मुकाबले कितनी निवल निधि का बहिर्गमन हुआ;

(ग) क्या इसके कारणों का पता लगाने और कुछ समय पहले इक्विटी बाजार के लुढ़कने के प्रभाव के संदर्भ में इसकी विभिन्न योजनाओं का कोई विश्लेषण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति को बदलने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गोदामों के निर्माण हेतु ऋण

886. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु धनराशि प्रदान करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के तहत अब तक प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन जिलों का राज्य वार ब्यौरा क्या है जहां इस योजना के तहत इन गोदामों का निर्माण किया गया है अथवा निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वह चुनींदा आधार पर देश में राज्य भांडागारण निगम द्वारा गोदामों के निर्माण को वित्तपोषित करने के लिए बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं देता है, फलों और सब्जियों के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त, नाबार्ड पूर्वोत्तर क्षेत्र में न्यूनतम 50 लाख रुपए (33%) या अधिकतम 60 लाख रुपए के अध्यधीन परियोजना लागत के 25% तक आर्थिक सहायता देकर शीतागारों (कोल्ड स्टोर) और बागवानी उत्पाद के लिए भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश आर्थिक सहायता योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत, अंतिम ऋणकर्त्ताओं को मूल आधार दर की रियायती ब्याज दर तथा उसमें 1 प्रतिशत जोड़कर वित्त प्रदान किया जाता है और बैंकों को वित्तपोषित करने के लिए 8.5 प्रतिशत वार्षिक की एक समान दर पर पुनर्वित्त दिया जाता है। नाबार्ड सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देकर गैर-सरकारी पार्टियों, निगमों, आदि द्वारा गोदामों के निर्माण की योजना भी बना रहा है। तथापि, इस योजना की जांच की जा रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों को सरकारी योजना में शामिल भंडारों एवं बाजार स्थानों और साथ ही शीतागारों के लिए नाबार्ड द्वारा दिए गये पुनर्वित्त के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गये हैं। सरकारी योजना के तहत शीतागार की मंजूरी और उस पर पुनर्वित्त एवं आर्थिक सहायता के संवितरण के ब्यौरे विवरण-II पर दिए गए हैं।

(घ) शीतागार की अवस्थिति के ब्यौरे विवरण-III पर दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान सभी एजेंसियों को भंडारों एवं बाजार स्थानों के लिए नाबार्ड द्वारा दिए गए पुनर्वित्त के राज्य-वार ब्यौरे

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	21	14	1516
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	0	0	90

1	2	3	4	5
5.	बिहार	20	0	333
6.	चंडीगढ़	0	0	0
7.	दादर एवं नागर हवेली	0	0	0
8.	गोवा	1	0	0
9.	गुजरात	635	527	1366
10.	हरियाणा	0	0	798
11.	हिमाचल प्रदेश	45	68	347
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
13.	कर्नाटक	0	59	582
14.	केरल	0	0	0
15.	लक्षद्वीप	0	0	0
16.	मध्य प्रदेश	0	109	456
17.	महाराष्ट्र	57	76	300
18.	मणिपुर	0	0	0
19.	मेघालय	0	0	0
20.	मिजोरम	0	0	0
21.	नागालैंड	0	0	0
22.	रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली	0	0	0
23.	उड़ीसा	0	0	127
24.	पांडिचेरी	0	0	0
25.	पंजाब	44	0	814
26.	राजस्थान	583	427	1045
27.	सिक्किम	0	0	0
28.	तमिलनाडु	1	543	674
29.	त्रिपुरा	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	0	0	1084
31.	पश्चिम बंगाल	239	206	610
	कुल	1645	1540	10141

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकारी योजना के तहत शीतागारों की मंजूरी के राज्य-वार ब्यौरे और नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त एवं आर्थिक सहायता के संवितरण को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य	योजनाओं की संख्या	क्षमता (टन में)	प्रदान की गई सहायता	संवितरित किया गया पुनर्वित्त
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	91480	245.752	1117.058
2.	असम	1	5000	22.910	0.000
3.	गुजरात	24	64963	225.235	1055.542
4.	हरियाणा	6	22583	104.105	480.078
5.	कर्नाटक	7	25900	234.924	523.363
6.	मध्य प्रदेश	22	122131	173.881	458.890
7.	महाराष्ट्र	9	43207	64.155	236.520
8.	उड़ीसा	1	5000	0.000	0.000
9.	पंजाब	24	78185	127.276	1132.578
10.	राजस्थान	20	92815	246.672	914.224
11.	तमिलनाडु	12	37700	12.765	583.315
12.	उत्तर प्रदेश	86	611632.66	757.398	622.217
	कुल	227	1200596.66	2215.073	7123.785

विवरण-III

शीतागारों की अवस्थिति के राज्य-वार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	जिले	शीतागारों की सं.
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	गंटुर, हैदराबाद, निजामाबाद वारंगल, विजयवाड़ा, श्रीकाकूलम, कर्नूल, महबूबनगर, रंगा रेड्डी, चितुर, पूर्वी गोदावरी, अनंतपुर और विशाखापट्टनम	21
2.	असम	कचर	1
3.	बिहार	गया	2

1	2	3	4
4.	गुजरात	कच्छ, रनकपुर, राजकोट, पटान, नवसरी, नरोदा, मेहसाणा, जूनागढ़, बनांसकांठा, अहमदाबाद, आनन्द, बड़ौदा, गांधीनगर, दीसा	32
5.	हरियाणा	सोनीपत, अम्बाला, रोहतक, कुरूक्षेत्र	12
6.	कर्नाटक	हुबली, बीजापुर, बेल्लारी	8
7.	मध्य प्रदेश	इंदौर, शहजापुर, रायपुर, मुरैना, जगदलपुर, ग्वालियर, घमतारी, भोपाल, दुर्ग, देवास, दांतेवारा	29
8.	महाराष्ट्र	गोंदिया, पूणे, नागपुर, औरंगाबाद, अहमदनगर	9
9.	उड़ीसा	पीतापल्ली, मयूरभंज, खुरा	4
10.	पंजाब	संगरूर, राजपुरा, पटियाला, मनसा, लुधियाना, कपूरथला, जालंधर, फरीदकोट, भंटिडा, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब	24
11.	राजस्थान	जयपुर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, बारमेड़	25
12.	तमिलनाडु	मदुरै, विरूदनगर, तिरूवेल्लूर, सेलम, मेट्टुपालयम, कृष्णनगिरी, धर्मपुरी, कोयमबत्तूर, चैन्नई	15
13.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर, कन्नौज, लखनपुर, कानपुर, गोंडा, जौनपुर, हाथरस, लखनऊ, हरदोई, मथुरा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, उधम सिंह, शिकोहाबाद, रायबरेली, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, फर्रूखाबाद, बदायूं, बलिया, बहराइच, बस्ती, अम्बेडकर नगर, इलाहाबाद, आगरा, बाराबंकी, बाजपुर, फैजाबाद, फतेहाबाद, इटावा, एटा, बुलन्दशहर, उन्नाव	110
		कुल	292

खाद्य तेल का अवैध आयात

887. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खाद्य तेल व्यापारियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कम मूल्य वाले बीजक इत्यादि पर नियंत्रण करने के लिए यथा मूल्य शुल्क की बजाए विशिष्ट शुल्क लगाया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा शुल्क के भुगतान के बिना देश में बड़ी मात्रा में खाद्य तेल का आयात हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रकार के आयात को किस ढंग से रोकने का है; और

(ङ) खाद्य तेल और अवैध प्रवेश पर नियंत्रण करने हेतु इस संबंध में क्या कदम प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को भारतीय वनस्पति विनिर्माता संघ से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें खाद्य तेलों पर मूल्यानुसार शुल्क लगाने के बजाए मात्रानुसार शुल्क लगाने का सुझाव दिया गया है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान, सीमा शुल्क कार्यालयों ने खाद्य तेलों के अवैध आयातों के पांच मामलों का पता लगाया और 2.59 लाख रुपये मूल्य के 7,129 किलोग्राम खाद्य तेलों का अभिग्रहण किया।

(घ) और (ङ) राजस्व आसूचना महानिदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय खाद्य तेलों सहित निषिद्ध

वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सजग एवं चौकस हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

888. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेखा महानियंत्रक की अध्यक्षता में पेंशन दायित्व संबंधी कार्यकारी दल ने 25 जून, 2001 को अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंप दी है जिसमें इस दल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए निधिबद्ध पेंशन योजना आरंभ करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, हां। महालेखानियंत्रक की अध्यक्षता वाले ''भारत सरकार की पेंशन देयताओं के आकलन'' संबंधी कार्यदल ने दि. 25 जून, 2001 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कार्यदल ने, अन्य बातों के साथ-साथ नए सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की एक निधिपोषित प्रणाली तथा मौजूदा कर्मचारियों को एक निधिपोषित प्रणाली की तरफ उन्मुख करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहनों के तंत्र की अनुशंसा की थी।

वर्ष 2001-2002 के लिए बजट में की गई सरकार की घोषणा कि सिविल सेवा पेंशन प्रणाली को परिभाषित अंशदानों पर आधारित एक नए पेंशन कार्यक्रम द्वारा बदला जाएगा, के अनुसार पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ऐसे बदलाव के लिए खाका तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ दल गठित किया है।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु नियम

889. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि ऐसे नियम उचित रूप से लागू नहीं किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के निबंधन और शर्तों सहित विस्तृत दिशानिर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर विधिवत अधिसूचित किए जाते हैं। इन अधिसूचनाओं के आधार पर एफ.डी.आई. नीति और प्रक्रियाएं निवेशकों की सुविधा के लिए एक मैनुअल के रूप में भी प्रकाशित की जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (एफ.ई.एम.ए.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को शासित करने वाले नियम और विनियम तैयार एवं अधिसूचित किए हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था के उत्तरोत्तर उदारीकरण के भाग के रूप में अधिकांश कार्यकलापों को स्वत: मार्ग पर रख दिया गया है, जिसके अधीन निवेशकर्त्ता कंपनी को निधियां प्राप्त होने और शेयरों के भी निर्गम के 30 दिन के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को केवल अधिसूचना देनी होती है। स्वत: मार्ग को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी निवेशकों की स्वयं की घोषणा के आधार पर एफ.ई.एम.ए. के उपबंधों के अधीन प्रदान की गयी सामान्य अनुमति के द्वारा सहायता दी जाती है। किसी भारतीय कंपनी में विद्यमान शेयरों का अंतरण करने संबंधी प्रस्तावों तथा औद्योगिक लाइसेंसीकरण, इक्विटी की सीमा सहित क्षेत्र विशिष्ट के दिशानिर्देशों, उसी/संबद्ध क्षेत्र में विविध उद्यमों से संबंधित प्रस्तावों के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) ऐसे प्रस्तावों पर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों तथा सिद्धांतों के आधार पर विचार करता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई करने के लिए एक निगरानी तंत्र कार्यरत है।

[अनुवाद]

विदेशी बैंक

890. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितने विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) गुजरात में इन बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले वर्ष के दौरान गुजरात में इन बैंकों का वार्षिक कारोबार कितना रहा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं के नाम विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार गुजरात में विदेश बैंकों की शाखाओं के ब्यौरे तथा उनकी जमाराशियां और अग्रिम विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के नाम

क्रम सं.	विदेशी बैंक का नाम
1	2
1.	एबीएन आमरो बैंक
2.	आबू धाबी कामर्शियल बैंक
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक
4.	अरब बांग्लादेश बैंक
5.	बैंक इन्टरनेशनल इंडोनेशिया
6.	बैंक मस्कट सौग
7.	बैंक आफ अमेरिका
8.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत
9.	बैंक आफ सीलोन
10.	बैंक आफ नोवा स्कोतिया
11.	बैंक आफ टोकिया मित्सुबीसी
12.	बारक्लेस बैंक
13.	बीएनपी परिबास
14.	चैस मेनहटन बैंक
15.	चाईना ट्रस्ट कामर्शियल बैंक
16.	चौ हुंग बैंक
17.	सिटी बैंक
18.	कामर्स बैंक
19.	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोस्यूज
20.	क्रेडिट लियोनेस
21.	डच बैंक
22.	डेवलपमेंट बैंक आफ सिंगापुर
23.	ड्रसडनर बैंक
24.	फुजी बैंक
25.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन
26.	आइएनजी बैंक
27.	केबीसी बैंक
28.	करंग थाई बैंक
29.	मशर्क बैंक
30.	मार्गन गारंटी ट्रस्ट कं. आफ न्यूयार्क
31.	ओमान इंटरनेशनल बैंक
32.	ओवरसी-चाईनीच बैंकिंग कार्पोरेशन
33.	सानवा बैंक
34.	सैम कमर्शियल बैंक
35.	सोसियेट जनरल
36.	सोनाली बैंक
37.	स्टंर्डड चार्टर्ड बैंक
38.	स्टंर्डड ग्रिंडलेज बैंक
39.	स्टेट बैंक आफ मारिसस
40.	समिटोमो बैंक लि.
41.	सकूरा बैंक लि.
42.	टोरंटो डोमिनियन बैंक

विवरण-II

(लाख रुपए में)

	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम
1.	एबीएन आमरो बैंक	1 (बड़ौदा)	4702.41	4805.27
2.	बीएनपी परिबास	1 (अहमदाबाद)	13978.45	6821.03
3.	क्रेडिट लियोनैस	1 (अहमदाबाद)	522.31	16700.32
4.	सिटी बैंक	1 (अहमदाबाद)	2029.00	2295.00
		1 (बड़ौदा)	51.00	–
5.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन	1 (अहमदाबाद)	1660.73	459.64
6.	स्टंडर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज बैंक	1 (अहमदाबाद)	3322.00	1717.00
7.	स्टंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1 (अहमदाबाद)	2055.00	9057.00

मोटर साइकिलों और स्कूटरों का आयात

891. श्री मंजय लाल: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दो प्रमुख जापानी आटोमोबाइल कंपनियों के ब्रांड नामों से चीन से बड़ी मात्रा में नकली मोटर साइकिलों और स्कूटरों का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या इन आटोमोबाइल कंपनियों ने इन नकली मोटर साइकिलों और स्कूटरों का आयात और विपणन रोकने हेतु उपाय करने के लिए सरकार से सम्पर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन माह में चीन से कुल कितनी मोटर साइकिलों और स्कूटरों का आयात किया गया;

(ङ) क्या चीन से बड़ी मात्रा में मोटर साइकिलों और स्कूटरों के आयात से इन मदों के भारतीय निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो उनके हितों की रक्षा हेतु क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग की दिनांक 31.3.2001 की अधिसूचना संख्या 2 (आर ई-2001)/1997-2001 के तहत मोटर साइकिलों तथा स्कूटरों का आयात 1.4.2001 के स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। रिकार्ड के अनुरूप, न तो दो प्रमुख जापानी ऑटोमोबाईल कंपनियों के ब्रांड नामों से चीन से नकली मोटर साइकिलों तथा स्कूटरों के आयात के बारे में ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है और न ही किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने नकली मोटर साइकिलों तथा स्कूटरों के आयात और विपणन रोकने के लिए उपाय करने हेतु सरकार से सिफारिश की है।

(घ) अप्रैल और मई, 2001 के माह में उपलब्ध प्रोवीजनल आंकड़े के अनुसार, मोपेड सहित केवल 7 (सात) मोटर साइकिलों का चीन से आयात किया गया है कुल मूल्य 1.57 लाख रुपये (लगभग) है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने पर असर

892. श्री सुबोध राय:
श्री खारबेल स्वाइं:
डा. रामचन्द्र डोम:
श्री महबूब जहेदी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई आयात-निर्यात नीति की घोषणा के बाद 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण भारतीय बाजार में सस्ते विदेशी सामान की भरमार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके फलस्वरूप घरेलू व्यापारियों/विनिर्माताओं को हुए नुकसान का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नई आयात-निर्यात नीति और आयात से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई अंतर-मंत्रालयीय दल गठित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त दल ने अपना काम शुरू कर दिया है;

(छ) यदि हां, तो इस दल द्वारा किया गया मूल्यांकन क्या है;

(ज) मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के बाद से 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार कौन-कौन से देशों से उपभोक्ता वस्तुओं, बिजली के सामानों, कृषि आदि आयात/डंपिंग बढ़ी है और यह किस सीमा तक बढ़ी है;

(झ) क्या राज्य सरकारों, व्यापारियों, विनिर्माताओं, किसानों और मजदूरों की एसोसिएशनों ने सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और भारतीय बाजार में सस्त विदेशी सामानों की भरमार को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी उपाय करने का अनुरोध किया गया है; और

(ञ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार छोटे घरेलू विनिर्माताओं को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए क्या रणनीति तैयार कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) 714 मदों पर मात्रात्मक प्रतिबंध 31.3.2000 को हटाए गए थे। वर्ष 2000-2001 के लिए इन 714 मदों के आयात संबंधी आंकड़े अब संकलित किए गए हैं। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इस अवधि के दौरान इन मदों के आयात में 3% से कम की वृद्धि प्रदर्शित हुई है। 715 मदों पर आयात प्रतिबंध 31.3.2001 को ही हटाए गए हैं। इसलिए घरेलू उत्पादकों पर इस उपाय के प्रभाव का मूल्यांकन करना समय-पूर्व होगा। तथापि, अप्रैल-मई, 2001 की अवधि के दौरान गैर-तेल मदों के आयातों में 14.66% की ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(घ) से (ज) सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी स्थायी समूह का गठन किया है जिसमें वाणिज्य सचिव, राजस्व सचिव (लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग), सचिव (पशुपालन एवं डेयरी विभाग), सचिव (कृषि एवं सहकारिता विभाग) और विदेश व्यापार महानिदेशक हैं जो 300 संवेदनशील मदों के आयात आंकड़ों पर नजर रखेगा, उनका मिलान एवं विश्लेषण करेगा। इस समूह ने कार्य शुरू कर दिया है और अप्रैल और मई 2001 के महीनों के लिए इन 300 मदों के आयात संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इस समूह द्वारा किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार यह देखा गया है कि अप्रैल-मई 2001 की अवधि में 300 संवेदनशील मदों के कुल आयात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11% की ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित हुई है। लघु स्तर पर चाय, कॉफी, मसालों, कपास इत्यादि के आयातों में वृद्धि होने के संकेत हैं। आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर इस समूह ने यह निष्कर्ष निकाला है कि त्वरित अनुमानों से मांग और आपूर्ति संबंधी कारकों के प्रत्युत्तर में सामान्य व्यापार क्रियाकलाप की समग्र तस्वीर उभरती है। उद्गम के देश के आधार पर इन संवेदनशील मदों के आयात में कोई असामान्य रूझान दृष्टिगोचर नहीं होता है। इन आंकड़ों से मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, फिलिपिन्स, तंजानिया, वियतनाम और पाकिस्तान से हुए आयातों में वृद्धि प्रदर्शित होती है। चीन से इन संवेदनशील मदों के आयात में 28% की गिरावट दर्ज हुई है।

(झ) और (ञ) मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति का उन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कुछ राज्य सरकारों और व्यापारियों, कृषकों की एसोसिएशनों इत्यादि से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। तथापि, सरकार को लघु उद्योग के एककों के लिए उभरते हुए परिदृश्य की जानकारी है और वैश्विक रूप से उन्हें प्रतिस्पर्द्धी बनाने में उनकी मदद करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में शामिल हैं - प्रौद्योगिकी उन्नयन, सामूहिक पद्धति के जरिए, बुनियादी सुविधा संबंधी सहायता, समय पर ऋण की उपलब्धता, आधुनिक प्रबंधन के तरीके अपनाना, इलैक्ट्रॉनिक बुनियादी सुविधाओं का प्रयोग, व्यापार उदारीकरण की उभरती हुई चुनौतियों के प्रति लघु उद्योगों को सचेत करने समेत विपणन एवं समय पर सूचना के प्रचार-प्रसार जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।

राज्य सलाहकार समिति का गठन

893. श्री जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय योजना के तहत खाद्यान्नों के वितरण पर निगरानी

रखने के लिए प्रत्येक राज्य में किसी संसद सदस्य की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार समिति गठित करने का है और क्या केन्द्र सरकार राज्य सलाहकार समितियों और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से पहले चरण में 100 जिलों में उपभोक्ता जागरूकता शिविर भी लगाएगी;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य

894. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में कमी करने तथा बिक्री और संबंधित कार्यों में वृद्धि करने हेतु काम के बदले अनाज योजना लागू करने एवं खरीफ के मौसम की तैयारी के लिए भंडार को घटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा के ऊपर के मूल्यों पर खाद्यान्नों की नगण्य खरीद और गरीबी रेखा के नीचे के मूल्य के खाद्यान्नों की कालाबाजारी के दृष्टिगत योजना पैनल से समूची सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) खाद्यान्नों के उठान में वृद्धि करने के लिए सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 12.7.2000 से 31.3.2002 तक अथवा जब तक अधिशेष स्टाक मौजूद रहता है, जो भी पहले हो, तब तक गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य 830/- रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 610/- रुपये प्रति क्विंटल और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य 1130/- रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 830/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिए हैं।

जहां तक काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध है इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों, जो गेहूं के लिए 415 रुपये प्रति क्विंटल और चावल के लिए 565 रुपये प्रति क्विंटल हैं, पर खाद्यान्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन करने हेतु उपलब्ध हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन अतिरिक्त खाद्यान्न के रूप में सूखा प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मुक्त खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने "सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा" पर अपने नोट में यह सुझाव दिया है कि गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे के बीच की 25 प्रतिशत आबादी के लिए अलग से केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित किए जाएं ताकि कालाबाजारी को हतोत्साहित किया जा सके और राजसहायता का भार कम किया जा सके। तथापि, सरकार ने इस सुझाव को व्यवहार्य नहीं पाया है।

किसान क्रेडिट कार्ड

895. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल): क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से बैंक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण देने से मना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार से ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार ने दोषी बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटे किसानों को ऋण

896. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000 के दौरान राज्य-वार कितने किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे थे और कितने किसानों को सीमांत और छोटे किसान माना गया;

(ख) क्या सरकार का विचार इन छोटे और सीमांत किसानों को आसान ऋण देने के लिए कोई योजना शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है तथा उसे कब तक लागू किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी स्थायी दिशानिर्देशों के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को कृषि, जिसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में शामिल किया गया है, को प्रत्यक्ष वित्त के अन्तर्गत ऋण देने के लिए पहले से ही शामिल किया गया है। तथापि, छोटे और सीमांत किसानों को ऋण का प्रवाह सुदृढ़ करने की दृष्टि से मार्जिन राशि आवश्यकताओं, प्रतिभूति मानदंडों आदि के संबंध में कुछ छूट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऐसे उधारकर्त्ताओं को दी गई है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) बैंकों को किसानों को 10,000/- रुपये तक स्वीकृत फसल ऋण/मीयादी ऋणों के लिए मार्जिन राशि नहीं लेनी चाहिए।

(2) बैंकों को 10,000/- रुपये तक की फसल के लिए समर्थक प्रतिभूति/अन्य पार्टी गारंटी नहीं लेनी चाहिए। प्रतिभूति के रूप में फसल को रेहन रखा जा सकता है।

(3) 10,000/- रुपये से अधिक के ऋणों के संबंध में बैंक मार्जिन प्रतिभूति से संबंधित मामले में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

(4) ब्याज का भुगतान ऋण/निर्धारित किस्तों की चुकौती के समय ही किया जाना चाहिए।

(5) बैंकों को दीर्घकालीन फसल ऋणों और मीयादी ऋणों पर अदेय किश्तों के संबंध में चालू प्राप्य राशियों पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेना चाहिए।

(6) अल्पावधि अग्रिमों के संबध में छोटे और सीमांत किसानों के खाते के नामें लिखा गया कुल ब्याज मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सीमेन्ट का मूल्य

897. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक राज्य में सीमेंट का मूल्य अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इसके मौजूदा मूल्य क्या हैं और मूल्य में अंतर के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों में सीमेंट का एक समान मूल्य निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, हां। अलग-अलग राज्यों में सीमेंट के मूल्य अलग-अलग होते हैं और यह उत्पादन केन्द्रों से इसकी दूरी पर निर्भर करता है। 13 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार प्रमुख खपत केन्द्रों में सीमेंट के मूल्यों से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) सीमेंट एक विकेंद्रीकृत वस्तु है और इसके मूल्य मांग और आपूर्ति के बाजार मूल्यों से निर्धारित होते हैं।

विवरण

	नवंबर, 2000 न्यू. अधि.	जनवरी, 2001 न्यू. अधि.	13 जुलाई, 2001 न्यू. अधि.	नवंबर, 2000 की तुलना में % वृद्धि/कमी	
				जनवरी, 2001 में	13 जुलाई, 2001 को
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
दिल्ली	1333-136	152-155	140-142	13.97	44.1
करनाल	142-144	152-155	148-150	7.64	4.17
चंडीगढ़	138-140	158-160	147-149	14.29	6.43
जयपुर	123-125	143-145	128-130	16	4
रोहतक	132-134	148-150	148-145	11.94	8.21
भटिंडा	136-138	163-165	139-141	19.57	2.17
लुधियाना	140-142	168-170	148-150	19.72	5.63
जम्मू	180-185	195-200	190-193	8.11	4.32
शिमला	145-148	165-170	162-168	14.86	13.51
पूर्वी क्षेत्र					
कलकत्ता	128-135	160-165	145-150	22	11.11
पटना	114-132	135-160	144-165	21.21	25
भुवनेश्वर	120-128	147-161	126-145	25.78	13.28
गुवाहाटी	155-165	182-184	182-184	11.52	11.52
मुजफ्फरपुर	122-134	131-163	147-167	21.64	24.63
सिलचर					
पश्चिमी क्षेत्र					
मुंबई	130-138	181-185	175-180	34.06	30.43
अहमदाबाद	125-130	163-165	152-157	26.92	20.77
नागपुर	115-122	153-158	144-148	29.51	21.32
पुणे	144-150	166-168	150-155	12	3.33
राजकोट	124-129	160-161	152-157	24.81	21.71
बड़ौदा	125-130	158-165	152-157	26.92	20.77
सूरत	125-130	161-163	152-157	25.38	20.77

1	2	3	4	5	6
दक्षिणी क्षेत्र					
चेन्नई	170-185	175-190	160-170	2.7	(-)8.11
तिरूअनन्तपूरम	180-190	185-195	180-190	2.63	0
बैंगलोर	160-175	160-175	160-170	0	(-)2.86
हैदराबाद	140-155	145-160	150-160	3.23	3.23
कालीकट	180-190	180-195	180-190	2.63	0
विशाखापट्टनम	155-160	160-170	155-165	6.25	3.13
गोवा	133-147	148-152	145-150	3.4	2.04
केन्द्रीय क्षेत्र					
लखनऊ	118-123	142-148	140-148	20.33	20.33
मेरठ	125-130	145-152	138-142	16.92	9.23
फैजाबाद	110-115	138-142	140-145	23.48	26.09
बरेली	122-128	145-152	140-145	18.75	13.28
भोपाल	110-115	153-160	132-142	39	23.48

स्रोत: सीमेंट विनिर्माता एसोसिएशन

ग्यारहवां वित्त आयोग

898. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा मूल्यांकित वर्ष 2000-2005 के दौरान गैर-वरीयता श्रेणी वाले प्रत्येक राज्य के गैर-योजना राजस्व अधिशेष/कमी का कर उपरांत अंतरण किस प्रकार का है;

(ख) वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा कर अंतरण के बाद गैर-वरीयता श्रेणी वाले प्रत्येक राज्य में प्रतिव्यक्ति कितना गैर-योजना राजस्व अधिशेष/कमी पाई गई है;

(ग) क्या सरकार को गैर-वरीयता श्रेणी वाले राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति गैर-योजना राजस्व अधिशेष/कमी में भारी असमानता की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत सहायता प्रदान कर असमानताओं को समाप्त करने या कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा गैर-राजस्व अनुदान देने के बाद वर्ष 2000-2005 के दौरान प्रत्येक गैर-वरीयता प्राप्त राज्य में प्रति व्यक्ति गैर-योजना राजस्व अधिशेष/कमी की क्या स्थिति है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) वित्त आयोग की सिफारिशों का लक्ष्य राजस्व अधिशेष के कर उपरान्त अन्तरण या राज्यों के घाटे का समान बंटवारा करना नहीं है। यह संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे गैर-योजनागत व्यय में कमी करके और अपने संसाधनों और व्यय वचनबद्धताओं के मध्य बेहतर संतुलन स्थापित करके राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारें। वित्त आयोग केन्द्र और राज्य की वित्तीय स्थितियों का समग्र आकलन करता है और उर्ध्वाधर और क्षैतिज साम्यता के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनुदानों और अन्तरणों की सिफारिश करता है। ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट

में कर अन्तरण में राज्यों की पारस्परिक हिस्सेदारी के मानदण्ड और संबंधित महत्व का निर्धारण और राजस्व घाटा अनुदान के लिए मानदण्ड दिए गए हैं। भारत सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

विवरण

	राज्य	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा आकंलित वर्ष 2000-2005 की अवधि के दौरान कर उपरान्त अंतरण/गैर-योजनागत राजस्व अधिशेष/कमी	वर्ष 2000-2005 की अवधि के दौरान ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुसार करों एवं प्रशुल्कों के अंतरण तथा गैर-योजनागत घाटा अनुदानों के पश्चात् गैर-योजनागत राजस्व खाता	आरम्भिक जनसंख्या (2001*)	प्रतिव्यक्ति	
					कालम 2 के अनुसार	कालम 3 के अनुसार
	1	2	3	4	5	6
		(करोड़ रुपए में)		(लाख रुपए में)	(रुपए में)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	34763.07	34763.07	757.28	4591	4591
2.	बिहार**	17195.76	17295.76	1097.88	1575	1575
3.	गोवा	847.86	847.86	13.44	6308	6308
4.	गुजरात	27596.69	27596.69	505.97	5454	5454
5.	हरियाणा	11099.09	11099.08	210.83	5264	5264
6.	कर्नाटक	26427.70	26427.70	527.34	5012	5012
7.	केरल	7130.67	7130.67	318.39	2240	2240
8.	मध्य प्रदेश**	21896.83	21896.83	811.81	2697	2697
9.	महाराष्ट्र	53579.29	53579.29	967.52	5538	5538
10.	उड़ीसा	149.18	822.78	367.07	41	224
11.	पंजाब	2658.18	2942.39	242.89	1094	1211
12.	राजस्थान	2388.29	3632.97	564.73	423	643
13.	तमिलनाडु	18167.15	18167.15	621.11	2925	2925
14.	उत्तर प्रदेश**	13722.36	14749.10	1745.32	786	845
15.	पश्चिम बंगाल	-457.24	2788.85	802.21	-57	348

*स्रोत: भारत की जनगणना 2001, वर्ष 2001 का पेपर 1 : अंतरिम जनसंख्या योग

**अविभाजित राज्य

[हिन्दी]

बैंकों में भर्ती पर प्रतिबन्ध

899. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों में भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रतिबंध को हटाए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इसे किस प्रकार हटाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों, कर्मचारों संघों और एसोशिएसनों ने इस प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया है और इस संबंध में सरकार को ज्ञापन दिए हैं; और

(च) इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) लागू नहीं।

[अनुवाद]

विदेशी और देशी ऋण

900. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चांखलीया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार पर आज की तारीख में अलग-अलग विदेशी और देशी ऋण कितना है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार को कितनी देशी और विदेशी ऋण राशि का भुगतान करना है; और

(ग) देश के विदेशी और देशी ऋण को चुकाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) अर्थोपाय अग्रिमों को शामिल न करते हुए, दिनांक 31.3.2001 को विदेशी ऋण तथा आंतरिक ऋण दोनों के क्रमश: 58428 करोड़ रु और 803546 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) 2001-2002 के दौरान विदेशी और आंतरिक ऋणों के तहत वापसी अदायगी अर्थोपाय अग्रिमों को छोड़ कर क्रमश: 9598 करोड़ रुपये और 134552 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ग) विदेशी और आंतरिक ऋणों की वापसी अदायगी भुगतान समय-सूची के अनुसार की जाती है।

[हिन्दी]

भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक

901. श्री सुरेश चन्देल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संतोषजनक कार्यकरण को देखते हुए 1978 में गठित दांतवाला समिति और 1984 में गठित केलकर समिति ने यह सिफारिश की थी कि इन बैंकों की शाखाओं का विस्तार किया जाए क्योंकि ये बैंक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं;

(ख) क्या अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक कर्मी संगठन ने सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार करने के बजाय उनका विलय कर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एनआरबीआई) के सृजन सहित कई वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के पश्चात् चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन-पत्रों को ठीक करने हेतु अतिरिक्त पूंजी के निषेचन के माध्यम से 'स्टैण्ड अलोन' आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाया जाना तथा उन्हें अर्थक्षम बनाया जाना सूकर बनाने के लिए कई अन्य नीतिगत परिवर्तन प्रारम्भ किए गए हैं। इन परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल है:

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजना एवं समझौता ज्ञापन (डीएपी/एमओयू)

शुरू करना तथा आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी मानदण्डों को कवर करने वाले विवेकपूर्ण मानदण्डों को लागू करना।

(2) व्यवसाय पोर्टफोलियो और गतिविधियों का विविधीकरण।

(3) अधिशेष और एसएलआर निधियों के निवेश के लिए क्षेत्र बढ़ाना।

(4) हानि उठाने वाली शाखाओं के पुनर्स्थापन और विलय समेत शाखा नेटवर्क का युक्तिकरण।

(5) ब्याज दर ढांचे का अविनियमन।

(6) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन के मामलों में प्रायोजक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका।

[अनुवाद]

गेहूं और चावल का निर्यात

902. **श्री राजैया मल्याला:**
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कौन-कौन से देशों को गेहूं और चावल का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गेहूं और चावल की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और इसका मूल्य कितना था;

(ग) क्या सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष से गेहूं और चावल का निर्यात कोटा बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान गेहूं और चावल की कितनी मात्रा का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है और यह निर्यात किन-किन देशों को किया जाएगा और इनकी दरें क्या होंगी;

(ङ) देश से गेहूं और चावल के निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि आयातक देशों द्वारा भारत से भेजी गई वस्तुओं को अस्वीकृत न किया जाए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित चावल और गेहूं की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:-

मात्रा: मी. टन
मूल्य: करोड़ रुपये

मद	1998-99		1999-2000		2000-2001	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बासमती चावल	597793	1876.91	638382	1780.34	848919	2141.94
गैर-बासमती चावल	4365888	4403.85	1257793	1345.58	683194	784.16
गेहूं	1763	1.36	4	–	879480	444.23

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

निर्यात के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार संबंधी सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक आंकड़ों में दिए जाते हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) एक्जिम नीति के अनुसार, चावल (बासमती और गैर-बासमती दोनों) के निर्यात की अनुमति एपीडा के पास संविदाओं के पंजीकरण के अधीन रहते हुए मुक्त रूप से प्रदान की जाती है। वर्ष 2001-2002 के लिए एफ सी आई के स्टॉक में से 3 मिलियन टन चावल के निर्यात की अनुमति भी दी गई है। गेहूं के निर्यात की अनुमति डी जी एफ टी द्वारा घोषित मात्रात्मक अधिकतम सीमा और एपीडा द्वारा जारी पंजीकरण सह-आबंटन प्रमाण-पत्र (आर सी ए सी) के अधीन रहते हुए मुक्त रूप से प्रदान की जाती है। वर्ष 2001-2002 के लिए 5 मिलियन टन गेहूं के निर्यात की अधिकतम सीमा घोषित की गई है।

गेहूं और चावल के निर्यातों की संभावित मात्रा तथा उनके निर्यात गंतव्य और उन दरों का, जिन पर इनको निर्यात किया जाएगा, का अनुमान संभव नहीं है क्योंकि चावल और गेहूं का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों, उपभोक्ता अधिमान तथा व्यापार की जाने वाली किस्मों पर निर्भर होगा।

(ङ) चावल और गेहूं के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछेक कदम, जिनमें शामिल हैं- प्रचार अभियान चलाना, विदेशों में प्रतिनिधिमंडलों को भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, संभावित क्रेताओं को आमंत्रित करना और निर्यातकों को गुणवत्ता, पैकेजिंग में सुधार लाने, उत्पादों का ब्रांड संवर्द्धन करने और बाजार सर्वेक्षण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(च) आयातकों के नामित सर्वेक्षकों द्वारा या ई आई सी (यूरोप को बासमती चावल के निर्यात के मामले में) द्वारा लदान-पूर्व निरीक्षण किया जाता है।

''काफेपोसा'' के तहत हिरासत में रखने के लिए दिशानिर्देश

903. **श्री विष्णुदेव साय:**
श्री रामसिंह राठवा:
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''काफेपोसा'' के तहत तस्करों और कर बंचकों को उन मामलों में गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित कर दिए हैं जिनमें सामान का मूल्य या सीमा शुल्क वंचन की राशि पांच लाख रुपये से अधिक हो;

(ख) यदि हां, तो डी.आर.आई. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और पश्चिमी जोन में दर्ज किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें ''काफेपोसा'' के तहत गिरफ्तारी नहीं की गई और आरोपियों को हिरासत में नहीं रखा गया और इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की संतुष्टि कर ली है कि जिन मामलों में डी.जी., डी.आर.आई. ने इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की है, वे ऊपर भाग (क) में उल्लिखित दिशानिर्देशों की परिधि में आते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है जिन्होंने दिशानिर्देशों के विपरीत काम किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

फिल्म के द्वारा सामाजिक जागरूकता

904. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी**: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय ने जनता में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए 'दमन' फिल्म पर कितनी राशि खर्च की है;

(ख) क्या फिल्म ने अपेक्षित जागरूकता पैदा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 'दमन' फिल्म के निर्माण पर कोई राशि खर्च नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एचएमटी की पिंजौर इकाई को पुन: चालू करना

905. **श्री रतन लाल कटारिया**: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हरियाणा के पंचकूला जिले में एच एम टी की पिंजौर स्थित इकाई को बंद करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार एच एम टी की पिंजौर इकाई को पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) एचएमटी, सरकार द्वारा अनुमोदित एक टर्नअराउन्ड योजना को कार्यान्वित कर रही है जिसमें पिंजौर यूनिट भी शामिल है और इसमें मुख्यत: वित्तीय, संगठनात्मक और जनशक्ति पुनर्संरचना करना शामिल है। एचएमटी ने अपनी पिंजौर स्थित इकाई की उत्पाद रेंज बढ़ाने के लिए भी कार्रवाई की है।

[अनुवाद]

सेवा क्षेत्र से प्राप्त कर

906. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें प्राप्त सेवा कर में से हिस्सा दिया जाए क्योंकि वे ही समस्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध करा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के साथ सेवा कर की प्राप्तियों की भागीदारी की जा सकती है। परन्तु जम्मू और कश्मीर राज्य सेवा कर के हिस्से का हकदार नहीं है क्योंकि यह कर उस राज्य में नहीं लगाया जाता।

एम.एम.टी.सी. में विनिवेश

907. **श्री अनन्त नायक:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो एम.एम.टी.सी. के निजीकरण के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एम.एम.टी.सी. के निजीकरण का कार्य पूरा हो गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) निर्णय, गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सामान्यत: सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत या इससे कम स्तर तक नीचे लाने की सरकार की घोषित नीति के अनुसार है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) खनिज व धातु व्यापार निगम में विनिवेश पर विचार करने और विनिवेश से पूर्व के मसलों को निपटाने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

कृषि उत्पादों के निर्यात संबंध में यूरोपीय संघ के साथ बैठक

908. **श्री सी. श्रीनिवासन:**
श्री महबूब जहेदी:
श्री सुनील खां:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में भारतीय प्रतिनिधियों की यूरोपीय संघ के मुख्य आयुक्त के साथ बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने बासमती चावल आयात का शुल्क मुक्त कोटा बनाए रखने और शुल्क मुक्त चीनी निर्यात का कोटा बहाल करने संबंधी मुद्दे उठाए थे;

(घ) यदि हां, तो इस पर यूरोपीय संघ की क्या प्रतिक्रिया थी;

(ङ) क्या यूरोपीय संघ ने भारत सहित तीसरी दुनिया के देशों के कृषि उत्पादों को अस्वीकृत करने की दृष्टि से गुणवत्ता आश्वासन संबंधी मानकों को काफी कड़ा बना दिया है; और

(च) यदि हां, तो मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) जी, हां। यूरोपीय संघ के कृषि आयुक्त श्री फ्रांज फिश्लर ने फरवरी, 2001 में भारत का दौरा किया था और उन्होंने बासमती चावल तथा चीनी के निर्यात संबंधी मुद्दों समेत कृषि से संबंधित विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर सरकार और व्यापार/उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था। यूरोपीय आयोग ने बासमती चावल और चीनी के निर्यात संबंधी मुद्दों पर समुचित विचार करने की भारत की चिंता पर ध्यान दिया।

(ङ) और (च) भारत में कृषि उत्पादों के निर्यातकों को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में निर्धारित किए गए उच्चतम स्वस्छता

एवं फाइटो सेनेटरी (एस पी एस) मानकों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। उच्चतम स्वच्छता एवं फाइटो सेनेटरी मानकों और ई यू सदस्य देशों के भीतर मानकों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलीकरण की कमी के मुद्दे को भारत द्वारा भारत-ईसी संयुक्त आयोग और डब्ल्यू टी ओ में एस पी एस उपायों संबंधी समिति तथा ई यू की वर्ष 2000 व्यापार नीति समीक्षा समेत विभिन्न मंचों पर कई बार यूरोपीय आयोग के साथ उठाया गया है। इसके अलावा, सरकारी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) और निर्यात निरीक्षण परिषद् (ई आई सी) जैसे सरकारी अभिकरण विभिन्न एस पी एस मानकों के बारे में निर्यातकों को सचेत करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और उन्हें तकनीकी एवं अन्य सहायता भी प्रदान कर रहे हैं ताकि उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाया जा सके।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया

909. श्री वाई.वी. राव: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से तेंदुर सीमेंट संयंत्र के लिए सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया का 15 करोड़ रुपये की "सीड़ राशि" जारी करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) जी, हां। यूनिट के सतत प्रचालन के लिए प्राप्त की जाने वाली विशेष उपलब्धी प्राप्त करने के लिए कंपनी (सीसीआई) तथा भारी उद्योग विभाग के बीच हस्ताक्षर किये जा रहे समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) को उसकी तंदूर यूनिट की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 12.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराने पर सहमति हुई है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ को विश्व बैंक से ऋण

910. श्री पी.आर. खुंटे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ का विशेष उल्लेख करते हुए कौन-कौन से राज्यों को जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण दिया गया है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य को ऋण के रूप में कितनी-कितनी राशि दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान, छत्तीसगढ़ सहित किसी भी राज्य में जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता की किसी भी परियोजना का वित्तपोषण करने के लिए अब तक विश्व बैंक के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंगलौर में फिल्म महोत्सव

911. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के दौरान बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सिलसिले में बंगलौर में कितने प्रतिनिधियों के आने की संभावना है;

(ग) उपर्युक्त फिल्म समारोह को बंगलौर में आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस समारोह के आयोजन के लिए कर्नाटक को कितनी राशि दिए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) समारोह में लगभग 3000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।

(ग) समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण फिल्मी हस्तियों को शामिल करके एक आयोजन समिति का गठन किया गया है। समारोह से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए नौ उप समितियाँ भी गठित की गई हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की

एक समारोह समन्वयन समिति भी गठित की गई है। इन समितियों की कुछ बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं।

(घ) फिल्म समारोह पर व्यय केन्द्र सरकार द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय के जरिए किया जाएगा। सह-मेजबान के रूप में कर्नाटक सरकार अपने बजट में से खर्चा करेगी।

[हिन्दी]

सरकारी नौकरियों में कमी

912. **डा. संजय पासवान:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी नौकरियों में भारी कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने पदों को समाप्त किए जाने की संभावना है:

(ग) क्या सरकार ने उदारीकरण और वैश्वीकरण के मद्देनजर निर्णय लिया था; और

(घ) यदि हां, तो युवाओं के लिए रोजगार अवसरों का सृजन किए जाने के बजाय रोजगार के अवसरों को बंद किए जाने का क्या औचित्य है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सरकारी की बदलती भूमिका और गैर-योजनागत प्रशासनिक व्यय में कमी की अनिवार्यता को देखते हुए सरकार ने अपने कर्मचारियों की संख्या को उचित आकार देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ये उपाय 1.1.92 को स्वीकृत संख्या में 10 प्रतिशत की कमी और एक साल में उत्पन्न रिक्त पदों की सीधी भर्ती को एक तिहाई सीधी भर्ती तक सीमित रखने से संबंधित हैं। अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, संबद्ध कार्यालयों तथा संस्थानों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को ध्यान में रखते हुए उनके अधीन कर्मचारियों की पर्याप्तता की समीक्षा करने के लिए एक व्यय सुधार आयोग का भी गठन किया गया है और उसे विभिन्न सेवाओं के संवर्गों तथा कर्मचारियों की संख्या को तर्कसंगत बनाने के उपाय सुझाने को कहा गया है। व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों पर आधारित समाप्त किए जाने वाले पदों का विवरण सभी सिफारिशों के उपलब्ध होने और उस पर लिए गए उचित सरकारी निर्णयों की घोषणा के बाद ही उपलब्ध हो सकेगा। सरकार के गैर-योजनागत प्रशासनिक व्यय में होने वाली कमी का उपयोग अधिक उत्पादन और सक्षम उपयोग के समृद्ध संसाधन के रूप में हो सकेगा। व्यय की गुणवत्ता में यह सुधार अर्थव्यवस्था में समग्रत: वृद्धि और रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक सिद्ध होगा।

विमानपत्तन, नगरीय क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

913. **श्री रामपाल सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तन, नगरीय क्षेत्र, कूरियर सेवा और पर्यटन क्षेत्र में शत प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय को कब से प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने दिनांक 21.5.2001 के प्रेस नोट सं. 4 (200 शृंखला) के तहत निम्नलिखित के लिए मंजूरी दे रखी है:-

(1) विमानपत्तनों में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसमें 74 प्रतिशत से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

(2) समूचे नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसमें आवास वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसार्ट, शहर और क्षेत्रीय स्तर की शहरी आधारभूत सुविधाएं जैसे कि सड़क, पुल, व्यापक तीव्र परिवहन प्रणालियां; (मॉस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम); और भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन शामिल हैं। भूमि विकास और संबंधित आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराना नगर-क्षेत्र के विकास का एक अभिन्न अंग होगा, जिसके लिए न्यूनतम पूंजीकरण, न्यूनतम भू-क्षेत्र इत्यादि से संबंधित अपेक्षित दिशानिर्देश/मानदंड सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित किये जायेंगे। इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

(3) विद्यमान कानूनों के अध्यधीन कूरीयर सेवाओं में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पत्र वितरण

मे संबंधित गतिविधियों का अपवर्जन। इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

(4) होटल तथा पर्यटन क्षेत्र में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश।

उपर्युक्त नीति, प्रेस नोट सं. 4 (2001 श्रंखला) के जारी किये जाने की तारीख अर्थात् 21.05.2001 से लागू हो गई है।

[अनुवाद]

महंगाई भत्ता

914. **डा. वी. सरोजा:**
श्री भीम दाहाल:
श्री अनन्त नायक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पहली जनवरी, 2001 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कितना मंहगाई भत्ता देय है;

(ख) क्या पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहली जुलाई, 2001 को सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किस्त देय हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महंगाई भत्ते का परिकलन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ङ) इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) 1.1.2001 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता मूल वेतन का 43 प्रतिशत है।

(ख), (ग) और (ङ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का संशोधन वर्ष में दो बार, पहली जनवरी और पहली जुलाई से किया जाता है जिसका भुगतान क्रमश: मार्च एवं सितम्बर माह के वेतन के साथ किया जाता है। पहली जुलाई, 2001 से दी जाने वाली किस्त सितम्बर, 2001 के वेतन के साथ देय होगी। इसका निर्णय देय होने से काफी पहले कर लिया जाएगा।

(घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का परिकलन वर्ष 1982 को आधार मानते हुए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) (ए.आई.सी.पी.आई.) (आई.डब्ल्यू.) श्रेणी के अनुसार किया जाता है। महंगाई भत्ता एक प्रतिपूरक भुगतान है। 1.1.1996 को प्राप्त ए.आई.सी.पी.आई. के बारह महीने के औसत 306.33 के ऊपर प्रतिशत वृद्धि के लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

चावल के निर्यात के लिए अनुमति

915. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्यों की सरकारों ने चावल का निर्यात करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) क्या उपर्युक्त अनुमति प्रदान करने के लिए कोई दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) एग्जिम नीति के अनुसार, चावल के निर्यात की अनुमति मुक्त रूप से दी गई है जिसके लिए एपीडा के पास संविधाओं का पंजीयन कराना पड़ता है। एग्जिम नीति को देखते हुए निर्यातकों या राज्य सरकारों द्वारा चावल के निर्यात के लिए किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाना

916. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने श्री राज कमल तथा अन्य बनाम भारत संघ के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान खंड पीठ, नई दिल्ली द्वारा 16 फरवरी, 1990 को दिए गए निर्णय के प्रकाश में तैयार की गई दिनांक 10 सितम्बर, 1993 की कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की नीति को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय और उसकी इकाईयों के सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की रिक्तियां उपलब्ध

होने संबंधी स्कीम के व्यापक ढांचे के अन्तर्गत, स्कीम में यथा-परिकल्पित एवं इस मामले में न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार नैमित्तिक कर्मचारियों को अस्थायी हैसियत से नियमित करने की कार्रवाई करता रहा है।

[हिन्दी]

किसानों के लिए विशेष चैनल

917. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का किसानों के कल्याण के लिए विशेष चैनल शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि किसानों के लिए एक विशेष चैनल शुरू करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, किसानों और ग्रामीण दर्शकों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों से उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम नियमित आधार पर प्रसारित किए जाते हैं।

मितव्ययिता उपाय

918. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 2001 को "दैनिक जागरण" में "निवेश बढ़ाने व खर्चों में कमी के उपाय करने के सुझाव" शीर्षक को प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी अभिकरणों के पास रखी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय सलाहकारों को व्यय प्रबंधन तथा संरचना क्षेत्रों में निवेश की ओर ध्यान देने की सलाह दी गई है।

(ग) कल्याण योजनाएं केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जाती है और इन मंत्रालयों के अनुदानों के आबंटन और विनियमन को संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

[अनुवाद]

बिहार में चीनी मिलों को ऋण

919. **श्री अरुण कुमार:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बिहार में चीनी मिलों के पुनरुत्थान/आधुनिकीकरण के लिए ऋण मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में चीनी मिलों के पुनरुत्थान/आधुनिकीकरण के लिए उन्हें ऋण दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बिहार में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से मंजूर किया गया ऋण निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि (लाख/रुपये)	मिलों की संख्या
1998-99	5856.79	5
1999-2000	1337.00	1
2000-2001	969.09	1

(ग) और (घ) चीनी मिलों के संयंत्र और मशीनरी के पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए ऐसे ऋण आवेदन पत्रों, जिन्हें विशिष्ट वित्तीय संस्थानों द्वारा पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए अपनी संगत योजना के अधीन सहायता हेतु विधिवत अनुमोदित किया गया है, पर सरकार द्वारा ऋण मंजूरी के लिए विचार किया जाता है। इसके अलावा चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकी संबंधी-मिशन मोड परियोजना स्कीम के संबंध में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद् द्वारा प्रायोजित प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए चीनी मिलों की परियोजनाओं हेतु भी ऋण लिया जा सकता है बशर्ते कि वित्तीय संस्थान द्वारा उनका वित्तीय मूल्यांकन किया गया

हां। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक बिहार में किसी भी चीनी मिल से पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए ऋण मंजूरी हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

बिक्री कर की न्यूनतम दर

920. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 16 नवम्बर, 1999 को आयोजित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक में पहली जनवरी, 2000 से बिक्री कर की न्यूनतम दरें लागू किए जाने और बिक्री कर आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को खत्म किए जाने के बारे में सभी मुख्य मंत्रियों में आम सहमति बनी थी;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस निर्णय को लागू नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस निर्णय को लागू कराए जाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अधिकांश राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने इन निर्णयों को लागू कर दिया है। इन निर्णयों के अनुपालन को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए 5.7.2001 को सम्पन्न हुए मुख्य-मंत्रियों/राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है कि इन निर्णयों को लागू करने में आगे किसी तरह का विलम्ब नहीं होना चाहिए और सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 31.7.2001 तक पूर्ण रूप से इसका अनुपालन कर लेना चाहिए। अन्यथा, सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि भारत सरकार अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दी जा रही केन्द्रीय सहायता तथा अनुदानों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगी।

छुट्टी यात्रा रियायत

921. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के मद्देनजर इन कर्मचारियों को प्रदत्त छुट्टी यात्रा रियायत पर लगी रोक को वापस लेने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रथम चरण में कम से कम गृह नगर रियायत को जारी रखने की अनुमति देने का है क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वतंत्रता पूर्व के दिनों से दिया जा रहा था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) इस सुविधा को दो वर्ष तक स्थगित रखे जाने का निर्णय गैर-योजनागत व्यय के प्रबंधन के भाग के रूप में लिया गया है।

(ग) और (घ) सशस्त्र सेनाओं, केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए गृह नगर यात्रा रियायत लागू है।

छोटे उद्यमियों को ऋण

922. **श्री उत्तमराव पाटील:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंक, जिनमें सहकारी और निजी बैंक शामिल हैं, छोटे उद्यमियों को ऋण देने में उनका शोषण कर रहे हैं;

(ख) क्या इन छोटे उद्यमियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों द्वारा इन दिशा निर्देशों को लागू किए जाने की निगरानी हेतु क्या प्रणाली तैयार की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि बैंकिंग प्रणाली से 5 करोड़ रुपए तक की कुल निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा की आवश्यकता वाले सभी लघु उद्योग एककों को अनुमानित वार्षिक आवर्त का न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर परिकलित पूंजी सीमाएं मंजूर करने की प्रक्रिया का अनुपालन करें। बैंकों द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों का पालन किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञताप्राप्त लघु उद्योग शाखाओं के हाल के अध्ययन से यह पता चला है कि उधारकर्त्ता खातों का अनुमानित वार्षिक आवर्त के न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर परिकलित

पर्याप्त ऋण प्राप्त हो रहे हैं। लघु उद्योग के पास सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के बकाए की राशि मार्च 1995 के अंत के 29152 करोड़ रुपए की तुलना में मार्च 2000 के अंत की स्थिति के अनुसार पर्याप्त रूप से बढ़कर 55973 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में सुधार लाने के लिए कई प्रकार के नीतिगत उपायों की घोषणा भी की है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विशेषज्ञताप्राप्त लघु उद्योग शाखाओं की स्थापना और इन शाखाओं द्वारा आई एस ओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर विशेष जोर।

(2) ऋण सीमाएं मंजूर करने, आवेदन फार्मों को सरल बनाने तथा ऋण अपेक्षाओं के मूल्यांकन हेतु अपना मानदंड नियत करने हेतु शाखा प्रबंधक को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(3) संमिश्र ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा में 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की वृद्धि (केन्द्रीय बजट 1999-2000) और उसके पश्चात् 10 लाख रुपए (केन्द्रीय बजट 2000-2001) किया जाना। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद इस सीमा को पुन: बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया था।

(4) राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अंतर्गत परियोजना लागत सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए (केन्द्रीय बजट 2000-2001) और पुन: बढ़ाकर 50 लाख रुपए करना। इसी तरह सुलभ ऋण संघटक को भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।

(5) सम्पार्श्विक प्रतिभूति पर जोर न देने संबंधी सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना (केन्द्रीय बजट 2000-2001)

(6) 10 लाख रुपए की सीमा (जिसे बढ़ाकर अब 25 लाख कर दिया गया है) तक आई टी और साफ्टवेयर क्षेत्र सहित लघु उद्योग क्षेत्र को वाणिज्यिक बैंकों को सम्पार्श्विक रहित और अन्य पक्ष गारंटी रहित ऋणों को पूरा करने के लिए उद्योगों हेतु ऋण प्रतिभूति निधि योजना शुरू करना। इस प्रयोजन और योजना के लिए एक अलग न्यास, अर्थात ऋण गारंटी निधि न्यास ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है।

लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह सुगम बनाने तथा लघु उद्योग इकाइयों को ऋण की मंजूरी की प्रक्रिया की प्रभावशाली निगरानी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सभी बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं।

पेंशन क्षेत्र के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट

923. **श्री विजय हान्दिक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत की पेंशन और बकाया राशि देयता, उसके आर्थिक प्रभावों और न वित्त पोषित की गई इस देयता की समस्या के निराकरण के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दीर्घ अवधि के भारी आर्थिक बोझ के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस रिपोर्ट में सुझाए गए अनुसार पेंशन सुधार शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने "भारत-वृद्धावस्था आय सुरक्षा की चुनौती" पर विश्व बैंक रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि भारतीय कामगारों की वृद्धावस्था की बचतों को वहनीय और प्रभावी लिखत प्रदान करने के लिए बुनियादी सुधार करने का परामर्श दिया जाता है। रिपोर्ट वर्द्धित पूर्व-निधिकरण पेंशन दायित्वों और सरकारी और निजी क्षेत्र प्रावधानों के बीच बेहतर संतुलन के लिए हाल के सुधार प्रस्तावों का समर्थन करती है। इस दिशा में परिवर्तन समानान्तर सुधार प्रयासों को सरल बनाऐंगे जिसमें बीमा और उद्यम क्षेत्र दोनों शामिल हैं।

जैसा कि बजट 2001-2002 में उल्लिखित है, केन्द्र सरकार की पेंशन देयताएं बढ़ रही हैं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, यह 1993-94 में लगभग 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 2000-2001 में लगभग 1 प्रतिशत हो गई हैं।

(ग) बजट 2001-2002 में सरकार द्वारा की गई घोषणा कि सिविल सेवाएं पेंशन प्रणाली, परिभाषित अंशदानों पर आधारित नए पेंशन कार्यक्रम द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, के अनुसरण में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ऐसे परिवर्तन के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ दल का गठन किया है। इसी प्रकार, असंगठित क्षेत्र में पेंशन सुधार के कार्यान्वयन हेतु अंतिम रूपरेखा तैयार करने के लिए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

नशीले पदार्थों की तस्करी

924. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नशीले पदार्थों के विक्रेताओं के कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान से तस्करी करके लाए गए नशीले पदार्थों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोहों का आवागमन मार्ग बनती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो नशीले पदार्थों के बढ़ते अवैध व्यापार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मशीनरी को सुदृढ़ बनाने और शहर के नशीली दवाओं के विक्रेताओं और अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों के एजेंटों की पहचान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकटता और अन्य देशों के साथ अच्छी वायु सेवा से जुड़ी होने के कारण दिल्ली, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए सुगम्य क्षेत्र बन गई है। एजेन्सियों द्वारा देश में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) विभिन्न मादक पदार्थ प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के कार्यकलापों में लगे ड्रग आपरेटरों की नियमित रूप से पहचान की जाती है और उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है तथा मादक पदार्थों से जुड़े अपराधियों को स्वापक औषधि एवं प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा सरकार ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम करने और उन पर प्रभावकारी ढंग से अंकुश लगाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम भी उठाये हैं। इनमें सभी मादक पदार्थ प्रवर्तन एजेंसियों को निगरानी बढ़ाने और प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लगाने के निर्देश देना, अधिकारियों को प्रशिक्षण, भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना, सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही आधार पर समन्वय कार्य संबंधी बैठकों का आयोजन करना और सीमा सुरक्षा बल तथा पाक रेंजरों की सीमावर्ती बैठकों के एक अंग के रूप में भारतीय और पाकिस्तानी मादक पदार्थ निरोधी एजेन्सियों की तिमाही आधार पर सीमावर्ती बैठकों का आयोजन करना शामिल है।

तेल कम्पनियों का विनिवेश

925. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र की कुछ तेल कंपनियों का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए जिन तेल कंपनियों की पहचान की गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार का विनिवेश देश के हित में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रस्तावों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने अब आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड में 26 प्रतिशत इक्विटी को अपने पास बनाए रखने और 33.6 प्रतिशत का विनिवेश, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। सरकार ने, भारतीय तेल निगम की 10 प्रतिशत इक्विटी पूंजी के, जी डी आर/स्वदेशी निर्गम के माध्यम से विनिवेश को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। विद्यमान बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जी डी आर/ स्वदेशी निर्गम नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) सरकार की घोषित नीति यह है कि सरकार, सामान्य मामलों में, गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक अथवा उससे निचले स्तर तक कम करेगी। तेल क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संचालित हैं। विनिवेश नीति के उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अवरुद्ध संसाधनों को, प्राथमिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक और अनिवार्य आधारभूत संरचना जैसे उच्चतर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए निर्मुक्त करना भी शामिल है।

बीमा विनियमन पर सलाहकार समूह की सिफारिशें

926. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीमा विनियमन पर सलाहकार समूह की सभी सिफारिशों को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) सरकार ने बीमा विनियमन पर निजी सलाहकार समूह का गठन नहीं किया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक मानदंडों तथा संहिताओं के क्षेत्र में विकास घटनाओं को शामिल करने, उनकी पहचान करने तथा मॉनीटरिंग करने और भारतीय वित्तीय व्यवस्था में उनकी प्रयोज्यताओं की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय मानक और संहिता संबंधी स्थायी समिति का गठन किया है। समिति ने बीमा विनियमन समूह सहित कई सलाहकार समूहों का गठन किया है। इनका अधिदेश भारत में बीमा विनियमों के क्षेत्र में "...सर्वोत्तम व्यवसाय की प्राप्ति के लिए कार्य योजना तैयार करना.." था। सलाहकार समूह ने यह सूचना दी है कि बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमन कुल मिलाकर अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा उन सिफारिशों को, जो परामर्शी रूप में हैं, आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत आगे विनियमन बनाने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

प्याज के निर्यात से प्रतिबंध हटाना

927. **श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को पूरी तरह से उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंध को न हटाए जाने के कारण प्याज की कीमतों में गिरावट आ रही है जिसके कारण किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंध न हटाए जाने संबंधी सरकार के निर्णय का क्या ओचित्य है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने एक अंत: मंत्रालयी समीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें कृषि एवं सहकारिता विभाग, उपभोक्ता मामला विभाग, वाणिज्य विभाग तथा नैफेड के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो प्याज स्टॉक-स्थिति, बाजार आवक, फसल की स्थिति तथा आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय कीमत को ध्यान में रखकर प्याज की मौसम के अनुसार उपलब्धता की समय-समय पर समीक्षा करती है निर्यात के लिए प्याज की मात्रा को रिलीज करने की सिफारिश करती है। इस वर्ष के पूर्वार्द्ध में महाराष्ट्र की प्रमुख मंडियों में प्याज की कीमतें 171/- रुपए और 700/- रुपए प्रति क्विंटल की रेंज में रही जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में यह 121/- रुपए और 350/- रुपए प्रति क्विंटल थी। कृषि उत्पादों तथा फार्म की वस्तुओं के निर्यातों की अनुमति देने हेतु सरकार की नीति मुख्य रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा, कृषि आय को अधिकतम करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने पर निर्भर करती है। कृषि उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और तदनुसार जब भी आवश्यक समझा जाता है, कृषि निर्यातों को और अधिकारिक व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से नीति संबंधी हस्तक्षेप किए जाते हैं। प्याज की मौजूदा निर्यात नीति से किसानों को सहायता मिली है, जिससे मूल्यों में स्थिरता आई है, खेतों से अधिक माल को उठाने तथा किसानों के लिए उनके उत्पाद की अधिक आय सुनिश्चित हुई है और उपभोक्ताओं के हितों का भी संतुलित रूप से ध्यान रखा गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की बिक्री को रोका जाना

928. **श्री रामजीवन सिंह:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब के गोदामों में चावल के अतिरेक भंडार की बिक्री हेतु चावल न खरीदने वाले राज्य व्यापारियों से बोली स्वीकार करने के बाद भारतीय खाद्य निगम द्वारा व्यापारियों को चावल की आपूर्ति अचानक बंद कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन प्रत्येक व्यापारियों को चावल की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई जिनकी बोलियां प्रतिबद्धति आपूर्ति की तुलना में स्वीकार की गई थी; और

(ग) सरकार द्वारा प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आई.आई.एफ.टी. में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का दाखिला

929. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाली डा. अम्बेडकर जन्म शती समारोह समिति ने वर्ष 1993 में सभी शैक्षिक/अकादमिक संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को आरक्षित कोटे के अनुसार अधिकतम दाखिले सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में विभिन्न संकायों/विषयों में कुल कितनी सीट रखी गई हैं;

(ग) विभिन्न संकायों/पाठ्यक्रमों के उपर्युक्त प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कुल कितने विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया था और उक्त अवधि के दौरान कुल सीटों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना था; और

(घ) यदि उक्त सिफारिशों का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं हुआ है तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) द्वारा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की संख्या तथा सीटों की कुल संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या	प्रवेश दिए गए अ.जा./अनु.जन.जा. के विद्यार्थियों की कुल संख्या	प्रतिशतता
(1) मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरनेशनल बिजनेस (एमपीआईबी)			
1999-2000	91	14	15.38
2000-2002	92	11	11.95
2001-2003	98	07	7.14
एक्जीक्यूटिव मास्टर्स इंटरनेशनल ट्रेड (ईएमआईटी)			
1999	45	–	–
2000	33	–	–
2001	54	–	–

(घ) आईआईएफटी अपने स्नातक स्तर के आधारिक (फॉउंडेशनल) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए मानदंडों का पालन करती है अर्थात् अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 15% सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें होती है। तथापि एक व्यावसायिक संस्थान होने के कारण इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुछेक न्यूनतम मानदंड निर्धारित किए गए हैं। प्रवेश परीक्षाओं के द्वारा गुणावगुण के आधार पर दिए जाते हैं और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मास्टर्स कार्यक्रम के मामले में सामूहिक विचार-विमर्श तथा साक्षात्कार किए जाते हैं और अन्य कार्यक्रमों में साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश दिए जाते हैं। दाखिले की प्रक्रिया में एससी/एसटी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रतिशतता सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में 10% कम रखी जाती है।

ईएमआईटी हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए, संस्थान द्वारा सामान्यतया एक चयन बोर्ड गठित किया जाता है जिसमें संस्थान से कम से कम दो वरिष्ठ संकाय सदस्य और व्यापार तथा उद्योग से एक/दो सदस्य सहयोजित होते हैं। चयन बोर्ड के सभी सदस्य उम्मीदवारों को अलग-अलग ग्रेड देते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के अंतिम ग्रेड का निर्धारण चयन बोर्ड के प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए अंकों का औसत निकालने के बाद किया जाता है।

साक्षात्कार के कार्य-निष्पादन के आधार पर सामान्य वर्ग में उम्मीदवारों को दाखिला उन्हें दिया जाता है जिन्होंने कम से कम 60-65% अंक प्राप्त किए हों। संस्थान के मानदंडों के अनुसार एससी/एसटी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंक 10% तक कम किए जाते हैं। 1999 में एससी/एसटी के एक उम्मीदवार तथा 2001 में इस पाठ्यक्रम में तीन एससी/एसटी उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। तथापि केवल दो एससी/एसटी उम्मीदवार ही साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए और उनमें से कोई भी प्रवेश के लिए सफल नहीं हुआ। वर्ष 2000 में इस पाठ्यक्रम के लिए किसी भी एससी/एसटी उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया।

[हिन्दी]

प्रसार भारती में रिक्त पद

930. डा. बलिराम: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** प्रसार भारती में रिक्त पद के बारे में 27 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6177 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्य सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आवश्यक सूचना कब तक एकत्रित कर ली जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आश्वासन की पूर्ति के लिए अपेक्षित सूचना देश के विभिन्न भागों में स्थित आकाशवाणी स्टेशनों और दूरदर्शन केन्द्रों से अभी एकत्र की जा रही है। सूचना को एकत्र करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं दर्शायी जा सकती है।

[अनुवाद]

अनुचित लेवी चीनी मूल्य

931. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र की अनुचित लेवी चीनी मूल्य निश्चित किए जाने के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी फैक्ट्री संघ लिमिटेड से कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान चीनी मौसम 2000-2001 के लिए महाराष्ट्र को दिए जा रहे लेवी चीनी के मूल्य उचित नहीं हैं। लेवी मूल्यों में यथार्थ रूपांतरण लागत और फैक्ट्री तक खेतों से गन्ने की ढुलाई लागत पर विचार नहीं किया गया है।

फैक्ट्री के द्वार से लेवी चीनी के आंचलिक मूल्य प्रत्येक चीनी मौसम के लिए विशेषज्ञ निकाय चीनी उद्योग के लागत ढांचे का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात् द्वारा संस्तुत पैरामीटरों के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। विशेषज्ञ निकाय मूल रूपांतरण लागत अनुसूचियों और वृद्धि फार्मूले को तय करता है। फैक्ट्री के द्वार से लेवी चीनी के आंचलिक मूल्य की गणना निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् की जाती है:-

(क) गन्ने की लागत (गन्ने की ढुलाई लागत सहित)

(ख) गन्ने पर कर और शुल्क

(ग) रूपांतरण लागत, और

(घ) पूंजी पर लाभ

फैक्ट्री से लेवी चीनी के कारखाना मूल्य गन्ने की लागत, रिकवरी की प्रतिशतता, अवधि, रूपान्तरण लागत आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हुए अंचल प्रति अंचल भिन्न-भिन्न होते हैं। लेवी चीनी मूल्य निर्धारण के प्रयोजन से महाराष्ट्र को तीन अंचलों में विभक्त किया गया है। उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए चीनी मौसम 2000-2001 के लिए महाराष्ट्र के सभी तीनों अंचलों के लिए लेवी चीनी के निकाले गए कारखाना मूल्य निम्नानुसार है:

महाराष्ट्र (दक्षिणी)	-	1169.54 रुपये प्रति क्विंटल
महाराष्ट्र (मध्य)	-	1119.42 रुपये प्रति क्विंटल
महाराष्ट्र (उत्तरी)	-	1186.40 रुपये प्रति क्विंटल

चीनी मौसम 2000-2001 के लिए महाराष्ट्र के तीन अंचलों के लिए लेवी चीनी के कारखाना मूल्यों की गणना में गन्ने की औसत लागत (गन्ने की ढुलाई लागत सहित) 79.69 रुपये से 87.22 रुपये के बीच, औसत रिकवरी 10.59% से 11.00% के बीच, औसत अवधि 118 दिन से 180 दिन के बीच, चीनी की रूपान्तरण लागत 251.61 रुपये से 318.94 रुपये के बीच, आदि आती है और शीरे की बिक्री से प्राप्त धन से नकारात्मक समायोजन 18.42 रुपये से 26.13 रुपये प्रति क्विंटल के बीच होता है। उपर्युक्त कारकों के आधार पर महाराष्ट्र के तीन अंचलों के लिए लेवी चीनी के कारखाना मूल्य निकाले गए हैं और महाराष्ट्र राज्य के लिए लेवी चीनी के कारखाना मूल्य में कोई असंगतता नहीं है।

जहां तक गन्ने की ढुलाई लागत का संबंध है, विशेषज्ञ निकाय ने फरवरी, 2000 की अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि यदि चीनी मिलें गन्ने की ढुलाई पर कुछ अतिरिक्त लागत वहन करती हैं, तो वे ऐसा अपने गन्ने की उपलब्धता और चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से करते हैं और इसके फलस्वरूप खुले बाजार में चीनी की बेहतर बिक्री के जरिए अधिक लाभ प्राप्त होता है। विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशों और अन्य संगत कारकों पर विचार करने के बाद सरकार ने गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में पहले से शामिल गन्ने की ढुलाई लागत के अलावा गन्ने की ढुलाई लागत के संबंध में विचार न करने का निर्णय किया है।

कर्नाटक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परियोजनाएं

932. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष बंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन के बाद कर्नाटक राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सहयोग से कुछ प्रमुख परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रत्येक परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल कितनी राशि शामिल है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) 1 जनवरी, 2001 से 31 मई, 2001 तक की अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य के लिए कुल 410 परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं जिनमें 4906.07 करोड़ रुपए की राशि का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्ग्रस्त है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले मासिक एस.आई.ए. न्यूजलेटर में प्रकाशित किये जाते हैं जिन्हें संसद पुस्तकालय सहित विस्तृत रूप से परिचालित किया जाता है। परियोजना-वार क्रियान्वयन संबंधी अलग-अलग आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

933. **श्री ब्रजमोहन राम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के पलामू और गढ़वा जिलों में विभिन्न बैंकों द्वारा कुल कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) क्या ऋण देते समय इन बैंकों के प्रबंधकों द्वारा रिश्वत लेने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) झारखंड राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंक, इलाहाबाद बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 2000-2001 के दौरान पलामू और गढ़वा दो जिलों में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख रुपए में)

जिला	स्वीकृतियां		संवितरण	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
पलामू	229	217.85	158	141.41
गढ़वा	91	84.65	61	52.26
कुल	320	302.50	219	193.67

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

कर्नाटक के लिए विश्व बैंक से ऋण

934. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक कर्नाटक राज्य के 2,300 किमी. राजमार्ग के उन्नयन और सुधार हेतु कुल परियोजना लागत 2,030 करोड़ रुपए में से 1,635 करोड़ रुपए का ऋण जारी करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पहली किस्त कब तक जारी की गई;

(ग) क्या सामान्य 24 महीने की अवधि की तुलना में किस्त 20 महीनें में ही पूरा कर देने पर सहमति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस ऋण को कब तक वापस किये जाने की संभावना है;

(च) क्या कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण का पूरा-पूरा उपयोग किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) परियोजना के कारगर होने के पश्चात् जिसके संभवत: अक्तूबर, 2001 तक कारगर होने की आशा है, निधियां जारी की जाएंगी।

(ग) और (घ) परियोजना तैयार करने के लिए जो वार्ताएं होती हैं, उसके लिए कोई मानक समय सीमा नहीं होती है और यह प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग होती है। बैंक द्वारा परियोजना की पहचान-मिशन को पूरा कर लेने के पश्चात् परियोजना पर वार्ताएं 22 महीने में पूरी कर ली गयी।

(ङ) ऋण की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष की है जिसमें पांच वर्ष छूट की अवधि है।

(च) और (छ) जी, नहीं। ऋण अभी प्रभावी होना है।

स्वापक औषधियों की जब्ती

935. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सुरक्षा और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बड़ी मात्रा में स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों की जब्ती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्वापक औषधियों की तस्करी में शामिल अलग-अलग भार और विदेश के राज्य-वार कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है; और

(घ) स्वापक औषधियों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) महोदय नशीले पदार्थ संबंधी विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान देश में जब्त की गई स्वापक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों की विस्तृत राज्यवार सूची विवरण-I में है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नशीली दवाओं की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों, भारतीय तथा विदेशी (अलग-अलग), की गिरफ्तारी की संख्या की विस्तृत राज्यवार सूची विवरण-II में दी गई है।

(घ) नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने तथा इस पर प्रभावकारी नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने पहले से ही महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। इनमें, समस्त नशीली दवाओं की प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने तथा प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए कि जारी करना, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, फ्लड लाइटिंग के साथ भारत-पाक सीमा बाड़ लगाना, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्ति प्रदान करना स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही समन्वय संबंधी बैठकें आयोजित करना सीमा सुरक्षा बल तथा पाक रेंजरों की सीमा पर बैठकों के हिस्से के रूप में भारतीय तथा पाकिस्तानी स्वापक औषधि रोधी एजेंसियों की सीमा पार बैठकों को त्रैमासिक आधार पर आयोजित करना, म्यांमार के अधिकारियों के साथ प्रक्रियात्मक स्तर की बैठकें आयोजित करना तथा दो खोजी कुत्ते उपलब्ध कराना एवं म्यांमार के कुत्ता प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

विवरण-I

दिनांक 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार नशीली दवाओं संबंधी विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जब्त की गई नशीली दवाएं (अफीम, मार्फीन, हेरोइन, गांजा, हशीश, कोकेन, मेथाक्वालोन, फेनोबार्बिटल और एल एस डी)

(किलोग्राम में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष		
		1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	0.06	3.55	5.95
2.	आन्ध्र प्रदेश	4926.00	1716.55	32699.80
3.	अरूणाचल प्रदेश	68.67	9.11	331.24
4.	असम	13526.40	5244.54	11971.96
5.	बिहार	5861.39	924.17	1489.43
6.	चंडीगढ़	19.17	22.43	19.94
7.	दिल्ली	6271.56	6396.70	4472.69
8.	गुजरात	7111.02	751.70	988.44
9.	गोवा	94.71	250.47	85.21
10.	हिमाचल प्रदेश	94.79	137.99	307.43
11.	हरियाणा	887.58	420.65	4096.69
12.	जम्मू और कश्मीर	151.20	192.66	470.16
13.	कर्नाटक	1.49	0.00	6.68
14.	केरल	116.71	46.32	15.30
15.	मेघालय	382	21.602	768.61
16.	महाराष्ट्र	7789.09	7190.49	8758.13
17.	मणिपुर	2431.98	4600.92	6074.42
18.	मध्य प्रदेश	3134.27	667.83	800.84
19.	मिजोरम	67.04	32.97	55.06
20.	नागालैण्ड	4891	2998.05	13010.52
21.	उड़ीसा	707.80	15.54	1791.3

1	2	3	4	5
22.	पंजाब	620.82	429.98	995.91
23.	पांडिचेरी	0.00	1.07	0.93
24.	राजस्थान	947.45	1163.93	1348.39
25.	तमिलनाडु	5006.13	6133.68	2671.51
26.	त्रिपुरा	148.25	17.01	452.90
27.	उत्तर प्रदेश	7827.62	6589.51	11289.48
28.	पश्चिम बंगाल	10348.62	749.24	5602.45
29.	दमन और दीव	0.00	22.2	0.00

विवरण-II

दिनांक 30.06.2001 की स्थिति के अनुसार नशीली दवाओं संबंधी विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार नशीली दवाओं की तस्करी में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार संलिप्त पाए गए व्यक्तियों, भारतीय तथा विदेशी अलग-अलग, की संख्या

राज्य	1998 में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		1999 में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		2000 में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी
1	2	3	4	5	6	7
असम	187	0	111	0	163	0
आन्ध्र प्रदेश	309	0	214	0	964	0
अरुणाचल प्रदेश	18	0	4	0	19	3
अंडमान और निकोबार	1	0	4	0	6	0
बिहार	107	3	116	0	172	0
चंडीगढ़	24	7	12	4	21	1
दिल्ली	501	237	744	30	650	33
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
गोवा	19	16	21	3	40	9
गुजरात	308	0	209	0	218	1

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	268	2	160	0	319	0
हिमाचल प्रदेश	111	12	83	19	134	3
जम्मू और कश्मीर	82	0	85	0	82	3
केरल	280	2	204	1	50	1
कर्नाटक	0	0	0	0	9	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	407	2	135	0	201	0
मणिपुर	89	0	70	0	113	2
मिजोरम	66	0	29	4	52	3
महाराष्ट्र	884	29	710	13	602	7
मेघालय	18	0	11	0	18	0
नागालैंड	41	0	58	0	102	0
उड़ीसा	0	0	2	0	127	0
पांडिचेरी	0	0	3	0	2	0
पंजाब	311	1	343	0	755	6
राजस्थान	344	0	489	4	601	1
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	2919	7	3412	14	2165	11
उत्तर प्रदेश	5651	12	6128	0	5817	8
पश्चिम बंगाल	177	1	36	0	1554	0
त्रिपुरा	4	0	5	0	17	0

[हिन्दी]

बिहार में निजी बैंक

936. श्री राजो सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में कितने निजी बैंक हैं;

(ख) उनमें से अधिसूचित सहकारी बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में निजी बैंक खोलने हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अनुमति प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में गैर सरकारी क्षेत्र के छः बैंक कार्य कर रहे हैं।

(ख) आरबीआई ने सूचित किया है कि बिहार राज्य में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्य कर रहा है।

(ग) आरबीआई ने सूचित किया है कि बिहार राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र का नया बैंक खोले जाने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) आरबीआई ने गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंक के प्रवेश के संबंध में जनवरी 2001 में संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं। मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित है कि नए बैंक की प्रारंभिक निम्नतम चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपए होगी जिसे कि कारोबार की शुरूआत के बाद अनुवर्ती तीन वर्षों में 300 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, इन मार्गनिर्देशों में यह शर्त है कि नए बैंक का प्रवर्तन कोई बड़ा औद्योगिक घराना नहीं होना चाहिए। तथापि, बड़े औद्योगिक घरानों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंद्ध अलग-अलग कंपनियों को नए गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक की इक्विटी में चुकता पूंजी के अधिकतम 10 प्रतिशत तक भाग लेने की अनुमति प्रदान की जा सकती है किन्तु उनका बैंक पर नियंत्रण नहीं होगा। ये मार्गनिर्देश गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक में परिवर्तित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करते हैं।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी

937. **श्री सुरेश रामराव जाधव:**
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर राजस्थान में कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों विशेष रूप से राजस्थान द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1 जनवरी, 2001 से 30 जून, 2001 तक की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज मामलों (प्रथम सूचना रिपोर्ट) की संख्या 10 है। अन्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) कार्रवाई राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है। उनके द्वारा की गई कार्रवाई की केन्द्र सरकार द्वारा समीक्षा नहीं की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभियोजित व्यक्तियों की सं.	वर्ष 2001 के दौरान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9	मार्च तक
2.	असम	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	अप्रैल तक
4.	बिहार	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	
5.	छत्तीसगढ़	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	
6.	दिल्ली	शून्य	मई तक
7.	गुजरात	8	अप्रैल तक
8.	गोवा	शून्य	मई तक
9.	हरियाणा	शून्य	मई तक
10.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	अप्रैल तक

1	2	3	4
11.	जम्मू व कश्मीर	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	
12.	झारखंड	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	
13.	कर्नाटक	69	अप्रैल तक
14.	केरल	शून्य	मई तक*
15.	मध्य प्रदेश	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	
16.	महाराष्ट्र	55	अप्रैल तक
17.	मणिपुर	शून्य	अप्रैल तक
18.	मेघालय	शून्य	मई तक
19.	मिजोरम	शून्य	अप्रैल तक
20.	नागालैंड	शून्य	मई तक*
21.	उड़ीसा	49	मई तक
22.	पंजाब	शून्य	मई तक
23.	सिक्किम	शून्य	अप्रैल तक
24.	तमिलनाडु	996	मार्च तक
25.	त्रिपुरा	26	अप्रैल तक
26.	उत्तरांचल	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	
27.	उत्तर प्रदेश	38	मई तक
28.	पश्चिम बंगाल	39	अप्रैल तक
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	मार्च तक
30.	चंडीगढ़	शून्य	जनवरी तक
31.	दादर व नागर हवेली	4	मार्च तक
32.	दमन व दीव	शून्य	अप्रैल तक
33.	लक्षद्वीप	शून्य	मई तक
34.	पांडिचेरी	7	मई तक

*मार्च के अलावा

खरीद हेतु एफ.सी.आई. को धनराशि जारी करना

938. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में मिल मालिकों से चावल खरीदने हेतु केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को 150 करोड़ रुपये जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा आंध्र प्रदेश से मूल्य ब्यौरा सहित कुल कितनी मात्रा में चावल की खरीद की गई;

(ग) क्या इस अतिरिक्त चावल खरीददारी को निर्यात हेतु निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) 23.7.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ने आन्ध्र प्रदेश में 65.88 लाख टन चावल (चावल के रूप में धान सहित) की वसूली की है जबकि पिछले वर्ष की तद्नुरूपि अवधि के दौरान 51.30 लाख टन की वसूली की गई थी। आन्ध्र प्रदेश में चावल के लेवी मूल्य निम्नानुसार हैं:-

(रुपये प्रति क्विंटल)

साधारण		ग्रेड ए	
रॉ	सेला	रॉ	सेला
899.80	900.90	949.60	950.00

(ग) और (घ) सरकार ने वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल से 30 लाख टन तक चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा बकाया राशि जारी किया जाना

939. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से 85 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है जो कर्नाटक में किसानों से मक्का खरीदने के कारण भारतीय खाद्य निगम पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम बकाया राशि जारी करने में कठिनाई का सामना कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो विलंब के प्रमुख कारण क्या हैं और उक्त राशि को कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान किसानों से सीधे वसूल की गयी मक्का का पूर्ण भुगतान कर दिया है। भारतीय खाद्य निगम के उप-एजेंट के रूप में कर्नाटक खाद्य और नागरिक पूर्ति निगम द्वारा 28.2.2001 तक वसूल की गयी मक्का के लिए 1.98 करोड़ रुपये को छोड़कर पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। यह राशि कर्नाटक खाद्य और नागरिक पूर्ति निगम से सही अंतिम स्टाक का विवरण प्राप्त होते ही निर्मुक्त कर दी जाएगी।

कर्नाटक खाद्य और नागरिक पूर्ति निगम ने भी भारतीय खाद्य निगम के उप-एजेंट के रूप में 1.3.2001 से 31.3.2001 तक की अवधि के दौरान 1,26,015 टन मक्का की वसूली की है और इसकी लागत लगभग 56 करोड़ रुपये बैठती है। भारतीय खाद्य निगम 1,26,015 टन मक्का के स्टाक का निपटान होते ही इस राशि को निर्मुक्त करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 'नाबार्ड' द्वारा वित्त पोषण

940. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक प्रत्येक राज्यों को 'नाबार्ड' द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) आज की तारीख में इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कितने जिलों को शामिल किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि पनधारा विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू डी एफ) के तहत निधियों का राज्य-वार अनंतिम आबंटन निम्नलिखित है:

क्रम सं.	राज्य	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	20
2.	गुजरात	20
3.	कर्नाटक	20
4.	महाराष्ट्र	20
5.	उत्तर प्रदेश	20
6.	उड़ीसा	10
7.	तमिलनाडु	10
8.	राजस्थान	10
9.	हिमाचल प्रदेश	10
10.	पश्चिम बंगाल	10
11.	झारखण्ड	10

(ख) डब्ल्यू डी एफ के तहत शामिल किए गए जिलों के राज्य-वार नाम निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	राज्य का नाम	शामिल किए गए जिले
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर, मेडक, वारांगल, रंगारेड्डी, करीमनगर, करीमनगर, विजयानगरम, अदिलाबाद, कुड्डप्पाह, निजामाबाद (10)
2.	गुजरात	अमरेती, बनासकांठा, भरूच, डांग्स, दहोद, कच्छ, नर्मदा, राजकोट और सुरेन्द्रनगर (9)
3.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कुलू, कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन (9)
4.	कर्नाटक	बिदर, चित्रदुर्ग, धरवाड़, कोलर, गुलबर्ग, मैसूर, रायचूर, तुमकूर, बल्लारी, बिजापुर, बंगलौर (आर), हसन कोपल, गड़ग, देवनगरे, चमराजनगर, हवेरी (17)
5.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, बीड़, धुले, नंदुरबार, ओसमानाबाद, थाणे, वर्धा, यवतमाल (8)
6.	उड़ीसा	बोलनगीर, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, नौपाड़ा, रेगदा, नवरंगपुर, फुलबनी (8)
7.	राजस्थान	अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, डूंगरपुर, झालवाड़, जालोर, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर (10)
8.	तमिलनाडु	डिंडीगल, पुदुकोट्टाई, रामनाथपुरम, सिवांगना, तिरूनलवेली, टुटीकोरन (6)
9.	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट धाम, फतेपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बहराइच, बलरामपुर और सोनभद्र (8)
10.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा, पुरूलिया, बीरभूम, बर्द्धवान, मिदनापुर, दार्जिलिंग (6)
11.	झारखण्ड	धनबाद, देवगढ़, गिरीडीह, गुमला, हजारीबाग, रांची, साहिबगंज, गोड्डा, सिंहभूम (पूर्व), सिंहभूम (पश्चिम) (10)

सुपर बाजार को अर्थक्षम बनाना

941. श्री जय प्रकाश: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्थित सुपर बाजार को अर्थक्षम बनाने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार सुपर बाजार को दिल्ली सरकार को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) सुपर बाजार एक बहु राज्यीय सहकारी समिति है, इसका अपना निदेशक मंडल है जो इसके विकास के लिए नीतियों तथा क्रियाविधियों का निरूपण करती है। भारत सरकार ने जून, 1997 में सुपर बाजार में अपनी अंश भागीदारी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। किन्तु मामलों के दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित होने तथा कानूनी कठिनाइयों के कारण, प्रस्तावित हस्तांतरण की औपचारिकताओं को इस बीच पूरा नहीं किया जा सका। तथापि, 29 जून, 2001 को केन्द्र सरकार को सूचित किया गया है कि सुपर बाजार के हस्तांतरण के प्रस्ताव को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार सुपर बाजार को इसके समस्त कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए ऋण सहायता के जरिए सहायता देना जारी रखे हुए हैं।

[अनुवाद]

विश्व बैंक ऋण

942. **श्री ए. नरेन्द्र**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार देश में कई राज्यों ने विश्व बैंक का बकाया नहीं चुकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों के नाम एवं बकाया राशि कितनी है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। राज्यों को विदेशी अभिकरणों, जिनमें विश्व बैंक भी शामिल है, के सीधे ऋण लेने की अनुमति नहीं दी जाती और इसलिए राज्यों द्वारा विश्व बैंक को भुगतान न किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। सभी ऋण भारत सरकार को प्रदान किए जाते हैं और भारत सरकार द्वारा ही ऋण शोधन भुगतान विदेशी दाताओं को किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा विदेशी अभिकरणों को ऋण शोधन भुगतान में चूक का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र

943. **श्रीमती रेनु कुमारी**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने व्यक्तियों ने आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया है और उनमें से कितने अभी भी आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की प्रतीक्षा में हैं;

(ख) उनको आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र जारी न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ये आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान 2467 व्यक्तियों ने विदेश जाने के प्रयोजनार्थ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230 के प्रावधानों के अन्तर्गत कर भुगतान प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया है। उनमें से सभी को प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230क के अंतर्गत आने वाले मामलों के दस्तावेजों के पंजीयन हेतु आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र के लिए आवेदनों से संबंधित कोई केन्द्रीकृत आंकड़े दिल्ली क्षेत्र में नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) ऐसे मामलों में आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जाते हैं जहां कर या तो बकाया है अथवा इसके भुगतान के लिए संतोषजनक व्यवस्था नहीं की जाती है। धारा 230क के प्रावधानों के अन्तर्गत आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र के मामले में उनकी निकासी के लिए 60 दिनों की समय-सीमा उपलब्ध थी तथा कर निर्धारण अधिकारी के लिए उन मामलों में कारणों को दर्ज करने के उपरान्त लिखित रूप से एक आदेश पारित करना अपेक्षित होता था जहां आयकर भुगतान प्रमाणपत्र अस्वीकृत कर दिए जाते थे। तथापि, धारा 230क के प्रावधानों के अन्तर्गत आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र की अपेक्षा को उस प्रावधान का विलोपन करके 1.6.2001 से समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में खाद्यान्नों की खरीद

944. **डा. जसवंत सिंह यादव**: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजस्थान से खाद्यान्नों की कम मात्रा में खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान से आज तक राजस्थान से कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) वर्तमान रबी विपणन मौसम 2001-2002 के दौरान, 23.7.2001 की स्थिति के अनुसार, 676283 टन गेहूं की वसूली की गयी है, जबकि रबी विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान कुल 538679 टन गेहूं की वसूली हुई थी।

वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान 23.7.2001 की स्थिति के अनुसार, 26353 टन चावल की वसूली की गयी है, जबकि खरीफ विपणन मौसम 1999-2000 के दौरान कुल 32399 टन चावल की वसूली हुई थी।

[अनुवाद]

मध्यकालिक निर्यात-आयात नीति

945. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्यकालिक निर्यात-आयात नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्यात-आयात नीति का प्रारूप पहले ही तैयार कर दिया गया था और इसे विचार किए जाने हेतु कृषि मंत्रालय एवं वाणिज्यिक तथा औद्योगिक एसोसिएशन को भेज दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन निकायों की प्रतिक्रिया कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(ङ) इसे कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ङ) चूंकि निर्यात संवर्द्धन सरकार द्वारा निरन्तर किया जाने वाला प्रयास है इसलिए कार्य-योजनाओं और नीतियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और समय-समय पर उनमें परिवर्तन घोषित किए जाते हैं। वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार की जा रही मध्यावधि निर्यात कार्य-योजना में सामान्यत: अन्य प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता के आधार पर निर्यात की संभावित मदों का पता लगाने के लिए भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के आयात क्षेत्रों की जांच की जाएगी, भारत के निर्यातों को प्रभावित करने वाले बड़े मुद्दों के साथ-साथ हमारे प्रमुख निर्यातों की देश और वस्तुवार विशिष्टताओं तथा क्षेत्र विशिष्ट कार्य-योजना की जांच की जाएगी।

इस कार्य-योजना को निर्यात संवर्द्धन निकायों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है और इसे अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व सभी संबंधित पक्षों से परामर्श किया जाएगा।

महाराष्ट्र की परियोजनाओं को विश्व बैंक सहायता

946. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं प्रस्तुत की गई है;

(ख) ये परियोजनाएं केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए किस तिथि से लंबित हैं;

(ग) इन परियोजना प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया कब तक आरंभ होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे सभी परियोजना प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय ने कार्रवाई आरंभ कर दी है।

(घ) इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक परियोजना में भिन्न हो सकती है।

विवरण

महाराष्ट्र की परियोजनाओं को विश्व बैंक सहायता

क्रम सं.	परियोजना प्रस्ताव का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	महाराष्ट्र जलापूर्ति एवं मल-व्ययन परियोजना चरण-II	महाराष्ट्र सरकार द्वारा अगस्त, 1998 में शहरी विकास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। शहरी विकास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से दि. 28.5.2001 को परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	आर्थिक कार्य विभाग में दि. 3.6.99 को मूल परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा संशोधित अवधारणा दस्तावेज ग्रामीण विकास मंत्रालय को दि. 18.5.2001 को प्रस्तुत किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चाहती थी। आर्थिक कार्य विभाग ने राज्य सरकार से दि. 28.6.2001 को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट देने के लिए कहा।
3.	महाराष्ट्र वानिकी परियोजना चरण-III	विश्व बैंक को दि. 19.8.1999 को उनके विचारार्थ प्रस्तुत की गई। बैंक के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
4.	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	विश्व बैंक को दि. 31.07.1998 को प्रस्तुत की गई। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से तैयार की जा रही है।
5.	सड़कों को मजबूत बनाना तथा उसकी सतह पर सामग्री बिछाना	आर्थिक कार्य विभाग ने दि. 2.12.1999 को महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए कहा। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
6.	मध्य वैतरणा (IV मुम्बई जलापूर्ति परियोजना)	विश्व बैंक की सलाह पर आर्थिक कार्य विभाग ने दि. 27.9.2000 को राज्य सरकार से परियोजना को नए सिरे से तैयार करने की सलाह दी। महाराष्ट्र सरकार के उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रपत्र लेखे

947. श्री रामजी मांझी: क्या वित्त मंत्री 25 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5021 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी नियमों/मानदण्डों का पालन नहीं करने वाले उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न सं. 5021 को 25.8.2000 को आश्वासन में परिवर्तित कर दिया गया था। आश्वासन को उसके बाद सभी सम्बद्ध ब्यौरों सहित 25.5.2001 को पूरा कर दिया गया है।

(ग) संबंधित मंत्रालय/विभाग प्रपत्र लेखे को अद्यतन करने के प्रयास करते रहे हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को इस संबंध में गहन निगरानी रखने का भी परामर्श दिया गया है।

समूह अतिलघु वित्तपोषण योजना

948. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार गली-कूचों में सामान बेचने वाले लोगों तथा फेरीवालों, जिनकी संख्या लगभग 1.55 करोड़ है, को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक समूह अतिलघु वित्तपोषण योजना (ग्रुपमाइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम) बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र जिसमें गली-कूचों में सामान बेचने वालों तथा फेरीवालों के अतिरिक्त दुकानों पर काम करने वाले, घरों में नौकर का काम करने वाले, सड़कों पर रहने वाले बच्चे, बेसहारा तथा वृद्ध व्यक्ति शामिल हैं, के विषय में भी एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना को योजना आयोग द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(च) किन-किन राज्यों ने पहले ही इस योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है; और

(छ) उक्त वर्गों के व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार लाने में यह योजना किस हद तक मददगार सिद्ध होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (छ) जी, नहीं, देश में गली-कूचों में सामान बेचने वालों और फेरीवालों की सहायता करने हेतु विशिष्ट समूह-अतिलघु वित्तपोषित योजना (ग्रुप माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम) तैयार करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) के अन्तर्गत, गली-कूचों में सामान बेचने वालों और फेरीवालों आदि और गरीब महिलाओं को समूह ऋणों सहित शहरी गरीबों को ऋणों के लिए प्रावधान है।

शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, फिलहाल गली-कूचों में सामान बेचने वालों और फेरीवालों के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है क्योंकि वे नगर-पालिका नियमों के सम्बद्ध उपबन्ध के अनुसार नगर निकायों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

[हिन्दी]

एफ.एम. प्रसारण केन्द्र

949. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मई, 2000 की स्थिति के अनुसार देश के चालीस चुनिंदा शहरों में एफ.एम. रेडियो प्रसारण के लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक शुरू किए गए एफ.एम. प्रसारण केन्द्रों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इनमें से कई एफ.एम. केन्द्रों ने प्रसारण आरंभ नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) लाइसेंस धारकों के लिए अंतिम समय सीमा क्या तय की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) पहले चरण में, 40 चुने हुए शहरों के लिए निजी एजेंसियों के माध्यम से एफ.एम. प्रसारण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी। 19 केन्द्रों के लिए 16 कम्पनियों के साथ लाइसेंस समझौते किए गए हैं जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

मैसर्स म्यूजिक ब्रॉडकास्ट प्रा. लि. ने सूचित किया है कि उन्होंने बंगलौर में अपने एफ.एम. केन्द्र को 3 जुलाई, 2001 को प्रचालित कर दिया है।

(घ) से (च) लाइसेंस समझौते के अनुसार लाइसेंसधारियों द्वारा बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध, संचार मंत्रालय द्वारा आवंटिता नियत करने की तारीख से 12 मास के भीतर प्रसारण सुविधा को प्रतिष्ठापित करना और चालू करना अपेक्षित है।

विवरण

चैनलों की संख्या तथा केन्द्रों के नाम सहित कम्पनियों के नाम

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	केन्द्रों के नाम सहित चैनलों की संख्या	
1.	एन्टरटेंमेंट नेटवर्क (इंडिया) लि.	अहमदाबाद, भुवनेश्वर कटक, कोलकाता, चैन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, जबलपुर, लखनऊ, मुम्बई, पुणे	12
2.	वरटेक्स "बी" कास्टिंग का. प्रा. लि.	भोपाल, कोलकाता इन्दौर विशाखापट्टनम	4
3.	इंडिया एफ.एम. रेडियो प्रा.लि. नई दिल्ली	कोलकाता	
4, 5, 6.	रेडियो टूडे (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता)	कोलकाता, दिल्ली, मुम्बई	1
7.	म्यूजिक "बी" कॉस्ट प्रा.लि.	दिल्ली, बैंगलूर, लखनऊ मुम्बई, नागपुर, पटना	6
8.	मैसर्स सन टी.वी.	चैन्नई, कोयम्बटूर, तिरूनेलवेली	3
9, 10 एवं 11.	मीलेनियम दिल्ली/चेन्नई/मुम्बई/बी काशट (प्रा.) लि.	दिल्ली, चैन्नई, मुम्बई	3
12.	मैसर्स उदय टी.वी., लि.	विशाखापट्नम	1
13.	हिटज एफ.एम. रेडियो इंडिया प्रा. लि.	कोलकाता	1
14.	रेडियो मिडे-डे वेस्ट (इंडिया) लि. मुम्बई	मुम्बई	1
15.	मिड-डे रेडियो नार्थ (इंडिया) लि. मुम्बई	दिल्ली	1
16.	मिड-डे रेडियो साऊथ (इंडिया) लि. मुम्बई	चैन्नई	1

आयकर विभाग में स्थानांतरण नीति

950. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थानांतरण नीति के संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा परिपत्र सं.ए. 35015/68/95-ए.डी.-6, दिनांक 9.11.1999 के द्वारा जारी किए गए मार्गनिदेशों का आयकर विभाग में काम करने वाले उप-निदेशकों (राजभाषा) के स्थानान्तरण के प्रकरणों में अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आयकर विभाग में, विशेषकर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में, ऐसे कुल कितने उप-निदेशक (राजभाषा) और सहायक निदेशक (राजभाषा) हैं, जो पंद्रह वर्षों से भी अधिक की अवधि से एक ही जगह पर कार्यरत है;

(घ) क्या सरकार तथा आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को माननीय संसद सदस्यों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

(नराकास) के सदस्य कार्यालयों की ओर से इन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और कार्यालयवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय कोई भी उप-निदेशक (राजभाषा) विगत 15 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्य नहीं कर रहा है। तथापि, 4 सहायक निदेशक (राजभाषा) आयकर विभाग में 15 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार भोपाल, पुणे, अहमदाबाद तथा अमृतसर में कार्य कर रहे हैं। ये समूह ''ख'' अधिकारी हैं तथा इन्हें उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। उनके अपने-अपने क्षेत्र में कोई ऐसी जगह नहीं जहां उनके अन्त:क्षेत्रीय स्थानान्तरण के आदेश किए जा सकें।

(घ) और (ङ) अहमदाबाद स्थित मुख्य आयकर आयुक्त के कार्यालय में तैनात सहायका निदेशक (राजभाषा) के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें प्रोत्साहन स्कीम को कार्यान्वित करने में अपयोजन एवं अनियमितताएं बरतने तथा मैग्जीन आदि के प्रकाशन के बारे में थी।

(च) मामले की जांच-पड़ताल की गई थी तथा यह पाया गया था कि शिकायत में कोई सच्चाई नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय कंपनियों द्वारा अपना कारोबार देश से हटाकर विदेशों में स्थापित करना

951. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लगभग एक हजार भारतीय कंपनियां अपने कारोबार तथा प्रतिष्ठानों को कुछ विदेशी राष्ट्रों में ले गयी हैं अथवा ले जाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके द्वारा स्थान परिवर्तन के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस तरह की गतिविधि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, को रोकने बल्कि इन्हें देश में ही अपने कारोबारी प्रतिष्ठानों को जमाए रखने के लिए राजी करने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (घ) भारतीय कंपनियों द्वारा किया जाने वाला बाहरी निवेश, विश्व के अन्य भागों में उनकी उपस्थिति दर्ज कराने का एक साधन है। इससे उन्हें विदेशों में अपने बाजार का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। सरकार ने बाहरी निवेश के लिए एक उदार नीति लागू की है, जिसके तहत कंपनियां मुख्य कार्यकलापों और निवलमान संबंधी मानदंडों की शर्तों के अध्यधीन 50 मिलियन अमेरिकी डालर तक की राशि के लिए स्वत: मार्ग को अपना सकती हैं।

कंपनियों को जी डी आर/ए डी आर प्राप्तियों तथा निर्यात आय के प्रति भी बाहरी निवेश की अनुमति है और इक्विटी विनियम के द्वारा भी, जिसके तहत कोई भारतीय कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किये गये अनुमोदित अनुपात के अनुसार किसी विदेश स्थित कंपनी की इक्विटी के साथ अपनी इक्विटी की अदला-बदली करके उसमें इक्विटी स्टेक प्राप्त कर लेती है। स्वत: मार्ग के तहत न आने वाले मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के अनुसार विचार किया जाता है।

बैंकों की पूंजी

952. श्री ए. साहनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें उसकी पूंजी के अंश को सरकार को लौटाने की बात की गई है;

(ख) यदि हां, तो पूंजी के कितने अंश की वापसी की बात की गई है;

(ग) पूंजी को लौटाने का उद्देश्य क्या है;

(घ) क्या अन्य बैंकों ने भी इसी प्रकार की पेशकश की है; और

(ङ) यदि हां, तो पूंजी को इस प्रकार लौटाने के सरकार का बैंकों पर नियंत्रण तथा उनके कार्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 के क्रम में राष्ट्रीयकृत बैंक की चुकता पूंजी समय-समय पर और लोक निर्गम के दौरान कोई चुकता पूंजी जुटाए जाने से पूर्व, उक्त अधिनियम में दी गई कतिपय शर्तों के अध्यधीन बैंक की जरूरतों से अधिक वाली किसी चुकता पूंजी का भुगतान करके भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से निदेशक मंडल द्वारा घटाई जा सकती है। आन्ध्रा बैंक ने लोक निर्गम के द्वारा पूंजी जुटाने से पूर्व अपनी पूंजी के पुनर्गठन के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकार को 47,95,04,536.05 रु. की इक्विटी पूंजी की राशि लौटाने का केन्द्र सरकार को प्रस्ताव पेश किया था।

(घ) बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कारपोरेशन बैंक और पंजाब नैशनल बैंक ने विगत में केन्द्र सरकार को इक्विटी पूंजी वापस की है।

(ङ) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक की शेयरपूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत का केन्द्र सरकार के पास निवेश किया जाएगा, जिसके द्वारा केन्द्र सरकार अधिकांश ऋण तो रखे रहेगी ही, साथ ही इन बैंकों के प्रबंधन पर नियंत्रण भी रखेगी।

सकल घरेलू उत्पाद

953. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री साहिब सिंह:
श्री शिवाजी माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की विकास दर का क्या अनुमान लगाया गया है;

(ख) चालू वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान अर्थात् 30 जून, 2001 तक उक्त के संबंध में क्या उपलब्धि रही;

(ग) विकास-दर में धीमापन आने के, यदि कोई हो तो क्या कारण हैं; और

(घ) अर्थव्यवस्था में विकास की लक्षित दर को प्राप्त करने के लिए वर्ष के द्वितीयार्ध के दौरान, सरकार ने अब तक क्या उपाय किए हैं अथवा करने का उसका विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) नौवीं योजना (1997-2002) के लिए सकल घरेलू उत्पाद की लक्षित वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के अद्यतन उपलब्ध त्रैमासिक अनुमानों के अनुसार, जनवरी-मार्च, 2001 वाली तिमाही के लिए स्थिर कीमतों (1993-94) और उपादान लागत पर स.अ.उ. में 3.8 प्रतिशत वृद्धि होने के अनुमान है जो वर्ष 2000 की इसी तिमाही में 6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में है। जनवरी-मार्च, 2001 वाली तिमाही में समग्र स.घ.उ. वृद्धि में आई यह कमी मुख्यत: खनन और उत्खनन, विनिर्माण बिजली, गैस जल आपूर्ति विशेषकर निर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों से उत्पन्न जी.डी.पी. वृद्धि में गिरावट में कारण है। अप्रैल-जून, 2001 की तिमाही के लिए स.घ.उ. के अनुमान सितम्बर, अन्त 2001 तक उपलब्ध होंगे। अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियों की गहन मॉनीटरिंग और लगातार समीक्षा की जाती है तथा उभरती हुई प्रवृत्तियों को देखते हुए समुचित निर्णय लिए जाते हैं। उच्च वृद्धि को बढ़ावा देने और उसे प्राप्त करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कृषि सुधारों में तेजी लाना, बुनियादी ढांचे के लिए निवेश को बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्र, और पूंजी बाजारों में सुधार को जारी रखना तथा संरचनात्मक सुधारों को गहन करना, बेहतर शैक्षणिक अवसरों और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के जरिए मानव विकास, सरकारी व्यय को कम करने में गुणात्मक सुधार, निजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना और सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन आदि शामिल हैं। बजट में घोषित नीतिगत प्रयासों का चालू वर्ष के दौरान अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

[हिन्दी]

बैंक जमा पर उच्च ब्याज दरें

954. **डा. अशोक पटेल:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामान्य जमाकर्ताओं की अपेक्षा वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि पर ऊंची दरों पर ब्याज देय के लिए बैंक को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बढ़ी हुई ब्याज दरों के कब से लागू किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी यात्रा की सामान्य जमाराशियों की तुलना में उच्च एवं निर्धारित ब्याज दर देने वाली सावधि जमा योजना शुरू करने की अनुमति प्रदान की है।

(ग) बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी विशेष मीयादी जमा योजनाओं के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर अपनी सामान्य ब्याज दर की तुलना में अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान करना पहले ही शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रेस परिषद् का प्रतिस्थापन

955. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रेस परिषद् को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर एक नई 'मीडिया परिषद्' बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस परिषद् को कब तक कार्यशील किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कर्मचारियों की संख्या में कमी करना

956. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के सरकार के अनुदेश का पालन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से अधीनस्थ विभागों को बंद करने का निर्णय लिया गया है और इनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या अतिशेष कर्मचारियों को पुन: तैनात करने की योजना तैयार कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

माधवपुरा मर्केन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को पुनरूजीवित करना

957. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रुग्ण माधवपुरा मर्केन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को पुनरूजीवित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हा, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान अन्य और कितने रुग्ण कोऑपरेटिव संस्थाओं को ऐसा ही पैकेज प्रदान किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। पुनरूजीवित प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) गत एक वर्ष के दौरान किसी सहकारी बैंक के लिए ऐसी कोई पुनरूजीवन योजना नहीं तैयार की गई है।

डी.डी. मेट्रो के लिए बोलियां

958. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डी.डी. मेट्रो चैनल पर तीन घण्टे के टाइम-स्लॉट के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी बोलियां आई हैं और डी.डी. मेट्रो का उक्त टाइम-स्लॉट प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी पार्टियां इच्छुक हैं; और

(ग) डी.डी. मेट्रो पर कौन से टाइम-स्लॉट उपलब्ध हैं, इन्हें कितनी अवधि के लिए दिया जाता है और इनसे कितनी राशि अर्जित होने का अनुमान है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने डी.डी. मेट्रो पर सायं 7 बजे से रात्रि 00.30 बजे के प्रसारण समय हेतु बोलियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया था।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सांय 7.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे और रात्रि 9.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के बीच समय स्लॉट एक मुक्त बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स नाइन नेटवर्क आस्ट्रेलिया पार्टी लि. को आबंटित किए गए थे जो क्रमश: 10.9.2001 तथा 15.10.2001 को समाप्त हो रही है। रात्रि 10 बजे से 00.30 बजे के बीच समय स्लॉट पहले से खाली थे। इसलिए सांय 7.00 बजे से रात्रि 00.30 बजे के बीच प्रसारण समय के लिए खुली बोलियां आमंत्रित की गई थी जिसमें सायं 7 से 11 बजे के बीच समय के लिए 115 करोड़ रु. की न्यूनतम कीमत रखी गई थी तथा रात्रि 11.00 बजे से 12.30 बजे के बीच समय के लिए कोई न्यूनतम कीमत नहीं रखी गई थी। इसके उत्तर में रात्रि 11.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे के स्लॉट के लिए मैसर्स मूविंग पिक्चर्स कम्पनी इंडिया प्रा. लि. से 50 लाख रु. निवल के प्रस्ताव सहित केवल एक बोली प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात् प्रसार भारती ने कोई न्यूनतम कीमत निर्धारित किए बिना सांय 7.00 बजे से 11.00 बजे के स्लॉट के लिए नए सिरे से बोलियां आमंत्रित करने का निर्णय किया। टाइम स्लॉट, बोलीदाता का नाम तथा उनके द्वारा प्रस्तावित राशि का विवरण इस प्रकार है:-

समय स्लॉट	बोलीदाताओं के नाम	बोली की राशि (रुपयों में)
सायं 7.00 बजे से 8.00 बजे रात्रि	मैं. प्रचार कम्युनिकेशन्स	1,00,53,158/-
रात्रि 8.00 बजे से 9.00 बजे रात्रि	मै. प्रीतिश चन्द्र कम्युनिकेशन्स	1,01,00,000/-
	मै. प्रचार कम्युनिकेशन्स	
	मैं. श्री अधिकारी ब्रदर्स	4,60,34,921/-
		9,00,00,000/-
रात्रि 9.00 बजे से 10.00 बजे रात्रि	मैं. प्रचार कम्युनिकेशन्स	6,38,00,921/-
	मैं. श्री अधिकारी ब्रदर्स	9,00,00,000/-
रात्रि 10.00 बजे से 11.00 बजे रात्रि	मैं. प्रचार कम्युनिकेशन्स	4,00,67,,921/-
उच्चतम बोलियों का कुल योग		23,01,21,079 (निबल)

प्राप्त हुई बोली प्रस्तावों की राशि बहुत कम थी और प्रसार भारती ने विधिवत रूप से विचार करने के बाद प्रस्तावों को रद्द कर दिया।

[हिन्दी]

एफ.एम. समाचार-चैनल

959. श्री अखिलेश यादव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 24 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1082 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रसार भारती की तरफ से चुनिंदा शहरों में 24 घंटे के एफ.एम. समाचार-चैनल शुरू करने का प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(घ) किन-किन स्थानों पर इन एफ.एम. समाचार-चैनलों को शुरू किया जाता है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने चार महानगरों सहित देश के 12 केन्द्रों में एफ.एम. समाचार चैनलों की स्थापना करने का एक प्रस्ताव भेजा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहरी सहकारी बैंक

960. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'फिक्की' ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए भी वैसे ही सुधार शुरू करने की मांग की है, जैसे वाणिज्यिक बैंकों के लिए शुरू किए गए हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बैंकों के लिए नीति राज्य सरकार तैयार करती है और मानीटरन तथा पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो शहरी सहकारी बैंकों पर से दो तरफ नियंत्रण को हटाने तथा वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए विनियमन की जिम्मेदारी बोर्ड को सौंपने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है इस संदर्भ में उन्हें भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल सहासंघ से कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) शहरी सहकारी बैंक (यू सी बी) जो प्रथमत: सहकारी समिति के रूप में कार्यरत है, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (कॉपरेटिव सोसाइटी (एएसीएस) के लिए लागू) के विभिन्न उपबंधों के साथ-साथ राज्य सहकारी समिति अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के तहत शासित हैं। निगमन, पंजीकरण, प्रबंधन, समामेलन, पुनर्संरचना या परिसमापन से संबंधित शक्ति का प्रयोग संबंद्ध राज्य के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार द्वारा राज्य के अपने सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत किया जाता है। बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के कार्यक्षेत्र के तहत आने वाले बैंकों के मामले में इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग सहकारी समिति के केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। लाइसेंस जारी करना, ब्याज दर से संबंधित मुद्दे, ऋण-नीति, निवेश, विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदंड इत्यादि जैसे बैंकिंग कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (ए ए सी एस) के उपबंधों के तहत नियंत्रित एवं देख-रेख की जाती है।

(घ) विद्यमान संवैधानिक उपबंधों के अनुसार, ''बैंकिंग एवं कॉपरेटिव सोसायटी'' विषय क्रमश: संघीय सूची एवं राज्य सूची के तहत आता है और इसलिए सहकारी बैंकों पर ''नियंत्रण का दोहरापन'' अपरिहार्य है। श्री जगदीश कपूर, पूर्व उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के नेतृत्व में सहकारी बैंक के लिए गठित टास्क फोर्स तथा शहरी सहकारी बैंक के लिए गठित माधव राव समिति जैसी विभिन्न विशेषज्ञ निकायों ने सहकारी बैंकों पर से नियंत्रण का दोहरापन हटाने के लिए कई सिफारिशें की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी यू सी बी के लिए शिखर पर्यवेक्षी निकाय के गठन की सलाह दी है। ये सिफारिशें सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के परीक्षाधीन है।

'इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड' का 'भेल' के साथ विलय

961. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 'इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पालघाट' की तरफ से इस आशय का कोई प्रस्ताव मिला है कि उसका 'भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड' (भेल) में विलय कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा संस्वीकृत पुनरुद्धार योजना में परिकल्पित कारपोरेट पुनर्संरचना के एक भाग के रूप में पालघाट सहित इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा (आईएलके) की तीन यूनिटों के संबंध में संयुक्त उद्यम के गठन के लिए आमंत्रित किए गए रुचि व्यक्त करने संबंधी प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया है।

विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

962. **श्री प्रबोध पण्डा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को इस वर्ष के अंत में दोहा में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्तावित सम्मेलन में अपने रूख के संबंध में राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से औपचारिक विचार-विमर्श करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां। डब्ल्यू टी ओ का चौथा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 9 से 13 नवम्बर, 2001 तक दोहा, कतर में आयोजित होना निश्चित हुआ है।

(ख) और (ग) सरकार राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों समेत सभी हितबद्ध पक्षों के साथ डब्ल्यू टी ओ मुद्दों पर निरंतर सक्रिय परामर्श करने में लगी हुई है। इस बारे में सरकार द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं। जिनमें शामिल हैं:- राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और राज्यों के खाद्य एवं कृषि मंत्रियों के साथ सितम्बर, 2000 में परामर्श, फरवरी, 2001 में आयोजित वाणिज्य विभाग से संबद्ध संसदीय परामर्शदायी समिति की बैठक में माननीय सदस्यों के साथ विचार-विमर्श, मार्च, 2001 में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों/प्रशासकों के लिए डब्ल्यू टी ओ मुद्दों पर कार्यशाला, 21.5.2001 को आयोजित कृषि एवं खाद्य प्रबंधन संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन और देश के विभिन्न सेमीनारों और कार्यशालाओं में डब्ल्यू टी ओ मुद्दों पर विशेष प्रस्तुतीकरण। 26 जुलाई, 2001 को एक और कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों ने भाग लिया है। विभाग ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा डब्ल्यू टी ओ से संबंधित मुद्दों पर आयोजित की जाने वाली किसी सेमीनार/कार्यशाला के लिए सूझबूझ रखने वाले व्यक्तियों को भेजने का भी प्रस्ताव किया है।

भारतीय गेहूं को अस्वीकार किया जाना

963. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इराक सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिये गये गेहूं की सफाई का कार्य एक निजी कंपनी को दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रारंभिक अवस्था में इराक सरकार को भारतीय गेहूं का निर्यात करने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार को सफाई कार्य एक निजी कंपनी को देने से कितना घाटा हुआ है;

(ङ) क्या सरकार ने इस गेहूं के निर्यात के लिए जवाबदेही निर्धारित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय पूल में पड़े गेहूं के अधिशेष स्टाक जो उसकी रख-रखाव लागत बढ़ा रहा था, का निपटान करने के लिए सरकार ने निर्यात के लिए गेहूं की पेशकश करने का निर्णय किया है। राज्य व्यापार निगम और सात अन्य पार्टियों ने संयुक्त राष्ट्र के ''तेल के लिए खाद्यान्न'' कार्यक्रम के अधीन 3.5 लाख टन गेहूं की आपूर्ति करने हेतु ग्रेन बोर्ड आफ इराक के साथ अनुबंध किए हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं का सीधे निर्यात नहीं किया जा रहा है। निर्यातकों को स्वतंत्रता दी गई है कि वे निर्यात के लिए गेहूं के स्टाक की पहचान करें। तथापि, भारत से भेजी गई गेहूं की खेप को अस्वीकार करने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह निर्णय लिया गया था कि इराक को तब तक गेहूं की और खेप नहीं भेजी जायेगी तब तक इसे ग्रेडन बोर्ड आफ इराक की विनिर्दिष्टियों को पूरा करने के लिए साफ न कर दिया जाये।

वी.एस.एन.एल. का विनिवेश

964. श्री के. मुरलीधरन: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्तर-मंत्रालयी समूह की सहमति से वी.एस.एन.एल. में 25 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी को प्रमुख सहयोगी को बेचने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाया है और सेवानिवृत्ति/छंटनी के विशिष्ट उपबंध क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने विदेश संचार निगम लिमिटेड में 26 प्रतिशत इक्विटी को बनाए रखने तथा अनुकूल बिक्री के माध्यम से 25 प्रतिशत इक्विटी पूंजी का विनिवेश करने और 1.97 प्रतिशत इक्विटी पूंजी, कंपनी के कर्मचारियों के पक्ष में जारी करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) विनिवेश की घोषित नीति के अनुसार सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रति वचनबद्ध है। अनुकूल बिक्री के निबंधन एवं शर्तें शेयरधारक करार एवं शेयर खरीद करार में विनिर्दिष्ट हैं। विदेश संचार निगम लिमिटेड में विनिवेश के लिए शेयरधारक करार और शेयर खरीद करार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

ऋणों की वसूली

965. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री रामजी लाल सुमन:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने अशोध्य ऋणों की वसूली हेतु बैंकों को अपनी प्रणाली विकसित करने को कहा है क्योंकि गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के एक बार निपटान की भारतीय रिजर्व बैंक की योजना विफल रही है और वे यह चाहते है कि जानबूझकर ऋण वापस न करने वाले बड़े चूककर्त्ताओं को जेल भेजा जाये;

(ख) यदि हां, तो बैंकों द्वारा अशोध्य ऋणों की वसूली हेतु बनाई गयी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों की स्थिति क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने ऋण की वसूली की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 जुलाई, 2000 के अपने परिपत्र के अनुसार, 5 करोड़ रु. तक की अनुपयोज्य आस्तियों के निपटान के लिए विवेकाधिकार हीन एवं अभेदमूलक मार्गनिर्देश जारी किए थे और बैंकों से कहा था कि 5 करोड़ रु. से अधिक के बकाया ऋण के लिए अपने स्वयं की नीति बनाएं। यह योजना प्रारम्भ में 31 मार्च, 2001 तक थी और बाद में इसे 30 जून, 2001 तक बढ़ा दिया गया था। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार 31 मई, 2001 को 5,27,119 खातों के संबंध में 1914 करोड़ रु. की वसूली हुई थी। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि अपनी देयराशि की वसूली के लिए वसूली नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने जैसे कुछ उपाय करें, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की योजना समाप्त हो गई है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि चूककर्ता ऋण-कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सहित भयोपरापी कार्रवाई करें।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार 54773.15 करोड़ रु. बैठती हैं। गैर-सरकारी बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 2001 को 6490.38 करोड़ रु. की थी। जहां तक सहकारी बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियों का संबंध हैं, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सहकारी बैंकों (प्राथमिक सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एवं प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) की सकल अनुपयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 1999 को 16616.60 करोड़ रु. की थी।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्ष के दौरान उन्नयन, समझौता वार्ता से निपटान एवं वसूली के जरिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों में गिरावट निम्नलिखित है:

1998-1999	8721 करोड़ रुपये
1999-2000	12220 करोड़ रुपये
2000-2001	13905.4 करोड़ रुपये

[अनुवाद]

कोलकाता स्टाक एक्सचेंज के दलालों द्वारा कारोबार संबंधी शुल्क अपवंचन

966. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोलकाता स्टाक एक्सचेंज दलालों द्वारा कारोबार संबंधी शुल्क अपवंचन की समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) सेबी द्वारा शेयर दलालों पर सेबी/(शेयर दलाल तथा उप-दलाल) विनियम, 1992 के विनियम 10 के अनुसार पंजीकरण शुल्क अधिरोपित किए जाते हैं। कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज के दलालों ने वर्ष 1993 में कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त किया था, जिसमें यह निदेश दिया गया था कि सेबी द्वारा, जहां तक याचिकाकर्त्ता संबंधित हैं, भुगतान के लिए इन्हें बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1 फरवरी, 2001 के आदेश के माध्यम से अधिनियम के प्रयोजनों का पालन करने के लिए शुल्क लगाने के सेबी के अधिकारों को उचित ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् सेबी ने दिनांक 19 मार्च, 2001 के अपने पत्र के माध्यम से सभी एक्सचेंजों को अपने सदस्यों को निर्णय के अनुरूप शुल्क का भुगतान करने के लिए सूचित करने का सुझाव दिया।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

967. **श्री भेरूलाल मीणा:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से 12,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस अनुमानित राशि में से कितनी राशि अब तक एकत्रित कर ली गई है;

(ग) क्या सरकार ने 'महत्वपूर्ण बिक्री' का विनिवेश के लिए प्राथमिकता प्राप्त विधि के रूप में अपनाने की नीति का त्याग कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के विनिवेश की नई प्रणाली लक्ष्य हासिल करने हेतु अपनाये जाने की संभावना है; और

(ङ) ऐसी नई रणनीति का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का विनिवेश नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाल्को कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

968. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2 महीने पुरानी हड़ताल को समाप्त करने के लिये भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन और मजदूर संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अनुसरण में क्या कदम उठाये जा रहे हैं और मजदूरों तथा राज्य सरकार के हितों की सुरक्षा हेतु यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) समझौता ज्ञापन के प्रमुख ब्यौरे इस प्रकार है:-

(i) बाल्को के विनिवेश के संबंध में आंदोलनरत कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेना।

(ii) कर्मचारियों को दो माह के 'टेक-होम' वेतन के बराबर राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में करना, जिसके

समायोजन के बारे में, माननीय उच्चतम न्यायालय से इस विषय पर अगले आदेश की प्राप्ति पर विचार किया जाएगा।

(iii) कामगारों के वेतन पुनरीक्षण के करार को, प्रतिनिधि संघ के परामर्श से अंतिम रूप देना।

(iv) वर्तमान सेवा शर्तें कामगारों के सेवा काल तक यथावत् रहेंगी। कामगारों की छंटनी नहीं की जाएगी।

(v) चिकित्सा, एल.टी.सी., कैंटीन, वाहन भत्ता जैसी कल्याणकारी सुविधाएं पूर्ववत् जारी रहेंगी।

(vi) वर्तमान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यथावत् जारी रहेगी।

(vii) सेवाकाल के दौरान, किसी कामगार के दु:खद निधन होने की दशा में, आश्रितों को मानवीय आधार पर, योग्यता को ध्यान में रखते हुए रोजगार देने की वर्तमान योजना जारी रहेगी।

(viii) अनुबंधित श्रमिकों को, आवश्यकतानुसार तथा सरकारी नियमों/अथवा विनियमों के अनुसार ठेके पर दिए जा रहे कार्य के लिए नियोजित किया जाएगा।

(ix) एक वर्ष की अवधि तक किसी कर्मचारी/अधिकारी का अन्तर-इकाई स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कार्य की आवश्यकता के आधार पर ऐसे स्थानांतरण बाल्कों इकाइयों में किए जा सकेंगे।

(x) कर्मचारियों की वर्तमान पदोन्नति नीति यथावत् बनी रहेगी।

(xi) बोनस अधिनियम की व्यावहारिकता तथा कार्य निष्पादन पुरस्कार की वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी।

(xii) सुरक्षित/संरक्षित कामगारों के संबंध में लागू कानून का अनुपालन किया जाएगा।

(xiii) हॉट एण्ड डस्ट एरिया में कार्यरत कर्मचारियों को हैजर्ड अलाउन्स देने के विषय पर, वेतन एवं अन्य सुविधाओं के पुनराक्षण के समय विचार किया जाएगा।

(xiv) कर्मचारियो की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल बनी रहेगी, इत्यादि।

(ग) समझौता ज्ञापन कंपनी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। बाल्कों के विनिवेश के लिए हस्ताक्षरित शेयरधारक करार में किए गए कर्मचारी हित से संबंधित प्रावधानों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। यह गौरतलब बात है कि कामगारों के हित पूर्णत: संरक्षित हैं। संयंत्र की दक्ष क्रियाशीलता तथा कंपनी के विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, जनहित, राज्यहित में सहायक सिद्ध होने के साथ-साथ कर्मचारियों के 'कल्याण' को सर्वोत्तम संरक्षण प्रदान करेगा।

विवरण

बाल्को में विनिवेश के लिए हस्ताक्षरित शेयरधारक करार में कर्मचारियों के हितों से संबंधित उपबन्ध

विधिक अंश का विवरण

(ज) खण्ड 7.2 के अध्ययीन, पार्टियां, इस बात को दृष्टिगत रखती हैं कि कंपनी के सभी कर्मचारी, इस तारीख के बाद कंपनी के रोजगार में बने रहेंगे।

(झ) अनुकूल साझीदार इस बात तो मान्यता देता है कि सरकार अपनी रोजगार नीतियों के संबंध में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों के हितों के लिए कतिपय सिद्धान्तों का अनुकरण करती है और यह कि अनुकूल साझीदार ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कंपनी को प्रेरित करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की छटनी अन्त में हो।

अनुच्छेद - 5.3

(ङ) इस अनुच्छेद 5 में प्रतिकूल किसी भी बात के रहते हुए, सरकार अपने ही विवेक पर कंपनी के कर्मचारियों को इस करार की तारीख को मौजूद ईक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अनधिक को दर्शाते हुए अपने शेयरों को बेचने का विकल्प अपने पास रखेगी। सरकार द्वारा अपने शेयरों के किसी अंश को कर्मचारियों के बेचने के विकल्प का प्रयोग करने की दशा में, कर्मचारियों को हस्तान्तरित शेयरों के लिए, कर्मचारियों को खण्ड 5.2 (ङ) में प्रदान किए गए आख्यान को पृष्ठांकित किए बिना, नए शेयर सर्टिफिकेट जारी किए जांएगे। पार्टियां इस बास से सहमत हैं कि हस्तान्तरण पूरा हो जाने पर इस उप-खण्ड (ङ) के अनुसरण में कर्मचारियों को हस्तान्तरित शेयर इस करार में किन्हीं प्रतिबंधों के अध्ययीन नहीं होगे चाहे मत-व्यवस्था के द्वारा हो अथवा प्रथम नामंजूर के अधिकार से।

अनुच्छेद - 7.2

(ङ) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए वह अन्तिम तारीख से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए किसी प्रकार की पदच्युति अथवा लागू कर्मचारी विनियमन तथा कंपनी के स्थायी आदेशों अथवा लागू कानून के अनुसरण में अपने रोजगार से कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति को छोड़कर, कंपनी के कार्य-बल के किसी भाग की छंटनी नहीं करेगा।

(च) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए, परंतु उपरोक्त उप-खण्ड (ङ) के अध्यधीन कंपनी के श्रम बल की किसी भी प्रकार की पुनर्संरचना, बोर्ड द्वारा की गई संस्तुति के तरीके तथा सभी लागू कानूनों के अनुसरण में क्रियान्वित की जाएगी।

(छ) इस करार में प्रतिकूल किसी बात के रहते हुए परन्तु उपरोक्त उप-खण्ड (ङ) के अध्यधीन कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में किसी प्रकार की कटौती करने की दशा में, अनुकूल साझीदार यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को उन शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प की पेशकश करे जो किसी भी तरह से कंपनी द्वारा पेशकश की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जिसका उल्लेख शेयर खरीद करार की अनुसूची 7.4 में किया गया है, से कम अनुकूल न हो।

[हिन्दी]

खाली पदों का भरा जाना

969. **श्री रामशकल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में कई पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाली पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

आई.जी.आई. विमानपत्तन पर धोखाधड़ी का पकड़ा जाना

970. **श्री विजय गोयल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.जी.आई. विमानपत्तन के कार्गो डिवीजन में 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पकड़ी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस धोखाधड़ी में शामिल शुल्क अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या कुछ सीमाशुल्क अधिकारियों की मिलीभगत से हवाई कार्गो डिवीजन में कोई सूचना देने वाला गिरोह काम कर रहा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां। दिल्ली सीमाशुल्क के एयर कार्गो यूनिट ने धोखाधड़ी से माल को निर्यात करने की कोशिश के एक मामले का पता लगाया है जिसमें एक निर्यातक ने अनुमानित 8 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ कमाने के लिए माल के स्वरूप तथा मूल्य को गलत ढंग से घोषित किया था।

(ख) सीमा शुल्क को एक निवारक अधिकारी तथा एक अधीक्षक, जो निर्यात पक्ष की ओर से काम कर रहे थे तथा जिन्होंने निर्यात संबंधी दस्तावेजों का निपटान किया था, की गई कार्रवाईयों की जांच की जा रही है। दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) विस्तृत कार्य-प्रणाली तथा इस धोखाधड़ी में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए आगे की जांच प्रगति पर है। इस मामले में संलिप्त होने के संदेह पर अभी तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा 16.07.2001 को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अन्य संलिप्त व्यक्तियों की कार्रवाईयों की भी जांच की जा रही है और इस मामले में आगे की जांच प्रगति पर हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

971. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 2000 की तिथि के अनुसार भारत सरकार के 19 मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत 87 कंपनियों की इक्विटी पूंजी में कुल 6162.92 करोड़ रुपये का निवेश इन कंपनियों को हुए संचित घाटे के कारण अपर्दित हो गया;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान में इन कंपनियों का नेटवर्क ऋणात्मक है और सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा दिये गए सारे ऋण की वसूली संदेहास्पद हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या 31 मार्च, 2000 की तिथि के अनुसार इन कंपनियों पर केन्द्र सरकार का कुल बकाया ऋण 9467.14 करोड़ रुपये का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बड़ी रकम की वसूली हेतु इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/किये जाने का विचार है; और

(ङ) सरकार को इस धनराशि को कब तक वसूली की उम्मीद है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

यूटीआई का निवेश

972. श्री रघुनाथ झा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूटीआई कुछ कंपनियों के शेयर रखे हुए या खरीद रहा था जबकि अन्य कंपनियां उन्हें बेच रही थीं;

(ख) यदि हां, तो यूटीआई द्वारा शेयरों की खरीद करने और उन्हें न बेचने के क्या कारण थे और उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके शेयर दामों गिरने के बावजूद यूटीआई ने नहीं बेचे;

(ग) क्या जनवरी-मार्च, 2001 के दौरान सरकार ने यूटीआई को बाजार में भुगतान संकट को टालने की सलाह दी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और ऐसा अनुरोध करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यूटीआई के लेनदेन की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

शहरों का वर्गीकरण

973. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री चन्देश पटेल:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001 की जनगणना की अनुसार 50 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के नामों संबंधी सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शहरों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ आवास किराया भत्ता देने के उद्देश्य से देश में इन शहरों के पुन: वर्गीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिन शहरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो गई है उनके अंतिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्व उगाही

974. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में आई गिरावट और कम औद्योगिक उत्पादन का राजस्व उगाही पर प्रभाव पड़ा;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001 के अप्रैल, मई और जून महीनों में राजस्व उगाही पर इसका किस सीमा तक प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्ति अनुमानों में कमी लाने के लिये कोई उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या बाकी वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिये कर घटाने पर विचार करने हेतु कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, मई और जून मास 2001 के दौरान कुल राजस्व वसूली गत वर्ष की समनुरूपी अवधि की तुलना में क्रमश: 26.88% 14.61% और 9.84% कम थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डायरेक्टोरेट फॉर फाइनेंशियल फ्राड्स एण्ड इन्वेस्टीगेशन

975. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अलग जांच प्राधिकरण 'डायरेक्टोरेट फॉर फाइनेंशियल फ्राड्स एण्ड इन्वेस्टीगेशन फार बैंकिंग इंडस्ट्री' के गठन का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित निदेशालय के कब तक काम शुरू कर देने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विनिर्माताओं द्वारा कदाचार

976. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आई.एस.आई. मार्क्स के प्रयोग के संबंध में विनिर्माताओं द्वारा कदाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उल्लंधन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो की जानकारी में निम्नलिखित कदाचार आए हैं:

(i) विनिर्माता वैध लाइसेंस के बिना अपने उत्पाद या प्रचार सामग्री पर आई.एस.आई. चिह्न का उपयोग कर रहे हैं;

(ii) विनिर्माता अपने उत्पाद पर आई.एस.आई. चिह्न की मिलती-जुलती नकल का उपयोग कर रहे हैं;

(iii) विनिर्माता उस उत्पाद से भिन्न किस्म और ग्रेड के उत्पाद पर आई.एस.आई. चिह्न लगा रहे है जिसके लिए उनके पास वैध लाइसेंस है।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो के ध्यान में जब भी उल्लंधन का मामला आता है, उसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है। किसी खास शिकायत के प्राप्त होने पर या बाजार निगरानी के माध्यम से एकत्र सूचना के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दस्तावेजी तथा वस्तुपरक साक्ष्य एकत्र करने के लिए विस्तृत जांचें की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर, नकली मार्किंग वाली वस्तुओं को जब्त करने के लिए तलाशी तथा जब्ती भी की जाती है। इस प्रकार एकत्र सूचना यदि तर्कसंगत पाई जाती है, तो अपराधियों के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 तथा उसके तहत बने नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत अदालत में अभियोजन चलाया जाता है। अधिनियम के तहत दोषी किसी व्यक्ति को 50,000/- रुपए का जुर्माना या एक वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

प्रिंट मीडया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

977. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:**
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नियमों में परिवर्तन किया है और विदेशी उद्यम पूंजीपतियों और अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रिंट मीडिया में निवेश हेतु नये दिशा-निर्देश जारी किये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) इस बारे में सरकार द्वारा 1955 के मंत्रिमण्डल निर्णय का पालन किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी स्वामित्व वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं और मुख्य रूप से समाचारों एवं सामयिक मामलों वाले विदेशी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन का निषेध किया गया है।

अंशकालिक पत्रकारों के लिये कल्याणकारी योजना

978. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार अंशकालिक पत्रकारों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की प्रिंट मीडिया में कार्यरत इन पत्रकारों के लिए पेंशन लाभ समेत कोई विशिष्ट कल्याणकारी योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) सरकार द्वारा ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अंशकालिक पत्रकार सामान्यता अपने मुख्य कार्य के साथ-साथ अन्य आर्थिक धंधों/व्यवसायों में लगे रहते हैं।

प्याज का निर्यात

979. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात की गई प्याज की किस्मवार मात्रा कितनी थी;

(ख) क्या प्याज का निर्यात कोटा बढ़ाने की उत्पादकों विशेषकर 'रोज' प्याज उत्पादकों को लगातार मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), कोलकाता द्वारा प्याज के किस्मवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान बिग/बेलेरी प्याज, बंगलौर रोज, कृष्णापुरम प्याज सहित निर्यातित प्याज की कुल मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (मी.टन)
1998-99	2,15,694
1999-2000	2,60,475
2000-2001 (फरवरी, 2001 तक)	2,98,041

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

(ख) रोज प्याज के निर्यात की अनुमति बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबन्धों के मुक्त रूप से दी गई है और इसलिए रोज प्याज के लिए निर्यात कोटा बढ़ाने की मांग का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए ऋण

980. **श्रीमती जसकौर मीणा**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विदेशों में उच्च अध्ययन के लिये छात्रों को ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान छात्रों को ऋण के रूप में दी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋण की शर्तें और निबंधन तथा ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों के खातों में शिक्षा-ऋण की बकाया राशि निम्नलिखित है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष मार्च की समाप्ति	राशि बकाया
1998	339.99
1999	474.79
2000	542.01 (अन्तिम)

(ग) सरकार ने अब विस्तृत शिक्षा-ऋण योजना तैयार की है जिसमें भारत तथा विदेश में सभी प्रकार के पाठ्यक्रम शामिल होगें। इस योजना में भारत में अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपये तक के ऋण तथा विदेश में अध्ययन के लिए 15 लाख रुपये तक के ऋण का उल्लेख है। 4 लाख रुपये तक के ऋण के लिए किसी संपार्श्विक अथवा मार्जिन की आवश्यकता नहीं है तथा ब्याज दर मूल उधार दर (पीएलआर) से अधिक नहीं है। 4 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए ब्याज दर पीएलआर से 1 प्रतिशत से अधिक नहीं है। उक्त ऋण को 5 से 7 वर्षों में और एक वर्ष की अनुग्रह अवधि के प्रावधान के साथ वापस किया जाना है। इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 28-04-2001 के परिपत्र के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों में परिचालित कर दिया है।

[अनुवाद]

चीनी के आयात पर प्रतिबंध

981. **श्री राजैया मल्याला:**
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और पाकिस्तान में चीनी का क्या मूल्य है;

(ख) क्या पाकिस्तान में भारत से चीनी के आयात पर प्रतिबंध जारी है;

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान के साथ चीनी व्यापार को पुनर्जीवित करने हेतु वार्ता के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किये जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 20 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार, लाहौर अकबरी बाजार में चीनी के मूल्य 2530/2570 पाकिस्तानी रुपये प्रति क्विंटल थे। भारत में 14 से 20 जुलाई, 2001 के सप्ताह के दौरान 4 महानगरों में एस-30 ग्रेड की चीनी के थोक मूल्य 1300-1490 रुपये प्रति क्विंटल की रेंज में थे।

(ख) जी, हां।

(ग) दिनांक 15.7.2001 को आगरा में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव किया था कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक और तकनीकी आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए उपाय संस्तुत करने हेतु दोनों देशों के विशेषज्ञों का एक दल गठित किया जाए।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार अक्तूबर, 2000 से 23 जुलाई, 2001 तक भारत से लगभग 8.11 लाख टन (अनन्तिम) चीनी का निर्यात किया गया है। आशा है कि वर्तमान चीनी मौसम 2000-2001 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी का निर्यात होगा।

गेहूं और चावल की आपूर्ति

982. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में गेहूं और चावल की वास्तविक आपूर्ति की गई;

(ख) क्या सरकार के पास राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की जांच के लिए कोई निगरानी एजेंसी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) पिछले 2 वर्षों अर्थात् 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुहैया की गयी गेहूं/चावल की मात्रा संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की वसूली, भंडारण और केन्द्रीय गोदामों तक ढुलाई करने और उन्हें राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरण करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन का दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होता है।

राज्य सरकारों से राज्यों में राज्य/जिला/ब्लाक/उचित दर दुकान स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन करते हुए उचित दर दुकानों तथा अन्य स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कड़ी मानीटरिंग करने तथा पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिन्सों का वितरण पारदर्शी तथा उत्तरदायी रूप में करने के लिए प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे जाली राशन कार्डों को समाप्त करें तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन दोषी उचित दर दुकानों के मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करें।

भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण विभाग सहित विभाग के कार्यों के किसी भी पहलू से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में एक लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया है। जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने के उद्देश्य से, विभाग ने आवश्यकता महसूस होने पर तत्काल तथा उचित जांच करने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उड़न दस्ते के सदस्यों के रूप में पदनामित भी किया है। भारत सरकार ने विपथन की शिकायतों सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की मानीटरिंग करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्र अधिकारी भी नियुक्त किए हैं।

विवरण

1999-2000 और 2000-2001 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति किया गया चावल और गेहूं को बताने वाला वितरण

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष के लिए आपूर्ति की गई चावल और गेहूं की मात्रा			
		1999-2000		2000-2001	
		चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2307.920	117.600	1927.292	3.295
2.	अरूणाचल प्रदेश	101.730	5.350	29.786	0.744
3.	असम	528.130	219.170	379.911	0.396
4.	बिहार	236.570	659.010	132.477	429.732
5.	छत्तीसगढ़	0.0000	0.0000	88.204	2.638
6.	दिल्ली	74.470	53.940	1.980	10.585
7.	गोवा	46.130	13.330	8.552	1.633
8.	गुजरात	169.050	294.420	116.596	287.133
9.	हरियाणा	0.0000	84.150	1.640	47.763
10.	हिमाचल प्रदेश	64.800	54.860	26.274	28.332
11.	जम्मू और कश्मीर	342.660	46.090	68.745	30.874
12.	झारखंड	0.0000	0.000	14.270	72.593
13.	कर्नाटक	823.000	215.600	948.458	199.486
14.	केरल	1191.000	237.000	488.950	30.212
15.	मध्य प्रदेश	318.941	316.120	283.098	289.088
16.	महाराष्ट्र	680.890	1076.530	374.390	627.288
17.	मणिपुर	42.370	0.120	23.276	0.000
18.	मेघालय	191.700	15.690	31.164	0.123
19.	मिजोरम	90.890	14.800	41.060	2.602
20.	नागालैंड	113.560	19.470	18.215	4.530

1	2	3	4	5	6
21.	उड़ीसा	887.600	166.400	662.920	0.000
22.	पंजाब	0.270	2.430	0.434	12.271
23.	राजस्थान	2.740	243.440	1.225	331.104
24.	सिक्किम	70.020	1.420	9.159	0.350
25.	तमिलनाडु	1807.270	165.920	1209.710	0.759
26.	त्रिपुरा	152.130	7.640	59.792	0.000
27.	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.000	0.000
28.	उत्तर प्रदेश	488.060	844.371	321.004	889.270
29.	पश्चिम बंगाल	421.450	735.240	339.878	532.908
30.	अंडमान और निकोबार	16.680	4.750	7.265	6.801
31.	चंडीगढ़	0.110	0.360	0.000	0.000
32.	दादर और नागर हवेली	1.380	0.358	2.634	0.484
33.	दमन और दीव	0.820	0.030	0.361	0.014
34.	लक्षद्वीप	5.000	0.030	5.288	0.000
35.	पांडिचेरी	11.890	2.110	9.904	0.827
	जोड़	11189.231	5617.749	7633.912	3843.835

आईटीडीसी के होटलों की बिक्री

983. **श्री अनंत नायक:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:
श्री मोहन रावले:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के होटलों की बिक्री हेतु निजी बोलीदाताओं को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आईटीडीसी के होटलों की बिक्री/पट्टे पर देने हेतु निर्धारित किये गए निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(घ) आईटीडीसी के ऐसे होटलों का ब्यौरा क्या है जिनकी बिक्री की गई है/पट्टे पर दिया गया है और ऐसे प्रस्ताव जो अभी लंबित हैं; और

(ङ) इससे सरकार द्वारा कितनी आय सृजित किए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के 14 होटलों की बिक्री और 3 होटलों के संबंध में पट्टा-सह-प्रबंधन अनुबंध के लिए बोलीदाताओं से हित की अभिव्यक्तियां आमंत्रित की हैं।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को बिक्री/पट्टे की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) अभी तक किसी भी होटल को बेचा नहीं गया है अथवा पट्टे पर नहीं दिया गया है। तथापि, निम्नलिखित होटलों के संबंध में प्रस्ताव लम्बित हैं:-

(क) *बिक्री के लिए:* होटल आगरा अशोक, आगरा; होटल मदुराई अशोक, मदुराई; होटल मनाली अशोक, मनाली; होटल बोधगया अशोक, बोधगया; होटल हसन अशोक, हसन; टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट, मम्ल्लापुरम; होटल कनिष्का, नई दिल्ली; इन्द्रप्रस्थ होटल (अशोक यात्री निवास), नई दिल्ली; कुतुब होटल, नई दिल्ली; होटल जनपथ, नई दिल्ली; होटल रणजीत, नई दिल्ली; लोधी होटल, नई दिल्ली; लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर; होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी।

(ख) *पुट्टा-सह-प्रबन्धन:* अशोक होटल, नई दिल्ली; बंगलौर अशोक, बंगलौर और होटल सम्राट, नई दिल्ली।

(ङ) प्रस्तावित विनिवेश से जुटाई जाने वाला राशि, बाजार परिस्थितियों, कंपनी के कार्य निष्पादन, बिक्री के निबंधन और शर्तों, संभावित निवेशकों की अभिरूचि आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी। अत: विनिवेश से संभावित राशि का आकंलन करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट

984. श्री महेश्वर सिंह:
श्री सुरेश चंदेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने हेतु नरसिम्हन समिति की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्वीकार की गई और लागू की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने हेतु ये सिफारिशें किस सीमा तक सहायक साबित हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) श्री एम. नरसिम्हम की अध्यक्षा वाली बैंकिंग क्षेत्र सुधार संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1998 में प्रस्तुत कर दी है। अब तक कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार संबंधी नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से बैंकिंग प्रणाली की परिचालन संबंधी क्षमता में सुधार हुआ है और वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है।

विवरण

नरसिम्हम समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

क्रम सं.	सिफारिश	टिप्पणी
1	2	3
1.	बाजार के लिए सरकारी प्रतिभूति के संपूर्ण पोर्टफोलियो को अंकित करना।	सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक निवेशों का 75% बाजार के लिए अंकित किया गया है। बैंकों के पास यह विकल्प है कि वे स्थायी वर्ग में अर्थात परिपक्वता तारीख तक 25% धारित कर सकते हैं।
2.	बाजार जोखिम के लिए पूंजी	कार्यन्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।
3.	सरकारी गारंटी प्राप्त अग्रिमों के लिए जोखिम भार वही होना चाहिए जैसा कि अन्य अग्रिमों के लिए हो।	उपयुक्त संशोधनों के साथ कार्यान्वित
4.	वर्ष 2000 में न्यूनतम 9% सीआरएआर का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है और 2002 तक 10% का लक्ष्य।	9% सीआरएआर को कार्यान्वित कर दिया गया है।
5.	जो बैंक इस स्थिति में हैं कि देश में और विदेश में पूजी बाजार तक पहुंच बना सकते हैं उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।	9 राष्ट्रीयकृत बैंक पहले ही पूंजी बाजार में पहुंच बना चुके हैं। जिन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की आवश्कता है उन्हें अपने विकल्प पर बाजार में जाने की अनुमति दी गई है।

1	2	3
6.	किसी आस्ति को संदिग्ध तभी वर्गीकृत किया जाए यदि वह पहले मौके में 18 महीनों के लिए और आखिरकार 12 महीने के लिए अवमानक वर्ग में रहे और घाटे वाली तब वर्गीकृत किया जाए यदि उसे तदनुसार वर्गीकृत किया गया हो परंतु उसे बट्टे खाते में न डाला गया हो।	समय सीमा को घटाकर 31.3.2001 से 18 महीने कर दिया गया है। अवधि को पुन: कम करने के बारे में उचित समय पर पुनरीक्षा की जाएगी।
7.	वह सरकारी गारंटीशुदा अग्रिम राशि, जो अवरुद्ध हो गई हैं उन्हें अनिष्पादित अग्रिमों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	उचित संशोधन के साथ कार्यान्वित किया गया।
8.	मानक आस्तियों पर 1% के सामान्य प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए।	0.25% प्रावधान को लागू किया गया है।
9.	आस्ति और देयताओं के परिपक्वता पैटर्न, विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताओं प्रावधान खातों में परिचालन और अनिष्पादित आस्तियों का चरणबद्ध तरीके से प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है।	कार्यान्वित।
10.	कृषि और लघु उद्योग को ऋण वाणिज्यिक विचार-विमर्श के आधार पर दिये जाने की आवश्यकता है।	कार्यान्वित। केवल डीआरआई अग्रिमों पर ही रियायती ब्याज दरों को लागू किया गया है।
11.	बैंको को आस्ति देयता प्रबंधन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।	व्यापक मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं।
12.	बैंकिंग कारोबार के संदर्भ में बाह्य सतर्कता और आसूचना एजेंसियों के कार्यक्षेत्र को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता है- बैंकिंग के विशेष फीचरों को ध्यान में रख कर एक पृथक सतर्कता मैनुअल तैयार किया जाना चाहिए।	कार्यान्वित।
13.	बैंकों और डीएफआई के बीच कार्यकलापों के अभिसरण से डीएफआई को एक निश्चित समयावधि के बाद स्वयं को बैंकों में बदल लेना चाहिए।	वर्ष 2000-2001 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति में अभिसरण की नीति की घोषणा की गई थी।
14.	नए गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंकों की 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी अपेक्षा की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।	संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए बैंक के लिए प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपए निर्धारित की है, जिसे कारोबार के आरंभ होने के 3 वर्ष के अन्दर बढ़ाकर 300 करोड़ रु. किया जाना है।
15.	एनबीएफसी के पंजीकरण न्यूनतम निवल संपत्ति मानदण्ड को प्रारम्भ में बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाना चाहिए।	नए एनबीएफसी के संबंध में न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
16.	एलएबीएस सहित माइक्रो ऋण संस्थानों के विकास और वृद्धि को सुकर बनाया जाना चाहिए।	9 स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के संबंध में सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है और इनमें से 3 बैंकों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

1	2	3
17.	पूर्ण प्राप्ति की घोषणा करना और पर्यवेक्षण के स्थायी सिद्धान्तों का कार्यान्वयन।	प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए मुख्य सिद्धान्तों को अनुमोदित कर दिया गया है और अधिकांश सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है।
18.	भुगतान लिखतों आदि के प्रमाणीकरण के संबंध में कम्प्यूटरीकरण से उत्पन्न मामलों को देखने के लिए आरबीआई को एक समूह गठित करना है।	आरबीआई द्वारा गठित समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
19.	अंतरद्ध बैंक मांग और नोटिस मुद्रा बाजार तथा अंतर बैंक सावधि मुद्रा बाजार को केवल बैंकों तक ही सीमित किया जाना चाहिए।	कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।
20.	स्पष्ट रूप से परिभाषित विवेकपूर्ण सीमाएं होनी चाहिए जिसके आगे बैंकों को मांग मुद्रा बाजार पर आश्रित रहने की अनुमति न हो।	कार्यान्वित।
21.	आरबीआई का बाजार को सहयोग नकदी समायोजन सुविधा के द्वारा होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आरबीआई आवधिक रूप से यदि आवश्यक हो तो दैनिक रूप से, पुनर्खरीद और प्रतिपुनर्खरीद दरों को पुनर्निर्धारित कर सके जो एक तरह से बाजार में संचालन करने के लिए एक उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा। अन्तर-बैंक संदर्भ दर लाभदायक है।	कार्यान्वित।
22.	आरबीआई को एक दिन जैसी छोटी अवधि के लिए सही, अल्पावधि पुनर्खरीद के द्वारा अंदर-बैंक मांग मुद्रा बाजार में प्रतिनिधित्व करना है।	कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।
23.	सावधि जमाराशियों और अन्य मुद्रा बाजार लिखतों की न्यूनतम अवधि को घटा कर 15 दिन किया जाना चाहिए।	कार्यान्वित।
24.	एफआईआई को ट्रेजरी बिल बाजार में पंहुच की अनुमति दी जानी चाहिए।	कार्यान्वित।
25.	हाजिर विदेशी मुद्रा बाजार के सभी भागीदारों को वायदा बाजार में भागीदारी की अनुमति प्रदान कर वायदा विदेशी मुद्रा बाजार को हाजिर विदेशी मुद्रा बाजार से जोड़ना।	कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।
26.	बैंकों के मूल्य-जोखिम जैसे सांख्यिकी जोखिम प्रबंधन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।	कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।

1	2	3
27.	बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यकलापों का विनियमन और पर्यवेक्षण करने के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण की एक समन्वित प्रणाली लागू की जानी चाहिए।	बैंकों, एनबीएफसी और वित्तीय संस्थानों का पर्यवेक्षण पहले ही बीएफएस के क्षेत्राधिकार में लाया गया है।
28.	सरकारी बजट से आगे बैंकों का और पुन-पूंजीकरण नहीं किया जाए।	9 राष्ट्रीयकृत बैंक पहले ही पूंजी बाजार मे जा चुके हैं। जिन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है उन्हें बाजार में पहुंच बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
29.	यह सुझाव दिया गया है कि सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक में न्यूनतम शेयर धारिता को कम करके 33% तक किया जाना चाहिए।	वर्ष 2000-2001 के बजट में सरकार की राष्ट्रीयकृत बैंकों में शेयरधारिता को कम करके 33% करने का प्रस्ताव किया गया है। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/80 में संशोधन के विधेयक का प्रारूप लोक सभा में पेश किया गया है और स्थायी समिति को संदर्भित किया गया है।
30.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति को बैंकों के निदेशक मण्डलों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और निदेशक मण्डलों के स्वयं के चयन को शेयरधारकों पर छोड़ा जाना चाहिए।	सरकारी क्षेत्र के स्वरूप को बनाये रखने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों और कुछ अन्य निदेशकों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। जहां कहीं, बैंक बाजार से पूंजी जुटाता है उस समय शेयरधारक संबंधित अधिनियम में यथानिर्धारित उनकी शेयरधारिता के अनुपात में निदेशकों का चयन करते हैं।
31.	आज के बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण में किसी विशाल संस्था को वही मुख्य कार्यपालक प्रभावी रूप से चला सकता है जिसका अपेक्षाकृत लम्बा कार्यकाल हो। हमारा सुझाव है कि पहले चरण में न्यूनतम कार्यकाल तीन वर्ष होनी चाहिए।	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नए अध्यक्षों की नियुक्ति करते समय सिफारिश को यथासम्भव कार्यान्वित किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष होगा।
32.	सिडबी को आईडीबीआई से अलग किया जाना चाहिए।	सिडबी (संशोधन) अधिनियम, 2000 को प्रभावी बनाया गया है, जिसमें सिडबी को आईडीबीआई से अलग करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

तलवार पैनल की सिफारिशें

985. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों संबंधी एम.पी. तलवार पैनल द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) पैनल द्वारा कितनी धनराशि का पूंजी अभिनिवेश सुझाया गया है; और

(ङ) इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन उप-गर्वनर श्री

एस.पी. तलवार के अधीन उच्च स्तरीय समूह ने तीन कमजोर राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात इंडियन बैंक, यूको बैंक तथा यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की पुनर्गठन योजनाओं की जांच करने के बाद विभिन्न विकल्पों पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि तीन कमजोर राष्ट्रीय बैंकों के आमूल-चूल परिवर्तन का सर्वोत्तम विकल्प भारत सरकार द्वारा अपेक्षित पूंजी लगाकर कमजोर बैंकों का पुनर्गठन करना है।

तीन कमजोर बैंकों के प्रस्तावित व्यापक पुनर्गठन में वित्तीय और साथ ही गैर-वित्तीय पैरामीटर निहित हैं, जिनमें जमा-लागतों में कमी, अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली बढ़ाना, ऊपरि व्यय लागतों एवं संचालन संबंधी खर्चों में कमी, शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाना, अलाभप्रद अनुषंगियों को अलग-अलग करना, गैर-अर्थक्षम विदेशी संचालनों को बन्द करना, गैर-निधि व्यवसाय बढ़ाना, बेहतर नकदी प्रबंधन, कर्मचारियों का अधिकतम पुन-र्नियोजन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, छवि बनाना और समुचित उत्तरवर्ती योजना आदि शामिल हैं।

इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, तीन कमजोर बैंकों के लिए दो वर्ष में 2300/- करोड़ रुपए की पुन: पूंजीकरण सहायता की सिफारिश की गई है, ताकि वे निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त कर सकें/उसे बनाए रख सकें।

समूह की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

विज्ञापन बजट

986. डॉ. संजय पासवान: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों का विज्ञापन बजट और इसकी उपयोगिता निर्धारित करने हेतु कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश हित में उक्त उपक्रमों के विज्ञापन खर्च को बढ़ाने और उनके विज्ञापन बजट को युक्तिसंगत बनाने का है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों के विज्ञापन बजटों और उन पर किये गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) विज्ञापन बजट का निर्धारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है और यह अधिकांशत: उत्पाद की रूपरेखा, परिस्पर्धी वातावरण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की विपणन रणनीति आदि पर निर्भर करता है। विज्ञापन बजट और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा दिए गए व्यय का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

भारतीय उपभोक्ता परिसंघ

987. श्री रामपाल सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उपभोक्ता परिसंघ की स्थापना उपभोक्ता सुरक्षा आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदलने और अपना ध्यान संपन्न वर्ग की बजाय विपन्न वर्ग की ओर केन्द्रित करने के लिए किया गया है ताकि आम आदमी इससे लाभान्वित हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) सरकार को इस प्रकार के किसी परिसंघ की स्थापना के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रिड गोदाम योजना

988. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ग्रिड गोदाम योजना के अन्तर्गत गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त वित्तीय सहायता कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ऑटोमोबाइल उद्योगों द्वारा नकारात्मक वृद्धि

989. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अप्रैल, 2001 के 'फाइनेन्शियल एक्सप्रेस' में ''ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिकार्डस निगेटिव ग्रोथ इन 2000-01'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है और ऑटोमोबाइल उद्योग में धीमी वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि दर को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) प्रकाशित समाचार के अनुसार वर्ष, 2000-2001 के दौरान ऑटोमोबाइल उद्योग के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 की तुलना में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। यह सच है कि गत वर्ष के दौरान ऑटोमोटिव उद्योग में लगभग 2% की ऋणात्मक वृद्धि रही है। यह ऋणात्मक वृद्धि मुख्यत: अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में छाई आम मंदी के फलस्वरूप है।

(ग) सरकार ने बजट 2001 तथा उसके उपरांत कई उपायों यथा यात्री कारों और दुपहिया वाहनों के संबंध में उत्पाद शुल्क में कमी, वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में मूल्य-ह्रास दर में वृद्धि, पूर्णतया तैयार यूनिटों और पुराने वाहनों आदि के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि करने की घोषणा की है। इन उपायों तथा ढांचागत विकास पर जोर देने से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वाहन उद्योग की वृद्धि दर को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

एफ.एम. रेडियो स्टेशन

990. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एफ.एम. रेडियो स्टेशन शुरू करने के लिए निजी पार्टियों को लाईसेंस देने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों ने देश में प्रसारण करना शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक शहर में कंपनी का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) एफ.एम. रेडियों केन्द्र शुरू करने हेतु निजी पार्टियों को लाईसेंस देने के लिए पात्रता मानदण्ड निविदा दस्तावेज में निर्धारित किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि कम्पनियां भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारत में पंजीकृत होनी चाहिए और उनमें वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा विदेशी निगमित निकायों की सीमित शेयरधारिता को छोड़कर समग्र शेयरधारिता भारतीयों की होनी चाहिए।

(ख) और (ग) जी, हां। मैसर्स म्यूजिक ब्रॉडकास्ट प्रा.लि. ने सूचित किया है उन्होंने बंगलौर में अपने एफ.एम. केन्द्र को 3 जुलाई, 2001 में प्रचालित कर दिया है।

गरीबी उपशमन योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

991. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकार की विभिन्न गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत धनराशि प्रदान नहीं करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य में विशेषकर जम्मू डिवीजन में स्थित बैंक शाखाओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और दोषी पाए गए बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठते।

लघु चाय उत्पादकों के लिए पैकेज

992. श्री विजय हान्दिक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दक्षिण क्षेत्र में कुछ राज्यों में लघु चाय उत्पादकों के लिए उतार-चढ़ाव वाले बाजार और अन्य मौसमी प्रतिकूलताओं से उनकी रक्षा करने हेतु एक पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस पैकेज का विस्तार अन्य राज्यों में विशेषकर पूर्वोत्तर में लघु चाय उत्पादकों के लिए करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) लघु चाय उपजकर्त्ताओं, विशेषकर दक्षिण भारत के ऐसे उपजकर्त्ता जो नीलामियों में अलाभकारी कीमत वसूली की समस्या का सामना कर रहे थे, उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार ने 1.5.2000 से चाय बोर्ड के जरिए एक कीमत इमदाद योजना शुरू की थी जिसके अन्तर्गत लघु चाय उपजकर्त्ताओं (10.12 हैक्टेयर तक चाय बागान के स्वामित्व वाले) को नीलामी कीमत और 55/- रुपए की प्रति किग्रा. के बीच अधिकतम 8/- रुपए प्रति किग्रा. तक अन्तर के बराबर एक राशि इमदाद के रूप में मुहैया कराई गई थी। यह योजना 31.10.2000 तक चालू थी।

(ग) और (घ) अपनी प्रचालन अवधि के दौरान यह कीमत इमदाद योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के सभी चाय उपजाऊ क्षेत्रों के लिए उपलब्ध थी और जो संबंधित चाय नीलामियों में मौजूद औसत कीमतों के मानदंड के अधीन थी। इस योजना की प्रचालन अवधि में दक्षिण भारत में भिन्न देश के नीलामी केन्द्रों में औसत कीमतें 55/- रुपए प्रति किग्रा. के निर्धारित स्तर से लगातार कम नहीं रही थी। इस प्रकार यह योजना इन क्षेत्रों में प्रभावी नहीं थी।

महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन

993. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्तर पर चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का कितने प्रतिशत का योगदान है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में चीनी के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कुछ कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) गत मौसम 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान 35.65 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) भारत सरकार विभिन्न गन्ना विकास योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से ब्याज की रियायती दर पर वित्तीय सहायता मुहैया करती है। 31.3.2001 को स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में गन्ना विकास के लिए 179 चीनी फैक्ट्रियों को 187.10 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 138.09 करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा गन्ना आधारित फसल प्रणाली (एस.यू.बी.ए.सी.) से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार तथा संबंधित चीनी फैक्ट्रियां भी सब्सिडि अथवा ऋण के आधार पर गन्ना विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

गंदे और कटे-फटे करेंसी नोटों का प्रचलन

994. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में गंदे और कटे-फटे करेंसी नोटों के बड़े पैमाने पर प्रचलन के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे गंदे नोटों को नष्ट करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां।

(ग) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कटे-फटे नोटों को स्वीकार करें और जारी न किए जा सकने वाले कटे-फटे नोटों को पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे गए भारतीय रिजर्व बैंक की 4200 मुद्रा तिजोरियों

में से किसी में भी जमा कर दें। इसके अतिरिक्त सभी सार्वजानिक और निजी क्षेत्र के बैंटों को कटे-फटे नोट ले जाने के लिए मुद्रा तिजोरियों के साथ जोड़ा गया है। अंत में ऐसे कटे-फटे नोटों को पर्याप्त जांच के बाद भारतीय रिजर्व बैंक में नष्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मुद्रा तिजोरी बैंक शाखाओं को अधिकार दिए गए हैं कि जनता द्वारा किए गए कटे-फटे नोटों के लिए वे निर्णय ले सकें। वित्त वर्ष के 2000 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5 बिलियन कटे-फटे नोट प्राप्त किये जिनमें से 4.3 बिलियन से अधिक को रिजर्व बैंक ने नष्ट कर दिया। इसी प्रकार 2000-2001 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 40 मिलियन से अधिक कटे-फटे नोटों को नष्ट करने का निर्णय लिया गया।

[हिन्दी]

दिल्ली में हवाला संचालक

995. डा. बलिराम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जुलाई, 2001 के 'दैनिक जागरण' में 'दिल्ली में सक्रिय 25 हवाला व्यापारियों की पहचान' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिए गए मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में प्रवर्त्तन निदेशालय और आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) वित्त मंत्रालय के ध्यान में यह समाचार आया है।

(ख) समाचार के अनुसार दिल्ली पुलिस ने उन 25 हवाला व्यापारियों की पहचान की है, जो दिल्ली में सक्रिय हैं।

(ग) दिल्ली पुलिस से इन व्यापारियों के नाम तथा अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी

996. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व व्यापार में भारत की मौजूदा हिस्सेदारी कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार ने विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने हेतु विशेषज्ञों की राय प्राप्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार को बढ़ाने हेतु क्या रणनीति अपनाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार विश्वव्यापार में भारत के निर्यातों का हिस्सा वर्ष 2000 के दौरान 0.67 प्रतिशत है।

(ख) से (घ) निर्यात संवर्धन सरकार का सतत प्रयास होने के कारण, निर्यात की प्रगति की निरंतर निगरानी की जाती है और निर्यात कार्यनीति तथा निर्यात नीतियां तैयार की जाती हैं। तथापि निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं - विकेन्द्रीकरण के जरिए सौदों की लागत को कम करना। क्रियाविधियों का सरलीकरण तथा एक्जिम नीति में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों के जरिए थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों की पहचान करके भी निर्यातों को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। निर्यातों में और आगे वृद्धि करने के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना की जा रही है। इनके अतिरिक्त नई एक्जिम नीति 2001-2002 में घोषित उपायों में शामिल हैं: कृषि निर्यातों का संवर्धन, बाजार पहुंच पहल, व्यापार-सह-व्यापार सरलीकरण केन्द्र तथा व्यापार प्रवेश-द्वारों की स्थापना करना, अग्रिम लाइसैंसिंग योजना, शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र (डीएफआरसी), शुल्क हकदारी पास बुक योजना (डीईपीबी) का सुदृढ़ीकरण, आदि।

[हिन्दी]

ट्रांसमीटर (डी.डी.-2) की मरम्मत

997. श्री ब्रज मोहन राम: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के गढ़वा जिले में डी.डी.-2 मेट्रो चैनल के प्रसारण हेतु एक ट्रांसमीटर की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ट्रांसमीटर में कुछ खराबी आ गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इसकी मरम्मत करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी हां।

(ख) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कुछ उपकरणों के खराब होने के कारण विगत में गढ़वा स्थित अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर से प्रसारण कार्य प्रभावित हुआ था। उपकरणों में जब भी खराबी आई थी तो इन्हें ठीक कर दिया गया था और इस ट्रांसमीटर के संतोषजनक ढंग से कार्य करने की रिपोर्ट मिली है। गढ़वा स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर एक स्वचालित स्थापना है और इसकी खराबी को दूर करने में कुछ समय लगता है क्योंकि अनुरक्षण कर्मियों को हजारी बाग स्थित दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र से भेजना होता है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न खरीद का विकेन्द्रीकरण

998. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में खरीफ मौसम, 2000 के दौरान मक्के के विकेन्द्रित खरीद को मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से 'विकेन्द्रित खरीद कार्यक्रम' के अंतर्गत रबी मौसम में मक्के की खरीद करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश से रबी मौसम में कितनी मात्रा में मक्के की खरीद किये जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) आन्ध्र प्रदेश के राज्य मंत्रियों और संसद सदस्यों के शिष्टमण्डल के साथ 31.10.2000 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आन्ध्र प्रदेश राज्य नागरिक पूर्ति निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने हेतु एक लाख टन तक मक्का की खरीदारी करेगा। तदनुसार खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान राज्य में 42919 टन मक्का की खरीदारी की गई है। आन्ध्र प्रदेश मार्कफेड को केन्द्रीय पूल के लिए मक्का की वसूली करने हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा 3.00 करोड़ रुपये तक ऋण प्रदान किया गया था।

(ख) से (घ) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने दिनांक 10.4.2001 के पत्र में उल्लेख किया था कि 15000 टन मक्का की वसूली करने के लिए 8.50 करोड़ रुपये की राशि अपेक्षित होगी और भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया जाये कि वे वसूली प्रचालनों हेतु आन्ध्र प्रदेश मार्कफेड को 5.00 करोड़ रुपये की राशि रिलीज करें।

चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मक्का की कोई मांग नहीं थी इसलिए यह निर्णय लिया गया कि खुले बाजार में इसका निपटान कर दिया जाये। अत: राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया था। तद्नुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया गया है।

मंगलोर में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क

999. श्री जी.एस. बसवराज: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के मंगलोर में दूसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से मंगलोर में दूसरे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्ताव को दिनांक 22.6.2001 को स्वीकृत कर दिया गया है।

"ग्रोथ रिजर्वेशन फंड" (विकास हेतु आरक्षण निधि)

1000. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "ग्रोथ रिजर्वेशन फंड" नामक कोई निधि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निधि के सृजन के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या देश में इस निधि को उपयोग किया जाता है; और

(ङ) इस निधि के अंतर्गत अभी तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का निर्यात

1001. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने इस समय यूरोपीय संघ के लिए प्रत्येक वर्ष 20,000 टन तक चीनी का निर्यात कोटा रखा हुआ है;

(ख) क्या यूरोपीय संघ ने चीनी का एक नया क्षेत्र तैयार किया है जिससे भारतीय चीनी का कोटा कम हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका भारतीय चीनी उद्योग जो कि पहले ही संकट में चल रहा है पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) भारतीय चीनी कोटा में कमी करने हेतु यूरोपीय संघ द्वारा उत्पन्न की गई चुनौती का सामना करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) यूरोपीय संघ ने भारत को वार्षिक तरजीही कोटे के अधीन यूरोपीय संघ को निर्यात करने के लिए 20,000 टन चीनी (10,000 टन सफेद चीनी तथा 10,000 टन रॉ चीनी) का आवंटन किया था। रॉ चीनी के निर्यात का कोटा 1.7.1995 से 30.6.2001 तक छह वर्षों के लिए था। भारतीय दूतावास, ब्रसेल्स ने भारत द्वारा यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए 10,000 टन रॉ चीनी के कोटे के नवीकरण का मामला यूरोपीय आयोग के साथ उठाया है। द्विपक्षीय वार्ताओं में सरकार ने भारत के लिए तरजीही कोटे के अधीन सफेद चीनी के आवंटन में वृद्धि करने का मामला भी उठाया है।

[हिन्दी]

यूटीआई में निवेश

1002. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) ने देश में लघु निवेशकों से बड़ी पूंजी उगाही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पूंजी के निवेश हेतु कोई मार्गनिर्देश भी निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान यूटीआई द्वारा इस पूंजी का निवेश किन-किन क्षेत्रों में किया गया था; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस निवेश से प्रत्येक क्षेत्र में कितना वार्षिक लाभ हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पंढरपुर, जिला शोलापुर, महाराष्ट्र हेतु एच.पी.टी.

1003. **श्री रामदास आठवले:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में पंढरपुर स्थित टी.वी. टावर को उच्च शक्ति टी.वी. टावर में परिवर्तित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। पंढरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पंढरपुर में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। शोलापुर में टी.वी. कवरेज का और विस्तार पारस्परिक प्राथमिकताओं और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

कठोर हीरे का आयात

1004. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने मुंबई में हाल में जाली लाइसेंसों का प्रयोग करके करोड़ों रुपयों के कठोर हीरे के आयात/निर्यात में लिप्त गिरोह का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आर.ई.पी. का उल्लंघन करने वाले आयातकों/निर्यातकों के विरुद्ध आगे और कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि कुछ उच्च पदस्थ सीमा शुल्क अधिकारी भी इस घोटाले में लिप्त रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। फरवरी, 2001 में खुरदरे हीरों की निकासियों के लिए पेश किए गए लाइसेंसों सहित आयात दस्तावेजों की गहन जांच-पड़ताल और विस्तृत परवर्ती जांच-पड़तालों के फलस्वरूप मुंबई सीमा शुल्क को यह पता लगा कि चार आयात करने वाली फर्मों अर्थात् मैसर्स दीपाली एक्सपोर्ट्स, मैसर्स विजयभव, मैसर्स पुष्पक इम्पैक्स और मैसर्स वैभव एक्सपोर्ट्स आयात लाइसेंसों में हेरा-फेरी और जालसाजी कर रही हैं ताकि वे खुरदरे हीरों का शुल्क मुक्त आयात करने में सफल हो सकें। जांच-पड़तालों से यह पता चला है कि इन फर्मों ने जनवरी, 1999 से फरवरी 2001 की अवधि के दौरान 56 जाली पुनर्भरण लाइसेंसों के आधार पर 332 करोड़ रुपये मूल्य के खुरदरे हीरों का आयात किया है। 5 करोड़ रुपये मूल्य के खुरदरे हीरों का अभिग्रहण कर लिया गया है और उपर्युक्त 4 फर्मों के मालिकों को सीमा शुल्क 'अधिनियम 1962 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और उससे सम्बद्ध कानूनों के अंतर्गत चारों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) और (च) इस मामले में किसी भी सीमा शुल्क अधिकारी को शामिल नहीं पाया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी शाखाओं को स्वायत्तता

1005. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी अनुषंगी शाखाओं को स्वायत्तता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी शाखाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक की ऐसी अनुषंगी शाखाओं के नाम क्या हैं और प्राथमिकता क्षेत्र बैंकिंग को लागू करने में उनकी क्या भूमिका है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक के सात सहयोगी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के उपबंधों तथा उनके सामान्य विनियमनों के अनुसार निदेशक मंडल के माध्यम से कार्य का संचालन करते है। सहयोगी बैंकों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है तथा वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के उपबंधों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सभी सात सहयोगी बैंकों ने 31.3.2001 को समाप्त वर्ष में संयुक्त परिचालन लाभ के रूप में 1772.83 करोड़ रुपये था निवल लाभ के रूप में 617.60 करोड़ रुपये अर्जित किया है।

(घ) 31.3.2001 तक की स्थिति के अनुसार सातों सहयोगी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया जाने वाले ऋण 48 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड से अधिक रहा है।

प्लान्टेशन कंपनियां

1006. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'सेबी' ने प्लान्टेशन कंपनियों के छोटे निवेशकों की शिकायतों को सुनने की प्रक्रिया को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'सेबी' को छोटे निवेशकों को धन को वापस दिलाने में सफलता मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) प्लान्टेशन कंपनियों द्वारा ऐंठे गये धन को कब तक वापस ले लिया जाएगा;

(च) एंडवेन्चर ओरचार्य प्लान्टेशन कंपनी की स्थिति क्या है;

(छ) क्या मुंबई के कई निवेशकों ने इस संबंध में 'सेबी' से शिकायतें की हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास सूचीबद्ध कंपनियों एवं सामूहिक निवेश स्कीमों के विरुद्ध प्राप्त निवेशक शिकायतों के निपटारे के लिए कार्यतंत्र है।

(ख) से (घ) सेबी ने अपनी 26 नवम्बर, 1997 की प्रेस विज्ञप्ति और 18 दिसम्बर, 1997 की सार्वजनिक सूचना के तहत विद्यमान स्कीमों को निर्देश दिए थे कि वह अपनी स्कीमों के ब्यौरे उसके पास प्रस्तुत करें। सेबी को 660 कंपनियों से सूचना प्राप्त हुई जिन्होंने सूचना के अनुसार 2689.86 करोड़ रुपए जुटाए थे।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सामूहिक निवेश स्कीमें) विनियमन, 1999 को 15 अक्तूबर, 1999 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद कुल कंपनियों जिन्होंने सूचना के अनुसार लगभग 492 करोड़ रुपए जुटाए थे, ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया।

सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ख के अन्तर्गत 538 कंपनियों के विरुद्ध आदेश पारित किए गए हैं जिनमें उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के अन्तर्गत वह निवेशकों को उन्हें देय प्रतिफल सहित धनराशि की अदायगी करें।

46 कंपनियों जिन्होंने लगभग 17 करोड़ रुपए जुटाए थे, ने अपने निवेशकों को लगभग 19 करोड़ रुपए की अदायगी की सूचना देते हुए रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

न्यायालयों ने 9 कंपनियों के संबंध में जिन्होंने 1211 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए थे, प्रशासक/रिसीवर/परिसमापक की नियुक्ति की है।

(ङ) सेबी के अनुसार समय-सीमा का उल्लेख करना कठिन है क्योंकि यह विभिन्न न्यायालयों के सामने चल रही कानूनी कार्रवाईयों और कंपनी कार्य विभाग/संबंधित राज्यों सरकारों द्वारा परिसमापन कार्रवाईयों/अन्य कार्रवाईयों पर निर्भर करेगी।

(च) से (ज) सेबी को मैसर्स एंडवेन्चर आरकार्डस लिमिटेड द्वारा पहले प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार इसने 8.40 करोड़ रुपए जुटाए थे। चूंकि इस कंपनी ने सेबी विनियमों की शर्तों के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था और अपने निवेशकों को अदायगी करने के लिए यह अपनी स्कीमों को बंद करने में भी असफल रही थी अत: सेबी अधिनियम, 1992 की धारी 11ख के अधीन इसे एक आदेश जारी किया गया था जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर वह पेशकश की शर्तों के अनुसार निवेशकों को देय प्रतिफल सहित स्कीम के अन्तर्गत एकत्र की गई धनराशि वापस करे। चूंकि यह कंपनी उक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल रही अत: सेबी ने सेबी अधिनियम, 1992 की शर्तों के अनुसार इसके विरुद्ध अभियोजन कार्रवाई शुरू कर दी है।

30.6.2001 की स्थिति के अनुसार मुंबई से प्राप्त शिकायतों सहित कुल 161 निवेशकों की शिकायतें इस कंपनी के विरुद्ध लंबित हैं।

फोटोग्राफी पर सर्विस-टैक्स

1007. श्री पवन कुमार बंसल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फोटोग्राफी पर सर्विस-टैक्स लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कर के मामलों के लिए कारोबार की कोई अवसीमा निर्धारित है;

(ग) यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या विषम कार्य करने वाले छोटे और स्वरोज़गार में लगे फोटोग्राफरों को भी अपने को पंजीकृत कराना पड़ता है और अपने रिकार्ड रखने होते हैं तथा उन्हें प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें परिहार्य नौकरशाही के झमेले से बचाने के लिए क्या कदम, यदि कोई हैं, उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) सरकार ने किसी फोटोग्राफी स्टूडियो अथवा एजेंसी तथा ऐसे व्यष्टि व्यावसायिक फोटोग्राफरों द्वारा स्टिल फोटोग्राफी के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं को सेवा कर से मुक्त रखा है जो दुकानों एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित कानून अथवा किसी राज्य के किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। इस छूट को देखते हुए, विषम कार्य करने वाले छोटे और स्वरोज़गार में लगे फोटोग्राफर सेवा-कर के दायरे में नहीं आएंगे।

[हिन्दी]

निर्यात में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा

1008. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के निर्यात में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान रहा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किए गए निर्यात के तुलनात्मक आंकड़ें क्या है; और

(ग) देश से समग्र निर्यात में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के निर्यातों में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा तथा डालर के रूप में अनुमानित तुलनात्मक मूल्य निम्नानुसार है:-

भारत के विनिर्मित उत्पादों के निर्यात

(मिलियन यू.एस. डालर में)

वर्ष (अप्रैल-फरवरी)	विनिर्मित उत्पादों का मूल्य	कुल निर्यातों में हिस्सा (%)
1998-99	23511	78.72
1999-2000	26949	83.03
2000-2001	31792	79.92

(ग) सरकार ने देश में औद्योगिक निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक नीति संबंधी उपाय किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य सामान्य तौर पर भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करना तथा निर्यात को बढ़ाना है। इन उपायों में शामिल हैं - विकेन्द्रीकरण के द्वारा सौदों की लागत में कमी करना, क्रियाविधियों का सरलीकरण तथा एक्जिम नीति में वर्णित विभिन्न अन्य उपाय। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों के जरिए, थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों की पहचान करके भी निर्यातों को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। निर्यातों में और वृद्धि करने के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना की जा रही है।

[अनुवाद]

बैंकों का कार्यनिष्पादन

1009. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री माणिकराव होडल्ला गावित:
श्री विजय गोयल:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री सुबोध राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-01 के दौरान प्रत्येक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक को कितनी शुद्ध लाभ/हानि हुई;

(ख) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 2000-01 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में खराब परिणाम दिखाये हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं और उनके खराब कार्यनिष्पादन के कारण क्या हैं; और

(घ) उनकी हानि को कम करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वर्ष 2000-2001 के लिए बैंक-वार निवल लाभ/हानियां विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों नामत: देना बैंक और इंडियन बैंक ने वर्ष 2000-2001 के दौरान हानियां दर्ज की। जबकि देना बैंक के मामले में इन्होंने पहली बार निवल हानि दर्ज की। इंडियन बैंक के मामले में इनकी निवल हानियों में पिछले दो वर्षों की तुलना में पर्याप्त कमी आई है। इनकी हानियों का कारण अनुप्रयोज्य आस्तियों (एनपीए) का उच्च स्तर, उच्च परिचालन लागत और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)

के कारण व्यय है। इन बैंकों ने एनपीए खातों की कड़ी निगरानी, भारतीय रिजर्व बैंक की एक बार निपटान योजना के तहत अधिकांश मामलों का निपटान, अपने खर्च घटाना, कम लागत जमाराशियां जुटाना, राशि बट्टे खाते डालने में वसूलियों में तेजी लाना, निधि प्रबंधन प्रणाली में सुधार और शुल्क आधारित कारोबार में वृद्धि करके अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए उपाय किए हैं। देना बैंक के निष्पादन की समीक्षा केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उच्च स्तरीय बैठकों में की गई थी और उस पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	लाभ/हानियां 2001 (रु.)	क्रम सं.	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	लाभ/हानियां 2001 (रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1604.25	1.	बैंक आफ मदुरा	उपलब्ध नहीं
2.	स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जयपुर	105.37	2.	बैंक आफ राजस्थान	32.32
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	150.22	3.	बनारस स्टेट बैंक	-13.39
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	63.99	4.	भारत ओवरसीज बैंक	17.50
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	25.72	5.	कैथोलिक सिरियन बैंक	11.25
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	161.10	6.	सिटी यूनियन बैंक	21.30
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	13.71	7.	धनलक्ष्मी बैंक	6.77
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	97.49	8.	फेडरल बैंक	61.04
9.	इलाहाबाद बैंक	39.91	9.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक	167.57
10.	आन्ध्रा बैंक	121.19	10.	कर्नाटक बैंक	45.41
11.	बैंक आफ बड़ौदा	274.66	11.	करूर वैश्य बैंक	72.05
12.	बैंक आफ इंडिया	251.88	12.	लक्ष्मी विलास बैंक	26.74
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	45.19	13.	लार्ड कृष्णा बैंक	उपलब्ध नहीं
14.	केनरा बैंक	285.10	14.	नैनीताल बैंक	5.05
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	46.46	15.	नेडुंगडी बैंक	उपलब्ध नहीं
16.	कारपोरेशन बैंक	261.84	16.	रत्नाकर बैंक	4.02
17.	देना बैंक	-268.12	17.	सांगली बैंक	6.22
18.	इंडियन बैंक	-274.00	18.	साउथ इंडियन बैंक	41.05
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	115.93	19.	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक	50.40
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	202.88	20.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक	-15.68
21.	पंजाब नेशनल बैंक	463.64	21.	वैश्य बैंक	38.55

1	2	3	4	5	6
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	13.26	22.	यूटीआई बैंक	86.12
23.	सिंडिकेट बैंक	234.94	23.	एसबीआई कम. एंड इंटरनेशनल बैंक	42.00
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	155.47	24.	गणेश बैंक आफ कुरुंडवाड़	0.38
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	19.14	25.	इंड्स इंड बैंक	40.64
26.	यूको बैंक	33.00	26.	आईसीआईसीआई बैंक	161.10
27.	विजया बैंक	70.73	27.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	80.33
			28.	एचडीएफसी बैंक	210.12
			29.	सेंचुरियन बैंक	57.81
			30.	बैंक आफ पंजाब	34.82
			31.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	30.03
			32.	आईडीबीआई बैंक	19.36

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

1010. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिले-सिलाए वस्त्रों पर 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने से उनकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी और निर्यात को झटका लगेगा; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु कि सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात पर प्रभाव न पड़ें, क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यातों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगता है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

नेपाल की घटनाओं पर दूरदर्शन बुलेटिन

1011. **श्री अखिलेश यादव:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल में घटी घटनाओं के क्रम में विशेष बुलेटिन तैयार किया गया था लेकिन उसे दूरदर्शन पर प्रसारित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे प्रसारित न किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास में गिरावट

1012. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री अधीर चौधरी:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री समर चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान औद्योगिक उत्पादन विकास दर धीमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक उत्पादन में धीमे विकास के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या औद्योगिक विकास की धीमी गति से निपटने के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उद्योगपतियों ने भी संकट से निपटने के लिए उपाय सुझाए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या उनकी राय पर विचार किया गया है; और

(छ) औद्योगिक विकास की धीमी गति से निपटने में प्रस्तावित कार्य-योजना कहां तक सहायक होगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (छ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्राप्त 6.7 प्रतिशत विकास दर की तुलना में 2000-2001 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 5.0 प्रतिशत समग्र विकास हुआ था। 2000-2001 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की धीमी विकास दर मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से रही है:-

* अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित बाधाओं का जारी रहना तथा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने में विफलता।
* सामान्य निवेश वातावरण में मंदी।
* संयुक्त राज्य अमेरिका एवं विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक मंदी।
* पिछले दो वर्षों में अपेक्षाकृत कम कृषि उत्पादन और उसके फलस्वरूप समग्र मांग में कमी आना और उपभोग में कमी आ जाना।
* स्टाक मार्किट के खराब कार्य-निष्पादन से उपभोक्ताओं और कारोबारियों के विश्वास में कमी आ जाना।

सरकार ने देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की है। सामान्यत: भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने तथा विशेष रूप से समग्र मांग में वृद्धि करने, अवसंरचनात्मक आधार में सुधार करने, प्रौद्योगिक उन्नयन श्रम में लोच लाने और विशेषत: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इन उपायों को लक्ष्य बनाया गया है हाल ही में की गई कुछ नीतिगत पहलें संक्षेप में नीचे दी गई है:-

* कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुआं के मामले में मूल सीमा शुल्क घटा दिया गया है।
* उत्पाद शुल्क को सेनवेट की एक दर और विशेष उत्पाद शुल्क (एस.ई.डी.) की एक दर के साथ युक्तियुक्त बना दिया गया है।
* वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की गति बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अधीन बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की गयी है।
* लघु बचतों पर ब्याज दर कम कर दी गई है।
* चालू बजटीय आबंटनों के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है।
* उद्योग के लिए संचालन के माहौल में सुधार लाने हेतु उपयुक्त वैधानिक परिवर्तन करने के भी प्रस्ताव किए गए हैं।
* भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी बढ़ाने और ऋण की लागत को कम करने के लिए नकेद आरक्षित अनुपात और बैंक दर में कमी कर दी है।

औद्योगिक धीमेपन में सुधार लाने के लिए फिक्की, एसोचैम और सी.आई.आई. जैसे संगठनों ने विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है, जैसे कि दूसरी पीढ़ी के सुधारों विशेषत: श्रम संबंधी सुधारों की गति बढ़ाना, अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश बढ़ाना और ब्याज दरों में कटौती करना।

सरकार ने इन सुझावों का संज्ञान लिया है तथा श्रम में लचीलापन लाने, अवसंरचना आधार को सुधारने, एफ.डी.आई. अन्तर्वाह को प्रोत्साहित करने और प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए उपाय शुरू किए हैं। औद्योगिक उत्पादन में सुधार लाने में इन सभी उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बशर्ते कि वर्तमान राजकोषीय वर्ष के दौरान कृषि उत्पादन में सकारात्मक विकास दर दर्ज हो तथा विश्व आर्थिक स्थिति में सुधार आये।

अंत्योदय योजना

1013. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अंत्योदय योजना के अंतर्गत गेहूं और चावल की अनुपलब्धता को लेकर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार अंत्योदय अन्न योजना में और लोगों को शामिल करने पर सक्रियता से विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय जीवन बीमा निगम

1014. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम विदेशों में अपने कारोबार को मजबूत बनाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम विदेश में संयुक्त उद्यम की कंपनियां स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में बीमा योग्य शेष आबादी को बीमा लाभ प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस तथा फिजी में शाखा कार्यालय तथा बहरीन में अपतटीय सहायक कम्पनी हैं। निगम ने अन्य बातों के साथ-साथ विदेश में अपने कारोबार को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है ताकि सारे विश्व में फैले हुए 20 मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीय जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा अपेक्षाकृत बड़े बाजार में प्रवेश हो सके।

(ग) और (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में नेपाल में मैसर्स विशाल ग्रुप लि. के साथ मिलकर जीवन बीमा निगम (नेपाल) लि. नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी पंजीकृत की है। जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा निगम (मॉरीशस) अपतटीय लि. नाम से एक अपतटीय जीवन बीमा कम्पनी पंजीकृत की है ताकि अफ्रीका महाद्वीप के चुनिंदा देशों में रह रही लगभग 4.53 मिलियन भारतीय मूल की जनसंख्या को कवच प्रदान किया जा सके।

(ङ) निगम प्रतिवर्ष अधिक से अधिक नए व्यक्तियों को कवच प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 1998-1999 में नए व्यक्तियों के लिए 107.53 लाख पालिसियां जारी की गई थीं। वर्ष 1999-2000 के दौरान यह कवरेज बढ़ाकर 125.35 लाख पालिसियां की गई। वर्ष 2000-01 के दौरान यह कवरेज 145 लाभ से अधिक है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम के सभी क्षेत्रों से जीवन बीमा पालिसियों की प्राप्ति के लिए 2,048 शाखा कार्यालयों तथा 7.86 लाख एजेंटों के माध्यम से अपना जाल फैलाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत 1,258 शाखा कार्यालय उन सम्भावित लोगों के लिए हैं जिन्हें अभी बीमा कवच प्रदान करना है। भर्ती पूर्व-प्रशिक्षण के लिए 400 से अधिक केन्द्रों की स्थापना की गई है ताकि नए एजेंट नए स्थानों का प्रतिनिधित्व कर सकें तथा नए लोगों को बीमा प्रदान कर सकें। वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान निगम ने नई पालिसियों में 18 प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना बनाई है ताकि वार्षिक आधार पर अधिकाधिक जनसंख्या को कवच प्रदान किया जा सके।

मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा के अनुमानों के अनुसार 15 से 69 वर्ष की आयु वर्ग में कुल बीमा योग्य जनसंख्या 34.37 करोड़ है। जीवन बीमा निगम ने अनुमान लगाया है कि दि. 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार वैयक्तिक बीमा तथा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 8.63 करोड़ व्यक्तियों को कवच प्रदान किया गया था। यह संख्या बीमा योग्य जनसंख्या के 25.11 प्रतिशत मान का प्रतिनिधित्व करती है।

ऋण वसूली अधिकरण को मजबूत करना

1015. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बैंकों की अप्रयोज्य आस्तियों की वसूली हेतु ऋण वसूली अधिकरण को मजबूत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अप्रयोज्य आस्तियों की वसूली की प्रक्रिया बहुत धीमी और अप्रभावी रहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो अप्रयोज्य आस्तियों की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (डीआरटी अधिनियम) के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु प्रारम्भ में देश में 10 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) और एक ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) स्थापित किए गए थे। फिलहाल, देश में विभिन्न स्थानों पर 22 डीआरटी और 5 डीआरएटी कार्यरत हैं। डीआरटी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे, डीआरटी अधिनियम में संशोधन करना, प्रत्येक डीआरटी के पदों की संख्या बढ़ाना, कार्यालय स्थान के क्षेत्र को बढ़ाना, पीठासीन अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करना और डीआरटी और उनके अधिकारियों और स्टाफ को विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा रख-रखाव किए गए सामान्य पूल में से कार्यालय/आवासीय स्थान के लिए पात्र बनाना।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुप्रयोज्य आस्तियों में उनके सकल अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में 1998-99 में 15.9% से 1999-2000 में 14% और 2000-2001 में 12.8 प्रतिशत की उत्तरोत्तर कमी आई है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को बैंक की वसूली के लिए अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न उपाय करने के लिए कहा गया है, जैसे बैंकों द्वारा वसूली नीति तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना, सिविल न्यायालयों और डीआरटी में मुकदमें दायर करना, निपटान परामर्शदात्री समिति के माध्यम से समझौता निपटान और बैंकों में विभिन्न स्तरों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई।

[हिन्दी]

एम.एम.टी.सी. का व्यापार कार्य-निष्पादन

1016. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विभिन्न देशों के साथ व्यापार में कुल कितनी धनराशि लगाई गई;

(ख) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम की व्यापारिक गतिविधियों में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ताकि इसकी रूकी हुई गतिविधियां पुन: चालू हो सकें?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम.एम.टी.सी. का विभिन्न देशों के साथ किया गया वर्ष-वार व्यापार निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु.)

	2000-2001 (अनंतिम)	1999-2000	1998-1999
निर्यात	1619.3	1153.8	1040.1
आयात	3701.6	3526.8	3145.5
कुल	5320.9	4680.6	4185.6

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात में सेवा क्षेत्र का शेयर

1017. **डा. सुशील कुमार इंदौरा:**
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नब्बे के दशक में निर्यात में सेवा क्षेत्र का शेयर निरन्तर रूप से बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो दशक के आरंभ और अंत में देश के निर्यात में सेवा क्षेत्र का शेयर कितना है;

(ग) सेवा क्षेत्र के शेयर में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सेवा क्षेत्र में पेशेवर और गैर-पेशेवर की संख्या में क्या अनुपात है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) जी, हां। पण्य वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल निर्यातों में सेवाओं के निर्यात का हिस्सा वर्ष 1990-91 मे 20.05 प्रतिशत था, जो वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 29.91 प्रतिशत हो गया। सेवाओं के निर्यात में हुई यह वृद्धि मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में हुई वृद्धि के कारण थी। सेवा के क्षेत्र में पेशेवरों, गैर-पेशेवरों की संख्या के बारे में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया का बेचा जाना

1018. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति**: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विनिवेश की प्रक्रिया में शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को औनी-पौनी कीमत पर बेचने का सहारा ले रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या रुख अपनाया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिशेष भंडार की बिक्री

1019. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री राम प्रसाद सिंह:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जा रहे खाद्यान्नों की निर्धारित कीमत से सस्ती/रियायती दरों पर अधिशेष भंडार को बेचकर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को खाली करने की कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे संगठन और अन्य संस्थान कौन से हैं जिन पर रियायती दरें लागू होंगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) सरकार ने अधिशेष स्टाक का निपटान करने के लिए कई उपाय किये हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्नों के आबंटन में वृद्धि करना, गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को कम करना, घटी हुई दरों पर गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री करना, राज्य सरकारों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का आबंटन करना, विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों का आबंटन करना और गेहूं और चावल का निर्यात करना शामिल हैं। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे की दरों से कम मूल्यों पर कोई बिक्री नहीं की जा रही है।

उपर्युक्त उपायों से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में स्थान खाली करने के लिए अलावा उपर्युक्त स्कीमों के अधीन विभिन्न प्रकार के लाभभोगियों को सहायता मिलेगी।

ऋण उतारे जाने के संबंध में कमी का रूझान

1020. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मई और जून, 2001 के माहों में बैंकों का ऋण उतारे जाने के संबंध में कमी के रूझान के बारे में सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो बैंक ऋण को उतारे जाने में आई इस गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस गिरावट के रूझान का कोई विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस कमी के रूझान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून, 2001 माह के लिए बैंक ऋण में मासिक अन्तरों में (सूचना देने के लिए नियत अन्तिम शुक्रवार को) मई, 2001 की तुलना में गिरावट आई है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

बैंक ऋण में मासिक अन्तर : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ रुपए)

मद	वित्तीय वर्ष 2001-02	
	24 अप्रैल, 2001 की तुलना में 18 मई, 2001	18 मई, 2001 की तुलना में 29 जून, 2001
बैंक ऋण	+ 1056	-1672
(क+ख)	(+0.2)	(-8.3)
जिसका		
(क) खाद्य ऋण	+ 10329	+ 3904
(ख) गैर-खाद्य बैंक ऋण	- 9272	-5576
	(-1.9)	(-1.2)

कोष्ठक में दिए गये आंकड़े पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत में अन्तर दर्शाते हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि गैर-खाद्य बैंक-ऋण सामान्यत: मौसमी पैटर्न दर्शाते हैं जिसमें वर्ष की पहली तिमाही के दौरान वृद्धि बहुत कम होती है। मौसमी पैटर्न के अलावा चालू वित्तीय वर्ष में ऋण उतारने में कमी आंशिक रूप से औद्योगिक क्रियाकलापों की धीमी गति दर्शाती है, जैसा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से पता चलता है जिसमें अप्रैल-मई, 2001 में 2.6 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर्ज की गई है। इक्विटी बाजार की दशाओं और कम निवेश मांग ने भी बैंकों से लिए गये ऋण उतारने पर प्रभाव डाला है।

(ग) और (घ) अप्रैल 2001 की मौद्रिक एवं ऋण नीति से यह संकेत मिलता था कि भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ऋणों के लिए सभी विधि सम्मत अपेक्षाएं कीमत स्थिरता के अनुरूप पूरी हों। ब्याज दर निर्धारित करने और ऋण प्रवाह को सुकर बनाने के लिए बैंकों को पर्याप्त लोच दी गई है। वस्तुत: ब्याज दरों में आशाओं के अनुरूप कमी की गई है। ऋण लेने में वृद्धि समग्र वृद्धि और व्यावसायिक विश्वस्तता पर निर्भर करती है और यह अर्थव्यवस्था की समग्र प्रत्याशाओं के बारे में निवेशक के ज्ञान एवं बढ़ते हुए विश्वास के अनुसार बढ़ती है।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का मूल्यांकन

1021. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उन बैंक अधिकारियों के विरुद्ध अर्थदंड लगाने सहित प्रतिरोधक कार्रवाई आरंभ करने का निर्णय लिया है जो जानबूझकर गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का आकलन करने में नानादिक प्रसारण की पहचान करने हेतु निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे अनुप्रयोज्य आस्तियों (एनपीए) की पहचान करने में देरी अथवा स्थगित करने की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए उपयुक्त आन्तरिक प्रणाली स्थापित करें और उपयुक्त आस्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवारी और वैधीकरण स्तर निर्धारित करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों की अनुपालना न करने के कारण उत्पन्न हुए एनपीए की पहचान में अपसरण का पता लगाना जारी रखें। वर्गीकरण के लिए जिम्मेवार बैंक अधिकारियों द्वारा जानबूझकर अनुपालना न करने के मामलों में, भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक दण्ड लगाने सहित निवारक कार्रवाई प्रारम्भ करेगा।

कृषक सामाजिक सुरक्षा योजना

1022. **डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने कोई कृषक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना में केन्द्र सरकार का कितना अंशदान है; और

(घ) इससे कृषकों को किस प्रकार से लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001" नामक एक नई योजना को श्रम मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। संलग्न विवरण में ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण

भाड़े पर कृषि श्रमिक हेतु "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001" 1 जुलाई, 2001 को शुरू की गई। इस योजना के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

पात्रता: 18 से 50 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति जो (क) कृषि, (ख) डेरी-उद्योग; (ग) बागवानी के किसी उत्पाद के उत्पादन, खेती, उपजाने और कटाई; (घ) पशुधन-पालन, मधु मक्खी पालन अथवा मुर्गी-पालन और (ङ) खेती के काम से जुड़े अथवा उससे सहबद्ध खेत में किए गए किसी कार्य में भाड़े पर श्रमिक की हैसियत से इनमें से एक या अधिक कृषि व्यवसायों में लगे हों, भले उन्हें नकद अथवा वस्तु अथवा अंशत: नकद और अंशत: वस्तु में भुगतान किया गया हो, इस योजना हेतु पात्र हैं। न्यूनतम सदस्यता 20 होनी चाहिए। गैर सरकारी संगठन/एसएचजी अथवा किसी अन्य अभिकरण की मदद से ग्राम पंचायत कृषि कामगारों की पहचान करेगी, उन्हें कम से कम 20 व्यक्तियों के समूह में संगठित करेगी और इन ब्यौरों को जीवन बीमा निगम तक पहुंचाने के लिए केन्द्रक अभिकरण को प्रस्तुत करेगी।

लाभ: इसमें निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे:

(1) 60 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु (जब तक सदस्यता प्रवृत्त है)

(क) नामिती को 20,000/- रु. की बीमित राशि के भुगतान के साथ ब्याज सहित संचित धनराशि की वापसी।

(ख) दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु की स्थिति में नामिती को 50,000/- रु. की बीमित राशि के भुगतान के साथ ब्याज सहित संचित धनराशि की वापसी।

(2) 60 वर्ष की आयु से पूर्व दुर्घटना के कारण हुई अपंगता (जब तक सदस्यता प्रवृत्त है)

(क) पूर्ण स्थायी अपंगता अर्थात् दोनों आंखों अथवा दोनों अंगों अथवा एक आंख अथवा एक अंग की क्षति होने के मामले में 50,000/- रु. की बीमित राशि का भुगतान।

(ख) आंशिक स्थायी अपंगता अर्थात् एक आंख अथवा एक अंग के मामले में 25,000/- रु. की बीमित राशि का भुगतान।

(3) 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर

(क) कम से कम 10 वर्ष की उत्तरजीविता हो जाने की स्थिति में, बशर्ते कि प्रीमियम नियमित रूप से अदा किया जाए, सदस्य को उसके खाते में संचित राशि के आधार पर एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ख) इस शर्त के अधीन कि कम से कम 10 वर्ष के अंशदान प्राप्त किए गए हों, सदस्य को उसके जीवन-काल के दौरान प्रतिमाह 100/- रु. की न्यूनतम पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

प्रीमियम: सदस्य को प्रत्येक तिमाही के आरंभ में 90 रु. का भुगतान करना होगा। इससे दोगुनी राशि का अंशदान सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना के प्रथम वर्ष में सरकार का हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोष में से लिया जाएगा। प्रीमियम का भुगतान न किए जाने की स्थिति में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किसी सदस्य के योजना से हटने के मामले में, सदस्य/नामिती को उत्तरजीविता/मृत्यु की स्थिति में ब्याज सहित उनके अंशदान की संचित राशि का भुगतान ही किया जाएगा। ब्याज सहित प्रीमियम की बकाया राशि का भुगतान करने पर सदस्यता बहाल की जा सकती है।

इस योजना के अंतर्गत लाभानुभोगी द्वारा प्राप्त लाभ इस प्रकार हैं: नियमित पेंशन का मासिक भुगतान, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व 10 वर्ष के अंतराल पर एकमुश्त उत्तरजीविता लाभ और दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अंपगता होने पर एकमुश्त भुगतान। मृत्यु होने के मामले में परिवार को एकमुश्त भुगतान किया जाता है। इन लाभों के परिणामस्वरूप कृषि श्रमिक अपने जीवन काल में तथा बाद में भी अनिश्चितता का बोध खत्म करने/हटा पाने में सक्षम होंगे और सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर पाएंगे।

भारतीय खाद्य निगम को वित्तीय स्वायत्तता

1023. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के कड़े प्रतिरोध के बावजूद भारतीय खाद्य निगम को भारत सरकार की वित्तीय निर्भरता से मुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम और कृषकों पर 'वित्तीय स्वायत्तता' का क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली के मुद्दे पर 21.5.2001 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन और 6.7.2001 को खाद्य प्रबंधन तथा कृषि निर्यात पर केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति की बैठक में चर्चा की गई थी। आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, बिहार, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, गुजरात और असम राज्यों ने धन की कमी अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की कमी, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना अपनाने में असमर्थता व्यक्त की थी। कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों ने कहा कि उचित तौर-तरीके निश्चित करने के पश्चात् यह योजना अपनाई जा सकती है। 6.7.2001 को हुई स्थायी समिति की हुई पहली बैठक में यह स्पष्ट किया गया था कि किसी भी राज्य सरकार पर यह योजना थोपी नहीं जाएगी। विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना पहले ही गेहूं और चावल के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा, चावल के लिए पश्चिम बंगाल द्वारा और गेहूं के लिए मध्य प्रदेश द्वारा अपना ली गई है।

(ग) खाद्य प्रबंधन और कृषि निर्यात संबंधी केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति की 6.7.2001 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारों के साथ आगे परामर्श किया जाये और योजना के अधीन लाभों का बंटवारा करने के बारे में उन राज्यों के संबंध में विचार किया जायेगा जो इस योजना को अपनाने के लिए सहमत होंगे।

लघु बचत

1024. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लघु बचतों से राज्यवार कुल कितना संग्रहण हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को ऋण के रूप में लघु बचत संग्रहण से कितनी अग्रिम धनराशि दी गई और इसकी प्रतिशतता क्या रही तथा किन नियमों और शर्तों पर यह दी गई;

(ग) क्या राज्यों को लघु बचतों का 100 प्रतिशत ऋण के रूप में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब से और इसकी ब्याज दर क्या होगी; और

(ङ) पूंजी के पुर्नभुगतान की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) विवरण-I में वर्ष 1998-99 से 2000-2001 (प्रारंभिक) के दौरान डाकघरों में लघु बचत योजनाओं में सकल और निवल संग्रहण के आंकड़े विहित है।

(ख) (i) विवरण-II में वर्ष 1998-99 से 2000-2001 (अन्तिम) के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) की सरकारों को अंतरित राशियों के राज्यवार आंकड़े विहित है।

(ii) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में, निवल लघु बचत संग्रहणों का 75 प्रतिशत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) की सरकारों को अंतरित किया गया था। दिनांक 1.4.2000 से, निवल लघु बचत संग्रहण का 80 प्रतिशत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) की सरकारों को अंतरित किया जाता है।

(iii) इन राशियों की निर्मुक्ति/अंतरण की तारीख से छठे वर्ष से शुरू करके बीस सामान, वार्षिक किस्तों में वापसी-अदायगी की जाती है। निवल लघु बचत संग्रहण के एवज में निर्मुक्त की गई राशियों पर 1998-99 से 31.12.1998 के दौरान 14.5% प्रतिवर्ष, 1.1.1999 से 31.3.1999 तक 14% प्रतिवर्ष, 1.4.99 से 31.3.2000 तक 13.50% प्रतिवर्ष, 1.4.2.000 से 31.3.2001 तक 12.50% प्रतिवर्ष और 1.4.2001 से आगे 11% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक ब्याज देय होता है।

(ग) और (घ) इस समय राज्य सरकारों को 100% निवल लघु बचत संग्रहणों के अंतरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) ये अंतरण 5 वर्षों के ऋणस्थगन और उसके बाद 20 वार्षिक किश्तों में वापसी अदायगी के साथ 1.4.99 से पूर्व 25 वर्षों के लिए ऋण के रूप में थे। दिनांक 1.4.99 से ये अंतरण राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में हैं, जो छठे वर्ष से 20 समान वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय है।

विवरण-I

डाकघरों में राज्य-वार सकल और निवल लघु बचत संग्रहण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000 अनन्तिम		2000-01 प्रारंभिक	
		सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2901.08	1204.37	3834.68	1629.62	4185.17	1732.58
2.	बिहार	3335.69	1717.41	4126.18	2026.53	4512.95	2121.98
3.	झारखंड			(बिहार के सामने दर्शाए गए आंकड़े में शामिल)			
4.	आधार	109.22	15.44	116.39	22.66	129.41	18.40
5.	दिल्ली	2286.05	1477.58	2489.83	1096.92	3040.07	1426.80
6.	जम्मू एवं कश्मीर	483.43	259.45	602.20	280.91	620.91	277.89
7.	कर्नाटक	2541.03	1239.95	2880.04	1485.33	3459.30	1520.89
8.	मध्य प्रदेश	2039.89	1058.61	2533.32	1244.41	2071.64	970.03
9.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	714.22	362.40
10.	उड़ीसा	1009.84	452.52	1265.34	547.40	1502.57	540.25
11.	राजस्थान	3107.92	1717.60	3944.64	2286.12	4613.09	2515.52
12.	उत्तर प्रदेश	7481.33	3897.56	9273.44	4333.64	10298.49	4493.59
13.	उत्तरांचल			(उत्तर प्रदेश के सामने दर्शाए गए आंकड़े में शामिल)			
14.	हरियाणा	1714.93	948.12	2003.17	972.57	2181.95	978.19
15.	तमिलनाडु	2676.55	1016.05	3253.41	1409.11	3839.98	1486.62
16.	पांडिचेरी	24.27	8.60	39.18	20.57	84.25	61.07
17.	महाराष्ट्र	6107.90	3228.10	7105.79	3224.35	8016.56	4005.88
18.	गोवा	133.35	74.66	173.36	82.16	215.17	102.47
19.	गुजरात	4689.89	2762.59	5846.13	3248.54	7139.29	3906.39
20.	दमन	6.08	3.68	9.90	3.23	12.36	2.10
21.	दीव	3.35	1.76	4.58	2.50	5.28	2.16

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	केरल	1458.44	608.13	1875.45	730.44	2042.54	497.33
23.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.62	0.20	0.57	0.11
24.	पांडिचेरी (माहे)	0.00	0.00	0.76	0.33	0.82	0.39
25.	पंजाब	2848.15	1744.06	3482.79	1964.62	4088.30	2281.03
26.	चंडीगढ़	139.66	35.88	148.86	17.14	0.00	-149.31
27.	हिमाचल प्रदेश	1961.13	75.00	862.39	-507.34	894.90	235.53
28.	पश्चिम बंगाल	7399.40	4607.36	9517.75	5291.79	10964.53	6054.74
29.	सिक्किम	16.40	10.85	20.16	12.05	24.69	12.57
30.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	12.11	5.15	11.80	1.72	13.40	-4.37
31.	असम	1016.04	212.72	1339.23	595.17	1483.79	378.53
32.	मणिपुर	39.21	20.86	50.47	24.50	53.61	21.48
33.	मेघालय	59.44	24.20	71.02	23.45	81.66	30.75
34.	त्रिपुरा	163.69	77.19	214.73	107.84	250.60	133.14
35.	मिजोरम	24.60	9.45	31.49	13.45	38.00	15.24
36.	नागालैंड	19.07	9.63	20.35	7.78	15.71	6.49
37.	अरूणाचल प्रदेश	26.22	16.85	29.41	13.19	27.65	13.07
	जोड़	55844.36	28541.38	67178.86	32212.98	76623.43	36051.93

विवरण-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को लघु बचत अंतरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000 अनंतिम	2000-01 अनंतिम
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	986.6	1141.07	1787.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.64	12.92	11.06
3.	असम	131.97	300.27	527.58
4.	बिहार	1432.37	1463.93	1604.93
5.	छत्तीसगढ़*			116.59

1	2	3	4	5
6.	गोवा	78.56	82.95	99.21
7.	गुजरात	2325.09	2594.93	3428.09
8.	हरियाणा	714.62	741.69	795.87
9.	हिमाचल प्रदेश	279.29	68.88	128.9
10.	जम्मू एवं कश्मीर	207.86	194.65	317.46
11.	झारखंड*			154.26
12.	कर्नाटक	799.74	1113.85	1179.54
13.	केरल	392.77	571.37	440.15
14.	मध्य प्रदेश	886.81	993.55	992.19
15.	महाराष्ट्र	3694.1	4119.51	4659.53
16.	मणिपुर	13.79	18.86	22.83
17.	मेघालय	15.54	12.93	24.02
18.	मिजोरम	5.18	7.36	13.55
19.	नागालैंड	8.15	10.56	5.56
20.	उड़ीसा	378.31	384.47	602.85
21.	पंजाब	1350.44	1711.63	2330.4
22.	राजस्थान	1130.13	1705.34	2203.82
23.	सिक्किम	7.82	8.33	7.64
24.	तमिलनाडु	780.31	1013.56	1286.97
25.	त्रिपुरा	65.01	64.52	103.68
26.	उत्तर प्रदेश	3406.49	3255.69	3857.05
27.	उत्तरांचल*			70.33
28.	पश्चिम बंगाल	3922.9	4160.4	4949.27
	जोड़	23026.49	25753.22	31720.47
	विधानमंडल सहित संघ राज्य प्रदेश			
1.	दिल्ली	754.66	1164.81	1505.08
2.	पांडिचेरी	6.95	18.62	39.5
	जोड़	761.61	1183.43	1544.58
	कुल जोड़	23788.1	26936.65	33265.05

*ये राज्य वर्ष 2000-2001 के दौरान सृजित किए गए हैं।

कर्नाटक में पाम ऑयल उद्योग

1025. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नवीन आयात-निर्यात नीति के प्रतिकूल प्रभाव के कारण देश का घरेलू पॉम ऑयल उद्योग संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सहित कई राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस संबंध में तत्काल उपाय करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) पाम ऑयल के घरेलू उत्पादकों पर आयातों के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कर्नाटक की सरकार सहित विभिन्न प्रदेशों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदन के उत्तर में इस मद पर आयात शुल्क में पिछले एक वर्ष के दौरान तीन बार वृद्धि की गई हैं। इस समय अपरिष्कृत पाम ऑयल पर आयात शुल्क 75 प्रतिशत और परिष्कृत पाम ऑयल पर यह 85 प्रतिशत है। शुल्क का मौजूदा स्तर घरेलू उत्पादकों को जरूरी संरक्षण प्रदान करेगा।

वाणिज्यिक फीचर फिल्मों का निर्माण

1026. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार को प्रत्येक राज्य विशेषकर तमिलनाडु से विभिन्न भाषाओं में भाषावार वाणिज्यिक फीचर फिल्मों के निर्माण के लिये ऋणों की मंजूरी के संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) सरकार द्वारा वाणिज्यिक फीचर फिल्मों के लिए ऋण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अवसंरचनात्मक क्षेत्र की वृद्धि

1027. **श्री सुबोध मोहिते:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-01 में छ: अवसंरचनात्मक क्षेत्रों ने वस्तुत: शून्य वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और इसके कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि में कोयला, पेट्रोलियम, सीमेंट, विद्युत और इस्पात क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर कितनी है; और

(घ) अवसंरचनात्मक क्षेत्र की वृद्धि दर को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) जी नहीं। छ: अवसंरचनात्मक क्षेत्रों ने वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान 5.3 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान छ: अवसंरचनात्मक क्षेत्रों का वार्षिक लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	एकक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य की तुलना में अंतर प्रतिशत में
कच्चा पेट्रोलियम	हजार टन	32464	32477	0.04
पेट्रोलियम शोधशाला उत्पाद	हजार टन	112823	96246	-14.69
कोयला	एम.टी.	308.07	309.20	0.37
विद्युत	बी.यू.	500.70	499.47	-0.25
सीमेंट	लाख टन	1070	955.20	-6.99
तैयार इस्पात	हजार टन	34760	30205.30	-13.10

(घ) उक्त अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किये गये हैं:-

* ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को पूंजीगत लाभ करमुक्त बांड जारी करने की अनुमति दे दी गई है।

* (1) विद्यमान विद्युत केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकरण/जीवन विस्तार,

(2) ऊर्जा लेखा-जोखा तथा मीटर व्यवस्था सहित सम्प्रेषण तथा वितरण का उन्नयन करने के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) के अधीन वर्ष 2001-02 के लिए बजट प्रावधानों में वृद्धि की गयी है।

* सरकार ने एस.ई.बी. में सुधार के लिए छः राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और बाद में अन्य राज्यों द्वारा भी ऐसा किया जाएगा, इन सुधारों में की जाने वाली पहलों में दिसम्बर, 2001 तक 100 प्रतिशत मीटर व्यवस्था अधिष्ठापित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाना, सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा-परीक्षा करना, विद्युत की चोरी में कमी करने तथा अन्ततः इसे समाप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाने जैसे उपाय शामिल हैं।

* सरकार सीमेंट का उत्पादन अधिकतम करने के लिए सीमेंट उद्योग को अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध करा रही है। सीमेंट की कमी वाले क्षेत्रों को सीमेंट की आपूर्ति करने के लिए सीमेंट संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर रेल वैगन उपलब्ध कराये जाते हैं।

* सीमेंट और खंगड़ पर सीमा शुल्क में 35 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की कमी की गई है।

* अवसंरचनात्मक विकास के लिए करावकाश। पत्तनों, हवाई अड्डों, अंतर्देशी पत्तनों और जलमार्गों, औद्योगिक पार्कों, विद्युत जनित्रण एवं वितरण के लिए केन्द्रीय बजट 2001-02 में 10 वर्ष के करावकाश की घोषणा की गई है। दूर संचार क्षेत्र के लिए 5 वर्ष के करावकाश अर्थात् मार्च 2003 तक के लिए मंजूरी दी गई है।

* सड़क निर्माण के लिए पेट्रोल तथा डीजल पर लगे उपकर से एक समर्पित कोष बनाया गया है।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए स्वापक

1028. श्री राजो सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 30 जून, 2001 से पहले के छह माह में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और बीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए सोने और स्वापक की मात्रा कितनी है;

(ख) इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) सोना और स्वापकों की तस्करी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) 21.1.2001 से 30.6.2001 की अवधि के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जब्त की गई सोने और नशीले पदार्थों की मात्रा और इस संबंध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:

विवरण		मामलों की संख्या	जब्त की गई मात्रा (कि.ग्रा. में)	जब्त किये गये माल का मूल्य (लाख रुपयों में)	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
सोना		243	248.063	1148.85	32
स्वापक औषधियां					
(i)	हैरोइन	22	241	785.12	30
(ii)	हशीश	36	497	147.76	6
(iii)	मैंड्रक्स/ मैथाक्वालॉन	01	396	79.20	3
(iv)	गांजा	126	15766	379.54	29

आंकड़े अंतिम हैं।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालय सोने और नशीले पदार्थों सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सतर्क एवं चौकस हैं।

[अनुवाद]

तिलहन की कीमतों में बढ़ोत्तरी

1029. **श्रीमती रेनु कुमारी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटा लिए जाने की वजह से तिलहन की खेती की लागत बढ़ रही है;

(ख) क्या मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटा लिए जाने की वजह से भारत में तिलहन की कीमतें तेजी से गिर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने से खेती की लागत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। नारियल तेल, पाम कार्निल ऑयल, आर बी डी पाम ऑयल और आर बी डी पाम स्टिरिन को छोड़कर सभी परिष्कृत खाद्य तेलों का आयात 01.04.95 से पहले ही मुक्त कर दिया गया था। विभिन्न अपरिष्कृत खाद्य तेलों और पाम कर्निल ऑयल, आर बी डी पाम ऑयल और आर बी डी पाम स्टिरिन का आयात 31.03.99 से मुक्त किया गया था। अपरिष्कृत खाद्य तेलों का आयात इस उद्देश्य से मुक्त कर दिया गया था ताकि स्थानीय प्रसंस्करण और परिशोधन क्षमता का समुचित उपयोग किया जा सके।

तिलहन के घरेलू उत्पादकों पर खाद्य तेलों के आयात के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कुछ क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस अभ्यावेदनों के जबाव में पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 16.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत (खाद्य तेल की किस्म के आधार पर) कर दिया गया है। शुल्क का वर्तमान स्तर घरेलू उत्पादकों को आवश्यक संरक्षण प्रदान करेगा।

कर वसूली

1030. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 मई, 2001 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में 'रूपीज 10,000 करोड़ शॉर्टफाल इन टैक्स कलैक्शन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में बेहतर कर वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मामले में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और राजस्व वसूली का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ों में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	राजस्व वसूली
निगमित कर	40040.00	38721.00	35656.11
आयकर	31590.00	35271.00	31597.73
सीमा शुल्क	53572.00	49781.00	47620.00
के. उत्पाद शु.	70967.00	70399.00	68242.00

निगमित कर और आयकर की वसूली के मुख्य कारण गुजरात में भूकम्प, पूंजी बाजार में मन्दी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, गुजरात के भूकम्प पीड़ितों के लिए दान के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्ध 80 जी के अन्तर्गत 100 प्रतिशत कटौतियों के दावे और भूकम्प के कारण बीमा दावे हैं। जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सम्बन्ध है, अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में न्यूनतर वृद्धि एच.एस.डी. और मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क में कमी और लघु उद्योगों को छूट सीमा में वृद्धि कमी के मुख्य कारण हैं। सीमा शुल्क की वसूली में कमी के मुख्य कारक गैर पैट्रोलियम और तेल आयातों में मन्द वृद्धि और कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क की कमी हैं।

(ग) बेहतर कर वसूली के लिए किए जा रहे उपायों में बकाया मांगों और अग्रिम कर संदायों की निगरानी, छह में से कोई एक योजना को शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाना, कम मूल्यांकन अथवा वाणिज्यिक घोटालों के कारण राजस्व के रिसाव को समाप्त करना, निकासी नहीं हुए कारगो के निपटान में तेजी लाना, बकाया न्याय

निर्णयन एवं अपीलों को शीघ्र निपटाना और कर अनुपालन को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है।

उड़ीसा में चाय की खेती वाला क्षेत्र

1031. **श्री अनन्त नायक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के विशेषकर क्योंझर जिले में चाय बागानों वाली भूमि का कुल कितना हेक्टेयर है;

(ख) क्या विद्यमान चाय बागानों के आसपास की जलवायु दशा और भूमि चाय बागान के लिए उपयुक्त है; और

(ग) यदि हां, तो विद्यमान भूमि पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) उड़ीसा के क्योंझार जिले में चाय बागान के अंतर्गत लाए गए कुल भूमि क्षेत्र के 213.00 हैक्टेयर होने का अनुमान है।

(ख) एकमात्र चाय बागान, जो उड़ीसा में आता है, वह क्योंझार जिले का भुयानपीर्थ चाय बागान है। चाय बागान के आस पास मौसम संबंधी परिस्थितियां चाय की खेती के लिए उपयुक्त हैं यद्यपि यह इतना अनुकूल नहीं है जितना कि परम्परागत क्षेत्र। तथापि, इस प्रतिकूल परिस्थिति से उपयुक्त भूमि विकास उपायों, कृत्रिम सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर निपटा जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार के कृषि विभाग ने चाय बोर्ड के परामर्श से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 100.00 हैक्टेयर की दर से मौजूदा चाय परियोजना के निकटवर्ती प्रत्येक परिवार 1.00 हैक्टेयर की दर पर लघु उपजकर्ताओं के लिए एक 500.00 हैक्टेयर चाय बागान की परियोजना चालू करने का निर्णय लिया है। उगाई जाने वाली हरी पत्तियों को मौजूदा परियोजना की चाय फैक्ट्रियों को एक पूर्व-निर्धारित कीमत पर वर्ष-भर बेचा जाएगा। निधियां चाय बोर्ड की नई क्षेत्र विकास योजना और राज्य सरकार योजनाओं से जुटाए जाने का प्रस्ताव है। कृत्रिम सिंचाई सहायता पास की बैतरणी नदी से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के जनजातिय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ सहकारी परिसंघ, ट्राईफैड ने भी क्योंझार जिले के तर्माकान्त क्षेत्र में 400.00 हैक्टेयर में चाय बागान लगाने का प्रस्ताव किया है।

उड़ीसा को विशेष कोटि का दर्जा

1032. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा को विशेष कोटि का दर्जा दिए जाने की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो मांग पर विचार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) उड़ीसा को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने यह सूचित किया है कि एक राज्य को विशेष श्रेणी के रूप में वर्गीकरण करने के मौजूदा मानदण्ड के अनुसार, उड़ीसा विशेष श्रेणी राज्य के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाने का पात्र नहीं है।

विभिन्न खेलकूद आयोजनों पर दूरदर्शन द्वारा उठाई गई हानि

1033. **श्री रामजी मांझी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन ने निविदा आमंत्रित किए बिना 1977 के फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का प्रसारण संविदा स्ट्राकॉन को प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन ने प्रसारण अधिकारों की खरीद के कारण काफी हानि उठाई;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने फ्रेंच ओपन 1997 के विपणन अधिकार रूप आयोजन विपणन के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मैसर्स स्ट्राकॉन लिमिटेड को दिए थे।

(ग) और (घ) दूरदर्शन ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विपणन से जो राजस्व अर्जित किया था उसका ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

(ङ) दूरदर्शन पर दिखाए गए तथा 1997-98 में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 1997 सहित कुछ खेल आयोजनों के प्रसारण अधिकारों की खरीद तथा विपणन अधिकारों के लिए अनुबंध के संबंध में कुछ कठिन अनियमितताओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच की गयी थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने दूरदर्शन के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध 5 (पांच) मामले दर्ज किए हैं तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। उनकी कार्रवाई केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच के परिणामों पर निर्भर करेगी।

विवरण

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	अधिकार शुल्क	तकनीकी लागत	कुल राशि (रुपये में)
1.	1997:			
	मैसर्स स्ट्राकॉन	90,000/- अमेरिकी डालर	4,11,050/- रुपये	54,10,500/- रु.
2.	1998:			
	मैसर्स स्ट्राकॉन	2,00,000/- अमेरिकी डालर	32,28,254/- रुपये	34,11,765/- रु.
3.	1999:			
	मैसर्स स्ट्राकॉन	99,000/- अमेरिकी डालर	30,000/- अमेरिकी डालर	3,00,000/- रु.
4.	2000:			
	मैसर्स रीजनेबल	1,10,000/- अमेरिकी डालर	33,000/- अमेरिकी डालर	16,06,585/- रु.

इनसाइडर ट्रेडिंग

1034. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग में अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अकेले हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन लि. के मामले में 56 करोड़ रुपए खोए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इनसाइडर ट्रेडिंग में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच करने के बारे में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा धान और चावल की खरीद

1035. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की खरीद करने के संबंध में केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य से चालू वर्ष के दौरान खरीदे गये धान की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध पर खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी चावल की वसूली के लिए 70 लाख टन तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि पिछले वर्ष 55 लाख टन की वसूली हुई थी। इसके अलावा यह निर्णय भी लिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम आन्ध्र प्रदेश में वसूल किए जाने वाले 10 लाख टन धान के लक्ष्य में से 70 प्रतिशत तक कस्टम मिल्ड चावल को स्वीकार करेगा।

(ग) वर्तमान मौसम 2000-2001 के दौरान 23.7.2001 तक भारतीय खाद्य निगम ने आन्ध्र प्रदेश में 55078 टन धान की वसूली की है।

[हिन्दी]

दीर्घकालीन अनाज नीति

1036. **श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में दीर्घकालीक अनाज नीति को तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार को रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) दीर्घकालिक अनाज नीति तैयार करने के लिए प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। चूंकि खाद्यान्न नीति तैयार करने में अंतर्ग्रस्त विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकारों के विचार प्राप्त करने के लिए समिति उनसे परामर्श करेगी, इसलिए समिति की समयावधि सितम्बर, 2001 तक बढ़ा दी गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आई.टी.पी.ओ. द्वारा आयोजित व्यापार मेले

1037. **श्री रामदास आठवले:** क्या **वाणिज्य उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में आई.टी.पी.ओ. द्वारा कितने व्यापार मेलों का आयोजन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन मेलों में प्रत्येक वर्ष कितना प्रवेश शुल्क प्रभावित किया गया;

(ग) क्या आई.टी.पी.ओ. ने हाल में प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष किस सीमा तक यह वृद्धि की जाती है;

(ङ) क्या इसके परिणामस्वरूप इन मेलों में दर्शकों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में प्रवेश शुल्क घटाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इटपों द्वारा आयोजित मेलों के ब्यौरे विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षानुवर्ष विभिन्न मेलों के लिए वसूल किए गए प्रवेश शुल्क के ब्यौरे विवरण-II पर संलग्न विवरण में दिए गए हैं। साथ-साथ आयोजित मेलों के संबंध में एक ही प्रवेश शुल्क वसूल किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रवेश शुल्क में वृद्धि केवल एक ही मेले, अर्थात भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, के लिए की गई थी जैसाकि विवरण-II में ब्यौरा दिया गया है। (क्र.सं. 12)

(ङ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए प्रवेश टिकटों की बिक्री में गिरावट

आई है तथापि, प्रवेश टिकट की बिक्री में इस गिरावट को प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी से नहीं जोड़ा जा सकता।

(च) और (छ) जी, नहीं। चालू प्रवेश शुल्क दरों को जायज माना जा रहा है।

विवरण-I

क्र. सं.	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	कंज्यूमैक्स	कंज्यूमैक्स	कंज्यूमैक्स
2.	सोशल डेवलमेंट फेयर	सोशल डेवलपमेंट फेयर	सोशल डेवलपमेंट फेयर
3.	दिल्ली बुक फेयर	दिल्ली बुक फेयर	दिल्ली बुक फेयर
4.	सजावट	सजावट	सजावट
5.	स्टेशनरी फेयर	स्टेशनरी फेयर	स्टेशनरी फेयर
6.	उजाला	मिस्टिक इंडिया	टैक्स स्टाइल
7.	मिस्टिक इंडिया	विंटर शो	शू फेयर
8.	विंटर शो	नेशनल चिल्ड्रेन फेयर	कृषि एक्सपो
9.	नेशनल चिल्ड्रेन फेयर	टैक्स स्टाइल	आहार (फूड एक्सपो)
10.	टैक्स स्टाइल	शू फेयर	प्रिंट पैक
11.	शू फेयर	कृषि (एक्सपो)	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर
12.	आहार (फूड एक्सपो)	आहार (फूड एक्सपो)	
13.	प्रिंट पैक	प्रकाश	
14.	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर	इंटरनेशनल सिक्योरिटी एज्जीविशन	
15.		इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर	
	(कुल सं. 14)	(कुल सं. 15)	(कुल सं. 11)

विवरण-II

मेलों में दरों और आगंतुकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	मेलों/मेलों के नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		प्रवेश शुल्क रु.	बेची गई टिकटों की सं.	प्रवेश शुल्क रु.	बेची गई टिकटों की सं.	प्रवेश शुल्क रु.	बेची गई टिकटों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कंज्यूमैक्स/सामाजिक विकास मेला						
	वयस्क	5/-	45821	प्रवेश शुल्क		प्रवेश शुल्क	
	अवयस्क	2/-	3711				

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	दिल्ली बुक फेयर/सजावट/ स्टेशनरी/उजाला/(उजाला केवल 1998-99 में ही आयोजित किया गया)						
	वयस्क	5/-	103591	5/-	125371	5/-	91099
	अवयस्क	2/-	8070	2/-	8412	2/-	5780
3.	मिस्टिक इंडिया						
	वयस्क	5/-	46676	5/-	22973	आयोजित नही हुआ	
	अवयस्क	2/-	1555	2/-	830		
4.	विंटर शो/नेशनल चिल्ड्रेन फेयर						
	वयस्क	5/-	63181	प्रवेश शुल्क		आयोजित नहीं हुआ	
	अवयस्क	2/-	11617				
5.	टैक्सस्टाईल्स						
	बिजनेस (सीजनल)	1500/-	10	1000/-	10	500/-	16
	बिजनेज (सिंगल एंट्री)	500/-	1023	300/-	1566	150/-	1892
6.	शू फेयर						
	बिजनेस (सीजनल)	**	**	250/-	15	250/-	14
	बिजनेज (सिंगल एंट्री)	100/-	1898	100/-	1847	100/-	2730
	वयस्क	–	–	–	–	5/-	5419
	अवयस्क	–	–	–	–	2/-	282
7.	कृषि एक्सपो	आयोजित नहीं हुआ		प्रवेश शुल्क		प्रवेश शुल्क	
8.	आहार (फूडएक्सपो)						
	बिजनेस (सिंगल एंट्री)	50/-	3338	50/-	2579	प्रवेश पंजीकरण द्वारा	
9.	प्रकाश						
	बिजनेस (सीजनल)	आयोजित नहीं हुआ		250/-	7	आयोजित नहीं हुआ	
	बिजनेस (सिंगलएंट्री)			50/-	1604		
10.	प्रिंट पैक						
	बिजनेस (सीजनल)	50/-	9783	आयोजित नहीं हुआ		केवल नियंत्रण द्वारा	
	बिजनेस सिंगल एंट्री						
11.	इंटर नेशनल सिक्यूरिटी एक्जीबीशन						
	बिजनेस (सीजनल)	आयोजित नहीं हुआ		250/-	6	आयोजित नहीं हुआ	
	बिजनेस (सिंगल एंट्री)			100/-	1369		
12.	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर						
	बिजनेस (सीजनल)	750/-	41	1000/-	33	1000/-	41
	बिजनेस (सिंगलएंट्री)	150/-	10986	200/-	8931	200/-	8576
	सप्ताह का दिन						
	वयस्क	10/-	1294712	15/-	434640	15/-	425875
	अवयस्क	5/-	144966	8/-	41267	8/-	54462
	सप्ताह का दिन						
	वयस्क	#	–	20/-	542992	25/-	478632
	अवयस्क	#	–	10/-	71074	10/-	120871

टिप्पणी: *साथ-साथ आयोजित मेले समवर्ती मेलों के लिए केवल एक प्रवेश टिकट है।

**कोई बिजनेस (सीजनल) टिकट नहीं।

#सप्ताह अंत के लिए कोई अलग दरें नहीं।

[अनुवाद]

गेहूं का निर्यात

1038. **श्री ए. ब्रह्मनैया:**
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या ***उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री*** *यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या सरकार ने गेहूं/चावल के निर्यात को अलग-अलग कर दिया है और 50 लाख टन गेहूं और 30 लाख टन चावल के निर्यात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीतिगत परिवर्तन के कारण गेहूं के निर्यात में वृद्धि होगी;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की तुलना में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित गेहूं का मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं है;

(ङ) यदि हां, क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित गेहूं मूल्यों और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वर्तमान दरों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता का अध्ययन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार का विचार किस प्रकार से गेहूं के निर्यात को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने का है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) निर्यात-आयात नीति के अनुसार गेहूं का निर्यात समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित मात्रात्मक सीमा की शर्त के अध्यधीन मुक्त रूप से अनुमत है। बासमती ओर गैर-बासमती चावल का निर्यात अपेडा के पास अनुबंध पंजीकृत कराने की शर्त के अध्यधीन मुक्त है। वर्ष 2001-2002 के लिए भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को 4300 रुपये प्रति टन के मूल्य पर निर्यात हेतु 50 लाख टन गेहूं की पेशकश करने की अनुमति दी है। 1.6.2001 से सभी अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/एजेंसियों और प्राइवेट पार्टियों को गेहूं की पेशकश की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 2001-2002 के दौरान 600 रुपये प्रति टन की दर पर सेला चावल और 5650 रुपये प्रति टन की दर पर रॉ चावल का निर्यात करने हेतु 30 लाख टन चावल की पेशकश करने की अनुमति दी है।

(ग) से (छ) सरकार ने 25.40 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है (22 जून, 2001 तक)। निर्यात के लिए लगभग 1.53 लाख टन चावल का उठान कर लिया गया है (18 जुलाई, 2001 तक)। कृषि जिंसों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय मांग के समतुल्य घरेलू आपूर्ति, विश्व मूल्य, प्रचलित उपभोक्ता पसन्द और गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

निर्धारित मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे अन्य प्रमुख आपूर्ति कर्ताओं के साथ तुलना करने पर प्रतिस्पर्धी होता है। तथापि, जब इसकी तुलना फ्रांस/तुर्की/बेलजियम मूल के गेहूं के साथ की जाती है तो इसके मूल्य कमोबैश समान हैं। भारतीय गेहूं में मौजूद विजातीय तत्व संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा मूल के गेहूं की तुलना में अधिक होते हैं और इसलिए इन देशों के गेहूं के मूल्य की तुलना भारतीय खाद्य निगम के मूल्य के साथ नहीं की जा सकती है।

खाद्यान्नों की खरीद

1039. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री साहिब सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम से लेकर राज्य सरकारों को सोंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई मुख्यमंत्रियों ने इस कदम का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने किन कारणों का उल्लेख किया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गई है;

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(च) क्या केन्द्र सरकार खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन से उत्पन्न समस्या का सामना कर रहे राज्यों को विशेष सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली के मुद्दे पर 21.5.2001 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन और 6.7.2001 को खाद्य प्रबंधन तथा कृषि निर्यात पर केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति की बैठक में चर्चा की गई थी। आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, बिहार, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, गुजरात और असम राज्यों ने धन की कमी, अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की कमी, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना अपनाने में असमर्थता व्यक्त की थी। कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों ने कहा कि उचित तौर-तरीके निश्चित करने के पश्चात् यह योजना अपनाई जा सकती है। 6.7.2001 को स्थायी समिति की हुई पहली बैठक में यह स्पष्ट किया गया था किसी भी राज्य सरकार पर यह योजना थोपी नहीं जाएगी। विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना पहले ही द्वारा, चावल के लिए पश्चिम बंगाल द्वारा और गेहूं के लिए मध्य प्रदेश द्वारा अपना ली गई है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, सरकार का प्रस्ताव है कि भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम आदि के मौजूदा गोदामों को खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जा सकता है। कर्मचारियों की आशिंक आवश्यकता भारतीय खाद्य निगम से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लेकर पूरी की जा सकती है। राज्य सरकार के गुण नियंत्रण अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(ङ) खाद्य प्रबंधन और कृषि निर्यात संबंधी केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति की 6.7.2001 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारों के साथ आगे परामर्श किया जाये और योजना के अधीन लाभों का बंटवारा करने के बारे में उन राज्यों के संबंध में विचार किया जायेगा जो इस योजना को अपनाने के लिए सहमत होंगे।

(च) और (छ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम उन राज्यों से सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अधीन गेहूं और धान/चावल की वसूली करना जारी रखेगा, जो राज्य खाद्यान्न उत्पादन में अधिशेष हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेश

1040. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विदेशी और सहकारी बैंकों को माधवपुरा बैंक के अतिरिक्त चार और सहकारी बैंकों के साथ कारोबार न करने के लिए कहा है और इस संबंध में कोई परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या अन्य प्रतिबंध लगाए गए हैं;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों द्वारा इस प्रकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए किस सीमा तक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या माधवपुरा बैंक और अन्य बैंकों को कमजोर कारोबारी बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने बैंकों (सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और सहकारी बैंकों) से माधवपुरा मर्केन्टाइल सहकारी बैंक सहित चार अन्य सहकारी बैंकों के साथ कारोबार करने से मना नहीं किया है। तथापि, शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने तथा उनके परिचालन/कार्यपद्धति को युक्तियुक्त बनाने के लिए आरबीआई ने कुछ उपायों की घोषणा की है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्य शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशियां रखने पर रोक, पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत की उनकी जमाराशियों के दो प्रतिशत तक मांग मुद्रा बाजार से उधार को सीमित करना, सांविधिक चल निधि अनुपात उद्देश्य के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के घटक में बढ़ोतरी; व्यक्ति या किसी अन्य सत्ता के शेयरों की प्रतिभूति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ऋण प्रदान करने पर रोक; अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए आफ-साइट निगरानी प्रणाली इत्यादि शामिल है।

(घ) और (ङ) जी, हां। माधवपुरा मर्केन्टाइल सहकारी बैंक और चार अन्य बैंकों, अर्थात फ्रेन्डस सहकारी बैंक लि. मुम्बई, वेस्टर्न सहकारी बैंक लि. मुम्बई, फर्स्ट सिटी सहकारी बैंक लि. हैदराबाद और सितारा सहकारी बैंक लि., हैदराबाद को भारतीय रिजर्व बैंक की जांच में प्रकाशित किए गए अनुसार उनकी आस्तियों के मूल्य में अत्यधिक क्षरण, उनके परिचालन/कार्यकरण में अनियमतताओं के कारण "कमजोर बैंक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन बैंकों के परिचालनों पर कतिपय प्रतिबंध लगा दिए हैं जिनमें ये शामिल

हैं: कोई अतिरिक्त दायित्व लेने, कोई ऋण मंजूर करने/नवीकरण करने, अचल संपत्ति के अधिग्रहण/निपटान और बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35-क के अंतर्गत जारी निदेशों में दी गई मात्रा तक और बताए गए ढंग से किए जाने वाले भुगतान को छोड़कर किसी देयता को चुकाने के लिए भुगतान करने पर रोक लगाना। वेस्टर्न सहकारी बैंक, सितारा सहकारी बैंक तथा माधवपुरा सहकारी बैंक के मामले में निदेशक मंडल का अधिग्रहण किया गया है।

आयातित सामान का कम मूल्य

1041. **श्री सुनील खां:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक आयातित सामानों पर आयात शुल्क घरेलू उत्पाद पर लगाए गए उत्पाद कर से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) सामान्यतया, आयातित माल पर मूल सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। अतिरिक्त सीमा शुल्क की दर आमतौर पर भारत में विनिर्मित उसी प्रकार के उत्पाद पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की दर के बराबर होती है। अत:, आमतौर पर आयातित माल पर कुल आयात शुल्क घरेलू उत्पादों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से अधिक होता है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश द्वारा उधार ली गई निधियां

1042. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उधार ली गई निधियों पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को ओवरड्राफ्ट की वर्तमान स्थिति तथा तद्नुसार देश में अन्य राज्यों की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी ढील के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राज्यों के ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं और दिन प्रति दिन आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश 2 मई, 2001 के पश्चात ओवरड्राफ्ट पर नहीं रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्नों की आपूर्ति

1043. **डा. एस. वेणुगोपाल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की सहायता के उद्देश्य से गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक कौन-कौन से राज्यों में इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है; और

(ग) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आज की तिथि तक राज्यवार कितने खाद्यान्न की आपूर्ति की गयी/करने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सूखा प्रभावित आठ राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में सूखा प्रभावित जिलों में 3 माह की अवधि के लिए गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर, दोनों के सूखा प्रभावित परिवारों को 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से वितरण हेतु राज सहायता प्राप्त खाद्यान्नों का आबंटन किया जायेगा। गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर यह आबंटन इन क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की नियमित पात्रता के अलावा होगा। अब तक उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को नीचे दिए गए ब्यौरे के

अनुसार विशेष अतिरिक्त आबंटन किए गए हैं-

क्र.सं.	राज्य	आबंटित की गई कुल मात्रा	
		चावल	गेहूं
1.	उड़ीसा	48,000	12,300
2.	गुजरात	81,765	2,45,292
3.	राजस्थान	-	3,70,665
4.	महाराष्ट्र	1,64,456	3,28,912

[हिन्दी]

जोधपुर, राजस्थान में समाचार केन्द्र की स्थापना

1044. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जोधपुर, राजस्थान में डी.डी.-2 (मैट्रो चैनल) को किस तिथि को आरंभ किया गया था;

(ख) क्या वहां डी.डी.-2 चैनल के उद्घाटन के समय दूरदर्शन समाचार केन्द्र तथा अन्य संबंधित कार्यों के सृजन के संबंध में आश्वासन दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस आश्वासन के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जोधपुर स्थित डी.डी.-2 (मैट्रो चैनल) के उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर को 13.11.2000 को चालू कर दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जोधपुर में दूरदर्शन समाचार केन्द्र स्थापित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एफ.सी.आई. की लेखा परीक्षा

1045. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1996-97 के खातों की लेखापरीक्षा एकमात्र लेखा-परीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1996-97 के लिए भारतीय खाद्य निगम के कार्य परिणामों से पता चला है कि 7,153.41 करोड़ रुपये की आय से अधिक का व्यय हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार एफ.सी.आई. द्वारा ऐसे खर्चे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश देने और जिम्मेदारी निर्धारित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। 7,154.41 करोड़ रुपये का यह खर्च खाद्यान्नों के बफर स्टाक को रखने की लागत को और सरकार द्वारा की जाने वाली उपभोक्ता राजसहायता की प्रतिपूर्ति को दर्शाता है क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्यों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूली, भण्डारण, संचालन और वितरण पर किए गए खर्च की पूरी लागत शामिल नहीं होती है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

निर्यातकों के साथ सीमा शुल्क अधिकारियों की सांठगांठ

1046. डा. बलिराम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 2001 के "दैनिक जागरण" में "मिट्टी को सोना व सोना को मिट्टी बनाने का कस्टम विभाग का कारनामा" दो निर्यातक फर्मों से सांठगांठ कर करोड़ों का चूना लगाया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली सीमा शुल्क ने 2 फर्मों नामत: मैं. मंगली इम्पेक्स लि. और मै. जे.के. इम्पेक्स द्वारा निर्यात उत्पाद के सही स्वरूप की गलत घोषणा करके 1.69 करोड़ रुपये का डीईपीबी क्रेडिट का गलत ढंग से लाभ लेने का मामला बनाया है। जांच-पड़ताल और निर्यात वस्तुओं के कुछ नमूनों, जिन्हें निर्यात से पूर्व लिया गया था, की पुन: जांच के आधार पर यह पाया गया था कि निर्यात वस्तुएं, जिन्हें केलशियम स्टिरेट के रूप में घोषित किया गया था वास्तव में केलशियम कार्बोनेट थीं जिनके लिए दावित डीईपीबी का लाभ ग्राहय नहीं था। सीमा शुल्क द्वारा फर्मों के निदेशकों और मालिकों को गिरफ्तार किया गया और बाद में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और निदेश दिए कि सीमा शुल्क के अधिकारियों के साथ-साथ केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला की अंतर्ग्रस्तता सहित मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच करवायी जाए। न्यायालय के निदेश के अनुसरण के मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास भेज दिया गया है, जिसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच-पड़ताल की जा रही है और जांच-पड़ताल के पूरा होने पर कानून के उपबंधों के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

मुखबिरों को पुरस्कार

1047. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को तस्करी के सामान/काले धन के बारे में सूचना देने वाले मुखबिरों को पुरस्कार दिए जाने संबंधी नीति या दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार देश में मुखबिरों को पुरस्कार राशि का भुगतान करने संबंधी कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(ग) गुजरात और सौराष्ट्र से संबंधित ऐसे लंबित मामलों की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) दिशा निर्देशों में मुखबिरों को पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है जो अघोषित आय, धन, उपहार और सम्पदा शुल्क के बारे में विशिष्ट सूचना देते हैं। पुरस्कार मुखबिरों को भी दिए जाते हैं यदि उनकी सूचना से सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क की जब्ती होती है और/अथवा उल्लंघन/अपवंचन का पता चलता है।

(ख) 2302 मामले।

(ग) 258 मामले।

[हिन्दी]

लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र द्वारा निर्मित वृत्तचित्र

1048. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र द्वारा निर्मित वे कौन-कौन से लघु वृत्तचित्र और क्षेत्रीय नाटक हैं जिनका तकनीकी समस्याओं के कारण प्रसारण नहीं होगा;

(ख) क्या उनका प्रसारण गत एक वर्ष से लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो इन लघु वृत्तचित्रों और क्षेत्रीय नाटकों का प्रसारण यथाशीघ्र कब तक किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ में तकनीकी खराबी के कारण किसी भी लघु वृत्तचित्र तथा क्षेत्रीय नाटक को प्रसारण के लिए नहीं रोका गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पाम आयल का आयात

1049. श्री कोडीकुनील सुरेश:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पाम आयल के आयात के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने पाम आयल के आयात का कड़ा विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पुणे के फिल्म संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

1050. श्री अशोक प्रधान: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली डा. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति की सिफारिशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर उन्हें प्रवेश देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पुणे के भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के डिप्लोमा, स्नातक, पूर्व, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में विभिन्न संकायों/विषयों में कितनी सीटों पर प्रवेश दिया गया है; और

(घ) विभिन्न संकायों/विषयों में ऊपर उल्लिखित पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया और उपरोक्त अवधि के दौरान कुल सीटों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना रहा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे कुल सीटों की 22.5 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रखता है। संस्थान स्नातकोत्तर स्तर का एक त्रिवर्षीय समेकित डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम में वर्ष 2001, 2000 तथा 1999 के दौरान प्रवेश का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	कुल सीटें	अनु.जा./अनु.जनजाति के अभ्यार्थियों को दी गई सीटें प्रतिशत सहित	अनु.जाति/अनु.जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें प्रवेश दिया गया
2001	40	8(22.5%)	प्रवेश की प्रक्रिया प्रगति पर है
2000	80	18(22.5%)	7 (शेष सीटें खाली रखी गयी)
1999		कोई प्रवेश नहीं	

सामाजिक जागरूकता पैदा करना

1051. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित उन फिल्मों का ब्यौरा क्या है जिनका निर्माण जनता में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया;

(ख) क्या इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) इस प्रकार की फिल्मों की सफलता के लिए उनका अधिक प्रचार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न समाचार पत्रिकाओं तथा फिल्मों के निर्माण के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म प्रभाग को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। फिल्म प्रभाग द्वारा पर्यावरण, महिला अधिकारिता, साम्प्रदायिक, सद्भाव, संगीत, संस्कृति, स्वास्थ्य आदि जैसे विभिन्न विषयों पर वर्ष 1999-2000 के दौरान 16 फिल्मों एवं 1 समाचार पत्रिका और वर्ष 2000-2001 के दौरान 32 फिल्मों एवं 10 समाचार पत्रिकाओं का निर्माण किया गया। फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित फिल्मों और समाचार पत्रिकाओं को 15 क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया जाता है और उन्हें लगभग 13,000 सिनेमाघरों के माध्यम से समस्त देश में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा,

इन फिल्मों को क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा वीडियो प्रारूप में ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें विभिन्न संस्थानों, सोसायटियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को भी उधार आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। फिल्म प्रभाग जनता में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से फिल्मों और समाचार पत्रिकाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण शहरों तथा राज्यों की राजधानियों में नियमित रूप से फिल्म समारोह भी आयोजित करता है।

[हिन्दी]

धारावाहिकों के माध्यम से अर्जित राजस्व

1052. **श्री मानसिंह पटेल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दूरदर्शन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न चैनलों पर लोकप्रिय धारावाहिकों का प्रसारण कर राज्य-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

व्यय सुधार आयोग

1053. **श्री ए. नरेन्द्र:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यय सुधार आयोग संबंधी गीता कृष्णन समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं;

(घ) सरकार द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं;

(ङ) कौन-कौन सी सिफारिशें विचाराधीन हैं; और

(च) कौन-कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं और शेष सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (च) व्यय सुधार आयोग ने अभी तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सात रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इन रिपोर्टों में निहित सिफारिशों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया है और इसका कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में हैं। इन सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य सरकारी मशीनरी का आकार कम करने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की पुनर्संरचना करना और उन्हें तर्कसंगत बनाना है। आयोग ने प्रमुख आर्थिक सहायता (सब्सिडीज़) को युक्तिसंगत बनाने और उसके व्यय में कमी करने की सिफारिश भी की है।

बैंकों/वित्तीय संस्थानों पर बकाया आयकर

1054. **श्री राजो सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार देश के प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान पर आयकर की कितनी राशि बकाया है;

(ख) आयकर की इतनी बड़ी धनराशि बकाया होने के क्या कारण है; और

(ग) आज की तिथि तक सरकार द्वारा आयकर की बकाया राशि वसूलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की तरफ एक करोड़ रुपये से अधिक के बकाया आयकर के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) उक्त बकाया कर, अपीलों में मुकदमेबाजी, अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत स्थगन, समझौता आयोग एवं बी आई एफ आर में अनिर्णीत मामले, मांगें जो देय नहीं हुई हैं, विभागीय प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत स्थगन और भुगतान के लिए मांगें जो सत्यापन के लिए लंबित पड़ी हैं, आदि जैसे अनेक कारणों के कारण, संचित हो गए हैं।

(ग) बकाया मांग की वसूली करने/कमी करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा इसे वसूल करने के लिए उचित प्रशासनिक, कानूनी एवं अन्य उपाय किए जाते हैं। मामले के शीघ्र निपटान हेतु संबंधित अपीलीय अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। जहां वसूली संबंधी कार्रवाईयां न्यायालयों द्वारा स्थगित की जाती हैं तो उस स्थिति में स्थगनों को रद्द कराने के लिए उपाय शुरू किये जाते हैं। उचित मामलों में मांग की शीघ्र वसूली के लिए अवपीड़क उपाय भी किये जाते हैं। बड़े मामलों में डोजियर रखे जाते हैं और वसूली की स्थिति की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है।

विवरण

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 1 करोड़ रु. तथा उससे अधिक की बकाया आयकर मांग वाले राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान

क्रमांक	नाम	लाख रुपये में 31.3.2001
1.	गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन	260
2.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	6304
3.	केनरा बैंक	7294
4.	कैन बैंक फाइ. सर्विसेज लि.	818
5.	इलाहाबाद बैंक	28430
6.	यू.सी.ओ. बैंक	360
7.	स्टेट फाइनेशियल इंस्टीटयूट (डब्ल्यू बी आई डी सी)	540
8.	केरला फाइ. कार्पो.	362
9.	केरला स्टेट इंड. डेव. कार्पो. लि.	140
10.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1759
11.	आंध्रा बैंक (ब्याज कर)	2071
12.	आंध्रा बैंक फाइ. सर्वि. लि.	120
13.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	758
14.	तमिलनाडु इंड. इन्वे. कार्पो. लि.	1350
15.	इंडियन बैंक लि.	5519
16.	आई.सी.आई.सी.आई.	2111
17.	देना बैंक	2784
18.	आई.डी.बी.आई.	26600
19.	बिहार स्टेट फाइ. कार्पो.	594
20.	बैंक आफ बड़ौदा	344
21.	आई सी आई सी आई पर्सनल फाइनेशियल सर्विसिज लि.	123

[अनुवाद]

फिल्मी हस्तियों पर आयकर छापे

1055. श्री रामजी मांझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने मुम्बई में हाल ही में फिल्मी हस्तियों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन छापों के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या फिल्मी सितारों की आय के कुछ अंश की कर से बचने के लिए घोषणा नहीं की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कुछ फिल्मी सितारे और फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां फेरा उल्लंघन में संलिप्त थीं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान फिल्म से संबंधित हस्तियों की तलाशी ली गई।

(ख) तलाशी के परिणामस्वरूप 522.59 लाख रुपए मूल्य की परिसम्पत्तियां और 2367 अमरीकी डालर, 740 यू.के. पाउन्ड, 860 फ्रान्स फ्रेन्क और यू.ए.ई. की 360 डी.एच.एम विदेशी मुद्रा जब्त की गई।

(ग) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ब्लाक निर्धारण कार्यवाहिया शुरू कर दी गई हैं।

(घ) और (ङ) परिवार के सदस्यों के नाम पर आय स्थानान्तरित करने का उद्घाटन करने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज और चल तथा अचल सम्पत्तियों में काफी बड़ी मात्रा में निवेश पाया और जब्त किया गया है। वास्तविक लाभ/लाभांश की तुलना में लेखा पुस्तकों में न्यून लाभ/लाभांश होने का पता कुछ कागजातों से चलता है।

(च) और (छ) फेरा/फेमा में कथित रूप से कुछ फिल्म स्टार/फिल्मी हस्तियों के संलिप्त होने के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय

ने हाल ही में जांच शुरू की है। जांच प्रगति पर है और यदि उन्हें दोषी पाया गया तो कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

निर्यातक कम्पनियों के विरुद्ध सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया जाना

1056. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को करोड़ो रुपये के राजस्व का नुकसान करने वाली दो निर्यातक कम्पनियों और सीमा शुल्क और केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश पर सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले का ब्यौरा क्या है;

(ख) मामले की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या अग्रगामी कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) दिल्ली सीमाशुल्क ने दो फर्मों नामत: मैं. मंगली इम्पेक्स लि. और मै. जे.के. इम्पेक्स द्वारा सही किस्म के निर्यात उत्पाद की गलत घोषणा द्वारा 1.69 करोड़ रुपये के रूप में डीईपीबी क्रेडिट का गलत रूप से लाभ लेने का मामला बनाया है। जांच-पड़ताल एवं निर्यात उत्पादों के नमूनों में से कुछ नमूनों की पुन: परीक्षण के आधार पर, जो निर्यात से पहले लिये गये थे, यह पाया गया था कि कैलशियम स्टीरेट के रूप में घोषित निर्यात आधान वास्तव में कैलशियम कार्बोनेट थे, जिसके लिए दावा किया गया डीईपीबी लाभ अनुमत्य नहीं था। फर्मों के निदेशक और मालिक को गिरफ्तार किया गया था बाद में उनको अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली द्वारा इन अनुदेशों के साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था कि मामले की छान-बीन सीबीआई द्वारा कराई जाए जिसमें सीमा शुल्क अधिकारियों की अंतर्ग्रस्तता के साथ-साथ केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सम्मिलित थी। न्यायालय के अनुदेश के अनुसरण में मामला सीबीआई को भेजा गया है, जिसने भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 13 (1) (घ) के साथ पठित धारा 13 (2) और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 ख के तहत एक मामला पंजीकृत किया है। आगे की जांच-पड़ताल जारी है।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, हमने श्रीमती फूलन देवी की हत्या पर कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। हम उस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): कानून व्यवस्था के ग्रमले में इस सरकार की कलई खुल गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में माननीय मंत्री जी की टिप्पणी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, हमारे सदन की सम्मानित सदस्या फूलन देवी जी की जो दूर्भाग्यपूर्ण और जघन्य हत्या हुई है, उसके सम्बन्ध में सदस्यों का आक्रोश हम समझ सकते हैं। आपकी आज्ञा हो तो मंगलवार को गृह मंत्री जी इस सम्बन्ध में सदन में प्रश्नोत्तर काल के बाद वक्तव्य दे सकते हैं। उसके बाद-अगर आप चाहें तो सदस्यों को बोलने या स्पष्टीकरण मांगने की आज्ञा दें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इस विषय पर जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी आप क्या कर रहे हैं। आप बैठ जाएं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: पहले सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: क्या सुनें, अब दो बज गए हैं, आप बैठ जाएं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मंगलवार की बजाय सोमवार को वक्तव्य देना चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा रघुवंश प्रसाद सिंह: सरकार क्या कर रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप हाउस में क्या कर रहे हैं। अब आप बैठ जाएं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमने जो स्थगन, प्रस्ताव दिया, उस पर क्या नियमन हुआ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह आप अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपके लिए कोई नियम नहीं है और नियम के बारे में पूछ रहे हैं। आप सीनियर मेम्बर हैं और मंत्री भी रह चुके हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 2.02 बजे

संसद सदस्य की हत्या के संबंध में वक्तव्य देने के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री की सूचनानुसार श्रीमती फूलन देवी की हत्या पर गृह मंत्री 31 जुलाई, 2001 को संसद में वक्तव्य देगें। यद्यपि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों का नियम संख्या 372 इस बात की अनुमति नहीं देता कि वक्तव्य देते समय प्रश्न पूछे जाएं लेकिन मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपवादस्वरूप, मैं सदस्यों को गृहमंत्री के वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति दूंगा। मंत्रीजी सदस्यों के बोलने के बाद उत्तर देगें।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

अपराह्न 2.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं-

(1) (एक) नेशनल जुडिशियल अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जुडिशियल अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3781/2001]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): अध्यक्ष महोदय, मैं सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3782/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3783/2001]

(2) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3784/2001]

(3) कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3785/2001]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम (भारी उद्योग विभाग) मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3786/2001]

(दो) एण्ड्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम (भारी उद्योग विभाग) मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3787/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): मैं श्री वी. धनंजय कुमार की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारी 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3788/2001]

(ख) (एक) ब्रशवेयर लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रशवेयर लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1998-1999 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3789/2001]

(ग) (एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3790/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): मैं डा. रमण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 227 (अ) जो 16 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य स्थित कल्पतरू पेपर्स लिमिटेड, ग्राम करोली, तहसील कोलोल को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 298 (अ) जो 30 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य स्थित कोरल न्यूजप्रिंट्स लिमिटेड, गजरौला, तहसील हसनपुर को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 292 (अ) जो 30 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य स्थित शिवा पेपर मिल्स लिमिटेड, रामपुर, तहसील रामपुर को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 357 (अ) जो 26 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वी.जी. पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड, यूनिट 1, स्वामीनाथपुर, जिला डींडिगुल, तमिलनाडु को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 359 (अ) जो 26 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य स्थित अजन्ता पेपर एंड जनरल प्रोडक्टस लिमिटेड, जिला बहरूच को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 360 (अ) जो 26 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य स्थित केगांव पेपर मिल्स लिमिटेड, जिला औरंगाबाद को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3791/2001]

2. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 29 ख की उपधारा (2ज) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 603(अ), जो 29 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 477(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3792/2001]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा 2 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 294(अ) जो 26 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च 2001 की अधिसूचना संख्या 3/2001-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 307(अ) जो 30 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 395(अ) जो 29 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च 2001 की अधिसूचना संख्या 3/2001-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 359(अ) जो 16 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय किसी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा किसी मुक्त व्यापार जोन अथवा किसी विशेष आर्थिक जोन में तैयार अथवा विनिर्मित सभी प्रकार के शुल्क्य माल को, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति को निकासी की गई हो जो अग्रिम लाइसेंस/शुल्क मुक्त पुनरभरण प्रमाण पत्र अथवा बैंक टू बैंक अंतर्देशीय साख पत्र के विरुद्ध जारी किसी अग्रिम छुड़ाई आदेश का धारक हो, उनमें यथा विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों को पूरा करने पर छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 378(अ) जो 18 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उल्लिखित 6 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 380(अ) जो 21 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पहली मार्च, 1986 को प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, दोहरे मल्टीफोल्ड सूत के उत्पादन के लिए आबद्ध रूप से खपत किये गए अध्याय 55 के अंतर्गत वर्गीकृत एकल सूत पर छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 309(अ) जो 30 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता द्वारा विनिर्मित विशिष्ट प्रसंस्कृत टैक्सटाइल फैब्रिकों पर कम्पाउंडेड लेवी स्कीम के अंतर्गत उत्पाद शुल्क की दर निर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 310(अ) जो 30 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रेनकोट्स अंडरगार्मेंट्स और सहायक वस्त्र जो बुने न हों अथवा क्रोसिया न किए गए हों को उत्पाद शुल्क से छूट देना है। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 311(अ) जो 30 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 12/2001- के.उ.श. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 312(अ) जो 30 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सिले-सिलाए वस्त्रों पर सामान्य लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट स्कीम लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 313(अ) जो 30 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बाल या रोलर बीयरिंग का विनिर्माण करने वाली लघु उद्योग इकाइयों, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निकासी का सकल मूल्य 25 लाख रुपए से अनधिक हो, को उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 2001, जो 30 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 314(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 315(अ) जो 30 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च 2001 की अधिसूचना संख्या 7/2001-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन करना था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 316(अ) जो 30 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 62 के अधीन आने वाले माल से संबद्ध जॉब कर्मकारों को छूट देना है, जो अपने कारखाना परिसर को पंजीकृत कराये जाने से उस पर उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी मर्जेन्ट विनिर्माता की ओर से जॉब कार्य करता है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 317(अ) जो 30 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 9 अक्टूबर, 1992 की अधिसूचना संख्या 27/92-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 318(अ) जो 30 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे परिधानों, जो बुने हुए या क्रोशियाकृत नहीं है, के संबंध में टैरिफ मूल्य का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 319(अ) जो 30 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय परिधान और उपसाधन, जो बुने हुए या क्रोशियाकृत

नहीं है, के विनिर्माण में प्रयुक्त घोषित निवेशों के संबंध में 'डीम्ड क्रेडिट' का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.नि. 346(अ) जो 11 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 4/2001-के.उ.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 347(अ) जो 11 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित विनिर्दिष्ट उत्पादों पर विद्यमान उत्पाद शुल्क छूट को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 348(अ) जो 11 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित विनिर्दिष्ट उत्पादों पर विद्यमान उत्पाद शुल्क छूट को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 2001, जो 11 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 349(अ), में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 350(अ) जो 11 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2001 के अधिनियमन के फलस्वरूप ब्याज की दर का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 408(अ) जो 1 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 67/95-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 2001 जो 11 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 423(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 424(अ) जो 11 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 7/2001-के.उ.शु. को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संख्या 2) (पहला संशोधन) नियम, 2001 जो 28 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 493(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 500(अ) जो 29 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के उपबंधों और अन्य नियमों को इन अधिसूचनाओं में शामिल किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 511(अ), जो 6 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 अगस्त, 1995 की अधिसूचना संख्या 108/95-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्तीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संख्यांक 2) नियम, 2001, जो 21 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 444(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सेनवैट क्रेडिट नियम, 2001 जो 21 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियम, 2001, जो 21 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 446(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मामलों का निपटारा) नियम, 2001, जो 21, जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 447(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पाद शुल्क लगाने योग्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल को हटाना) नियम, 2001, जो 21 जून 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3793/2001]

(2) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(क) की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 308(अ) जो 30 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान में उद्भूत या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित एक्रिलोना ईंट्रायल, ब्यूटाडाइन रबड़ पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की विधिमान्यता का 13 नवम्बर, 2001 तक और छह महीनों की अवधि तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 331(अ) जो 10 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित फास्फोरिक एसिड (तकनीकी ग्रेड) पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 332(अ) जो 20 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया में उद्भूत या वहां से निर्यातित पालिएस्टर फिल्म पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 333(अ) जो 10 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 15 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या 141/2000–सीमा शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 334(अ) जो 10 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ से उद्भूत या वहां से निर्यातित सोडियम फेरोसायनायड पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 335(अ) जो 10 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 8/2001–सीमा शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 435(अ) जो 14 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त अरब अमीरात या ईरान में उद्भूत या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 454(अ) जो 25 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रूस और चीन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित भारतीय मानक विनिर्देशनों के अनुरूप अथवा अन्य कोई अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशन, जो भारतीय मानकों के विनिर्देशनों के समतुल्य हो, मिश्रित और गैर-मिश्रित इस्पात विल्लेटों, छड़ों तथा गोलों के विनिर्दिष्ट ग्रेडों/प्रकारों अथवा आकारों पर पदनामित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुशंसित निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 455(अ) जो 25 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या 151/2000–सीमा शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 456(अ) जो 25 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन और रूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित फेरोसिलीकॉन पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुशंसित निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 457(अ) जो 25 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या 152/2000–सीमा शुल्क को निरसित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 461(अ) जो 26 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित कार्यकारी द्वारा यथा अनुशंसित दर से सऊदी अरब, ईरान, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में उद्भूत या वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 462(अ) जो 26 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका अभिहित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश की दर से चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यात किए गए स्ट्रोन्टियम कार्बोनेट पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 463(अ) जो 26 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश की दर से यूरोपीय संघ से उद्भूत या वहां से निर्यातित एनिलाइन पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 487(अ) जो 28 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया जनवादी गणराज्य तथा थाईलैंड में उद्भूत या वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर पर अमरीकी डालर में प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 488(अ) जो 28 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 जून, 2001 से दो वर्षों की अवधि के लिए फिनॉल पर रक्षोपाय शुल्क को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 489(अ) जो 28 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सऊदी अरब और रूस में उद्भूत या वहां से निर्यातित हेक्सामाइन पर अनतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, 2001 जो 31 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 405(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 521(अ) जो 11 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ और सिंगापुर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विटामिन एडी 500/100 पर अनतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 352(अ) जो 11 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 19/2000-सीमा शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 353(अ) जो 11 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मद्यसारिक पान पर प्रभावी दर से अतिरिक्त शुल्क विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3794/2001]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 231(अ) जो 30 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कच्चे मोतियों, प्राकृतिक अथवा प्रसंस्कृत, खुरदुरे मोतियों और अन्य मूल्यवान अथवा अर्द्ध मूल्यवान रत्नों, चाहे वे जड़े न गये हों एवं तरासे न गए हों, जब उन्हें विनिर्दिष्ट आयात निर्यात संबंधी उपबंधों के अनुसार जारी किसी वैध पुनर्भरण लाइसेंस, डायमंड इम्पोर्ट लाइसेंस तथा बल्क लाइसेंस के आधार पर भारत में आयात किया गया हो, उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क से सम्पूर्ण छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 295(अ) जो 26 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 17/2001-सीशु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 299(अ) जो 26 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 17/2001-सीमा शुल्क में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 360(अ) जो 16 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तरासे हुए एवं पालिश किए हुए मोतियों को उस स्थिति में सीमा शुल्क की अदायगी से छूट देना है जब उन्हें अधिसूचना में उल्लिखित विनिर्दिष्ट विदेशी प्रयोगशालाओं/एजेंसियों द्वारा अधिप्रमाणन/ग्रेडिंग के बाद इस संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर पुन: आयात किया गया हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 377(अ) जो 18 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 412(अ) जो 4 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 35/2001-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 412(अ) जो 7 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 17/2001-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 426(अ) जो 12 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 17/2001-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) कोरियर आयात तथा निर्यात (निकासी) संशोधन विनियम, 2001 जो 14 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 184(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 351(अ) जो 11 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 18/2001-सीमा शुल्क को निरसित में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 354(अ) जो 11 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2001 के अधिनियमित होने के परिणाम स्वरूप ब्याज दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 394(अ) जो 29 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 11 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 18/99-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों (सीमाशुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) संशोधन नियम, 2001 जो 27 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 479(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 510(अ) जो 6 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 11 नवम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या 84/97-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3795/2001]

(4) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 381(अ) जो 22 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 106 में प्रयोजन के लिए 1 जून, 2001 का दिन नियत करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3796/2001]

(5) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 265(अ) जो 19 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अंतर्गत स्काई मार्शलों को अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर के भुगतान से छूट देना है जब वे विमानों के अपहरण रोधी कार्यवाही के प्रयोजन से इंडियन एयर लाइन्स द्वारा जारी मुफ्त टिकटों पर विमान द्वारा अंतर्देशीय यात्रा करते हों, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3797/2001]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 490(अ) जो 28 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट प्रसंस्कृत टैक्सटाईल का विनिर्माण करने वाले स्वतंत्र टैक्सटाईल प्रोसेसरों द्वारा उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए संयुक्त उद्ग्रहण पद्धति की व्यवस्था करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 491(अ) जो 28 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक मुश्त शुल्क और कढ़ाई के विनिर्माताओं के संबंध में अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया को निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 492(अ) जो 28 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक मुश्त शुल्क और स्टेनलेस स्टील पट्टा/पट्टियों अथवा एल्यूमीनियम छल्लों के विनिर्माताओं के संबंध में अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 496 से सा.का.नि. 499(अ) जो 29 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 'डीम्ड क्रेडिट' की व्यवस्था करना है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3798/2001]

(7) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अन्तर्गत सामान्य बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों का सुव्यवस्थीकरण और संशोधन तथा अन्य सेवा शर्तें) संशोधन स्कीम, 2001 जो 15 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 225(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3799/2001]

(8) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 503(अ) जो 3 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 अप्रैल, 1996, की अधिसूचना संख्या 5/96-सेवा कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 504(अ) जो 3 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 83 विनिर्दिष्ट देशों के राजनयिक प्रास्थिति रखने वाले राजनयिक मिशनों या उसके सदस्यों को, सिक्योरिटी एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवा को उन पर उदग्रहणीय संपूर्ण सेवाकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 505(अ) जो 3 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 24 अप्रैल, 1998, की अधिसूचना संख्या 48/98-सेवा कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 514(अ) जो 9 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 16 जुलाई, 2001 को उस दिन के रूप में नियत करना है, जिस दिन वित्त अधिनियम, 1994 में संशोधन किया जायेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेवा कर (संशोधन) नियम, 2001 जो 9 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 515(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 516(अ) जो 9 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी फोटोग्राफी स्टूडिओ अथवा एजेंसी जो दुकानों और स्थापना संबंधी कानून के अन्तर्गत या तत्समय प्रवृत राज्य के किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, को स्टिल फोटोग्राफी के संबंध में प्रदान की गई कराधेय सेवा को संपूर्ण सेवा कर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 517(अ) जो 9 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी व्यक्ति विशेष वीडियोग्राफर द्वारा वीडियो टेप प्रोडक्शन के संबंध में प्रदान की गई कराधेय सेवा को संपूर्ण सेवा कर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 518(अ) जो 9 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी केबल आपरेटर द्वारा प्रसारण सेवा के संबंध में प्रदान की गई कराधेय सेवा को संपूर्ण सेवा कर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3800/2001]

(9) वर्ष 2000-2001 के दौरान बाजार से लिये गये उधारों के परिणामों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3801/2001]

(10) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3, 4 और 8 के अन्तर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 258(अ) जो 16 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें चेन्नई में स्थापित चेन्नई ऋण वसूली अधिकरण संख्या 2 की स्थापनी के पुनर्नाम को चेन्नई ऋण वसूली अधिकरण संख्या 1 के रूप में जिसमें दोनों ऋण वसूली अधिकरणों की अधिकारिता को दर्शाया गया है, अधिसूचित किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 269(अ) जो 20 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें ऋण वसूली अपीली अधिकरण चेन्नई के स्थान में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 270(अ) जो 20 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें कोलकाता

में स्थापित कोलकाता ऋण वसूली अधिकरण संख्या 2 की स्थापना के पुनर्नाम को कोलकाता ऋण वसूली अधिकरण संख्या 1 के रूप में जिसमें दोनों ऋण वसूली अधिकरणों की अधिकारिता को दर्शाया गया है, अधिसूचित किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 267(अ) जो 20 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 2 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 645 (अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(पांच) सा.का.नि. 268(अ) जो 20 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 2 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3802/2001]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 के अधीन बाट और माप मानक (पैक की गयी वस्तुएं) दूसरा संशोधन नियम, 2001 जो 30 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 402 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3803/2001]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की नियुक्ति, तथा सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2001 जो 13 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 429(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3804/2001]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 397(अ) जो 29 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी मौसम 2000-2001 के लिए चीनी कारखानों द्वारा देय न्यूनतम गन्ना मूल्य अधिसूचित किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 494(अ) जो 29 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी मौसम 1997-98 के लिए चीनी कारखानों द्वारा देय न्यूनतम गन्ना मूल्य अधिसूचित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3805/2001]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): महोदय, मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाण पत्र-व-नाविक का पहचान दस्तावेज) नियम, 2001 को 19 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 440(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3806/2001]

अपराह्न 2.06 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

चौदहवां और पंद्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उनसे संबंधित समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) दक्षिण मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन-रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के बारे में आठवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा)।

(2) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका नियोजन और बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण सुविधाएं-वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) के बारे में पाँचवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 2.07 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 30 जुलाई, 2001 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:-

1. मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन संबंधी संकल्प पर चर्चा।

2. निम्नलिखित विधेयक पर आगे विचार और पारित करना:-

   पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 2000 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

   (i) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन, विधेयक, 2001

   (ii) ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000

   (iii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 2000 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

   (iv) हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2001

4. खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार और पारित करना।

5. पशुधन का आयात (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और पशुधन का आयात (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार और पारित करना।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न मदें सम्मिलित की जाये:-

अनेक राज्यों में आए दिन भुखमरी से मौतें हो रही हैं। खाद्यान्न पर्याप्त है फिर भी भुख से लोग मर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज भरा पड़ा है। सरकार ने इस खाद्यान को अत्यन्त कम कीमत पर निपटान करने का निर्णय किया है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाये।

1. बिहार राज्य के प्रमंडल मुख्यालय सहरसा में स्वीकृत एच.पी.टी. दूरदर्शन केन्द्र का निर्माण शीघ्र शुरू कराया जाये।

2. सहरसा में एफ.एम. बैंड रेडियो स्टेशन की स्थापना कराई जाये।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए-

1. बालाघाट जिले के लांजी में स्थित श्री कोटोश्वर मंदिर जो राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तथा प्रतिबंधों के कारण श्रद्धालू काफी कठिनाई महसूस करते हैं। लांजी के माता लंजकाई देवी के प्राचीन मंदिर का भी रख रखाव सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अतिशीघ्र कार्यवाही करे।

2. बालाघाट जिले के नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों सोन नदी एवं वन्जा नदी पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पुल बनाने के लिए धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किया जाए:

उड़ीसा में हाल में आई बाढ़ से हुई तबाही और राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र पुनर्वास और पुननिर्माण कार्यक्रम-बनाए जाने की आवश्यकता ।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें।

1. धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्दता केन्द्र तथा शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अजमेर नगर को हवाई मार्ग से जोड़ने हेतु अविलम्ब हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता।

श्री प्रमोद महाजन: ताकि मुशर्रफ साहब आ सकें।

प्रो. रासा सिंह रावत: वे पात्र नहीं थे, इसलिए उनको बुलाया नहीं गया।

2. घोर अकाल से विगत तीन वर्षों से जूझ रहे अजमेर जिले के हजारों परिवारों की रोजी-रोटी का एक मात्र सहारा, ब्यावर जिला अजमेर स्थित एनटीसी द्वारा संचालित महालक्ष्मी एवं एडवर्ड मिल तथा विजयनगर जिला अजमेर स्थित काटन मिल को निरन्तर एवं नियमित चालू रखने की आवश्यकता।

अपराह्न 2.12 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960, के नियम 4(1) के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4(2)(क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960, के नियम 4(1) के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4(2)(क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) तम्बाकू बोर्ड

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री मुरासोली मारन की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4(1) के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के नियम 4(4)(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4(1) के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के नियम 4(4)(ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.13 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 25 जुलाई, 2001 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 25 जुलाई, 2001 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.14 बजे

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद (संशोधन) विधेयक-*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 17, अन्तर्राज्यिक जल-विवाद (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे। प्रो. रासा सिंह रावत अपना भाषण जारी रखें। प्रो. रासा सिंह रावत आप पहले ही 13 मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व में चर्चा चल रही थी, मैं अन्तर्राज्यिक जल-विवाद (संशोधन) विधेयक, 2001 का पुरजोर समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। यह बात पूर्व में ही मैंने कह दी है।

इस संबंध में अपने अपूर्ण वक्तव्य को पूर्णता की ओर ले जाते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि जल राष्ट्रीय सम्पत्ति है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जल संसाधन नीति या राष्ट्रीय जल नीति का निर्धारण शीघ्रातिशीघ्र किया जाए, ताकि विभिन्न राज्यों के बीच में होने वाले विवादों के बारे में प्राधिकरण जो निर्णय देते हैं, उनकी अनुपालना हो सके और यदि इस प्रकार से विवाद होने की स्थिति हो, तो उनको समाप्त किया जा सके।

उनका फैसला निश्चित समय के अंदर हो सके। जैसे सरकारिया आयोग बैठा था उसने केन्द्र और राज्यों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में अपने कुछ सुझाव दिए थे। इसी संदर्भ में यह संशोधन लाया गया है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदियों और नदीघाटी जल विवाद से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय हेतु, सन् 1956 में जो विधेयक पारित हुआ था, उसमें संशोधन करने के सुझाव दिए थे। उसी संदर्भ में इसमें संशोधन किए जा रहे हैं।

अपराह्न 2.16 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

मान्यवर, छः छोटे-छोटे संशोधन हैं। मैं संशोधन हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक अंतर्राज्यीय के स्थान पर अंतर्राज्यीय नदी जोड़ने वाली बात है। दूसरा धारा 1 और धारा 4 के अंतर्गत मूल अधिनियम में थोड़ा सा संशोधन है कि जब कोई राज्य सरकार यह समझती है कि जल विवाद के बाबत धारा 3 के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त होता है और केन्द्र सरकार की यह राय है कि जल विवाद को बातचीत से हल नहीं किया जा सकता, केन्द्र सरकार, ऐसे अनुरोध को प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष से ज्यादा समय नहीं लेगी और उस अवधि में राजपत्र गजट नोटिफिकेशन करेगी तथा जल विवाद अधिकरण का गठन करके उसे यह फैसला सौंपेगी। इस संशोधन में अधिकरण द्वारा किए गए जो भी विवाद हैं उन्हें पुनः नहीं खोला जाएगा। पहले अगर किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई फैसला हो चुका है तो उसे रीओपन नहीं किया जाएगा और यदि केन्द्र सरकार यह समझे कि बातचीत के लिए इन राज्यों को सौंप नहीं सकते तो उसे ट्रिब्यूनल को सौंपा जाएगा। फिर धारा 5 में संशोधन है। इसमें उपचारा 2 और 3 के स्थान पर नये क्लाज़ में व्यवस्था रहेगा। फिर धारा 6 में संशोधन है। उसमें भी राजपत्र के प्रकाशन के पश्चात अधिकरण के विनिश्चय का वही प्रभाव होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के किसी आर्डर या डिग्री का होता है। ट्रिब्यूनल के निर्णय कई दफा ऐसे होते हैं, जैसे इराडी आयोग है, उसके निर्णय तो हो गए लेकिन कई राज्य सरकारें उन्हें मान नहीं रही हैं। अब यह संशोधन लाया गया है और सोच विचार के बाद ट्रिब्यूनल को कोई फैसला सौंपा जाएगा। उसके द्वारा जो निर्णय होगा वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, आदेश की तरह या डिग्री की तरह ही प्रभावकारी होगा। मैं समझता हूं कि ट्रिब्यूनल को और नदी जल विवादों को निबटाने के लिए इस प्रकार से संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं।

फिर धारा 9 में संशोधन है। इसमें किसी ऐसे डाटा बैंक की अपेक्षा करना, जो उसके द्वारा प्रेषित है। केन्द्र सरकार देश की जितनी भी नदियां हैं, जो विभिन्न राज्यों में बहती हैं और एक से अधिक राज्यों में हैं, उन रीवर बेसन और नदियों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे डाटा बैंक और सूचना प्रणाली तैयार करेगी, जिसमें जल स्त्रोत, भूमि और कृषि के बारे में उससे संबंधित विषयों के संबंध में सारे डाटा सम्मिलित होंगे। जिसे स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को भेजे या सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को दे और जब भी आवश्यकता हो, इस प्रकार के डाटा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उस डाटा बैंक के ऊपर और केन्द्र सरकार या संबंधित राज्य सरकारों की होगी। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा दिए गए जो डाटा हैं उन्हें सत्यापन करने का अधिकार भी होगा। उसके

[प्रो. रासा सिंह रावत]

लिए वह कोई आदमी एपाइंट कर सकती है या किसी को काम सौंप सकती है। यह प्रावधान भी इसमें दिया गया है। इन सारी बातों से पता चलता है कि वह विधेयक वास्तव में राष्ट्रीय जल नीति की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम है।

अपराह्न 2.19 बजे

[श्रीमती माग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*]

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि कितनी बड़ी बिडम्बना है कि एक तरफ देश में सूखा पड़ता है या बाढ़ के कारण अतिवृष्टि हो जाती है या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ पानी बह कर समुद्र में चला जाता है।...*(व्यवधान)* इस समस्या के हल के लिए सब राज्यों के मंत्री आपस में बैठ कर बात कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह न तो किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति है और न किसी प्रदेश की सीमाओं के अंदर उसे बांधा जा सकता है। इसलिए बाढ़ से जान-माल को बचाने के लिए सूखे की समस्या का हमेशा के लिए निराकरण करने के लिए नदियों के जल विवाद का यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित करना आवश्यक है।

मैं इसका पुन: स्वागत करता हूं। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। जल नीति का निर्माण होना चाहिए। कावेरी नदी का विवाद हो, कृष्णा नदी का विवाद हो, सोन नदी का विवाद हो, यमुना नदी के पानी का विवाद हो, चाहे इराड़ी आयोग हो और चाहे प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में बनने वाले ट्रिब्यूनल हों...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस बारे में कई दूसरे मैम्बर्स बोलने वाले हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत: चाहे बछावत ट्रिब्यूनल हो, उसने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के संदर्भ में निर्णय दिए हैं। इन सब के निर्णय क्रियान्वित किए जाएं और प्रभावी हों। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर): सभापति महोदया, मैं अन्तर्राज्यिक जल-विवाद (संशोधन) विधेयक, 2001 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यिक जल-विवादों के निपटाने का उपबन्ध किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 262 में यह उपबंध है कि नदी तट पर बसे राज्यों के बीच उत्पन्न सभी अंतर्राज्यिक जल-विवादों से संबंधित मामलों को उच्चतम न्यायालय के दायरे से बाहर रखा जायेगा और इसके निपटान के लिए केन्द्र न्यायनिर्णयन न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है।

कुछ हद तक वर्तमान संशोधन में सरकारिया आयोग के कतिपय सिफारिशों को शामिल करने का प्रयास भी किया गया है।

न्यायाधिकरणों के कार्य के ढंग से और न्यायाधिकरणों के पंचाट के क्रियान्वयन से पता चलता है यह केन्द्र सरकार के लिए एक कठिन कार्य रहा है। सरकारिया आयोग द्वारा की गई कुछ संस्तुतियों को अन्तर्राज्यिक परिषद के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के कथन से पता चलता है कि न्यायाधिकरणों के गठन में देर होने के कारण उन्हें न्यायनिर्णय और पंचाट देने में समय लगा और इनके कार्यान्वयन में आई कठिनाइयों से और अधिक समस्याएं उत्पन्न हुई। इसलिए इस मामले को सुलझाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है।

उद्देश्यों में आगे कहा गया है कि सरकारिया आयोग ने अंतर्राज्यिक जल विवाद से संबंधित मामलों में संशोधन करने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर डाटा बैंक तैयार करने तथा सूचना प्रणाली उपलब्ध कराकर सभी सिंचित प्रदेशों को न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश की गयी थी। अन्तर्राज्यिक परिषद् की दिनांक 28.11.1997 को हुई बैठक में भी यह संस्तुतियां की गई थीं।

वर्तमान संशोधन 'अन्तर्राज्यिक' शब्द से संबंधित है। इसके स्थान पर 'अन्तर्राज्यिक नदी' शब्द रखे जा सकते हैं। यह सुझाव स्वागत योग्य है। आगे, मैं इसका जिक्र करूंगा।

कावेरी न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम आदेश पारित कर कर्नाटक और पुराने मैसूर क्षेत्र में पहले के खेती के क्षेत्र, अर्थात् 11.2 लाख हैक्टेयर पर प्रतिबंध लगा दिया।

दूसरे उपबंध में यह व्यवस्था की गई है कि यदि राज्य सरकार यह अनुरोध करती है कि इस बारे में विवाद जारी है, और केन्द्र की राय है कि निस्संदेह विवाद है और यह एक वर्ष के भीतर एक न्यायाधिकरण गठन कर सकती है और वह न्यायाधिकरण सभी तथ्यों पर विचार करेगा तथा तीन वर्ष के भीतर पंचाट न्यायनिर्मित करेगा।

यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से न्यायाधिकरण तीन वर्ष के भीतर अपना निर्णय नहीं दे पाता है तो केन्द्र यह अवधि दो वर्ष तक और बढ़ा सकता है। यदि कोई अव्याख्यापित उपबंध या मुद्दे का कोई भाग मूल रूप से न्यायाधिकरण के नहीं भेजा गया हो तो ये मुद्दे तीन माह के भीतर उठाए जा सकते हैं और इन्हें न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है। न्यायाधिकरण इसे और बढ़ा सकेगा और यह संशोधित पंचाट का भाग होगा।

लेकिन इन संशोधन में जल-विवादों से उत्पन्न समस्याओं को स्थाई तौर पर नहीं निपटाया जा सकता। इसके लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि किस प्रक्रिया तथा नियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण पंचाट न्यायनिर्मित करती है। मेरा मानंना है कि कुछ अन्य बातों के साथ-साथ जल विवादों से संबंधित मामलों के निपटान के लिए केन्द्र को 'हैलसिंकी नियम' अपनाना चाहिए।

मैंने अमरीका में कई विवादों के बारे में पढ़ा है जिनमें अन्तर्राज्यिक विवादों का न्यायानिर्णयन इस हैलसिंकी नियम को लागू कर किया गया है और अन्तर्राज्यिक विवादों में शामिल सभी तटीय-राज्यों की संतुष्टि के अनुसार इन विवादों को सदभावपूर्ण ढंग से निपटाया गया है।

इस न्यायनिर्णयन के लिए सभी राज्यों के उपयोग के संबंध में न्यायपूर्ण समान और तर्कसंगत दृष्टिकोण होना चाहिए। अन्य संबंधित तथ्यों, निकास के विस्तार के ब्यौरों सहित तट की भूगोल, तट की जलविज्ञान, क्षेत्र की मौसम की स्थिति, वर्तमान उपयोग सहित पिछला उपयोग, आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताएं, जल पर आधारित जनसंख्या, जल के वैकल्पिक स्त्रोतों की उपलब्धता, जल की बर्बादी न करना, प्रदूषण पर रोक, प्रभावी पक्षों के दिए जाने वाले न्यायनिर्णय के रूप में क्षतिपूर्ति की सहायता और बिना हानि के तटीय राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर विचार किया जाना है।

जिस तरीके से न्यायाधिकरण ने पंचाटों को न्यायनिर्वित किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है उसमें अब भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार न्यायाधिकरणों ने पंचाटों का न्यायनिर्णय किया, इसे जारी करने में जो समय लगा, न्यायानिर्णयन के आधार व उसकी, पद्धति और पंचाटों की अनिश्चितता से नए विवाद उठे हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ न्यायाधिकरणों ने अंतरिम आदेश भी जारी किये हैं। ये न्यायाधिकरण एक दशक के बाद भी अपने अंतिम आदेश देने में असफल रहे हैं। न्यायाधिकरणों ने ऊपरी तटीय राज्यों पर लगे अंतरिम आदेश पर सिंचाई से जुड़े कार्यों के द्वारा खेती करने से रोक लगा दी है। जहां तक भूमि पर खेती करने की अधिकतम सीमा का प्रश्न है मेरे विचार से विशेषकर कर्नाटक में यह गलत है जहां लोग सिंचाई के लिए मात्र नदियों का ही प्रयोग नहीं करते हैं। बल्कि कुओं, तालाबों और ऐसे नदी-नालों का भी उपयोग करते हैं जो जरूरी नहीं कि नदी में ही गिरते हों लोग इस जल का उपयोग सिंचाई के साधनों के रूप में करते हैं।

इस भूमि जोत सीमा के फलस्वरूप कर्नाटक राज्य के किसानों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार की कार्यवाही अत्यधिक मनमानीपूर्ण है, क्योंकि पुराने मैसूर राज्य में सिंचाई केवल नदी जल पर ही निर्भर न होकर तालाबों और कुओं पर भी निर्भर रही है।

विवाद नदी के जल से ही संबंधित होना चाहिए न कि भूमिगत जल से। किंतु इस मामले में मैं एक ऐसे न्यायाधिकरण का जिक्र कर रहा हूं जिसने अंतरिम आदेश पारित कर सिंचाई पर पूरी तरह रोक लगा दी है जो मेरे विचार से न्यायोचित नहीं है। मेरा मानना है कि यह संशोधन बहुत ही छोटा है और अत्यधिक विलंग से भी लाया गया है। यदि कोई भी पंचाट देने के तरीके, कभी-कभी पंचाट की अस्पष्टता, और कभी-कभी इन पंचाटों के मनमाने रवैये का विश्लेषण करे तो पता चलता है कि केन्द्र सरकार ने अनेक अवसरों पर एक-दो या अधिक राज्यों के पक्ष में मनमाने ढंग से कार्य किए हैं।

दो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायाधिकरण पंचाटों का हवाला देकर मैं पंचाटों की मनमानी और अस्पष्टता पर बोलना चाहूंगा-एक है अंतरिम अवार्ड और दूसरा है बछावत पंचाट। कृष्णा जल पर बछावत पंचाट दिया गया है।

महोदया, केन्द्र ने कृष्णा नदी के जल पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के विवाद पर न्यायानिर्णयन के लिए बछावत न्यायाधिकरण का गठन किया। 31 मई, 1976 को पंचाट राजपत्र में प्रकाशित हुआ किंतु न्यायाधिकरण ने अपने पंचाट में इसे योजना 'क' नाम दिया और यह भी प्रकाशित हुआ। तद्नुसार, 50 प्रतिशत उपयोगी जल के कुल 2,399 टी.एम.सी. जल में से 330 टी.एम.सी. को अतिरिक्त माना गया और शेष बचे हुए 2060 टी.एम.सी. में (महाराष्ट्र को 560 टीएमसी मिला, कर्नाटक को 700 टीएमसी और आंध्र प्रदेश को 800 टीएमसी मिला। 2060 टीएमसी की अतिरिक्त जल में प्रत्येक का भाग इस प्रकार था। महाराष्ट्र को 35 प्रतिशत, अर्थात् 24.5 टीएमसी, कर्नाटक को 50 प्रतिशत अर्थात् 35 टीएमसी और आंध्र प्रदेश को 15 प्रतिशत अर्थात् 15 टीएमसी दिया गया। 2130 टीएमसी से अधिक जल का वितरण हुआ और महाराष्ट्र को 25 प्रतिशत मिला, कर्नाटक को 50 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश को 25 प्रतिशत मिला।

[श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार]

पंचाट की योजना 'क' राजपत्र में प्रकाशित हुई जैसा में पहले ही कह चुका हूं। न्यायाधिकरण ने योजना 'ख' भी चलाई थी किंतु वह आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तावित कृष्णा घाटी प्राधिकरण से संबंधित उठाए गए विवाद के कारण असफल हो गई। कृ ष्णा नदी जल से संबंधित कर्नाटक में वर्तमान विवाद इसलिए हैं, क्योंकि पंचाट का भाग बनने वाली प्रस्तावित योजना 'ख' अस्पष्ट और संदिग्ध थी। इसलिए, कर्नाटक राज्य को उच्चतम न्यायालय से व्यादेश प्राप्त करना पड़ा ताकि आंध्र प्रदेश पर अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु स्थाई प्रकृति परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु रोक लगाई जा सके। कर्नाटक ने इस बात का भी विरोध किया कि न्यायाधिकरण ने आंध्र प्रदेश को, योजना 'ख' के क्रियान्वित होने तक अस्थाई अधिकार के रूप में आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त जल उपयोग करने की अनुमति दी है। तथापि, कर्नाटक ने योजना 'क' के अंतर्गत 173 टीएमसी जल के उपयोग की योजना बनाई थी अर्थात् ऊपरी कृष्णा परियोजना-I के अंतर्गत 119 टीएमसी और ऊपरी कृष्णा परियोजना-II के अंतर्गत 54 टीएमसी के उपयोग की योजना थी। योजना आयोग ने 27.4.1978 को अपर कृष्णा चरण-I को मंजूरी दे दी थी परन्तु चरण-II को अभी मंजूरी दी जानी है।

इस मामले में केन्द्र सरकार ने 1977 में सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए शपथ-पत्र में कहा था कि आंध्र प्रदेश यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अलमाटी बांध के निर्माण से कर्नाटक अपने हिस्से से अधिक पानी का इस्तेमाल करेगा। इसमें यह भी कहा गया था कि पानी का बंटवारा परियोजना विशेष के आधार पर नहीं अपितु जल के कुल आवंटन के आधार पर किया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि केन्द्र सरकार ने अपने पूर्व दृष्टिकोण से हटकर यह कहा कि अलमाटी और नारायणपुर बांध योजनाएं, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत पानी की मात्रा के आधार पर चलाई जायेंगी।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र ने 1997 में पूर्ण रूप से भरे हुए जलाशय के स्तर अर्थात् अलमाटी बांध की 524.256 मीटर की ऊंचाई पर कोई आपत्ति नहीं की थी। एक वर्ष बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपने पूर्व दृष्टिकोण में परिवर्तन करके उसने शपथ-पत्र दाखिल किया कि यदि अलमाटी जलाशय की ऊंचाई 542 मीटर तक बढ़ाई गई तो इससे बाढ़ आ सकती है और इसका बहुत बड़ा भू-भाग जलमग्न हो जायेगा। कर्नाटक सरकार ने भारतीय विज्ञान-संस्थान, बंगलौर से इस सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए कहा। अध्ययन दल ने बताया कि अलमाटी और हीराजी बांधों के कारण महाराष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में बाढ़ नहीं आयेगी।

अब मैं कावेरी जल-मुद्दे को निपटाने के लिए वर्ष 1990 में गठित न्यायाधिकरण पर चर्चा करूंगा।

इसने जून 1991 में एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसके अनुसार तमिलनाडु को अस्थाई तौर पर 205 टीएमसी पानी दिया जाना था। इस अंतरिम आदेश को पारित किए जाने के 11 वर्षों के पश्चात् भी इस मामले पर अंतिम आदेश नहीं दिया गया है। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने यह अनुमान लगाया है कि इस दौरान अच्छा मानसून रहेगा। कावेरी बेसिन में उपलब्ध पानी की अधिकतम मात्रा 705 टीएमसी है। पूर्ण प्रवाह और बाढ़ आने की स्थिति में इसमें उपलब्ध पानी की अधिकतम सीमा 380 टीएमसी होती है। न्यायाधिकरण इस बात पर मौन है कि यदि मानसून की वर्षा नहीं होती है तो क्या होगा। पुनश्च, न्यायाधिकरण को तमिलनाडु में पानी को प्रवेश-स्थान बिलिगुन्डु को चुनना चाहिए था परन्तु दुर्भाग्य से न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु में बहने वाले पानी की मात्रा का आकलन करने के लिए मेट्टूर को प्रवेश-स्थान के रूप में माना है। वर्ष 1999-2000 में, बिलिगुन्डु में पानी का बहाव 273.18 टीएमसी मापा गया जबकि मेट्टूर मे यह 267.54 टीएमसी रिकार्ड किया गया। न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु में पानी को जितनी मात्रा निर्धारित की थी, वहां उससे 60 टीएमसी पानी अधिक था।

इस अंतरिम आदेश में पानी का जो समय नियत किया गया है, उसमें परिवर्तन करना मुश्किल है। मई और जून में कई बार मानसून के पानी का पूर्ण प्रवाह होता है तो कई बार मानसून आता ही नहीं है। इस वर्ष मानसून की बारिश आई ही नहीं। अत: मेरे विचार से इस नियत-समय का पालन करना मुश्किल है।

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु को दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों का फायदा होता है जबकि कर्नाटक को केवल दक्षिण-पश्चिम मानसून पर ही निर्भर रहना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने बताया है कि तमिलनाडु ने लगभग 340 टीएमसी पानी बर्बाद किया है।

इन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यायाधिकरण ने उन तक चाहे जो भी निर्णय किए हों, लेकिन न्यायाधिकरण ने अवार्ड देते समय विभिन्न पहलुओं जैसे मानसून भारी बाढ़ अथवा कम बाढ़ की स्थितियों पर विचार नहीं किया है। कई बार दिए गए निर्णय अस्पष्ट प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए कृष्णा जल मामले में उन्होंने अनुसूची योजना 'ख' को छोड़ दिया है। इसकी सूचना राजपत्र में नहीं दी गई और निर्णय में इसे शामिल नहीं किया गया। इसलिए इन निर्णयों से नये विवाद उत्पन्न हुए।

जैसाकि आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का वर्तमान विवाद सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। संविधान के अनुसार आदेश की योजना 'ख' में अस्पष्टता होने के कारण अंतर्राज्यीय विवादों को न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

आजकल, यह मामला न्यायालय में है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी कारकों को ध्यान में रखकर एक पूर्ण और व्यापक विधेयक लाया जाये। इन निर्णयों के क्रियान्वयन में पिछले 50 वर्षों में जितनी समस्याओं का सामना किया है, उनको ध्यान में रखते हुए इन सभी कारकों को शामिल करने के लिए एक व्यापक विधेयक तैयार किया जाना चाहिए।

मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार की जानी चाहिए जिसमें हिमालयी नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों के साथ जोड़ने का प्रावधान हो। मुझ बताया गया है कि 31 परियोजनायें चलाई जाती हैं, एक क्षेत्र में नदी बाढ़ की स्थिति है तो दूसरे क्षेत्र में सूखा है। अत: हिमालय से निकलने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ने से किसानों की मुश्किलों को कम करने में और लोगों को पीने का पानी प्रदान करने में मदद मिलेगी। अन्यथा पानी का बहुत बड़ा भाग व्यर्थ चला जाएगा।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि कुछेक राज्य ऐसे हैं, जहां उद्योगों द्वारा फैलाये जाने वाले प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक है। इन राज्यों को अपशिष्ट पदार्थों का शोधन करने के लिए शोधन-संयंत्र स्थापित करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए ताकि पानी की शुद्धता प्रभावित न हो और यह किसी भी प्रकार से प्रदूषित न हो और इसे सभी संबद्ध लोग प्रयोग में ला सकें।

मैं समझता हूं कि किस प्रकार से न्यायाधिकरणों का गठन हो सम्बद्ध प्रक्रिया को लागू करने के लिए समय सीमा और जहां तक संभव हो, आगे मुकदमेबाजी रोकने के लिए एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। इन मामलों को निपटाया जाना चाहिए, ऐसा एक व्यापक विधेयक लाकर तथा राष्ट्रीय जल नीति तैयार करके ही किया जा सकता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सभापति महोदया, इस मामले पर कानून बनाना राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संविधान के उपबंधों के अनुसार नदी-जल राज्य विषय है। अब केन्द्र को नदी-जल के प्रयोग के सम्बन्ध में राज्यों के बीच विवाद में मजबूरन मध्यस्थता करनी पड़ती है।

सभापति महोदया, हमने वर्ष 1956 में जल-विवाद अधिनियम पारित किया था। 45 वर्ष बीत गये परन्तु इसका क्या परिणाम निकला? यह एक असफल कानून है। राज्यों में सर्वसम्मति बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए परन्तु हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए यह मामला सरकारिया आयोग को सौंपा गया। आयोग ने मुख्यत: दो सिफारिशें की। एक, अधिकरणों द्वारा अवार्ड पारित करने में विलंब। दूसरा, अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के समकक्ष होगा। यह वैधता प्रदान की गई। इस आशय का विधान लाया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवार्ड या आदेश का कानूनी प्रभाव उतना ही हो जितना कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश या निर्णय का होता है। इस विधेयक में सरकारिया आयोग की दो सिफारिशों में से केवल एक पर ही विचार किया गया है और यह अवार्ड पारित करने में होने वाले विलंब के बारे में हैं। दूसरी सिफारिश के बारे में विचार क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): इस विधेयक में दूसरी सिफारिश भी शामिल है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: दूसरी सिफारिश इस आदेश को वैधता प्रदान करने के बारे में है। दूसरी सिफारिश को इस विधेयक में शामिल क्यों नहीं किया गया है।

सभापति महोदय: दूसरी सिफारिश भी विधेयक में है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: सभापति महोदया, मैं राष्ट्रीय जल आयोग की बैठक के बारे में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट उद्धृत करने की अनुमति चाहता हूं। यह बैठक माननीय प्रधानमंत्री ने आयोजित की थी और लगभग सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने उस बैठक में भाग लिया था। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री वसंत राव दादा पाटिल ने उस बैठक में क्या दृष्टिकोण अपनाया था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि 1956 के मौजूदा अंतर्राज्यीय विवाद अधिनियम में संशोधन अथवा उपांतरण करना और किसी विवाद पर निर्णय देने के लिए न्यायाधिकरण के लिए समय निर्धारित करना अवांछनीय है। अत: महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री का विचार था कि वर्तमान अधिनियम में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार यह अवांछनीय है। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री वसंत राव दादा पाटील ने राष्ट्रीय जल-आयोग बोर्ड की बैठक में यही दृष्टिकोण अपनाया था।

प्रधानमंत्री ने उस बैठक की अध्यक्षता की। अब वस्तुस्थिति क्या है। इस तर्क का वास्तविक अर्थ यही है कि राजनीति का महत्व जल-विवादों से कही अधिक है। यदि केन्द्र और राज्य मे अलग-अलग पार्टी सत्तारूढ़ हो - क्योंकि हमारे यहां बहुदलीय प्रणाली है - तो पंचाट के निर्णय को लागू करना बहुत मुश्किल है। केन्द्र सरकार को इस मामले में कुछ करना होगा। इस बात का प्रभाव आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच जल-विवाद के मामले में दिखाई देता है। केन्द्र में राजग सरकार दो राज्यों के बीच जल के बंटवारे से की कर्नाटक सरकार की मांगों पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है क्योंकि राजग सरकार तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन पर निर्भर है। अत: राजनीति का महत्व सभी बातों से ऊपर

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

है। इसलिए हम इन मामलों में कोई निर्णय नहीं ले सकते। हम 45 वर्षों से अधिक समय बीतने के पश्चात् भी कोई निर्णय नहीं ले सके यह हमारी असफलता है। यहां तक कि मामला दर्ज करने और अवार्ड देने में दस वर्ष से अधिक का समय लगा है। कावेरी जल विवाद में, जिसमें तटीय राज्य कर्नाटक केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी हैं, अवार्ड पारित करने में 12 वर्ष लगे। उसे आज तक भी लागू नहीं किया गया है। ऐसा क्यों हैं? ऐसा राजनीतिक कारणों की वजह से है। यहां तक कि दलों में भी राजनीतिक स्वार्थ शामिल है। किसी राज्य में किसी राजनीतिक दल का मुख्य मंत्री लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ऐसा निर्णय लेता है जो राज्य और उसके अपने हित में होता है।

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य जल-विवाद के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश के हिस्से थोड़ा सा तटीय हिस्सा आता है। सारा क्षेत्र कर्नाटक में आता है। अत: मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि जब तक राजनीतिक निर्णयों को एक तरफ करके हम कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाते, तब तक जल-विवादों में एक सही और तर्कसंगत निर्णय लेना संभव नहीं होगा।

इसीलिए मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं क्योंकि यह इस आशय का एक विधान लाने में अथवा यहां तक कि जल-विवाद अधिनियम में इस आशय का संशोधन करने में हिचक रही है जिससे कि सरकारिया आयोग की सिफारिश को उसमें शामिल किया जा सके कि जल-विवाद न्यायाधिकरण द्वारा किए गए निर्णय का प्रभाव उच्चतम न्यायालय के आदेश के समान होना चाहिये।

श्री अर्जुन सेठी: यह उपबंध उसमें है।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): यह उसमें है। संशोधन की धारा 4 के अनुसार इसका प्रभाव उच्चतम न्यायालय की डिक्री के समान है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने इसे देखा है, परन्तु मेरा मत भिन्न है। इसमें किसी खण्ड का अंतस्थापन पर्याप्त नहीं है। मैं स्थिति समझता हूं। मैं मानता हूं कि यह प्रावधान उसमें है। परन्तु उच्चतम न्यायालय इसे नहीं मानेगा। उच्चतम न्यायालय केवल अपने द्वारा दिए गए आदेशों पर ही विचार करेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण लेता है अथवा जन-हित याचिका दायर करता है, तो कोई भी नागरिक उच्चतम न्यायालय से इस आशय की घोषणा करने का अनुरोध कर सकता है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय का कोई महत्व नहीं है और उच्चतम न्यायालय इसके प्रति जवाबदेह नहीं है। इस प्रकार का आदेश पारित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है।

अत: विशेष शर्तों के साथ यह संशोधन किया जाना चाहिए था कि चाहे कानून में जो कुछ भी हो, कुछ समय के लिए न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश को उच्चतम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत माना जायेगा। इसके बिना इसे कानूनी वैधता प्राप्त नहीं होगी। मात्र संशोधनों में इसकी व्यवस्था करना पर्याप्त नहीं होगा। वह एक अन्य मामला है।

संविधि पारित होने की स्थिति में हम कुछ लंबित जल-विवादों की गणना कर सकते है। कावेरी जल-विवाद में केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और कर्नाटक राज्य शामिल हैं। 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात् भी इसको निपटाया नहीं गया। अब पुनरीक्षा याचिका दायर की गई है क्योंकि उसमें इसकी व्यवस्था की गई है। इस पर आदेश पारित होने में दो-तीन वर्ष लग जायेंगे। न्यायाधिकरण केवल अंतरिम आदेश पारित करता है। यदि इसी प्रकार की स्थितियां रहे, तो यह अंतिम आदेश पारित करने में 25 वर्ष भी लगा सकता है। कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा। कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु के किसानों को कावेरी नदी का पानी न दिए जाने पर तमिलनाडु सरकार बहुत नाराज है।

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच सोन-नदी जल विवाद है। इसका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। यह काफी लम्बे समय से लंबित है। इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया है। हाल ही में, प्रधानमंत्री जी ने संबद्ध राज्यों को स्वत: ही इस बारे में लिखा है। परन्तु कुछ राज्य सरकारों ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। फिर किसी प्रकार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधियों ने उस बैठक में भाग लिया और अन्य राज्य ने नहीं। अत: ऐसे मामले पर आसानी से निर्णय करना संभव नहीं है। यह हमारा अनुभव है।

तत्पश्चात् रावी ब्यास जल न्यायाधिकरण, ऊपरि यमुना नदी बोर्ड का मामला है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य मंत्रियों ने एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। केवल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे। इसे कहां तक लागू किया जाता है, यह देखा जायेगा क्योंकि कानून लागू करने वाला तंत्र अप्रभावी है।

जैसाकि हम सभी जानते हैं, कर्नाटक सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का मामला लाने पर विचार कर रही है। वह आंध्र प्रदेश द्वारा उनके राज्य को पानी न दिए जाने के कारण उसके विरुद्ध बहुत सख्त कदम उठा रही है।

तत्पश्चात् एक अन्य महत्वपूर्ण और मुश्किल मामला कृष्णा जल विवाद संबंधी है। हालांकि मुख्य मंत्री का नाम भी कृष्णा है, संयोग से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच जल-विवाद भी कृष्णा

जल विवाद के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। हम संविधि का पालन कर रहे हैं परंतु आंध्र प्रदेश उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। अभी यही स्थिति है। क्या इस आदेश को लागू किया जा सकता है? कानून लागू करने वाले कौन हैं? वे आंध्र प्रदेश के विरुद्ध न्यायिक-अवमानना का मामला लाने पर विचार कर रहे हैं।

अत:, हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि, हमने इस प्रकार की संविधि पारित की है, हम न्यायाधिकरण के इस निर्णय को लागू करने में असमर्थ हैं। कर्नाटक में हम इसी कड़वे अनुभव का सामना कर रहे हैं। फिर यह संविधि पारित करने का क्या तात्पर्य है? हम इसे लागू नहीं कर सकते। 45 वर्षों के बाद भी हम इस संविधि के उपबंध लागू नहीं कर सके। अद्यतन उदाहरण कर्नाटक का है, जो आंध्र प्रदेश के विरुद्ध न्यायिक-अवमानना का मामला दायर करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास जाने का साहसिक कदम उठा रहा है। उसका क्या समाधान है? कौन इसे सुलझा सकता है? न्यायाधिकरण के निर्णय को कौन लागू करेगा? कोई नहीं जानता। क्या हमारे राज्य में क्रियान्वयन एजेंसी है? संबद्ध राज्यों के जल संसाधन विभागों के अधिकारी जैसे इंजीनियर और सचिव केवल 'विशेषज्ञ-निकाय' ही हैं। वे कार्यान्वयन अधिकारी नहीं हो सकते; ऐसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जब न्यायालय आदेश पारित कर रहा है तो उस आदेश को लागू करने की व्यवस्था भी होगी। अब न्यायाधिकरण के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास कोई प्रावधान नही है। अधिकांश राज्य इस आदेश को चुनौती देते हैं और इस का उल्लंघन करते हैं; वे उसे लागू करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वे राज्य में राजनीतिक प्रभावों के अधीन रहते हैं। ऐसे मामले में उन्हें विपक्ष का साथ देना होगा। वहां न्याय कोई मानदंड नहीं है अपितु राजनीति निर्णायक ताकत के रूप में काम करती है। अत:, राज्यों में निर्णय करना अत्यधिक कठिन है।

अत: मेरा अनुरोध यह है कि केवल अधिनियम लाने से ही समस्या का हल नहीं होगा। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री का यह मत था कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने का कोई फायदा नहीं होगा। यह उनका मत है। उन्होंने 'अवांछनीय' शब्द का प्रयोग किया था।

सभापति महोदय: आपका क्या मत है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: मेरा अनुरोध यह है कि मंत्री महोदय को न्यायाधिकरण के आदेश के कार्यान्वयन हेतु ऐसी व्यवस्था करने वाला विधान लाना पड़ सकता है।

तत्पश्चात् एक आंकड़ा बैंक अनिवार्य है और उससे पानी की उपलब्धता, तटवर्ती क्षेत्र और नदी थाला क्षेत्र इत्यादि का ब्यौरा मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी ब्यौरे तत्काल उपलब्ध रहने चाहिए। परन्तु इसके बावजूद भी, मुझे नहीं लगता कि हम इसे कार्यान्वित करने में समर्थ होंगे।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम भविष्य में मंत्री महोदय एक अन्य विधान लायेंगे, जिससे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री सहित सभी मुख्य मंत्री संतुष्ट हों।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): मैं सबसे पहले पीठासीन अधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अंतर्राज्यिीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2001 पर बोलने पर अवसर प्रदान किया।

बोलने का अवसर प्रदान करने पर मैं खुश हूं परन्तु मेरी अपनी मुश्किल यह है कि जो समय दिया है पता नहीं वह अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त होगा अथवा नहीं। तथापि, मैं निर्धारित समय में अपनी बात यथाशीघ्र रखने का प्रयास करूंगा।

अपराह्न 3.00 बजे

मेरे सहयोगी सदस्यों ने जिन पहलुओं पर प्रकाश डाला है, उन पर नजर डालते हुए मैं पीठासीन अधिकारी के समक्ष कुछेक और बातें रखना चाहता हूं कि यह एक बड़े और व्यापक स्तर की समस्या है जिसका किसी न किसी रूप में प्रत्येक राज्य के लिए महत्व है। व्यापक अर्थ में यह हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त लाभकारी उपहारों अर्थात पंचभूतों में से एक अर्थात् जल है। केवल इतनी ही नहीं विश्व का तीन चौथाई भाग जलमग्न है। हालांकि पानी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है परंतु योग्य पानी पर्याप्त नहीं है और उसकी बड़ी कमी है। इसलिए जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे अंग्रेजी की वह कविता याद आ जाती है, जिसमें एक आदिम काल का नाविक समुद्र के बीच आने पर दु:खी होकर यह कहता है, "चारों ओर पानी ही पानी, परन्तु पीने के लिए एक बूंद भी नहीं।" इसलिए मैंने यह कहा कि हालांकि समुद्र में अथवा अन्यथा पानी बहुतायत में है परन्तु प्रयोज्य, सिंचाई योग्य अथवा पीने योग्य पानी सीमित मात्रा में है।

इस संदर्भ में, जैसाकि यहां पहले कहा जा चुका है नदियों व्यापक भूमिका अदा करती है। दुर्भाग्य से भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि मानसून अथवा वर्षाकाल का समय तीन-चार महीने ही होता है। परिणामस्वरूप, भारी बाढ़ आती है सामाजिक-

[श्री के. मलयसामी]

आर्थिक विनाश होता है। लगभग 75 प्रतिशत वर्षा तीन-चार महीनों के भीतर होती है और उस अवधि के दौरान बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। दूसरी ओर 68 प्रतिशत क्षेत्र सूखा है। और 16 प्रतिशत भाग जैसे कि रामनाथपुरम, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, सूखा प्रभावित है।

इस प्रकार एक बड़े क्षेत्र में पानी का अभाव है जबकि कुछ स्थानों में बाढ़ आ रही है। इन परिस्थितियों में हम यह महसूस करते हैं कि नदियों का फालतू पानी जो समुद्र में बह जाता है उसका लाभप्रद तरीके से अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इसके लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का मार्ग बदला जाए और सिंचाई के लिए उन्हें समुद्र से जोड़ा जाए तथा नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन नीतियों का विशेषज्ञों तथा दूर दृष्टाओं ने व्यापक रूप से समर्थन किया है। इन पहलूओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का समय आ गया है। इस माननीय सभा को पानी की कमी की समस्या तो वृहत् स्तर पर सुलझाने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही करने के बारे में विचार करना चाहिए।

हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि हम भारतीय हैं और खुले विचारों वाले हैं। हम यह भी कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण व्यापक है। यहां मैं एक तमिल कविता उद्धृत करना चाहता हूं ''यादुम उरे यावरम केलीर'' इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान हमारा है और विश्व में हर कोई हमारा 'बंधु-बांधव' है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारी धारणा, सोच बहुत बहुत ही संकुचित अथवा स्वकेंद्रित है। हम अपने बारे में ही सोचते हैं। सभी के हित को नजरअंदाज कर दिया जाता हैं और राष्ट्रीय हित की उपेक्षा की जाती है। जब हम प्रसन्नता महसूस करें तो वह सभी के लिए होनी चाहिए। जब हम दु:ख महसूस करे तो उसे बांटना चाहिए। यदि एक भारतीय दु:ख भोग रहा है तो अन्य लोगों को भी उसका दु:ख महसूस करना चाहिए और उसे बांटना चाहिए। लेकिन वास्तव में जब मुझे सुख मिलता है तो मैं ही उस सुख को भोगना चाहता हूं। कर्नाटक के मेरे सहयोगी, जिन्होंने अभी-अभी भाषण दिया है, ने तमिलनाडु को क्षति पहुंचाकर कर्नाटक के हितों के रक्षा करने का अनुरोध किया है। दूसरी ओर, केरल के मेरे एक सहयोगी ने सही कहा है कि की नदी जल बंटवारे के बारे में तमिलनाडु की अलाभकारी भूभौतिकीय स्थिति के कारण उसके साथ बड़ा अन्याय किया गया है।

आपको राष्ट्रीय हित के व्यापक-परिप्रेक्ष्य में इस पर विचार करना चाहिए। इस स्थिति में मैं, आपसे अपील करना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए।

जहां तक विधेयक का संबंध है; मैं इसका पूर्णत: समर्थन करता हूं। इस संबंध में श्री राधाकृष्णन के इन विचारों का समर्थन करता हूं कि यद्यपि कानून में इसकी व्यवस्था है लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। जहां तक कावेरी मुद्दे का संबंध है, हम पिछले 11 वर्षों से मारे-मारे फिर रहे हैं। इतने वर्षों के बाद न्यायाधिकरण केवल अंतरिम आदेश पारित कर पाया है। यह अंतरिम आदेश भी क्रियान्वित नहीं किया जा सका। कई बार तमिलनाडु के किसान पानी के लिए तरस जाते हैं। न्यायाधिकरण ने अंतरिम आदेश दे दिया है कि इतनी अवधि के दौरान इतना पानी दिया जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं किया गया। कानून है लेकिन दुर्भाग्य से इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। श्री राधाकृष्णन की टिप्पणियां तमिलनाडु के मामले को मजबूत करती है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। कर्नाटक के मेरे सहयोगी जिन्होंने अभी-अभी भाषण दिया, कहा है कि तमिलनाडु ने अधिक पानी लिया है। मैं उन्हें बता दूं कि ऐसा नहीं है। दूसरी ओर, तमिलनाडु को जितना पानी दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया गया है क्योंकि अंतरिम आदेश को पूर्णत: क्रियान्वित नहीं किया गया है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। सभापति महोदया, विधेयक के संबंध में मैं इस बात से सहमत हूं कि निर्णय के लिए समय-सीमा निर्धारित करके इस संबंध में कुछ प्रयास किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। मामले को वर्षों तक घसीटने की बजाय समय-सीमा निर्धारित की जाए। न्यायाधिकरण को एक समय-सीमा के भीतर अपना निर्णय और पंचाट दे देना चाहिए। इस बात का मैं पूर्णत: समर्थन करता हूं। इतना ही नहीं, न्यायाधिकरण इसके लिए कोई व्यवहारिक तरीका निकाले और इस तरह से निदेश दे कि पंचाट को क्रियान्वित किया जा सके। सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस विधेयक में इस दिशा में प्रयास किए गए हैं।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसमें कई अन्य खूबियां भी हैं। लेकिन आप इसे किस तरह प्रभावी रूप से क्रियान्वित करेंगे? यह मूल प्रश्न है। श्री राधाकृष्णन ने यह प्रश्न भी उठाया था। आप इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र का पता लगाएं तथा गहन अध्ययन करें। आप इस बात पर विचार करें कि क्या इसे प्रशासनिक रूप से, राजनैतिक अथवा सर्वसम्मति से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। लेकिन एक बार पंचाट दिए जाने पर इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

यद्यपि मैं इस संशोधन विधेयक के अनेक पहलुओं का समर्थन करता हूं लेकिन खण्ड 9क(2) के संबंध में मुझे आपत्ति है जिसमें यह कहा गया है:

> ''केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार द्वारा प्रदाय किए गए डाटा का सत्यापन करने और उक्त प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने और ऐसे उपाय करने की, जिन्हें वह आवश्यक समझे, शक्तियां होंगी। इस प्रकार नियुक्त

व्यक्ति या व्यक्तियों को संबद्ध राज्य सरकार से ऐसे अभिलेख और सूचना समन करने की शक्तियां होंगी जिन्हें वह इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।''

इस खण्ड के अंतर्गत यह प्रस्ताव है कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की पुष्टि करने की शक्ति हो सकती है। जैसाकि आप जानते है कि पानी का गतिशील होना स्वाभाविक है और वह कभी नहीं रुकेगा। यदि कुछ आंकड़ों पर विचार किया जाए कि एक विशेष तिथि को एक विशेष समय पानी का बहाब अमुक क्यूसेक है तो बाद की तिथि की उन विशेष आंकड़ों की किस तरह पुष्टि की जा सकती है? यह अव्यवहार्य और असंभव है। ऐसी स्थिति में आप इस आशय का खण्ड किस तरह पुर:स्थापित कर सकते हैं कि आप राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों की पुष्टि कर सकते हैं? व्यवहारिक रूप से आप इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं? व्यावहारिक रूप से आप इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर, इन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों को स्वीकार किया गया है। यदि न्यायाधिकरण को इस पर किसी कारण से आपत्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है तो न्यायाधिकरण को किसी अन्य न्यायालय की तरह साक्षियों को बुलाने, दस्तावेजों की जांच करवाने तथा साक्ष्यों का विश्लेषण करने की शक्ति प्राप्त है।

न्यायाधिकरण कोई भी दस्तावेज मांग सकता है, किसी भी तरह आंकड़ों की जांच कर सकता है तथा जिस तरह चाहे, आंकड़ों का विश्लेषण कर सकता है। जब यह शक्ति पहले से ही प्राप्त है तो आप 9(क) (2) के रूप में उपबंध क्यों कर रहे हैं जो अनावश्यक है तथा उसे लागू नहीं किया जा सकता है।

दूसरे इस नए उपबंध को अन्त:स्थापित किया गया है जिसकी सिफारिश सरकारिया आयोग ने नहीं की है। आपने सरकारिया आयोग की सभी शर्तें मानी है और यह बात समझ में आती है। आपने नए उपबंध को क्यों अन्त:स्थापित है जिसकी बिलकुल भी आवश्यकता नहीं है। सरकारिया आयोग ने न तो इसकी परिकल्पना की है और न ही यह किसी तरह उपयोगी हैं। यह खण्ड बिना किसी प्रयोजन के अनावश्यक है। फिर भी यदि आप नया खण्ड अन्त:स्थापित करते हैं तो यह उपयोगी होना चाहिए। अत:, आप कृपया इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करे कि क्या खण्ड 9क(2) का केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर दबदबा बनाए रखने के अलावा कुछ और उपयोग होगा। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी आंकड़ों को स्वीकार किया गया है। यह बहुत पुरानी प्रथा है।

अंत में, यद्यपि मैं विधेयक के अन्य खण्डों का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही अनुरोध करता हूं कि खण्ड 9क(2) का लोप किया जाए। दूसरे, श्री वरकला राधाकृष्णन ने सही कहा है कि इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए कि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पंचाट को उचित उपाय करने अथवा तंत्र विकसित करने किस तरह व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): माननीय सभापति जी, बहुत दिनों के बाद कोई कानून वाटर डिसप्यूट्स को ठीक करने और सही रास्ते पर लाने के लिए बनाया गया है जो एक अच्छा कदम है लेकिन इसमें पूरी तरह से और भी सुधार करने की जरूरत है। कुछ बातों की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि सैक्शन-एक में कहा गया है,

[अनुवाद]

उस आशय एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है कि शब्द 'अन्तर्राज्यिक' को 'अंतर्राज्यीय नदी' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। लेकिन मेरे विचार से पहले वाली शब्दावली अधिक बेहतर थी। यदि आप इसे केवल अंतर्राज्यीय जल विवाद तक सीमित रखते हैं तो इससे और अधिक जटिलताएं पैदा हो जाएंगी। कई नदी बेसिन हैं जहां भूमि जलमग्न के कारण विवाद हो सकते है। कोई नदी अंतर्राज्यीय नदी नही हो सकती है। लेकिन यदि कोई राज्य सीमा पर बांध बनाता है तो दूसरे राज्य की भूमि भी पानी में डूब सकती है। इसलिए पिछली शब्दावली बेहतर थी। वस्तुत: जो संशोधन करने का विचार है उससे अधिक जटिलताएं पैदा होती है। इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि माननीय मंत्री इस संशोधन को छोड़ दें। अंतर्राज्यीय जल विवाद को मूल अधिनियम में भली-भांति परिभाषित किया गया है जिसमें कहा गया है:

''अंतर्राज्यिक जल विवाद का अभिप्राय दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच जल के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण अथवा अन्तर्राज्यिक नदी अथवा नदी घाटी के संबंध में किसी विवाद अथवा मतभेद से है।''

इसलिए यह व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस अधिनियम में एक स्वागत योग्य बात यह है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यायाधिकरणों के लिए समय-सीमा लागू की जाए ताकि वर्षों तक विवादों की घसीटते न रहें। संशोधन सुस्पष्ट नहीं है। खण्ड 3 मूल अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करने से संबंधित है।

''धारा 3 के अंतर्गत जब किसी राज्य सरकार से किसी जल विवाद के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त होता है और केन्द्र

[श्री श्यामाचरण शुक्ल]

सरकार का मत होता है कि जल विवाद को विचार-विमर्श से नहीं निपटाया जा सकता है तो केन्द्र सरकार ऐसे अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अनधिक्य अवधि के भीतर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा जल विवाद अधिकरण गठित करेगी।''

केन्द्र सरकार को न्यायाधिकरण नियुक्त करने के लिए छः महीने से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। एक वर्ष की अवधि बहुत लंबी है।

अब मैं, आपको पूर्व राज्य मध्य प्रदेश जो अब छत्तीसगढ़ है का उदाहरण देता हूं। इंद्रावती नदी उड़ीसा से बहकर छत्तीसगढ़ में आती है। पूर्व मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ में इस नदी के प्रवेश करने से पहले-मैं नहीं जानता कि यह जानबूझ कर किया जाता है या नहीं - इसके अधिकांश पानी को जौहड़ा नाले में छोड़ दिया जाता है। और इससे इंद्रावती नदी का लगभग 90 प्रतिशत पानी एक अलग घाटी में जा रहा है। नदी का जो पानी छत्तीसगढ़ में आता था वह बोध घाट परियोजना और जल प्रवाह के निचले हिस्से में दो या तीन परियोजनाओं में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता था। यदि सारा पानी दूसरी घाटी में जाता है या उसे उस तरफ परिवर्तित किया जाता है तो यह ठीक नहीं होगा। उड़ीसा सरकार यह कह रही है कि यह पानी जानबूझ कर परिवर्तित नहीं किया जा रहा है और यह उनके द्वारा किया गया कार्य नहीं है। नदी के किनारे वृक्षहीन हो गये है।

[हिन्दी]

उसमें कटाव हो गया है। इसलिये उसका सारा पानी जौहड़ा नाले में जा रहा है लेकिन इतना जरूर है कि गर्मी में पानी सूख जाता है और इन्द्रावती नदी में पानी नहीं रहता। इसलिये नीचे के सैंकड़ों गावों में डिस्चार्ज का पानी नहीं रहता। इसके बारे में ट्रिब्यूनल को फैसला लेना चाहिये। ऐसे डिस्प्यूट्स के लिये एक साल के लिये ट्रिब्यूनल का अपाइंटमेंट किया जाना, मैं समझता हूं कि बहुत देरी है। मैं जानता हूं कि सरकार के पास बहुत से काम हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। फिर भी किसी डिस्प्यूट के लिये ट्रिब्यूनल की नियुक्ति के लिए एक साल लगना बहुत देरी है। मैं तो समझता हूं कि यह 6 महीने या 3 महीने में हो तो और भी अच्छा होगा।

इसके बाद सरकारिया कमीशन के हिसाब से आपने समय निर्धारित किया है। ऐसा क्लाज़ 4, सैक्शन 5 में लिखा है। तथा सैक्शन 2 और 3 में आपने सब्स्टीट्यूट किया है:

[अनुवाद]

''न्यायाधिकरण उसे सौंपे गए मामले की जांच करेगा और इस संबंध में मिले तथ्यों और मामले पर अपना निर्णय देते हुए उसकी रिपोर्ट तीन वर्ष की अवधि के अन्दर केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।''

इसके लिए अवधि दो वर्ष क्यों न की जाए? आधुनिक युग में, जहां सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है।

[हिन्दी]

इसलिये डैवलेपमेंट होता है, इतने काम होते हैं, जल्दी फैसले की जरूरत रहती है तो ट्रिब्यूनल को तीन साल के लिए लाने की क्या जरूरत है? यदि कोई डिस्प्यूट है, उसे एक्सपीडिशियसली निपटाया जाये, सारे ऐविडेंस बुलाये जायें और लोग उसे सीरियसली लें, डिलेइंग टैक्टिक्स अडाप्ट न करें। किसी जगह के डेवलेपमेंट रुके रहने के लिए दो साल बहुत होते हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यह समय अवधि तीन साल की बजाय दो साल कर दी जाये।

[अनुवाद]

इसमें आगे कहा गया है कि:

''बशर्ते कि यदि निर्णय तीन वर्ष की अवधि के भीतर किन्ही अपरिहार्य कारणों से न दिया जा सकता हो।''

यहां, प्रावधान तीन वर्ष की बजाय दो वर्ष का किया जाना चाहिए।

''....केन्द्रीय सरकार इस अवधि को और आगे बढ़ाए जो दो वर्ष से अधिक न हो।'' दो वर्ष क्यो? कम से कम आप इसकी अवधि एक साल कर दें या इतना नहीं तो छः महीने कर दें।

[हिन्दी]

उसको कम से कम एक साल कर दिया जाये या 6 महीने कर दें तो और अच्छा होगा। ट्रिब्यूनल ने यह कहा है:

[अनुवाद]

''यदि, न्यायाधिकरण के निर्णय पर विचार करने पर, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की यह राय है कि दिए गये निर्णय पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या मार्गनिर्देश की आवश्यकता है....''

[हिन्दी]

उसके लिये आपने ट्रिब्यूनल को फिर एक साल के लिये मौका दिया है। मैं समझता हूं कि 6 महीने का मौका दिया जाना चाहिये। इसमें सफाई देनी है, एक्प्लेनेशन देनी है, उसके लिए एक साल न देकर 6 महीने कर दिया जाये। इसके बाद क्लाज 5, सैक्शन 6 में अमेंडमेंट के लिये जो प्रोवीजन किये हैं, ये बहुत अच्छे हैं।

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायाधिकरण के निर्णय को उपधारा (1) के अतर्गत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद उसका वही प्रभाव होगा जैसा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश या डिक्री होती है।

[हिन्दी]

यह बहुत ही बढ़िया अमेंडमेंट किया गया है। श्री राधाकृष्णन जी कह रहे थे जिसके लिये मैं समझता हूं कि यह प्रावधान पर्याप्त है, काफी है। यदि इसमें सुप्रीम कोर्ट एक्ट के अनुसार प्रावधान किया जाए। कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोक सभा एक सॉवरेन बॉडी है। हम जिस कानून को पास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसे मानना पड़ेगा और उसे इम्पलीमैन्ट करना पड़ेगा। इसलिए यह प्रावधान जिस तरह से किया गया है, वह बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें और भी सुधार की जरूरत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को और भी पावर्स देने की जरूरत है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें कुछ नये फैक्टर्स आ जाते हैं, जो कि पहले से नहीं आये होते हैं या ध्यान में नहीं लाये जाते हैं या किन्हीं कारणों से नहीं आते हैं तो उनमें सुप्रीम कोर्ट के इन्टरवैन्शन की जरूरत होती है।

अपराह्न 3.21 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

जब आप सुप्रीम कोर्ट के तहत आर्डर कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने की अथॉरिटी भी दीजिए। बहुत से झगड़े जो आजकल कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ट्रिब्यूनल एवार्ड के चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू का प्रोवीजन कर देंगे जो मामले 12-12, 15-15 वर्ष से नहीं निपट रहे हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट से फैसला कराया जाए, इसमें हमें यह प्रोवीजन करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। नर्मदा के झगड़े में गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में ट्रिब्यूनल का एवार्ड 1977 में दिया गया। उस समय साइंटिफिक डेटा नहीं था कि नर्मदा में टोटल पानी कितना है। केवल अंदाज से कितना पानी बरसता है, रेलफॉल इतना है और कैचमैन्ट एरिया के हिसाब से उन्होंने लगभग 18 मिलियन एकड़ फीट का अंदाजा लगा लिया। उसके अनुसार जो जरूरत है और जितना पानी मिलना चाहिए, न्याय के हिसाब से उन्होंने पानी का उतना प्रोपोर्शन फिक्स कर दिया कि इतना राजस्थान को मिलेगा, मध्य प्रदेश को मिलेगा, महाराष्ट्र को मिलेगा या गुजरात को मिलेगा। हम उस पर डिस्प्यूट नहीं करना चाहते, वह ठीक नहीं है, लेकिन जो पिछले चालीस वर्ष से गेजिंग सैन्ट्रल वाटर कमीशन ने की है कि नर्मदा का पानी लगभग 23 मिलियन एकड़ से ज्यादा नहीं है, जो फार्मूला ट्रिब्यूनल ने दिया है कि किस प्रोपोर्शन में पानी मिलेगा, यदि किसी साल में पानी कम होता है तो पानी का हिस्सा उसी प्रोपोर्शन में विभिन्न राज्यों में कम हो जायेगा। उसमें हर एक राज्य को पानी के उपयोग करने के अधिकार का प्रोविजन किया हुआ है। हम जानते हैं कि गुजरात के लोग बहुत देशभक्त हैं। उन्होंने आजादी की लड़ाई में जबरदस्त हिस्सा लिया है। अगर राष्ट्रीय हित में उन्हें लगता है कि 23 मिलियन एकड़ फीट का प्रोपोर्शन जो उसके हिस्से में आता है, उसके लिए जैसा इंजीनियर्स का कहना है, मैने उनसे जानकारी ली है कि सरदार सरोवर डैम की 436 फीट की ऊंचाई गुजरात को अपना हिस्सा लेने के लिए जरूरी है, अगर वह 28 मिलियन एकड़ फीट है, ट्रिब्युनल का एवार्ड मैने पढ़ा है, जो ऊंचाई चार सौ के ऊपर रखी गई है, यह गुजरात के हिस्से का पानी लेने के लिए 436 फीट काफी है, लेकिन ट्रिब्युनल के एवार्ड में लिखा है कि अगर मध्य प्रदेश अपनी पावर नहीं लेना चाहता है और हाइट कम करना चाहता है तो उसकी ऊंचाई 436 फीट हो सकती है। यह बात एवार्ड में है। लेकिन अगर 436 फीट की ऊंचाई 28 मिलियन एकड़ फीट गुजरात के लिए काफी थी तो 23 मिलियन एकड़ फीट पानी जब कम हो गया तो 392 फीट उसकी ऊंचाई करने से उसे पानी मिल सकता है, ऐसा इंजीनियर्स का कहना है। उससे करीब-करीब पूरी की पूरी डूब बच जायेगी, यदि इसकी ऊंचाई घटाकर 393 फीट कर दी जाती है। आप इसे 394 फीट करिये। इसके लिए गुजरात के लोगों को समझाया जाए कि इस पर कोई हल्ला नहीं मचायेगा, क्योंकि उन्हें उनके हिस्से का पूरा पानी मिलता रहेगा। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही साथ मेघा पाटकर तथा तमाम लोग जो डूब के गावों के बारे में आन्दोलन कर रहे हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं रह जायेगी, क्योंकि जब डूब नहीं होगी तो उसकी जरूरत भी नहीं रह जायेगी। इससे बहुत सारी डूब अवॉइड हो सकती है। मैने किसी देश में नहीं सुना...*(व्यवधान)*

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): सभापति महोदय, यह आउट ऑफ सब्जैक्ट बात कर रहे हैं। हमारी आपत्ति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसमें अननैसेसरी ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल: मेरी बात सुनिये।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): यह संबंधित बात क्यों नहीं है...*(व्यवधान)* यह इससे संबंधित है...*(व्यवधान)* वे नर्मदा के बारे में बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)* यह विषय इससे संबंधित है...*(व्यवधान)* अनावश्यक रूप से वे हस्तक्षेप कर रहे हैं...*(व्यवधान)* ने गुजरात के लोगों के पक्ष में बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. वल्लभभाई कथीरिया: सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दे दिया है, इस पर नहीं बोलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको चेयर का आदेश नहीं है, आप बैठ जाइए।

श्री श्यामाचरण शुक्ल: मैं यह कह रहा हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को रेव्यू करने के लिए नए फैक्टर्स अगर आ जाएं तो उसकी गुजाइंश आपको देनी चाहिए। हम नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं सही बात है, इंजीनियर्स की तरफ से लें। किसी सभ्य समाज में, किसी सभ्य देश में ऐसा नहीं होगा कि पानी नहीं है और आप ऊंचा बांध लोगों को डूबा रहे हैं। गुजरात के लिए जितना पानी चाहिए उतनी ऊंचाई आप 392 की फीट रख सकते हैं। गुजरात के लोग हमेशा राष्ट्रहित में बात करना जानते हैं, देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान रहा है। इसलिए गुजरात के लोगों को सही बात बताई जाए तो कभी वहां पर हल्ला नहीं किया जाएगा और नर्मदा में जो पानी डूब रहा है, जो वैली ऑफ सॉरो बन रही है उसे बचाना तभी संभव है सुप्रीम कोर्ट का इसमें कुछ रोल हो। फाइनल ट्रिब्यूनल अवार्ड्ज होते हैं, उनमें भी विशेष परिस्थितियों में रेव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का प्रावधान हमें इसमें करना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से दर्ख्वास्त करूंगा कि इसमें अपनी तरफ से अमेन्डमेंट लाएं और सुप्रीम कोर्ट का ट्रिब्यूनल के अवार्ड में कुछ काम रहे, यह अमेन्डमेंट आप ऐक्ट में कर दीजिए तो हमारे देश में बहुत सारे जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को हल करने की गुंजाइश हो जाएगी और कर्नाटक और तमिलनाडु में 12-15 वर्षों से जो झगड़ा चल रहा है, उनको खत्म करने की गुंजाइश हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरी बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सरकार ने दावा किया है कि इस संशोधन विधेयक को लाने से अंतर्राज्यीय जल विवाद का समाधान हो जाएगा। हम जानते हैं कि दुनिया में दो-तिहाई पानी है और एक तिहाई जमीन है। लेकिन उस पानी में 97 प्रतिशत पानी खारा पानी है और केवल तीन प्रतिशत ही मीठा पानी है। उस तीन प्रतिशत मीठे पानी के लिए दुनिया के इतिहास में जो लड़ाई हुई हैं, उसमें अब तक जितना पानी बह गया, उससे ज्यादा खून बहा है। मतलब यह कि पानी अहम सवाल है जो राज्यों के बीच, समुदायों के बीच और देशों के बीच में लड़ाई का विषय हो जाता है। हमारा पहला सवाल माननीय मंत्री महोदय और सरकार से यह है कि सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने दावा किया है कि अनेक राज्यों के बीच में जो जल-विवाद से संबंधित अनुशंसाएं हैं उनके मुताबिक हम विधेयक लाए हैं और इसका समाधान करेंगे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नदियों का जो विवाद है और उससे जो बरबादी होती है उसके लिए आपने क्या उपाय किया है? जब दो राज्यों के बीच के मामले समझने में और सुलझाने में ये सक्षम नहीं हैं तो दूसरे देश से जो नदियां आ रही हैं और उनसे जो बरबादी हो रही है, उसके राइपेरियन राइट्स का क्या होगा, इसका क्या कानून होगा। नेपाल से नदियां चलती हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल को बरबाद करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदियों से जो बरबादी होती है, जैसे, उदाहरणस्वरूप बागमती में ऊपर गढ़मइया और नुन्थर में एक जगह बैराज बना दिया, उस जगह डैम बना दिया। जब गर्मी के दिनों में पानी की जरूरत होती है, तो वे पानी नीचे ही रोक देते हैं और कहते हैं कि नदी सूख गई। लेकिन बरसात के दिनों में पानी इधर छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारे यहां कई गांव और जमीन नष्ट हो जाती है। जिस समय पानी की जरूरत है उस समय तो वे पानी रोक देते हैं और जब हमारे यहां बरसात के दिनों में पानी आ जाता है तो वे और पानी छोड़ देते हैं, जिसके कारण यहां बाढ़ आती है। इसके बारे में आपका क्या कानून है और भारत ने नेपाल के साथ इस सम्बन्ध में क्या समझौता किया है। ये तमाम नदियां कर्नाली, बागमती, नूंथर, बगाह, कोसी, कमला, बगान, भूतही, दियारा समूह की नदियां हमारे क्षेत्र में तबाही मचा देती है।

सभापति महोदय: अभी तीन बजकर तीस मिनट होने वाले हैं और सदन में प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस शुरू होने वाला है। इस बिल पर केवल दो माननीय सदस्यों को ही बोलना है, अगर सदन की इजाजत हो तो उनको अभी मौका दे दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, यह एक संवेदनशील विधेयक है। वे अगली बार इसको जारी रख सकते हैं और हम अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को ले सकते हैं।

श्री ए.सी. जोस: सभापति महोदय, इससमय अपराह्न 3.30 बज रहा है। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा आरंभ करें। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को अगली बार अपना भाषण जारी रखने दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में तमिलनाडु के माननीय सदस्य भी भाग लेना चाहते हैं। यदि आप प्रत्येक की आवाज को बंद करना और दबाना चाहते हैं तो, वे चर्चा में अपना योगदान नहीं दे पायेंगे। इसलिए, इस विधेयक पर चर्चा सोमवार को जारी रखी जाए और अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा आरंभ कर सकते हैं।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, इस विधेयक के दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने सोमवार को अपना भाषण जारी रखने दीजिए अब, हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सदन जैसा चाहे वैसा ही होगा। रघुवंश प्रसाद जी अपना भाषण जारी रखेंगे। अब हम प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस शुरू करते हैं।

अपराह्न 3.33 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें, चौदहवें और पंद्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री एम.ओ.एच. फारूख (पांडिचेरी): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 23 मार्च, 2001 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है और 19 अप्रैल, 2001 को सभा में प्रस्तुत समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से भी इस संशोदन के अध्यधीन कि संकल्पों के समय के आवंटन से संबंधित उसकी सिफारिशों के पैरा 4 और उप पैरा (ii) का लोप किया जाये से और 25 जुलाई, 2001 को सभा में प्रस्तुत समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से भी सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 23 मार्च, 2001 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है और 19 अप्रैल, 2001 को सभा में प्रस्तुत समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से भी इस संशोधन के अध्यधीन कि संकल्पों के समय के आवंटन से संबंधित उसकी सिफारिशों के पैरा 4 और उप पैरा (ii) का लोप किया जाये से और 25 जुलाई, 2001 को सभा में प्रस्तुत समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से भी सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.35 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(एक) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक*

(धारा 2 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढ़रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं विधेयक पुर-स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.35$^{1}/_{2}$ बजे

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 18क का अंत:स्थापन)

श्री रामदास आठवले (पंढ़रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए भाग 21क आदि का अंत:स्थापन)

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36$^{1}/_{2}$ बजे

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 24क का अंत:स्थापन)

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(पांच) राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक*

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करने हेतु एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश के राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करने हेतु एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37$^{1}/_{2}$ बजे

(छह) राष्ट्रीय उपवन विधेयक*

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय उपवनों की स्थापना और नियंत्रण तथा उनसे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय उपवनों की स्थापना और नियंत्रण तथा उनसे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

(सात) योग्य और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए नि:शुल्क आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी शिक्षा का उपबंध विधेयक*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि योग्य और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए नि:शुल्क आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी शिक्षा प्रदान करने और तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि योग्य और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए नि:शुल्क आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी शिक्षा प्रदान करने और तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

(आठ) कपास उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कपास उत्पादकों की सुरक्षा और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कपास उत्पादकों की सुरक्षा और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 364क आदि का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

[अनुवाद]

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 130 का संशोधन)

डा. ए.डी.के. जयशीलन (तिरूचेंदूर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

डा. ए.डी.के. जयशीलन: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(ग्यारह) मुम्बई उच्च न्यायालय (नासिक में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नासिक में मुम्बई उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नासिक में मुम्बई उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव ढिकले: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.41$^{1}/_{2}$ बजे

(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक* (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

डा. ए.डी.के. जयशीलन (तिरूचेंदूर): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. ए.डी.के. जयशीलन: महोदय मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.42 बजे

(तेरह) राष्ट्रीय कृषि आयोग विधेयक*

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि आयोग के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि आयोग के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव ढिकले: महोदय मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42$^{1}/_{2}$ बजे

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक* (नए अनुच्छेद 21क, आदि का अंत:स्थापन)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.43 बजे

(पन्द्रह) राजनीतिक दल (सहायता तथा विनियमन) विधेयक*

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजनीतिक दलों और उनके अभ्यर्थियों का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने तथा ठोस लोकतांत्रिक राज्य-व्यवस्था का संपरिवर्तन

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें सहायता प्रदान करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राजनीतिक दलों और उनके अभ्यर्थियों का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने तथा ठोस लोकतांत्रिक राज्य-व्यवस्था का संपरिवर्तन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें सहायता प्रदान करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव ढिकले: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.43$^{1}/_{2}$ बजे

(सोलह) राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक*

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन और उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन और उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तमराव ढिकले: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.44 बजे

(सत्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक* (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ

अपराह्न 3.45 बजे

(अठारह) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 75, आदि का संशोधन)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदया मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.45$^{1}/_{2}$ बजे

(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक* (पहली अनसूची का संशोधन)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.46 बजे

(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 80 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.46$^{1}/_{2}$ बजे

(इक्कीस) वरिष्ठ नागरिक (कल्याण) विधेयक*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन का संदाय करने तथा उनके लिए अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन का संदाय करने तथा उनके लिए अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.47 बजे

(बाईस) फल तथा सब्जी बोर्ड विधेयक*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि फलों और सब्जियों तथा उनके उत्पादों का विकास, भण्डारण और बिक्री का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि फलों और सब्जियों तथा उनके उत्पादों का विकास, भण्डारण और बिक्री का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.48 बजे

(तेईस) धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धर्म-संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि धर्म संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): माननीय सभापति महोदय, कृपया देखिए विधेयक है क्या? यह धर्म-संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए है। यह संविधान के विरुद्ध है, जो ये करना चाहते हैं। यह संविधान में स्पष्ट उपबंधों के विरुद्ध है।

सभापति महोदय: आपको नोटिस देना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यदि कहीं कोई बल प्रयोग हो रहा है तो उससे मौजूदा कानून निपट लेगा।

यह सब आप कानून के द्वारा नहीं कर सकते। वे जनता तक जा सकते हैं।

सभापति महोदय: विधेयक पुर:स्थापित करने से पहले आपको नोटिस देना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह आपत्ति उठाई जा सकती है। मैं इस मुद्दे को *....(व्यवधान)*

सभापति महोदय: विरोध करने से पहले आपको नोटिस देना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इस आपत्ति पर गौर किया जाना चाहिए *....(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): यह संवैधानिक आधार पर है। अनुच्छेद 25 धर्म-प्रचार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है *....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: एक साथ इतने लोग बोलेंगे तो कैसे चलेगा।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: यह नहीं किया जाना चाहिए था। *....(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): इन्हें, सूचित करना चाहिए था *....(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: क्या यह सरकार की संविधान को अनदेखा करने की इच्छा का सूचक है?

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति जी, संविधान में सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो कर सकता है। इस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। *....(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति जी, कोई जबर्दस्ती इसमें नहीं होनी चाहिए और होती है तो उसके लिए पहले से ही कानून है।

सभापति महोदय: आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *....(व्यवधान)* यह विधेयक *....(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है *....(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: यह संसद भारत के संविधान के अधीन है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अभी यह इंट्रोडक्शन स्टेज पर है। जब इस पर चर्चा हो, तब आप लोग अपनी बात रखियेगा।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: पहले भी कई अवसरों पर विधेयक पुर:स्थापित करते समय नोटिस लिये गये और आपने स्वीकार भी किए।

श्री जी.एम. बनातवाला: व्यवस्था के प्रश्न के लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होती *....(व्यवधान)* विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बनातवाला जी, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): क्या आपने विधेयक पढ़ा है?

श्री पवन कुमार बंसल: जी नहीं, मैं यह जरूर कहूँगा कि ....*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: विधेयक संविधान के विरुद्ध है ....*(व्यवधान)* इस संसद को संविधान के अंतर्गत ही कार्य करना होगा ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पवन कुमार बंसल, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इनका व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, हम संविधान के खिलाफ कुछ नहीं ला रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: गीते जी, आप बैठ जाइये।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री जी.एम. बनातवाला: यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसके लिए किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होती। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि संविधान की धारा 25 के अंतर्गत जनता को विवेक और धर्म की पूरी स्वतंत्रता है। यहां, यदि इस पर कोई रोक है तो यह भारत के संविधान के उपबंधों के विपरीत है। ऐसे में विधेयक नहीं आ सकता। अब यदि आप धोखे से धर्म-संपरिवर्तन की बात करते हैं तो इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय दण्ड संहिता पर्याप्त है। इस तरह, यह विधेयक पूरी तरह से बेकार है। आप इसकी स्वीकृति न दें और विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव की अनुमति न दें। इसलिए, इस पर आपत्ति प्रकट करने के लिए हम आपका विनिर्णय चाहते हैं और हम इस तरह का विनिर्णय चाहते हैं जिसके अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकृति न दी जा सके।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): महोदय, क्या मैं एक निवेदन करूँ?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (रायगंज): महोदय, आप सही हैं। पुर:स्थापित करते समय यदि कोई सदस्य विरोध करना चाहता है तो उसे नोटिस देना चाहिए। किंतु श्री बनातवाला ने कहा कि यदि हम किसी विशेष उपबंध पर कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाएं कि व्यवस्था किस प्रकार भंग की जा रही है, तो आपको सुनना चाहिए। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने यह बात ध्यान से सुनी।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: कृपया विधेयक पढ़िए। खड़े मत होइए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल यह उद्धृत कर रहा हूँ। मैंने अनुच्छेद 25 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

[हिन्दी]

हमने इजजात ले ली है और हमने बिल भी पढ़ा है। हमें बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: महोदय क्या आप अब विधेयक के गुण-दोषों पर चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं? ....*(व्यवधान)* तो, हम पुर:स्थापित होने वाले सभी विधेयकों के गुण-दोषों की चर्चा करेंगे।

सभापति महोदय: यह विधेयक का पुर:स्थापन प्रक्रम है और इस समय इसके गुण-दोषों पर कोई चर्चा नहीं होती।

....*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): श्री जी.एम. बनातवाला और श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप इनकी बात सुनिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: संविधान में मौलिक अधिकारों, जैसा कि अनुच्छेद 25 में स्पष्ट दिया गया है, की गारंटी दी गई है *....(व्यवधान)* धर्म की स्वतंत्रता यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता है कि मैं कौन सा धर्म अपनाऊँ या कौन से धर्म का त्याग करूँ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बिल में आर्टिकल 25 को देख लीजिए।

....(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने बिल को पढ़ा है।

[अनुवाद]

माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। जहां तक विधेयकों का संबंध है, ये मुझसे अधिक सक्षम हैं। संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से किसी को भी यदि तोड़ा-मरोड़ा जाता है या उसका उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कानून की शरण ली जाती है। इसीलिए उच्च न्यायालय में 'रिट बेंच' है। यदि संविधान में समाहित कानूनी उपबंधों को चुनौती मिलती है तो विधायिका किसलिए है?

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: इसमें क्या गलत है? *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, हम आपसे विनिर्णय चाहते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला और श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। नियम 94 के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि विधेयक पुर:स्थापित करते समय कोई भी सदस्य आपत्ति उठा सकता है *....(व्यवधान)* अब उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। यदि आप लोक सभा में कार्यवाही संचालन और प्रक्रिया नियम देखें तो आप पाएंगे कि इसमें साफ-साफ लिखा है कि संविधान के अनुच्छेदों के उपबंधों के विरुद्ध कोई भी विधि अधिनियमित नहीं होंगी।

श्री अनंत गंगाराम गीते: इसमें नहीं है।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, जो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसके लिए कोई बाधा नही है। *....(व्यवधान)* इसमें क्या बाधा है? *....(व्यवधान)* जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अनुच्छेद 25 के अनुसार:

"लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।"

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: इसमें कोई बाधा नहीं है। यह संविधान के खिलाफ नहीं है। जो मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। *....(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: इस बिल का उद्देश्य यह है कि यदि कोई दबाव में धर्म परिवर्तन करता है तो पाबंदी लगानी चाहिए। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह स्पष्टत: कहा गया है, 'सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन'। इसलिए इसके लिए हमें दूसरा विधेयक क्यों लाना चाहिए? *....(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, इस विधेयक का खंड 2 निश्चित प्रतिबंध लगता है जो असंवैधानिक है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात कहना चाहते हैं। आप उनकी बात सुनें।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: महोदय, हम एक विनिर्णय चाहते हैं। केवल तभी कार्यवाही चल सकती है। ....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: उन्हें मेरी बात भी सुननी है। उन्होंने श्री जी.एम. वनातवाला जी की बातें सुनी हैं। उन्हें प्रत्येक व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ। मुझे भी इस विषय पर बोलना है।

अपराह्न 4.00 बजे

मुझे भी बोलना है ....*(व्यवधान)* इसलिए सम्पूर्ण प्रश्न यह है: क्या यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन कर रहा है अथवा नहीं। उन्हें अधिकार है, आपको अधिकार है तथा मुझे भी अधिकार है। ....*(व्यवधान)*

महोदय, स्वभावत: जब कभी आप वाद-विवाद करते हैं, तो आपको विधेयक की विषयवस्तु का अध्ययन करना होगा कि क्या यह किसी उपबंध का उल्लंघन कर रहा है अथवा नहीं। मैं इस सभा का ध्यान विधेयक के खंड 3 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। विधेयक के उप-खंड 3 में, जिसको माननीय सदस्य पुर:स्थापित कर रहे हैं। यह प्रावधान है कि यह अधिनियम उन लोगों पर लागू नहीं होता जो स्वेच्छया धर्मपरिवर्तन करते है अथवा अपने मूलधर्म में पुन: वापस आते हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: समस्या यह नहीं है। ....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: कृपया मुझे मेरी समस्या पर बोलने दीजिए। हम इस पर चर्चा करेंगे। तब आप खड़ा होकर प्रश्न कर सकते हैं। ....*(व्यवधान)* कोई नया अधिनियम संविधान को लागू नहीं करेगा। संविधान पहले से है। यह सर्वोच्च है। सभी कानून जो असंवैधानिक है वैध नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं उस बिन्दु पर कुछ नहीं कह रहा हूँ।

दूसरा बिन्दु यह है: वे स्वयं इस स्थिति पर जोर देकर कह रहे हैं कि यदि कोई स्वेच्छा से धर्मपरिवर्तन करना चाहता है, तो इसकी पूर्णरूपेण अनुमति है। यह विधेयक यह कहने का प्रयास कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था किसी भी रूप में उत्प्रेरणा से और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा अथवा प्रोत्साहन का कारण नहीं होगा। ....*(व्यवधान)* मेरी गलती हो सकती है परंतु मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। इस प्रकार वह धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं। यह पहले से ही प्रदत्त है। परंतु वे इस बात पर जोर देने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी धर्मपरिवर्तन जो बल अथवा उत्प्रेरणा से किया जाता है, पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। मान लीजिए कि कल मैं अपना धर्म परिवर्तित करना चाहूँ तो संविधान मुझे अधिकार देता है और मैं यह धर्मपरिवर्तन कर सकता हूँ। परंतु यदि कोई धन देने का प्रयास कर रहा है, कोई बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन का प्रयास कर रहा है, तो इसका विरोध किया जाता है।

महोदय, पिछले 50 वर्षों में ऐसे कई विधेयकों पर लोक सभा में कई बार चर्चा की गई है। यह पहला विधेयक नहीं है, जो यहां प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं, सदस्यों को यह एक अधिकार है तथा उसे विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सभा को यह निर्णय लेने दिया जाय कि इस पर चर्चा कब की जाएगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की चिन्ताओं से पूर्णत: सहमत हूँ। कृपया प्रथम पंक्ति पढ़ें-उत्प्रेरणा और बल। इसका अर्थ क्या है? यह सार्वजनिक शांति और नैतिकता के अधीन है। यह पहले से ही संविधान में लिखा हुआ है। ....*(व्यवधान)* यह पहले ही लिखा हुआ है, 'सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन'। ....*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): कृपया नियम 72 देखिए। जब इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया जाता है, तो यह प्रक्रिया से संबंधित होता। तत्पश्चात् नियम 72(1) में प्रावधान है तथा मैं उद्धृत करता हूँ:

> "यदि किसी विधेयक का पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये, तो अध्यक्ष यदि वह ठीक समझे तो प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य तथा प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य के द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा।"

महोदय, दूसरे पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है:

> "परन्तु जब प्रस्ताव का विरोध इस आधार पर किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी से परे हैं, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

महोदय, अब आपको यह निर्णय करना होगा कि यह सदन की विधायी शक्ति के बाहर है अथवा नहीं। मैं समझता हूँ कि यह सदन की विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं है। हम इस अवस्था में इस विधेयक के गुणावगुणों की बात नहीं कर सकते हैं। ....*(व्यवधान)* महोदय, आप इन चर्चाओं की अनुमति क्यों देते हैं? नियम बहुत ही स्पष्ट हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह सदन की विधायी शक्ति के बाहर है। ....*(व्यवधान)* यह नियम संविधान के विरुद्ध है। ....*(व्यवधान)* इस विधेयक का प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, संविधान स्पष्ट है। यदि कोई व्यक्ति मुझे उत्प्रेरित है तो यह नैतिकता का ध्यान आकृष्ट करता है। यदि कोई धर्मपरिवर्तन के लिए कुछ लिखकर अव्यवस्था उत्पन्न करता है ....*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मैंने नियम उद्धृत कर दिया है। मुझे आपका विनिर्णय चाहिए। आप मुझे अपना विनिर्णय दे। ....*(व्यवधान)* यह नियम सुस्पष्ट है। ऐसा यहाँ उल्लिखित है।

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति महोदय जी, अनुरोध है कि इस विधेयक में कुछ प्रतिबंध अंतर्विष्ट है तथा यह कुछ शर्त लगाता है जो निश्चित रूप से हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। माननीय मंत्री जी ने एक वाक्य पढ़ा। वह ठीक है। परंतु आप दूसरे तथ्य की ओर भी देखे। मैं इसके गुणों की ओर जाना नहीं चाहता। ....*(व्यवधान)* उदाहरणार्थ, मैं कुछ धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ; मैं उन लोगों को, ऐसे वातावरण को पाता हूँ, जो मेरी विचारधारा के काफी अनुकूल है। साथ ही वे मुझसे रुकने के लिए कहते हैं। तो क्या यह प्रलोभन है? इस विधेयक के अनुसार यह प्रलोभन होगा तथा व्यक्ति और संगठन के प्रभारी दोनों को जेल भी भेज दिया जाएगा। ....*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: ऐसा नहीं हो सकता है कि यह सभा इस मामले के गुणों में नहीं जाए। आप यह नहीं कह सकते कि यह सदन की विधायी शक्ति के बाहर है। सब कुछ सदन की विधायी शक्ति के अंतर्गत है।

श्री पवन कुमार बंसल: यदि यह संविधान के विरुद्ध है, तो इसे नहीं लिया जा सकता है। ....*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: यहाँ सभी बातों पर चर्चा की जा सकती है। इसीलिए हम लोग यहाँ है। यदि यह संविधान संशोधन का मामला हो भी इस चर्चा करने का अधिकार इस सदन का है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम कुछ मदों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं? हम किसी भी मद पर चर्चा कर सकते हैं। इस संबंध में यह नियम सुस्पष्ट है। ....*(व्यवधान)* महोदय, आप ऐसे कई मामलों में पूर्व अध्यक्षों द्वारा दिए गए विनिर्णयों को देख सकते हैं। ऐसे सैकड़ों मामले हैं।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, आप अपना विनिर्णय सुरक्षित रखें और तत्पश्चात् हम इसे पुर:स्थापित कर सकते हैं। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब हम रूलिंग देते हैं।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपको तर्क देना है, तो जल्दी कीजिए ताकि उसके बाद हम रूलिंग दे सकें।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू: महोदय, कुछ निश्चित कानून है जो धमकी, प्रलोभन अथवा वायदा अथवा बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को निषिद्ध करते हैं। कुछ संगठन है अथवा ऐसा वातावरण है जिसका सृजन वर्तमान कानून के अंतर्गत आने वाले निश्चित संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान विधेयक माननीय सदस्य श्री गीते जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है ताकि उन परिस्थितियों को सम्मिलित किया जा सके जिनके कारण धमकी, वायदा अथवा प्रलोभन दिया जाता है। यही कारण है। आप अभिप्रायों और कारणों के विवरण को देख सकते हैं। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल जो प्राइवेट मैम्बर्स बिल की उप-समिति बनी हुई है, उसके द्वारा पारित और स्वीकृत होकर पहले ही से सदन की सम्पत्ति बनकर सदन में आया है।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: समिति ने जाँच की है अथवा नहीं। यह विधेयक के पुर:स्थापन का आधार नहीं है। यह सदन की संपत्ति है। हम विनिर्णय चाहते हैं क्या इस सदन में प्रस्ताव करना उचित है क्या इस सदन और इसके प्रकार्यों को शासित करने वाले संविधान के अंतर्गत उचित है अथवा नहीं अथवा क्या यह संविधान के लिए अनावश्यक है तथा क्या यह संविधान के विरुद्ध है अथवा नहीं ....*(व्यवधान)* क्या आप यह कहते हैं कि यह अनावश्यक है?

श्री प्रमोद महाजन: मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। महोदय, इसके विपरीत, यह संविधान का समर्थन करता है तथा अधिकाधिक स्पष्ट बनाता है। ....*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: महोदय, यह केवल दुर्भावना उत्पन्न करता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह सदन की सम्पत्ति है, लेकिन इस बात का इससे कोई मतलब नहीं है।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं विनिर्णय दे रहा हूँ।

पहले तो, पुर:स्थापन का विरोध करने वाला नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। अब मैं विनिर्णय दे रहा हूँ।

मुझे सदन को जानकारी देनी है कि अध्यक्षपीठ यह निर्णय नहीं करता है कि विधेयक संवैधानिक दृष्टि से विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है अथवा नहीं। सदन विधेयक के शक्तिमतता के विशिष्ट प्रश्न पर भी निर्णय नहीं करता है। अध्यक्षपीठ यह भी निर्णय नहीं करता है कि विधेयक संविधान के अधिकारातीत है अथवा नहीं। इन परिस्थितियों में मैं यह प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि धर्म संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

....*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.10 बजे

(चौबीस) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 103, आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.10 $^{1}/_{2}$ बजे

(पच्चीस) संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक*
(अनुसूची का संशोधन)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.11 बजे

(छब्बीस) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*
(अनुसूची का संशोधन)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 4.11$^{1}/_{2}$ बजे

(सत्ताईस) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 115 और 205 का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.12 बजे

(अट्ठाईस) पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) विधेयक*
(अनुसूची का संशोधन)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) विधेयक, 1994 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.13 बजे

(उनतीस) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक*
(धारा 2 का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.14 बजे

(तीस) किशोर न्याय (संशोधन) विधेयक*
(धारा 53 का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.15 बजे

(इकतीस) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक*
(नयी धारा 2क का अंत:स्थापन)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.16 बजे

(बत्तीस) संविधान (संशोधन) विधेयक—*वापस लिया गया*
(नये अनुच्छेद 75क, आदि का अंत:स्थापन)

सभापति महोदय: पिछली बार जब श्री पी.आर. किन्डिया बोल रहे थे तो उन्होंने केवल 2 मिनट लिए थे। चूंकि वह यहां उपस्थित नहीं है इसलिए मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी को बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं श्री अनंत गंगाराम गीते द्वारा पुर:स्थापित विधेयक और उसमें उनके द्वारा व्यक्त विचार का समर्थन करता हूं।

महोदय, राष्ट्र के भविष्य तथा संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के कार्यकरण पर विचार करते हुए हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान स्वतंत्र तथा स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जो बिना किसी पक्षपात के हैं। इसलिए संसद के बनने के समय से ही गैर-सरकारी सदस्यों का समय आपसी समझ को बढ़ाने के लिए दिया गया। यहां जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं वह इस विधेयक से संबंधित मंत्रालय सहित संबद्ध मंत्रालयों की वस्तुपरक समझ को भी बढ़ाते हैं।

महोदय, यह सच है कि हमारा लोकतंत्र विश्व में अत्यधिक सुदृढ़ और समृद्ध लोकतंत्र है। यह भी सच है कि सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र के कार्यकरण की संवैधानिक गारंटी शीर्ष पर अर्थात् संसद पर है। संसद के दो सदन-लोक सभा और राज्य सभा हमारे लोकतंत्र के हृदय जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, के दो अति महत्वपूर्ण अंग हैं।

महोदय, अनेक अवसरों पर राज्य सभा के चुनावों में जो कुछ हुआ, उसका अनुभव करने के बाद संभवत: श्री गीते ने प्रक्रिया को साफ-सुथरी बनाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने तथा राजनैतिक दलों द्वारा अपने विचारों से जनता तथा संसद के प्रति सैद्धांतिक वचनबद्धता बनाए रखने की दृष्टि से यह विधान प्रस्तुत किया है। मुझे इस विधेयक के पाठ का गहराई से अध्ययन करने का अवसर मिला और मैं श्री गीते को इस उपयुक्त समय पर धन्यवाद देता हूं।

महोदय, कुछ मिनट पहले मैं अनौपचारिक रूप से मंत्री महोदय से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा, 'वह समय कब आएगा जब राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए, पक्षपातपूर्ण रवैया त्यागकर सारी पार्टियां एक होंगी? हम सब इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहमति के लिए कब एकजुट होंगे कि संसद या यह संस्थान प्रणाली की खामियों के माध्यम से राजनीति के अपराधीकरण में न तो लिप्त हो और न ही उसको बढ़ावा दे, जैसाकि इस बात को मीडिया द्वारा, आम आदमी द्वारा या किसी भी समुदाय या भाषाई ग्रुप के अधिकांश संख्या मतदाताओं द्वारा उठाया जाता रहा है? राजनीति का अपराधीकरण का अर्थ महज किसी व्यक्ति की हत्या करना या किसी महिला पर हमला करना ही नहीं है, परंतु यह लोकतंत्र के सिद्धांत का अर्थात् सार्वजैनिक जीवन में शुचिता का मामला है। हम संसद में लोगों के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। हम उनकी सभी अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी क्षमताएं सीमित हैं, परंतु यदि हम उनके प्रति जवाबदेह और ईमानदार बने रहते हैं तो हम कम से कम सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी कायम रख सकते हैं। इससे लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सकता है।

महोदय, जब मैं अपने स्कूल और कॉलेज जीवन में छात्र था तो मैं अपने माता-पिता से यह पूछा करता था कि राज्य सभा क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि राज्य सभा विवेक की सभा है; यह ज्ञान की सभा है और यह उन विशेषज्ञों की सभा हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त ताकत दी है। हमारे देश के प्रमुख राजनेता राज्य सभा से ही आए हैं। मैं उनके नाम

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 2, दिनांक 27.7.2001 में प्रकाशित।

नहीं लेना चाहता। उनकी संख्या बहुत हो जाएगी। वे कांग्रेस पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी इत्यादि के सदस्य थे। वे हमारे लोकतंत्र के विशेषज्ञ थे, कानून जगत के विद्वान व्यक्ति थे, औद्योगिक घरानों के व्यावसायिक लोगों ने कई बार राज्य सभा की शोभा बढ़ाई है और हमारे लोकतंत्र को पर्याप्त शक्ति प्रदान की है। ऐसा कई बार हुआ है कि जब लोक सभा में किसी विषय पर कोई चर्चा समाप्त हो गई और जब उसे राज्य सभा में भेजा गया तो उसमें नई दृष्टि, नई व्याख्या उभर कर आई। इसके लिए मुझे लगता है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के मामले में शायद इसलिए यह सोचा होगा कि, राज्य सभा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है क्योंकि यह विद्वानों की सभा है, ज्ञान की सभा है और यह व्यावसायिकों और विशेषज्ञों की सभा है। वे कौन हैं? वे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमारी जीवन धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे लोक सभा सदस्यों की भांति निचले स्तर पर अथक कार्य न करते हों, परंतु उनमें लोगों के प्रतिनिधित्व करने की इच्छा होती है। उदाहरण के लिए, डा. राजा रमन्ना इस देश के महान वैज्ञानिक थे और वे भी राज्य सभा के सदस्य रहे हैं। यह केवल राज्य सभा के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि ऐसे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ राज्य सभा में आए।

महोदय, मैं किसी का यहां व्यक्तिगत परिचय नहीं देना चाहता। परंतु राज्य सभा में चुनाव की प्रक्रिया-जैसा कि श्री गीते ने कहा है इस बात को दर्शाती है कि आज हमारी संसदीय प्रणाली में क्या हो रहा है। राज्य सभा सदस्यों का हम चुनाव करते हैं? यही प्रश्न है। सभा में सदस्यों की संख्या अथवा राजनैतिक दलों की संख्या कोटा निर्धारित करती है। यदि पार्टी के अंदर इस पर कुछ विवाद होता है या कुछ विरोध होता है तो पार्टी द्वारा प्रत्याशी के चयन के बावजूद, सभी प्रकार की खरीद-फरोख्त और धन की शक्ति सामने आती है। हमारे देश के एक सबसे बड़े राज्य में हाल ही में हुए राज्य सभा चुनाव में यह पहलू खुल कर सामने आया। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी प्रत्याशी परन्तु ऐसे पार्टी प्रत्याशी का नहीं जिसकी पार्टी की सभा में संख्या सामान्य है और जिसके पास सभा से बाहर धन बल है के भाग्य का निर्णय करने में पैसे की शक्ति कितने अनुचित तरीके से अपनी भूमिका निभाती है, जिसका सभा में आमतौर पर संख्या। इससे लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। इससे राज्य सभा की परंपरा टूटती है और राष्ट्र के प्रति वचनबद्धता खत्म होती है। हम चुप रहते हैं क्योंकि हम महसूस करते हैं कि जो व्यक्ति जीतता है वह अपने मत प्राप्त करने में सफल हुआ है। मैंने 'मत पाने में सफल हुआ है' शब्द का इस्तेमाल किया है जिसका अर्थ है जिसके पास धन की शक्ति है वह राज्य सभा में चुन लिया जाता है। यह सभी मामले में नहीं होता परंतु कुछ ही मामले में ऐसा होता है और यह बात देश के एक बड़े राज्य में हुए हाल ही के राज्य सभा चुनाव में खुल कर सामने आई है। इस घटना ने हमारी आँखे खोल दी हैं और इसलिए हम यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या इस पर अंकुश लगाया जाए या नहीं। इसलिए, श्री गीते द्वारा प्रस्तावित पहला प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि दस पार्टियों को अपने कोटे से और अपने बहुमत से नौ सीटें मिलती है तो उस पार्टी को उम्मीदवार का चयन और मनोनयन करना चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के नाम पर विवाद होता है या विवाद का मिला जुला रूप सामने आता हो-इसमें कोई भी पार्टी अपना प्रभुत्व जमा लेती है-तो इसका निर्णय पैसे की शक्ति से नहीं होना चाहिए। ऐसे मामले में निर्वाचन अधिकारी, जिसे सचेतक कहा जाता है, द्वारा दिए गए स्पष्ट दिशा-निर्देशों पर चुनाव हो और यह कार्य पारदर्शिता से हो।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, ये आज वाले बिल पर चर्चा कर रहे हैं या राज्य सभा वाले बिल पर जो गीते जी का दूसरा बिल है, उस पर चर्चा कर रहे हैं? आज तो जो बार-बार सरकारें गिरती हैं, ऐसी स्थिति के अंदर हाउस को पांच साल तक रहना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर भी वही रहना चाहिए *...(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): वह तो कंक्लूड हो गया है। यह वह

[अनुवाद]

यह विधेयक लंबित था। श्री दासमुंशी, आप बिल्कुल अलग विषय पर बोल रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: परंतु कार्यसूची में इसका कोई जिक्र नहीं है। कार्य-सूची में यह बताया गया है कि हमें इस विधेयक पर चर्चा करनी है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अभी तक तो वह कंक्लूड नहीं हुआ है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यसूची में बताया गया है कि श्री अनन्त गंगाराम गीते द्वारा 24 नवम्बर, 2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार अर्थात्:-

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाये।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, तब मैं इसमें भाग नहीं ले रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, श्री अनंत गंगाराम गीते जी द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक, 1999 का मैं समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से इस सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस गैर-सरकारी विधेयक के ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस विधेयक में भावना व्यक्त की गई है कि पिछले वर्षों में, 1989 से 2001 तक, ग्यारह-बारह वर्षों में लगभग आठ-नौ बार सरकारें बनी हैं और गिरी हैं। देश के अन्दर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की स्थिति बन गई है। आप सब जानते हैं, देश के अन्दर छोटी-छोटी राजनीतिक पार्टियां कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो रही हैं। इन राजनीतिक पार्टियों का बाहुल्य हो गया है। गंगा गई, तो गंगादास और जमुना गई, तो जमुनादास। आज किधर, कल किधर और परसों किधर। ऐसी स्थिति के अन्दर देश में एक ऐसा वातावरण हो गया है *...(व्यवधान)* साझा पार्टियों की सरकारें भी बनने और टूटने लगी हैं। इस राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में देश एक प्रकार से कमजोर होता चला जा रहा है। बार-बार चुनाव के कारण राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार एक प्रकार से कमजोर होती चली जा रही हैं। जनता अपने नुमाइन्दों को पांच साल के लिए चुनकर भेजती है। नुमाइन्दे लोक सभा में या विधान सभाओं में जाकर बहुमत के आधार पर अपने नेता को चुनते हैं। वह नेता राज्य में मुख्य मंत्री और लोक सभा में प्रधान मंत्री बनता है। वह प्रधान मंत्री बराबर, चूंकि दलबदल के कारण अथवा एक पार्टी को बहुमत नहीं होने के कारण या अनेक पार्टियों का संगम होने के कारण, रात-दिन इस चिन्ता में रहता है कि वह अपना बहुमत सदन में किस प्रकार से बनाए रखे। रात-दिन इसी चिन्ता में रहता है कि मेरी कुर्सी किस प्रकार सलामत रहे। बार-बार के चुनावों से भी करोड़ों-अरबों रुपयों का देश का नुकसान होता है। देश की गाढ़ी कमाई चुनाव कराने में चली जाती है। जनता भी बार-बार चुनावों से परेशान हो जाती है।

जैसा मैंने कहा, पिछले 10-12 वर्षों के अन्दर आठ बार सरकारें बदलीं। अभी दासमुंशी जी राज्य सभा की तारीफ और बड़े पुल बांध रहे थे, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर कांग्रेस ने अस्थिरता पैदा करने का दुस्साहसपूर्ण प्रयत्न किया। 1989-90 श्री वी.पी. सिंह की सरकार बनी थी। तब से लेकर आज तक सरकारें कैसे गिरीं, इसका पता लगाया जाए, तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि कांग्रेस की सरकार *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कांग्रेस की सरकार कभी नहीं गिरी। आप लोगों की सरकार बनती है और टूटती है। *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: सुन लीजिए। 1991 में चन्द्रशेखर जी की सरकार को बाहर से सपोर्ट किया *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सरकारें आप बनाते हैं, गिराते हैं। हमारी सरकार कभी नहीं गिरी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बीच में टोका-टाकी न करे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उन्होंने कांग्रेस को एक्यूज किया है, इसलिए कह रहा हूं। *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: महोदय, 1991 में कांग्रेस ने चन्द्रशेखर जी की सरकार को बाहर से सपोर्ट किया। बाद में राजीव गांधीजी ने बहाना बनाकर कि हरियाणा की पुलिस सीआईडी कर रही थी, गुप्तचरी कर रही थी, समर्थन वापिस ले लिया। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, चन्द्रशेखर जी की सरकार को किसने गिराया? इसके लिए आप दोषी हैं, क्योंकि चन्द्रशेखर जी को आप सपोर्ट कर रहे थे *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मणिपुर की सरकार को किसने गिराया *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: इसी प्रकार नरसिंह राव जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था। नरसिंह राव जी जोड़-तोड़कर कांग्रेस के प्रधान मंत्री रहे। जोड़-तोड़कर, दल-बदलवा कर, यहां पर किस प्रकार से अपना बहुमत सिद्ध किया, यह आप सभी जानते हैं। आज बूटा सिंह जी या उनके साथियों तथा अन्य लोगों को सरकार बनाने के अन्दर न्यायालय ने दोषी सिद्ध किया है। देश के किसी प्रधान मंत्री को नरसिंह राव जी की तरह से कटघरे में खड़ा नहीं किया गया, जिस प्रकार नरसिंह राव जी ने दल-बदलवा कर अपनी सरकार को कायम रखा। नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कहा जा रहा है हम तो नहीं गिराते हैं, अपने कर्म से गिरते हैं। इस पर हमें आत्म-निरीक्षण करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के नेतृत्व ने देश के अन्दर अस्थिरता पैदा करने का दुस्साहस किया है। देश को चुनाव की भट्ठी में ढकेलने का काम किया है।

फिर पांच साल के बाद देवेगौड़ा जी की सरकार बनी, उसके बाद गुजराल जी की सरकार बनी। इन दोनों सरकारों को भी बाहर से सपोर्ट करने वाली पार्टी कौन सी थी। *...(व्यवधान)* इन सरकारों को बनाने वाली और गिराने का षडयंत्र रचने वाली भी कांग्रेस थी। *...(व्यवधान)* ''सांच को आंच क्या'' ''झूठ के पांव नहीं होते।''

महोदय, माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और वह सरकार काम करने लगी तो उसके बाद जयललिता जी

और जिन के साथ आज कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार बना कर बैठी है वह एनडीए से अलग हुई तथा उसके बाद वह सरकार अल्पमत में रह गई। यहां हाउस में वोटिंग हुआ तो एक वोट से वह सरकार गिर गई। उस समय सरकार बनाने के लिए कौन लालायित थे? सोनिया जी प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रही थी। 245 से आगे आंकड़ा नहीं बढ़ा। हिन्दुस्तान में जो भी सरकार हुकूमत करना चाहती है उसे 272 की संख्या चाहिए। यहां आपस में तालमेल नहीं बैठा। एक ने कहा कि मेरी पार्टी का प्रधान मंत्री होगा और दूसरे ने कहा कि मेरी पार्टी का प्रधान मंत्री होगा। देश की जनता को फिर चुनावों की भट्टी में धकेल दिया और देश के अरबों रुपए जो विकास के काम में खर्च होने चाहिए थे, प्रगति के पथ में ले जाने के लिए खर्च होने चाहिए थे, केवल प्रधान मंत्री के पद को लाने के लिए और चुनी हुई सरकार को बिना जन समर्थन के गिराने और जोड़-तोड़ की राजनीति करके बर्बाद कर दिए गए तथा ऐसा दुस्साहसपूर्ण कृत्य करने का दोष किया। इस कारण आज देश में अस्थिरता पैदा हुई। इसलिए गीते जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। इसमें जो चुने हुए लोग हैं, चाहे लोक सभा के लिए हों या विधान सभा के लिए हों, वे पांच साल के लिए चुन कर आते हैं। पांच साल तक उनका अस्तित्व रहना चाहिए और जो प्रधान मंत्री बनता है, वह मान लिया, उनका बहुमत यदि सदन में है तो अविश्वास प्रस्ताव कोई पार्टी लाती है तो पहले उसे ऐसे नेता को चुनना होगा जिस का बहुमत हो। बिना नेता के चुने, बिना परीक्षा लिए कि वास्तव में वह सरकार बनाने लायक है या नहीं, पहले जो सरकार है उसे बहुमत नहीं है तो चार महीने के लिए इसमें प्रावधान है कि लोक सभा या विधान सभा को निलम्बित कर दिया जाए, फिर चार महीने बाद वापस लोक सभा को महामहिम राष्ट्रपति जी बुलाएं और विधान सभा को राज्यपाल महोदय बुलाएं तथा फिर वही प्रस्ताव रखें कि चुनी हुई जनता के लोग अपने में से किसी नेता को चुन सकते हैं या नहीं? यदि वे चुनने की स्थिति में हैं और जिस नेता को बहुमत प्राप्त है तो वह प्रधान मंत्री बन कर लोक सभा का कार्यकाल पूरा करेगा और सरकार को चलाने का काम भी करेगा, यह व्यवस्था है।

अभी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में कहा जा रहा था उनसे मैं कहना चाहूंगा कि क्या आपको यह याद रहा, लेकिन अपराधियों का राजनीतिकरण यह भी कह दें कि आज कौन से लोग किन का साथ दे रहे हैं? यह हाउस भली प्रकार जानता है। जहां राजनीति का अपराधीकरण रोका जाना चाहिए वहां अपराधों का राजनीतिकरण रोके जाने की आवश्यकता है। ऐसे ही जहां धन, बल या बाहुबल हो और चुनावों में नाना प्रकार की बीमारियां आ गई है तथा जनता बार-बार परेशान हो रही है अगर लोक सभा के सदस्यों के अंत:करण से पूछा जाए कि क्या उनके ऊपर हमेशा डेमोक्लीस् की तलवार जैसे राजा के ऊपर लटकती रहती है, उसे हमेशा चिन्ता रहती है ऐसा न हो कि लोक सभा भंग हो, बहुमत समाप्त हो जाए और हमें वापस चुनाव के लिए जाना पड़े। जनता भी बार-बार कहे कि अभी चुन कर भेजा है और इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। कभी 13-14-16 और कभी 18 महीने तथा कभी दो साल या ढाई साल में ऐसा हो जाता है। इस प्रकार का वातावरण देश में पैदा हो गया है। इस अनिश्चितता, अस्थिरता के वातावरण को दूर करने के लिए, राजनैतिक स्थिरता लाने के लिए प्रशासनिक दृढ़ता लाने के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यकता है कि बार-बार चुनाव होने से रोका जाए। इसलिए लोक सभा का माननीय सदस्य पांच साल के लिए चुना जाता है, उन्हें कार्य करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कोई सरकार बनती है, उसका बहुमत भी रहता है तो सदन को अधिकार होना चाहिए कि अपने में से किसी योग्यतम व्यक्ति को नेता चुन कर पुन: प्रधान मंत्री पद पर प्रतिष्ठित करे। वह पांच साल तक हाउस को चलाए ताकि बार-बार चुनाव का खर्चा देश के खजाने पर न पड़े और लोगों को गरीबी का सामना न करना पड़े।

अगर सरकार को इस बात की चिंता नहीं रही तो बाद में उसको देश के विकास के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास और हित के लिए कुछ अप्रिय कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए।

आज सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ती वोट की राजनीति के नाम पर या मीडिया में छा जाने के नाम पर किस-किस प्रकार के स्वांग रचे जा रहे हैं, यह सब जानते हैं और इसके बारे में कहने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय अनन्त गंगाराम गीते जी द्वारा लाए गए संविधान संशोधन विधेयक, 1999 (नये अनुच्छेद 75क, आदि के अंत:स्थापन) का पुरजोर समर्थन करता हूं। विधान सभा या लोक सभा के बारे में, प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री के निर्वाचन के बारे में जो प्रावधान इसमें दिये गये हैं वे बहुत ही युक्तिसंगत, तर्कसंगत और ठीक हैं और सरकार को उन पर गंभीरता से विचार करके इस संबंध में आगे सोचना चाहिए।

मैं एन.डी.ए. की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय वैंकटास्वामी जी की अध्यक्षता में उन्होंने इस संबंध में एक आयोग बना दिया है जो संविधान की धाराओं के संबंध में पूर्णरूपेण चर्चा करेगा और उस पर भी गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। मैं पुन: माननीय गीते जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): इस विधेयक का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राजनैतिक प्रणाली काफी कठिन स्थिति से गुजर रही है। समग्र संसदीय प्रणाली को संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग इस प्रणाली को बदलने की बात सोच रहे हैं। हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली की जांच क्यों नहीं करते? स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ लोगों के लिए इस प्रणाली में परिवर्तन करना अच्छा नहीं लग रहा है परन्तु वर्तमान प्रणाली इन सभी त्रुटियों के प्रति जवाबदेह नहीं है।

जो लोग इस प्रणाली की देख-रेख कर रहे हैं उन्होंने कई गलत कार्य किए हैं और उनके गलत कार्यों का प्रभाव इस प्रणाली पर पड़ता है। इसलिए लोग इस प्रणाली को बदलने की बात सोच रहे हैं। यह प्रणाली अच्छी है और इसकी सराहना विश्वभर में की जाती है। हरेक देश प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाने की बात सोच रहा है। यहां तक कि इन्डोनेशिया में हाल ही में मौजूदा प्रणाली को राजनैतिक प्रक्रिया द्वारा प्रजातांत्रिक प्रणाली में बदल दिया गया था। श्रीमती मेघावती सुकुर्णोपुत्री को एक धैर्यपूर्वक राजनैतिक प्रणाली के अंतर्गत चुना गया था। इन्डोनेशिया की एसेम्बली ने निर्णय लिया और काफी विचार-विमर्श के बाद यह कार्य किया गया था।

भारत में, हाल ही का मणिपुर का अनुभव इसका ज्वलंत उदाहरण है। संसदीय प्रजातंत्र संकट का सामना कर रहा है। यहां तक कि उस विधान सभा के अध्यक्ष भी मुख्य मंत्री के एक उम्मीदवार के रूप में आगे आए हैं। उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल से कई बार मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि उन्हें उस राज्य का मुख्य मंत्री नियुक्त किया जाए। परन्तु राज्यपाल ने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विधान सभा के अध्यक्ष है। जब तक वे अध्यक्ष बने रहेंगे तब तक, राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम पर विचार नहीं कर सकते। इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई है।

तमिलनाडु में, हमें दूसरा उदाहरण मिलता है। हालांकि अभी उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय आना बाकी है-मैं यह नहीं कह रहा कि यह सही है या गलत-मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। भारत के चुनाव आयोग के प्राधिकार के अंतर्गत संवैधानिक प्राधिकार आते हैं। उन्होंने पाया कि वर्तमान मुख्य मंत्री राज्य विधान सभा के सदस्य बनने के लिए अनुपयुक्त या अयोग्य हैं, राज्य का मुख्य मंत्री बनने के लिए, राज्य विधान सभा का सदस्य होना अनिवार्य है। चार से छः महीने का समय दिया जाता है जिसके दौरान विधानसभा के लिए चुना जाना अनिवार्य होता है। जिस व्यक्ति को चुनाव आयोग अयोग्य ठहराता है, वह राज्य विधान सभा का सदस्य बनने का पात्र कैसे हो जाता है? यह मामला बहुत गंभीर है। इस एक मामले में, चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ निर्णय लिया था उसी चुनाव आयोग को बाद में तमिलनाडु की वर्तमान मुख्यमंत्री को उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में निर्णय देने के बाद योग्य ठहराना पड़ा। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण है।

राज्य विधान सभा में, राजभवन के प्रांगण में एकत्र बैठ कर विधान सभा सदस्य दावे और प्रति दावे करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अंततः यह निर्णय दिया है कि राजभवन का प्रांगण सभा के बहुमत का निर्णय लेने का स्थान नहीं है। सभा में सरकार का बहुमत है या नहीं, इसका निर्णय सभा में लिया जाना चाहिए। यह निर्णय सभा के भीतर से आना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केवल यही स्थान है जहां जनता के प्रतिनिधि निर्णय लें। राजभवन के प्रांगण या अन्य किसी स्थान पर लिये गये निर्णय का कोई वैधानिक महत्व नहीं है। यह वर्तमान स्थिति है। इन मामलों में हमें प्रतिदिन नये अनुभव हो रहे हैं।

कई राज्यों में, चुनाव की घोषणा बहुत कम समय में की गई है। इस सभा में भी, 1989 के बाद, यहां आठ गठबंधन सरकारें बनीं परंतु चुनाव अनेक बार हुए। चुने हुए संसद सदस्यों को अपने चुनावों के 13-14 महीनों के अंदर पुनः मतदाता के पास जाना पड़ा। यही वर्तमान स्थिति है। यदि परिस्थितियां ऐसा ही रहीं, तो भारतीय लोकतंत्र या भारत की राजनीति का क्या होगा? यह मामला ऐसा जिस पर हमें पूरी गंभीरता से और पूरी बुद्धिमता से विचार करना है।

इस संदर्भ में, वर्तमान राजग सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया है, परंतु संविधान समीक्षा के इरादे के संबंध में विवाद रहे हैं। चूंकि इरादे अच्छे नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते है। चूंकि सरकार ने संविधान की समीक्षा का विचार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान में कुछ परिवर्तन अपेक्षित है। परंतु समीक्षा राजनीतिक अभिप्राय से शुरू की गई है। इस समय केन्द्र-राज्य संबंध निम्न धरातल पर है। कुछ घंटे पहले मैं अंतर-राज्य जल विवाद पर बोला था। यह एक संघीय मामला है जिसे पूर्णरूपेण संविधान के उपबन्धों के अनुसार सुलझाया नहीं जा सकता। वित्तीय मामलों के संबंध में भी विवाद हुए थे।

केन्द्र सरकार राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों को कम कर रही है। लगभग सभी राज्यों ने करों में हिस्सेदारी की इस संघीय प्रवृत्ति के बारे में शिकायत की है। करों में हिस्सेदारी के मामले में केन्द्र-राज्य संबंधों के संबंध में दसवें वित्त आयोग और ग्यारहवें वित्त आयोग ने कुछ निश्चित सिफारिशें की हैं। यह कहा गया है

कि केन्द्र और राज्यों का संबंध संकट के दौर से गुजर रहा है। इस परिस्थिति के पीछे कुछ राजनीतिक प्रभाव भी है।

यदि मैं सही-सही बता पाऊं तो 1989 तक केन्द्र में एक दल की सरकार थी। उसके बाद में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। कुछ राज्यों में गठबंधन सरकारों का अस्तित्व बहुत पहले आ गया था तथा अब विभाजित समूहों के समर्थन से अल्पमत की सरकारें व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। यह संसदीय लोकतंत्र के विकास के लिए लाभदायक नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। संविधान के निर्माताओं ने भारत में ऐसी स्थिति के उभर आने की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अथवा ऐसी स्थिति के विकास के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। परंतु दुर्भाग्यवश हमारी सभी अपेक्षाओं को धता बताते हुए ऐसी स्थिति आ गई है कि अल्पमत की गठबंधन सरकारें सत्तारूढ़ होने लगी हैं। ये सरकारें अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती है। वे हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का अक्षरश: पालन करती है अथवा नहीं भी करती है। कई राज्यों में ऐसा हमारा पहले का अनुभव रहा है तथा हाल ही में ऐसा मणिपुर में हुआ है।

इन सभी मामलों में प्राथमिक और मुख्य मुद्दा संसद तथा राज्य विधानण्डलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका है। उन्हें प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री की नियुक्ति में निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। हम विधानमण्डल के सदस्यों का उस निर्णय में अपनी कोई भूमिका नहीं होती है। हमारे देश में यदि कोई व्यक्ति जो विधानमण्डल का सदस्य नहीं है और उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो संविधान में उसे भी छह महीने की छूट दी गई है। इस प्रकार भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो जनता द्वारा नहीं चुना गया है। मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री, जैसी भी स्थिति हो, बन सकता है। यह एक असाधारण स्थिति है जिसके फलस्वरूप संसदीय लोकतंत्र के विकास में कई बाधाएं उत्पन्न हो गई है। यह हमारा कटु अनुभव है। प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है तथा मुख्यमंत्री के लिए विधान सभा का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु एक बार वह नियुक्त हो जाता है और चुनाव जीत जाता है, तो जब तक उसे सदन का विश्वास हासिल है वह सत्तारूढ़ रह सकता है। इसलिए जब सदन अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय लेता है, तो सब कुछ रुक जाता है। मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री को, जैसी भी स्थिति हो, संविधान के उपबंधों के अनुसार त्यागपत्र देना पड़ता है। हम संसद सदस्य सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करते हैं जबकि उनकी नियुक्ति के मामले में हमारा कोई अधिकार नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद हमें मतदाताओं का सामना करना पड़ता है।

क्या यह ठीक है? प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री, जैसी भी स्थिति हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद हर बार हमें मतदाताओं के पास जाना होगा। सम्भवत: इससे चुनाव बार-बार होंगे जो राजकोष के लिए महंगा साबित होगा। भारत एक विकासशील देश है तथा हमें कई कार्य करने हैं। जब हम वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, तो क्या यह ठीक अथवा उचित है। हमारे राष्ट्र में संसद अथवा राज्य विधान सभा के चुनाव बार-बार हो? हमें इस मामले पर विचार करना होगा।

इसलिए गीतेजी ने एक संशोधन पेश किया है। मेरे संशोधन का मुख्य पहलू संसद अथवा विधान सभा के विघटन के पूर्व विधानमण्डल द्वारा संयुक्त प्रस्ताव पर परस्पर पुनर्विचार के लिए चार महीने का समय प्रदान करने वाले उपबंध की अंत:स्थापना है। इसलिए जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब सभा का चार महीने के लिए सत्रावसान कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल सांविधानिक दृष्टि से चार महीने बाद सदन पुन: आहूत करने के लिए बाध्य है। इस अवधि को परस्पर पुनर्विचार की अवधि कहा जाता है। इस समय में परिवर्तन हो सकता है; राजनीतिक शक्तियों का नए सिरे से ध्रुवीकरण हो सकता है। ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिसके फलस्वरूप संयुक्त संकल्प पर पुनर्विचार हो। यदि सदस्यगण पदस्थ प्रधानमंत्री जिसे सभा में विश्वास मत हासिल नहीं हो पाया है; उसके स्थान पर नए प्रधानमंत्री के नाम का सुझाव देने वाले संयुक्त संकल्प पारित करने की स्थिति में नहीं है तो सत्ता का चार महीने के लिए सत्रावसान कर दिया जाएगा जिसके बाद राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल पुन: सभा को आहूत करेगा तथा पदस्त प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला तथा प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री के लिए नए नाम का सुझाव देने वाले संयुक्त संकल्प पर सदन द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा। सदन इस मामले में निर्णय ले सकती है।

मान ले कि सभा उत्तराधिकारी के प्रश्न के संबंध में कोई निर्णय लेने में असमर्थ है तो इसके पश्चात् और कोई विकल्प नहीं बचेगा। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को संसद अथवा विधान सभा का विघटन करना होगा। परंतु इससे सदन के सदस्यों को इस प्रश्न पर निर्णय का चार महीने के बाद एक अवसर मिल जाता है तथा हमें इस प्रश्न पर निर्णय का अधिकार मिल जाता है। अब राजनीतिक दलों द्वारा सभा के बाहर अपने कार्यालयों में निर्णय लिये जाते हैं। मैं राजनीतिक दलों द्वारा निर्णय लेने का विरोधी नहीं हूं; परंतु सभा द्वारा इसका अनुमोदन अवश्य होना चाहिए।

इसलिए इस संशोधन का मैं प्रस्ताव करता हूँ। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र को अधिक व्यवहार्य, अधिक प्रभावशाली और अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए एक संविधान संशोधन है। हम आशा करते हैं कि जब उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु के प्रश्न पर

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

विचार करेगा तब इस मामले पर भी कोई निर्णय देगा। यह संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, गीते जी जो बिल लाए हैं इस बिल की भावना तो ठीक है मगर मुझे लगता है कि आज जो हम लोगों ने पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी स्वीकार की है इसमें जिसके पास मेजॉरिटी होती है उनको ही सत्ता पर रहने का अधिकार होता है। कांस्टीट्यूशन मेकर डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने भी संविधान बनाते समय चुनाव का पीरियड पांच साल बाद रखा था और ऐसा ही हमारे संविधान में है लेकिन 1989 से लेकर आज तक 12 साल में पांच इलेक्शन हुए हैं जो डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है। इसके लिए सभी पार्टियों को सोचने की आवश्यकता है। अभी हमारे रावत जी बोल रहे थे कि पार्टियां सदस्यों को इधर से उधर और उधर से इधर लेती हैं। आपकी भी 24 पार्टियों की सरकार है। आपके लोग भी कभी इधर आते हैं और कभी उधर जाते हैं। जब वहां से जयललिता इधर आईं तो आपको लगा कि एक वोट से सरकार गिरी मगर आप सरकार बचाने के लिए यहां से हरेक पार्टी को बुला रहे हैं। आज भी मुझे उधर से कुछ मेम्बर बोल रहे थे कि आप अच्छे मेम्बर हैं और आप इधर आ जाइए। तो मैंने बोला कि मैं उधर आऊंगा लेकिन तब जब आप इधर आयेंगे। अकेले उधर आने से कोई फायदा नहीं है तो ये कह रहे थे कि आपको मिनिस्टर बनाएंगे। मैं मिनिस्टर बनने के लिए सदन में नहीं आया हूं। यह सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सब लोग लोकतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात करते हैं। जनता को मजबूत बनाने की बात करते हैं मगर जनता को मजबूत बनाने के बारे में हम गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं। हम यह सोच रहे हैं कि पार्टी कैसे मजबूत होगी।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप अकेले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 1982 में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो सदस्य थे और अभी 19 साल में आप 182 हो गए हैं। तो मैं भी कहना चाहता हूं कि आज हम अकेले हैं लेकिन दस साल के बाद हमारी पार्टी के सौ के ऊपर सदस्य सदन में हो सकते हैं।

महोदय, बाबा साहब अंबेडकर ने भी दो पार्टी सिस्टम की बात हमारे देश को बताई थी। जब उन्होंने पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी ऐक्सैप्ट की थी और हमारे देश को संविधान दिया था तब बाबा साहब अंबेडकर ने दो पार्टी सिस्टम का जिक्र किया था। इस मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपकी 24 पार्टियों की सरकार चल रही है, आप सब पार्टियों की एक पार्टी बनाने का प्रयास कीजिए। शिव सेना से भी निवेदन है कि वे बीजेपी में जाएं या बीजेपी वाले शिव सेना में आ जाएं। एक पार्टी बनाने का जो प्रयत्न है इससे डैमोक्रेसी मजबूत होगी और पांच सालों बाद ही चुनाव होंगे। अभी अगर कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो प्रेजीडेन्ट को सरकार को डिसॉल्व करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी सरकार को एक साल और छः महीने हो गए हैं, अभी छः महीने आप और रहिए और दो साल पूरे कीजिए, उसके बाद तीन साल हम सरकार चलाएंगे और फिर चुनाव होंगे, कोई भी सरकार गिराने का प्रयत्न नहीं करेंगे। हम सब लोग पार्लियामेंट को बचाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब सोच रहे हैं कि किस तरह से हम सब एक जगह पर आ सकते हैं मगर हमारे देश में दो पार्टी सिस्टम नहीं है और इस बारे में सबको सोचने की आवश्यकता है। मैं भी इस उम्मीद का हूं कि पांच साल बाद इलेक्शन कराने चाहिए। सिर्फ जनता ही इससे परेशान नहीं है, हम सब लोग भी परेशान हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

डेढ़ या दो साल में हो जाए, यह ठीक नहीं है। इसलिए जो भी मैम्बर चुनकर आए हैं, उनके हाथ में पांच साल पार्लियामेंट रहनी चाहिए। उन्हें पांच साल तक पार्लियामेंट का सदस्य रहने का पूरा अधिकार है। अब यह आपको सोचना है कि किस प्रकार से पार्लियामेंट को पांच साल तक रखना है। अगर आपकी सरकार गिरती है, तो आपको हमारे पास आना चाहिए। पिछले साल सोनिया जी को प्रधान मंत्री बनाने का पूरा प्रयास हुआ, लेकिन वे नहीं बन सकीं। जयललिता जी, आपके साथ थीं, उन्हें संभालना आपकी जिम्मेदारी थी। आप लोगों ने मैजोरिटी बनाकर सरकार बनाई थी, लेकिन उन्हें आप लोग संभाल नहीं पाए और हम भी नहीं संभाल पाए।

सभापति महोदय, कहने का मतलब यह है कि जो लोग आपके साथ आए हैं उन्हें संभालना आपका काम है। आप लोग ज्यादा मारेलिटी की बात करते हैं, लेकिन आप ही देख लीजिए, पी.एम.के. फिर उधर चला गया। पहले आपके साथ था, लेकिन इलैक्शन होने के बाद उधर चला गया और आप हमें नीति की बात सिखा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रामदास जी, आप थोड़ा बिल पर भी बोलिए।

श्री रामदास आठवले: सर, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय: आप बिल पर नहीं, बिल से बाहर की बातें कह रहे हैं। मेरा आग्रह है कि बिल पर बोलिए।

श्री रामदास आठवले: सभापति महोदय, श्री अनन्त गंगा राम गीते जी ने सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं कि सांसद को पांच साल तक संसद का सदस्य रहने का अधिकारी होना चाहिए। अब पांच साल तक संसद को कैसे रख सकते हैं, वह सोचना आपका काम है क्योंकि सरकार में आप हैं।

सभापति महोदय, यहां प्रमोद महाजन जी बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर पांच साल आप अच्छी तरह से सरकार चलाएंगे, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम आपकी सरकार को गिरा दें। वैसे भी आज की स्थिति यह है कि हम आपकी सरकार को गिराने की कोशिश भी करें, तो भी वह गिरेगी नहीं, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए हम गिराने की बात नहीं सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप पूरे पांच साल उधर बैठें। यदि आप पांच साल वहां बैठेंगे, तभी हम यहां सदस्य के रूप में बैठ सकेंगे। इसलिए आप लोगों को यह सोचना है कि जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया उन्हें आप अपने साथ कैसे रखते हैं और आपकी नीतियों का वे समर्थन करते हैं या नहीं, वह देखना भी आपका काम है। चाहिए तो यह कि जो लोग आपकी पार्टी में शामिल हैं, उन्हें आपकी नीतियों का समर्थन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, भाजपा की नीतियों का समर्थन शिव सेना भी नहीं करती है जो कि उसकी सहयोगी पार्टी है और सरकार में शामिल है। यह ठीक नहीं है। आपकी जो मत-भिन्नता है, वह अलग है, लेकिन पांच साल तक उनका पूरा समर्थन आपको मिलना चाहिए। पूरी पांच साल पार्लियामेंट चले, उसके लिए हमारा पूरा समर्थन है।

सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि देश में दो पार्टी सिस्टम आए। मैं तो कहता हूं कि हम सभी को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति जी, हमारे शिव सेना दल के नेता श्री अनन्त गंगा राम गीते जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय: जाधव जी, एक मिनट रुकिए।

इसके ऊपर तीन घंटे का समय निश्चित किया गया था। वह समाप्त हो रहा है और अभी कुछ सांसद बोलने वाले हैं, मंत्री जी जवाब देने वाले हैं और गीते जी कुछ पूछने वाले हैं, इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा प्रस्ताव है, यदि सदस्यों की अनुमति हो, तो इस विषय पर 45 मिनट समय और बढ़ा दिया जाए?

कुछ माननीय सदस्य: अनुमति दी जाती है।

सभापति महोदय: ठीक है। माननीय सदन की सहमति से इस विषय पर बोलने के लिए 45 मिनट का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री सुरेश जाधव जी, अब आप अपनी बात कहना जारी रखें।

श्री सुरेश रामराव जाधव: सभापति जी, मैं कह रहा था कि संपूर्ण दुनिया में हमारा गणतंत्र सबसे बड़ा गणतंत्र है। इसी प्रकार हमारे देश की आबादी भी बहुत बढ़ गई है।

हमारे संविधान निर्माताओं की, जिन्होंने गणतंत्र बनाया, उस समय भावना यह थी कि हमारी असैम्बली और लोक सभा का पांच साल का जो कार्यकाल है, वह उसे पूरा कर सके। हमारी जनता हमें पांच साल के लिए असैम्बली में भेजती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जनता का मैनडेट पांच साल के लिए मिलता है। मेरे जैसा नया पार्टी वर्कर जब चुनाव लड़ता है तो ऐसा लगता है कि वह लोक सभा में पांच साल के लिए चुन कर जाने वाला है। लेकिन मेरा खुद का यह अनुभव है कि 1996 से लेकर अभी तक, चार साल में मेरे जैसे पार्टी वर्कर को तीन लोक सभा का सामना करना पड़ा। 1996 से लेकर अभी तक इस देश में लोक सभा के तीन चुनाव हो गए हैं। एक लोक सभा का चुनाव लड़ना कितना आसान है या नहीं, सभापति जी, यह आपको कहने की जरूरत नहीं है। चुनाव लड़ने में ऑफिशियल और नॉन-ऑफिशियल खर्च, कैनडीडेट का खर्च अलग है, चुनाव आयोग का खर्च अलग है, इसके बाद ऊपर का खर्च है, कुल मिला कर मेरे ख्याल से एक कैनडीडेट का कम से कम दो करोड़ रुपये खर्च आता है। यदि लोक सभा पांच साल तक नहीं चल सकी तो इस देश में चुनाव के नाम पर कितना फिजूल खर्च भुगतना पड़ता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि स्थिरता के लिए, खर्च की कटौती के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए और दिन-प्रतिदिन जो राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है, उसे रोकने के

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

लिए भी लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल पांच साल पूरा करने की जरूरत है। अभी का समय भी अच्छा है। लोक सभा का गठन पांच साल के लिए हो, वह बीच में भंग न हो, इस पर विचार करने के लिए हाई लैवल कमेटी बनाकर, उसमें डिस्कशन करके कोई न कोई पर्याय सामने लाने की जरूरत है।

सभापति महोदय, हर पार्टी की, हर सांसद की ओर पूरे देश की जनता की भी यह इच्छा है कि लोक सभा का या राज्यों की विधान सभाओं का जो पांच साल का कार्यकाल होता है, वह पूरा होना चाहिए, तभी लोगों को विकास के अवसर मिलेंगे और देश का विकास हो सकेगा। चुनाव के नाम पर देश में बहुत फिजूलखर्ची होती है, जबकि आज भी ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। देश को आजाद हुए करीब 53 साल हो गए, लेकिन कई लोगों को रहने के लिए मकान उपलब्ध नहीं है, जो प्राइमरी चीजें मिलनी चाहिए, वह अभी तक नहीं मिल पाई हैं, जबकि हम चुनाव में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। हमारे देश में अस्थिरता पैदा हो गई है। इस वास्ते प्रशासन आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रशासनिक स्थिरता लाने के लिए भी लोक सभा और विधान सभाओं का कार्यकाल पूरा करने की जरूरत है। हम लोग शासनकर्ता हैं। जो प्रशासन करने वाले हैं, उनको यह मालूम हो जाए कि लोक सभा या विधान सभा पूरे पांच साल नहीं चलेगी तो उनके ऊपर अंकुश नहीं रहता। अगर हमें प्रशासनकर्ताओं पर अंकुश रखना है तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल पूरे पांच साल तक होगा। इसलिए जब तक हमें स्थिरता नहीं मिलेगी, प्रशासन करने वालों के ऊपर हम अंकुश नहीं रख पाएंगे और इससे विकास भी नहीं हो पाएगा। इसलिए लोक सभा का और राज्यों की विधान सभाओं का पांच साल का कार्यकाल पूरा होना चाहिए।

ग्यारहवीं लोक सभा 18 महीने रही, बारहवीं लोक सभा 13 महीने रही और अब तेरहवीं लोक सभा चल रही है। हमारे दल के नेता ने जो यह बिल यहां पेश किया है कि लोक सभा का और राज्यों की विधान सभाओं का पांच साल का कार्यकाल पूरा होना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। अगर ये बीच में ही भंग हो जाती हैं तो कई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। इसलिए गीते जी द्वारा पेश किए गए इस बिल का हम समर्थन करते हैं।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, लोक सभा का कार्यकाल पांच वर्ष होना जरूरी है, क्योंकि सभी सांसद पांच साल के लिए चुने जाते हैं। जब चुनाव होता है, उस वक्त पांच साल की अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाते हैं। लोक सभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधान मंत्री बनाया जाता है। जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश हो और वह पास हो जाए तो प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद अगर किसी भी दल को सदन में बहुमत प्राप्त न हो तो लोक सभा को भंग कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए।

ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। देश में अनेक प्रकार के संकट पैदा हो जाते हैं, लोगों के पास खाने के लिए साधन नहीं रहते, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, न रोड है, न गली है और लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में चुनाव होता है तो इससे देश और कमजोर होता है। हमारा देश पहले ही ऋणी हो चुका है और पहले ही कर्ज में है। आज देश की स्थिति जर्जर हो चुकी है। आये दिन बाढ़ आती रहती है या अन्य अनेक प्रकार की विषम परिस्थिति पैदा होती रहती है। कहीं सूखे की स्थिति हो जाती है तो कहीं पीने के पानी का संकट हो जाता है और अब कश्मीर की समस्या शुरू हो रही है, हमारा देश आतंकवाद से निपट रहा है, ऐसी विषम परिस्थिति में चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। लोक सभा पांच साल के लिए चुनी जाती है तो कानून में लोक सभा हो या विधान सभा हो, पांच साल प्रतिनिधि का कार्यकाल होता है, तो प्रतिनिधि का कार्यकाल कम होने की आवश्यकता नहीं है। प्रधान मंत्री अगर दूसरा चुनें तो मैं तो कहूं कि जैसे गांव में ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच होता है, ऐसे ही प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री होना चाहिए क्योंकि सरपंच का यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो वहां के उप सरपंच को चार्ज दिया जाता है और चार्ज के बाद वह अपने कार्यकाल तक रहता है। उन परिस्थिति में वहां फिर अपना सरपंच बनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करने के बाद चार महीने या छः महीने या साल भर के बीच में सरपंच चुनते हैं और फिर वह अपना कार्यकाल शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति लोक सभा और विधान सभा में होने की आवश्यकता है जिससे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से बचे, आम नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिले। हम 21वीं सदी में पहुंचने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रजातंत्र के प्रहरी हैं, वे देश के हित में नहीं सोचते हैं बल्कि पार्टी के हित में सोचते हैं। नया प्रधान मंत्री चुनने के लिए लोक सभा को भंग करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति देश के लिए कलंक है। अलग से प्रतिनिधि को चुनकर आने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर वह पांच साल कार्यकाल पूरा करने के लिए चुना गया है तो उसे अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए। पिछले थोड़े समय में तीन बार चुनाव हुआ। मैं 1996 से लोक सभा का सदस्य हूं और पिछले समय में मुझे तीन बार चुनाव में आना पड़ा। इससे सब लोगों को कितनी परेशानी होती है, प्रशासन को भी परेशानी होती है, जनता को भी परेशानी होती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे भाई गीते जी ने जो प्रस्ताव दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल पांच साल होना चाहिए।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि चार महीने की इन्होंने जो बात कही कि चार महीने के लिए किसी को प्रधान मंत्री चुनें, मैं तो कहूं कि अगर बहुमत पक्ष के प्रधान मंत्री का अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो दूसरे नंबर का कोई भी दल हो, उस दल के नेता को भी प्रधान मंत्री नियुक्त किया जाये। अगर वह भी विश्वास प्राप्त नहीं कर पाये तो तीसरे नंबर का भी जो दल होता है, उनका बहुमत न होते हुए भी अल्पमत वाले को भी सरकार चलाने के लिए कहा जाये और वह भी नहीं होता तो चौथे नंबर के दल को विश्वास प्राप्त करने के लिए चुना जाये जिससे देश की स्थिति सुधरे और देश में अच्छे वातावरण का निर्माण किया जा सके तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्या से भी हमारे देश अपने आप को जोड़ सके और भारत के आम नागरिकों को सुख-सुविधाएं प्राप्त हो सकें क्योंकि जब हम प्रजा तंत्र के प्रहरी के रूप में जनता के द्वारा विश्वास लेकर पहुंचते हैं तो उसे माननीय कहा जाता है क्योंकि लोगों ने उसे माना है न कि यहां के लोगों ने माना है क्योंकि विधान सभा या लोक सभा जनता के द्वारा चुनी जाती है पर जनता उन्हें भंग नहीं करती। उदाहरण के लिए नगर पालिका में नियम है कि अगर प्रतिनिधि गड़बड़ करता है गा भ्रष्टाचार करता है या अन्य प्रकार के गंभीर आरोप उस पर होते हैं अथवा उस पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे पदच्युत किया जाता है। उसी प्रकार यदि प्रतिनिधि पर भी किसी प्रकार के आरोप सिद्ध हो जाते हैं या वह गलत कार्य कर रहा है तो जनता उस प्रतिनिधि को हटाए न कि यहां के चुने हुए प्रतिनिधियों को सिर्फ एक प्रधान मंत्री नहीं चुने जाने के कारण लोक सभा भंग कर दी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति अन्याय है बल्कि मैं तो कहूंगा कि यह लोक तंत्र की हत्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बातों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में पांच साल लोक सभा या विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल होना आवश्यक है और उनका कार्यकाल जैसा गीते जी ने कहा कि चार महीने देखने की भी आवश्यकता है। उसका मैं समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं।

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): आदरणीय सभापति जी, संविधान संशोधन विधेयक जो माननीय श्री अनंत गंगाराम गीते जी ने सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य आजकल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सदन में विधेयक विचार करने के लिए लाए हैं। यह विधेयक प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा विधेयक है।

इस विधेयक पर मेरे से पूर्ववक्ताओं ने अपने-अपने विचार सदन में प्रस्तुत किए हैं। माननीय सदस्य, श्री आठवले, सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने संविधान के निर्माता, डा. अम्बेडकर, का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान जो बनाया गया है, उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ था। उस समय की परिस्थिति व जनता की भावनाओं और आज की परिस्थिति व वातावरण में परिवर्तन आ गया है। जब संविधान रचा गया था, उस समय यह ख्वाब मे भी नहीं सोचा गया होगा कि देश में क्षेत्रीयवाद आएगा और देश में विभिन्न पार्टियां जातियों के आधार पर खड़ी होंगी तथा राष्ट्र को कमजोर करने के लिए आए दिन चुनाव में जल्दी-जल्दी जायेंगी। इससे देश के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जब शासन व्यवस्था में स्थिरता की कमी रहेगी, तो देश अपने आप में कमजोर होता दिखाई देगा। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है, जब पांच वर्षों के लिए लोक सभा और विधान सभाओं का गठन हुआ है, देश की जनता ने उनको पांच वर्षों के लिए चुना है, तो निश्चित रूप से वे सरकारें पांच साल तक रहनी चाहिए। इस पांच साल के दौरान जो निर्णय होते हैं, सरकार स्थिर दिखाई देती है, तो प्रशासन भी उतनी ही चुस्ती के साथ काम करता है। इस देश के प्रजातन्त्र में अगर कोई सबसे बड़ा अधिकारी है, तो वह जनता है, जिसने हमें चुनकर भेजा है। लेकिन आज लोक सभा और विधान सभाओं में ऐसी घटनायें हो रही हैं, शासन की कमजोरी के कारण, सारे अधिकार अधिकारियों ने अपने हाथ में ले लिये हैं। इस कारण हम विधान सभाओं और लोक सभा में देखते हैं कि सांसद और विधायक के साथ अभद्रता का व्यवहार होता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि देश की शासन व्यवस्था को कमजोर कर दिया गया है। मेरे से पूर्ववक्ता ने बिल्कुल सही कहा है, कांग्रेस ने केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए इस देश को बार-बार चुनाव में ढकेलने की कोशिश की है और आज भी षडयंत्र रचते रहते हैं। आज भी कांग्रेस के लोग योजनायें बना रहे हैं कि कुछ-न-कुछ बहाना लेकर तुरन्त चुनाव में जायें, जबकि जनता ने हमको पांच वर्षों के लिए चुनकर भेजा है। देखा जाए, जो जनता बिजली चाहती है, जनता सड़कें चाहती है और जनता शिक्षा चाहती है। देखा जाए, तो दस-बीस साल पहले लोक सभा और विधान सभाओं में रोटी-कपड़ा और मकान को ध्यान में रखकर आवश्यकता अधिनियम बनाया है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज सबसे ज्यादा आवश्यकता बिजली की है, सड़कों की है और शिक्षा की है। हमारे देश में अन्न के भंडार हैं, सब कुछ है, लेकिन देश में रोज-रोज चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव की प्रक्रिया में हम अपने आपमें खुश होते हैं कि हमने फलां सरकार को गिरा दिया और उसको तुरन्त बदल दिया या हम तुरन्त चुनाव में आ जाए। चुनाव के बाद हम बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आयेंगे और सरकार बनायेंगे। यह ख्वाब जो छोटे-छोटे दल देखते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जिस तरह से यूएसए या अन्य देशों में होता है, एक पक्ष और एक विपक्ष, सिर्फ दो पार्टीज होनी चाहिए। छोटी-मोटी पार्टियों को अधिक महत्ता नहीं

[श्री शीशराम सिंह रवि]

मिलनी चाहिए। इस देश को मजबूत करना है, तो केन्द्र को बहुत मजबूत होना चाहिए।

केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के लिए वास्तव में ऐसा तय हो जाना चाहिए कि पांच वर्ष तक लोक सभा चलेगी। माननीय गीते जी और आप भी मेरे से बहुत सीनियर हैं। जब प्रजातंत्र में पांच साल के बाद देश का प्रधान मंत्री, सांसद अपने कार्यों की समीक्षा के लिए जनता के बीच में जाता है तो संविधान में संशोधन करके यह भी होना चाहिए, उनके कार्यों की समीक्षा भी हर साल होती रहनी चाहिए। अगर आवश्यकता हो तो उन्हें बुलाया जाए। हमें जो भत्ता मिलता है, अगर हम लोक सभा में आएंगे तब हमें 400 रुपए मिलेंगे और नहीं आएंगे तो नहीं मिलेंगे। उसी तरह से लोकतंत्र की असली परिभाषा यही है कि प्रजातंत्र में उनकी पूरी मजबूती होनी चाहिए, उन्हें लोक सभा और विधान सभा में पांच साल तक कोई हिला न सके। यदि कहीं कोई व्यवधान आए तो उसे चार महीने का समय देकर मौका दिया जाना चाहिए। आपने चार महीने की समय की बात कही है, मैं तो कहता हूं कि छः महीने का समय देकर उसे मौका दिया जाना चाहिए। प्रथम और द्वितीय दल की किसी भी रूप में पांच वर्ष तक लोक सभा और विधान सभा चलती रहनी चाहिए। इससे देश का भला होगा और प्रजातंत्र मजबूत होगा तथा तभी हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना आएगी। शासन मजबूत होगा और प्रशासन में अपना वर्चस्व बढ़ेगा।

महोदय, इन्हें शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। मैं कुछ सुझाव दूंगा।

सभापति महोदय: आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मैं श्री अनंत गंगाराम गीतेजी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक के निहितार्थ से सहमत हूँ परंतु उनके द्वारा सुझाए गए कुछ सुझावों से सहमत नहीं हूँ।

सभापति महोदय: आप इस चर्चा में पहले ही भाग ले चुके हैं। अब आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। ऐसी कोई परंपरा नहीं है जिसके जरिए मैं दुबारा आपको बोलने की अनुमति दे सकूं।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, कृपया मुझे पांच मिनट बोलने का समय दीजिए।

सभापति महोदय: आप पहले ही सात मिनट बोल चुके हैं। आप बोल चुके हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मुझे खेद है। मैं इसके ऊपर नहीं बोला।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह परम्परा नहीं है, आप कुछ प्वाइंट्स रख सकते हैं। आप इस पर बोल चुके हैं, अब आप अगले किसी विषय पर बोलिए। अब माननीय मंत्री जी।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): सभापति महोदय, यह गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक माननीय सदस्य, श्री अनंत गंगाराम गीते द्वारा 17 दिसम्बर 1999 को पुरःस्थापित किया गया था।

इस संविधान (संशोधन) विधेयक, 1999 में संविधान में दो नए अनुच्छेद 75क और 164क अंतःस्थापित करने का उपबंध है। इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 85(2) और 174(2) द्वारा अनुवर्ती संशोधन का भी प्रस्ताव है। अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 क्रमशः प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित हैं।

वस्तुतः अनुच्छेद 75क, संक्षेप में, रचनात्मक विश्वासमत का आमुख है। मेरी जानकारी के अनुसार जर्मनी में पहले से ही ऐसा उपबंध है। ऐसे विधेयक का प्रस्ताव रखकर श्री गीते जी ने निश्चित रूप से एक महान कार्य किया है।

आजकल के समय में यह बहुत ही समसामयिक विधेयक है। मैं समझता हूँ कि हर कोई न केवल आम जनता बल्कि इस महान सभा के सभी सदस्य भी इस बारे में एकमत हैं कि येन केन प्रकारेण हमें केन्द्र तथा राज्यों में भी स्थायित्व हासिल करना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए कौन-सा तंत्र विकसित किया जा सकता है? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उस पर हमें विचार करना होगा। श्री अनंत गंगाराम गीते जी ने इस विधेयक की पुरःस्थापना के जरिए अत्यधिक उपयुक्त कुछ सुझाव दिए है। उनका तर्क है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था खंडित राज्य व्यवस्था और दलों की बहुलता के कारण अत्यधिक दबाव में आ गयी है। पिछले एक दशक के दौरान, 1989-99 से पिछले पांच चुनावों के दौरान कोई भी एक राजनीतिक दल साधारण बहुमत प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है। इस अवधि में लगातार लगभग आठ प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने गठबंधन अथवा अल्पमत सरकार चलाई जिसके फलस्वरूप बार-बार चुनाव हुए। इसने लोगों के मानस को अस्थिरता का प्रभाव छोड़ा। हमारी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था भी दबाव में आ जाती है। न केवल वर्तमान सांविधिक संरचना की विश्वसनीयता

पर बल्कि इसके सामर्थ्य पर भी संदेह व्यक्त किया जाने लगा है।

सभापति महोदय, इस चर्चा में पहले 16 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और आज भी 7 माननीय सदस्य इस चर्चा में शामिल हुए हैं। मैं उन सभी सदस्यों द्वारा दिए गए बुद्धिमत्तापूर्ण सुझावों के लिए उन सभी का आभारी हूं। उन्होने न केवल सदन की भावना को प्रकट किया बल्कि देश के लोगों की भावना को भी प्रकट किया है। उन सभी ने एक ही बात पर जोर दिया कि संसद और विधान सभाओं का एक निश्चित कार्यकाल तय किया जाए। एक माननीय सदस्य को छोड़कर किसी ने भी इस विधेयक का विरोध नहीं किया। हालांकि कुछ उपबंधों पर मत भिन्नता थी। लेकिन किसी ने इस विधेयक का विरोध नहीं किया सिवाय माननीय सदस्य श्री रामजीलाल सुमन जी को जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया था अन्यथा सभी 23 सदस्यों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया।

माननीय सदस्य श्री अनंत गंगाराम गीते के अतिरिक्त श्री अनादि साहू, श्री नवल किशोर, प्रो. उम्मारेड्डी, वेंकटस्वरलु, श्री सुखदेव पासवान, श्री श्याम बिहारी मिश्रा, श्री हरिभाऊ शंकर महाले, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री हरपाल सिंह साथी, श्री माणिकराव होडल्या गावित, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर, श्री खारबेल स्वाइं, श्री रामजीलाल सुमन, श्री थावरचन्द गेहलोत, डा. नीतिश सेनगुप्ता और श्रीमती श्यामा सिंह ने इस विधेयक के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए।

सभी माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाये वे इस प्रकार हैं और उनको मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बार-बार की चुनावों से बचा जाना चाहिए। चुनावों पर खर्च होने वाले धन का विकास कार्यों के लिए समुचित उपयोग होना चाहिए। चुनाव खर्चीले होते हैं। बार-बार के चुनाव के कारण राजनीति का अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। बार-बार चुनाव होने से राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। विकास कार्यों को नुकसान पहुँचाता है। यदि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं हो तो इस राजनैतिक अस्थिरता के कारण पड़ौसी देशों का भी दुस्साहस बढ़ता है। ये सभी मुद्दे उठाये गये। सभी माननीय सदस्यों के भाषण का यह संक्षिप्त विवरण है। मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी व्यवस्था लाने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है जिनसे राजनैतिक अस्थिरता कम हो सके। यही इस विधेयक का प्रयोजन, उद्देश्य है जो माननीय सदस्य श्री अनंत गंगाराम गीते ने प्रस्तुत किया था।

लेकिन सभापति महोदय, विधेयक के लक्ष्य और उद्देश्यों में श्री अनंत गंगाराम गीते ने खुद स्वीकार किया है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि संपूर्ण संविधान की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया जाए।

गठबंधन सरकारों का युग 1989 से शुरू हुआ और यह अभी भी जारी है। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन सरकारों को किस तरह स्थायी और प्रभावी बनाया जा सकता है ताकि देश की जरूरतों को पूरा कर सके, देश के गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें। हम समझते हैं कि किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिलने वाला है। लोगों तथा सदन की भी यही भावना है। इस स्थिति को देखते हुए, हमें संविधान में संशोधनों के बारे में सोचना है। एन.डी.ए. सरकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से संविधान की पुनरीक्षा करने के लिए पहले ही एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग गठित कर दिया है। जो विगत 53 वर्षों की घटनाओं और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए स्थिति की समीक्षा करेगा। यह स्वतंत्र लोगों, जिनकी निष्ठा निष्पक्ष है, और जो बहुत विद्वान हैं का एक मंच है। मैं समझता हूं कि हमें इस मामले को उनकी बुद्धिमत्ता पर छोड़ देना चाहिए ताकि 53 वर्षों के दौरान विकास कार्यों और वर्तमान संविधान के अनुभव को देखते हुए वे कुछ सुझाव दे सकें।

जब समीक्षा आयोग की रिपोर्ट आयेगी तो इस रिपोर्ट पर उस समय विचार किया जा सकता है। आखिर इसी सम्मानीय सदन को ही निर्णय लेना है कि हमें क्या संशोधन करने है। अगर विधेयक लाए जाते हैं तो इस सम्माननीय सदन और दूसरे सदन के समक्ष भी लाए जायेंगे। अत: उनकी स्वीकारोक्ति और उनके ज्ञान को देखते हुए और माननीय सदस्यों की जानकारी जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और जो नहीं ले पाए, के संदर्भ में मेरा श्री गीते जी से अनुरोध है कि वे इस विधेयक को वापिस ले लें क्योंकि इस मामले को पहले ही इच्छा शक्ति प्राप्त आयोग को सौंप दिया गया है।

माननीय राष्ट्रपति ने भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करते हुए 25 अक्तूबर 2000 को यह संकेत दे दिया है कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर विश्वास मतदान की सकारात्मक प्रणाली लाने की जांच करेगी। प्रधान मंत्री जी ने भी चुनाव आयोग की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर टिप्पणी की और उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की कि हम महसूस करते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक परिपक्व बनाने तथा इसे अच्छा शासन देने योग्य बनाने हेतु संसद और राज्य विधान मंडलों का कार्यकाल निश्चित होना जरूरी है।

प्रधान मंत्री के विचारों और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र की इच्छा की बेबाक अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, जब उन्होंने संसद के दोनों सदनों को सम्बोधन किया था और इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और इस तत्य को देखते हुए कि पुनरीक्षा आयोग को पहले ही संविधान की समीक्षा करने की जिम्मेदारी

[श्री ईश्वर दयास स्वामी]

सौंप दी गयी है। मेरे विचार से मैं माननीय सदस्य श्री गीते से अनुरोध करता हूँ कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें। ताकि हम लोग आयोग की रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा कर सकें।

यह छूट लेते हुए मैं सदन और इस सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और जो इस चर्चा में भाग नहीं ले पाए, वे आयोग को अपने विचार, सुझाव देने के लिए स्वतंत्र हैं। जो एक बेहतर तरीका है और जो नए खंड, जो अब संविधान में जोड़े जाने हैं, सहित संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए बेहतर स्थिति में है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर श्री अनंत गंगाराम गीते से अनुरोध करूंगा कि वे पूरे प्रश्न के सम्पूर्ण मूल्यांकन किए जाने के हित में इस विधेयक को वापिस ले लें। मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिनके सुझावों और सलाह से हम लाभान्वित हुए हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय मैं आपसे अनुरोध करूंगा की कृपया आप एक मिनट के लिए मुझे बोलने की अनुमति दें। यह ठीक है कि हम संविधान की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से पुनरीक्षा आयोग को हमारे सुझाव पहुंचा दिए जाने चाहिए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, विधेयक प्रस्तुत करने वाले को उचित सम्मान देते हुए माननीय मंत्री को यह समझना चाहिए कि यह विधेयक भारतीय संसद की अवधि के संबंध में है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि 23 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। तथापि अधिकतर सदस्य तो सरकार को समर्थन देने वाले सत्ताधारी गठबंधन के हैं। दूसरी ओर वे पुनरीक्षा आयोग का हवाला दे रहे थे। माननीय मंत्री को यह पता होना चाहिए कि पुनरीक्षा आयोग का गठन संसद द्वारा नहीं बल्कि सरकार द्वारा किया गया है। हमने इसे स्वीकार नहीं किया है। पुनरीक्षा आयोग के बारे में हमारी अलग राय है। यहां तक की हमारे एक साथी श्री रामदास आठवले को एक अन्य सदस्य द्वारा गलत रूप से उद्धरित किया गया था। लेकिन हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वे यहां उपस्थित नहीं थे। श्री रामदास आठवले ने कभी ऐसा नहीं कहा कि संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राजग, राजग सरकार के कार्यकरण की समीक्षा तो कर सकती है लेकिन भारत के संविधान की नहीं। मुझे यहां आपत्ति है। समीक्षा आयोग के संदर्भ में इस विधेयक को वापिस लेने के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा किसी सदस्य को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए अथवा इसके लिए अनुरोध नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि संसद में इस बात पर चर्चा नहीं की गई है कि आयोग जो कि एक बाहरी एजेंसी है, को संविधान की समीक्षा करने का अधिकार है ...*(व्यवधान)* इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद जिसमें एक संसद सदस्य को छोड़कर सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है इस संदर्भ में मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विधेयक पर कोई निर्णय होना चाहिए। कृपया संसद में समीक्षा आयोग को उद्धृत न करें क्योंकि यह सरकार का निर्णय है न कि माननीय संसद का।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति जी, मेरे द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर सदन के 23 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। श्री रामजीलाल सुमन जी को छोड़कर लगभग बाकी 22 सदस्यों ने इसका समर्थन किया। श्री सुमन ने इस विधेयक का विरोध करते समय कुछ शंकायें प्रकट की थी। उस संदर्भ में मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। इस विधेयक पर सभी दलों ने समर्थन दिया है जबकि श्री रामजीलाल सुमन ने इस विधेयक पर बोलते हुए यह कहा था कि सरकार बचाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। साथ ही यह भी कहा कि प्रधान मंत्री जी ने इस प्रकार के विधान लाने की घोषणा सदन के बाहर की है। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को होना चाहिए।

सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे इस विधेयक के उत्तर में बताया है कि यह विधेयक किसी सरकार को बचाने के लिए नहीं लाया गया और न इस विधेयक का यह उद्देश्य है। माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि न केवल केन्द्र बल्कि राज्यों में भी मिली-जुली सरकारें कार्यरत हैं और आने वाले समय में भी न केवल केन्द्र बल्कि राज्यों में भी मिली-जुली सरकारें होंगी। मेरे विचार से निकट भविष्य में एक पार्टी की सरकार आने वाली नहीं दिखाई देती। सभापति जी, आप जानते हैं कि 1989 के बाद से इस देश में पांच बार लोक सभा में चुनाव हो चुके हैं और आठ सरकारें बनीं। आपको इस बात का अनुभव है कि सरकार को गिराने के लिए इकट्ठे होते रहे हैं लेकिन सरकार बनाने के लिए इकट्ठे नहीं होते रहे। इस विधेयक की भूमिका को देखते हुए किसी दल ने इस विधेयक का विरोध इसलिए नहीं किया कि सरकार बनाने के लिए लोग इकट्ठे नहीं हो रहे बल्कि गिराने के लिए एक साथ हैं। किसी एक प्रधानमंत्री को गिराने के लिए है लेकिन दूसरे को बनाने के लिए नहीं है।

इसलिए हम यह विधेयक यहां लाये हैं। आज सारे देश में राजनीतिक अस्थिरता है और उसके दुष्परिणाम हम अपने निजी जीवन में भी अनुभव कर रहे हैं। हमें इस देश से राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने की आवश्यकता है, इसलिए यह विधेयक यहां लाया गया है। यह विधेयक किसी सरकार को बचाने के लिए नहीं लाया गया।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो उन्होंने कही कि प्रधान मंत्री जी ने कहीं बाहर स्टेटमैन्ट दिया है, प्रधान मंत्री जी के स्टेटमैन्ट के पूर्व यह विधेयक सदन में आया है, उसके बाद नहीं आया है। इसलिए प्रधान मंत्री जी के स्टेटमैन्ट को इससे जोड़ना ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, उन्होंने एक बात और कही कि चुने हुए प्रतिनिधि को जनता को वापिस बुलाने का अधिकार हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। यदि जनता का प्रतिनिधि कोई गलत काम करता है या अपनी जिम्मदारी को सही तौर पर नहीं निभा पा रहा है या मिले हुए अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसे वापस बुलाने का जनता को अधिकार होना चाहिए। किसी गलतफहमी के कारण श्री रामजी लाल सुमन ने यहां इसका विरोध किया है, जबकि उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। मंत्री जी के द्वारा यहां वक्तव्य दिया गया है, सरकार भी इससे सहमत है और सरकार स्वयं चाहती है कि हमारे संविधान में सुधार करने की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार स्वयं सदन के सामने आना चाहती है। संविधान की समीक्षा के लिए जो समिति गठित की है, उसका संदर्भ भी यहां दिया गया है। यह सारे सदन की मांग है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करना चाहिए। इसलिए हमने यह सुझाव दिया था। यहां महामहिम राष्ट्रपति जी हर बार नहीं कहते हैं कि यदि सरकार अल्पमत में आती है तो आप विश्वास मत सदन के सामने लेकर आइए। लेकिन हमारे लोकतंत्र की जड़ें और बुनियाद बहुत मजबूत है और उस पर हमारी जनता का विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए जब सरकार अल्पमत में आती है तो उस अल्पमत सरकार के प्रधान मंत्री स्वयं विश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, यह हमारी सदन की परम्परा है। इसलिए हमने यह सुझाव दिया था कि जब विश्वास मत का प्रस्ताव आता है तो उसे पराजित करने के लिए सारे लोग एक हो जाते हैं और सरकार को गिरा देते हैं। लेकिन फिर से सरकार बनाने के लिए वे एक नहीं हो पाते हैं और इसका प्रभाव सारे देश की अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था और अन्य सारी बातों पर पड़ता है, जिसके परिणाम आम आदमी को भुगतने पड़ते हैं। इसलिए यदि कोई सरकार अल्पमत में आई है तो अल्पमत वाली सरकार विश्वास मत लाने के बजाय यदि कोई दूसरा नेता सदन में चुना जा सकता है तो उसे चुनने के लिए उसका विश्वास प्रस्ताव सदन के सामने लाया जाए और एक नेता को चुना जाए और उसे चुनने के बाद दूसरे नेता पर अविश्वास दिखाया जाए। यदि यह नहीं हो पाता है तो फिर हमने चार महीनों का कूलिंग ऑफ यहां दिया था। चुनाव पर हम कितना धन खर्च कर रहे हैं, उससे बेहतर यह होगा कि चार महीने का कूलिंग ऑफ देकर हम राजनीतिक दलों को नेता के नाम पर विचार करने का अवसर दें। चार महीने के बाद राष्ट्रपति जी एक बार फिर से सदन को गठित करें और सदन को नेता चुनने का अवसर दे। मेरी इन सारी बातों से सदन सहमत होगा और सरकार भी सहमत होगी। सरकार स्वयं इस प्रकार से संविधान में सुधार लाना चाहती है।

सभापति महोदय: गीते जी, आपने अपने बिल में एम्स एंड ऑब्जेक्ट में आर्टीकल 75 और आर्टीकल 65 का भी जिक्र किया है, उसके संदर्भ में आप सदन में क्या कहना चाहते हैं, उनसे आपका क्या अभिप्राय है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: हमने यहां जो अपनी राय रखी है कि संविधान निर्माताओं को संविधान के बनाने के समय यह पता नहीं था कि भविष्य में इस देश में इस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता आयेगा। उस समय की जो स्थिति थी उसके मुताबिक संविधान बनाया गया था। लेकिन अब राजनीतिक हाल दिन-प्रतिदिन बदलती जा रही है तथा भविष्य में यह क्या स्वरूप लेगी, यह कहना मुश्किल है। जो विधेयक हम यहां लाये हैं उसका मूल कारण यही है। चाहे विधान सभा हो या लोक सभा हो और आज सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है, प्रधान मंत्री जी ने भी जाहिरी तौर पर यह माना है, राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया है कि देश राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए इसकी आवश्यकता है और इस पर सारा सदन सहमत है। इसके आगे मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

इसीलिए सरकार की ओर से जो मंत्री जी ने प्रार्थना की है कि इस पर पीछे हटें, मैं विश्वास करता हूं कि सरकार की ओर से संशोधन करने वाला विधेयक अवश्य इस सदन में आएगा जिस विधेयक पर यह सदन सहमत होगा और जो राजनैतिक अस्थिरता है वह इस देश में खत्म होगी।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री ने बिल वापस लेने का अनुरोध किया है, पीछे हटने का नहीं।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं वही कह रहा हूं। इसी विश्वास और आशा के साथ मंत्री जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मैं विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूँ।

अपराह्न 5.51 बजे

(तैंतीस) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक

सभापति महोदय: अब, यह सभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक पर विचार करेगी। श्री प्रवीण राष्ट्रपाल बोलेंगे।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, इस विधेयक के लिए कितना समय आवंटित किया गया है?

सभापति महोदय: इस विधेयक पर चर्चा के लिए दो घंटे आवंटित किए गए हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन स्थापनाओं तथा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण तथा उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय, 20-4-2000 को मेरे द्वारा पुर:स्थापित वर्ष 2000 के विधेयक सं. 24 के पक्ष में बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री थावर चन्द गेहलोत (शाजापुर): गुजरात के सदस्य हैं तो गुजराती में बोलें या हिन्दी में बोलें।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: चूंकि भारतीय संविधान को पहले अंग्रेजी में लिखा गया था और फिर उसको हिन्दी में अनुवाद किया गया था, अत: मैं मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा।

महोदय, जहाँ तक अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए सेवाओं में आरक्षण का प्रश्न है, यह विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। भारत का संविधान जिस पर इस सम्माननीय सभा में अनेक बार चर्चा की गई है और आज पुन: उसी का उल्लेख किया गया है। विश्व का बेहतरीन लिखित दस्तावेज है। संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक सिद्धांतों संबंधी अद्याय तथा विभिन्न अन्य प्रावधान जहां हमारे महान देश के संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं जिनसे समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सुरक्षात्मक भेदभाव और उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया है। भारतीय संविधान केवल समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनु. जाति और अनु. ज. जातियों का ध्यान नहीं रखता है अपितु बच्चों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, मजदूर वर्ग और उन सभी लोगों का भी ध्यान रखता है, जिनका पूर्व विदेशी शासन के कारण शोषण हुआ है। यदि हम संविधान की प्रस्तावना का जिक्र करें तो यह इस देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक और आर्थिक न्याय, पद और अवसर की समानता का आश्वासन देती है। इन मानदंडों के भीतर सुरक्षात्मक भेदभाव, जो अन्य वर्गों की तुलना में भेदभाव है, के संबंध में कानून बनाये गए हैं और देश में प्रत्येक व्यक्ति उसे स्वीकार करता है। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता डा. भीमराव अम्बेडकर ने की थी और संविधान सभा के महान अध्यक्ष, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। संविधान लागू करने के समय आरक्षण के प्रावधानों पर व्यापक चर्चा की गई थी। उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे दिग्गज और सार्वजनिक जीवन में अग्रणीय भूमिका अदा करने वाले विभिन्न गण्यमान्य विधायक ही नहीं थे, अपितु वे अपने समय के अच्छे अधिवक्ता (बैरिस्टर) भी थे।

इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रावधान किए गए और 26 जनवरी, 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधानों को आज तक शत-प्रतिशत रूप में लागू नहीं किया गया है।

1991 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों की संख्या 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 8 प्रतिशत से कम नहीं है। वास्तव में, यह जाति नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अभिलेखों से बताया है कि यह 'अनुसूचित जाति' कोई जाति नहीं है। अन्य जातियाँ हो सकती हैं। परन्तु अनुसूचित जाति का नाम संविधान विनिर्माता ने उन सभी समुदायों को दिया था, जिन्हें दबाया गया था, जो हताश थे, अछूत थे और जिन्हें न केवल मौलिक अधिकार अपितु मानव अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। उन्हें मानव गरिमा से भी वंचित रखा गया था। उन्हें सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिर, स्कूल आदि में यह प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।

गुजरात में एक जगह है, जहाँ 1930 में डॉ. अम्बेडकर गए थे, वहाँ विद्यार्थियों को कक्षा के अन्दर बैठने की अनुमति नहीं थी। डॉ. अम्बेडकर ने अहमदाबाद में 50 रुपये प्रति माह किराये पर एक परिसर लिया और अन्य राज्यों से दूसरे धर्मों के लोगों को वहाँ अध्यापन कार्य हेतु लेकर आये क्योंकि हिन्दू अध्यापक अनु. जा. के लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वे उन्हें अछूत मानते थे। 1930-35 में इस प्रकार की स्थिति थी। बावला नामक स्थान पर तथा जिसे आजकल अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है, एक-एक स्कूल खोला गया। नि:संदेह, उन दिनों अन्य अच्छे भारतीय प्रशासक भी थे, विशेष रूप से बड़ौदा, भावनगर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा, जिन्होंने महात्मा गांधी और डॉ. अम्बेडकर, द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधारों का समर्थन किया और धीरे-धीरे इन वंचित, अछूत और समाज के अत्यधिक शोषित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना शुरू किया।

जब डॉ. अम्बेडकर को प्रारूप समिति की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने ही इस बात का ध्यान रखा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न केवल मंदिरों में प्रवेश और मानवीय गरिमा प्राप्त हो अपितु उन्हें देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। ऐसा तभी हो सकता था जब उन्हें सरकारी नौकरी करने दी जाए, भारत की विधायिका में जाने का अवसर प्राप्त हो, भारतीय संसद में जाने का मौका मिले, नौकरियाँ प्राप्त करने में समर्थ हो सकें, जो कि उन्हें उस समय प्राप्त नहीं होती थीं। पहले समाज के एक वर्ग विशेष को जन्म से ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। मुझे उनका नाम लेने पर खेद है। ब्राह्मणों को शिक्षा प्राप्त करने का जन्म सिद्ध अधिकार था। उन्हें ही पवित्र ग्रंथों को पढ़ने, पाठ-पूजा करने, मंदिर जाने और मंदिर की पूजा-वेदी में प्रवेश पाने का अधिकार था। 26 जनवरी, 1950 के उपरांत यह अधिकार समाज के सभी वर्गों को दिया गया। अनु. जा. और अनु. ज. जा. को जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया, वह था, सरकारी सेवा की हरेक-शाकवा, प्रत्येक वर्ग में नौकरी पाने का अधिकार, जिसके लिए डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 335 की व्यवस्था की। यह भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों 38 और 46 के उपरांत आता है। मेरे विचार से, प्रत्येक व्यक्ति को, जो आरक्षण का समर्थन अथवा विरोध कर रहा है, इन दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद रखना चाहिए।

सायं 6.00 बजे

भारत केन्द्र संविधान के अनुच्छेद 38 के द्वारा राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य निर्धारित करता है:

> ''राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा और विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा।''

सभापति महोदय: श्री राष्ट्रपाल, आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं।

अब यह सभा सोमवार, 30 जुलाई, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 30 जुलाई, 2001/8 श्रावण, 1923 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.17.5/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।